



ANNUAL REPORT

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22



International Financial Services Centres Authority
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण



वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में 28 फरवरी, 2022 को अधिसूचित
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां
और विवरण तथा अन्य व्यष्टियां) नियम,
2022 में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप है।



Injeti Srinivas
Chairperson




सचिव,
भारत सरकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001

410/आईएफएससीए/ईपीए/एआर/2021-22
नवंबर 29, 2022

प्रिय महोदय,

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3 उप-खंड (i) में, 28 फरवरी, 2022 को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां तथा विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित किए गए प्रारूप में, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अशेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,


(इंजेती श्रीनिवास)
संलग्न: उपरोक्तानुसार

The Secretary,
Government of India,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, North Block,
New Delhi - 110 001

410/IFSCA/EPA/AR/2021-22
November 29, 2022

Dear Sir,

In accordance with the provisions of Section 19(2) of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, I forward herewith a copy of the Annual Report of the International Financial Services Centres Authority for the year ended March 31, 2022, in the format prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022, notified on February 28, 2022, in Part II Section 3 Sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary.

Yours faithfully,


(Injeti Srinivas)

Encl.: As above

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

Second & Third Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1, Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City,
Gandhinagar-382 355, Gujarat, India. P: +91 79 6180 9800

भाग क

लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [आइएफएससी] की स्थापना दिनांक 27 अप्रैल, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत एक एकीकृत वित्तीय विनियामक के रूप में की गयी थी। इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंन्स टेक सिटी [गिफ्ट सिटी] में स्थित है।

भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा गया है] को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए पसंदीदा वैश्विक स्थान बनाने के उद्देश्य से भारत में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों [आइएफएससी] में वित्तीय सेवाओं को विकसित और विनियमित करने के प्रयोजन से तथा कारोबार को और भी सुविधाजनक बनाने की [ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस] संकल्पना के आधार पर विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अधिदेश के साथ अधिसूचित किया है।

यह प्राधिकरण, एकीकृत विनियामक के रूप में बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाज़ार, पेंशन और निधियों के कार्यक्षेत्र में भारत में आइएफएससी में स्थित वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं, और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के प्रति समग्र विज़न को अपनाता है। वर्तमान में गिफ्ट आइएफएससी भारत में एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। इस आइएफएससी प्राधिकरण की स्थापना के पहले, चार घरेलू वित्तीय क्षेत्र नियामक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, और पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण आइएफएससी के अंतर्गत संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों को विनियमित करते थे।

विज़न

आइएफएससी को सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने के अलावा, विश्वस्तरीय विनियामक वातावरण प्रदान करना और सबसे पहले भारत के आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करना।

मिशन

आइएफएससी को कारोबार समर्थक वातावरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, बीमा, और पूंजी बाज़ार की गतिविधियों के लिए विविधता पूर्ण रूप से और विश्व स्तर पर एक ऐसे प्रतिस्पर्धी वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करना जो प्रगतिशील विनियामक संरचना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, और इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिभाशाली वित्तीय कारोबारियों से समर्थित हो और भारतीय अर्थव्यवस्था और इस समूचे क्षेत्र दोनों की ही समग्र रूप से सेवा करे।

लक्ष्य और उद्देश्य

1. देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए सुदृढ़ आधार को सुचारु रूप से विकसित करना।
2. आइएफएससी को भारत में और भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह का प्रमुख प्रवेशद्वार बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करना।
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक केंद्र के रूप में उभरना।
4. सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सुदृढ़ विनियम और पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी के साथ अत्याधुनिक एकीकृत नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करना।
5. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्राधिकारों के साथ सुदृढ़ वैश्विक संबंध विकसित करना।

अध्यक्ष का संदेश


अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पास देश में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को विकसित करने और उनको विनियमित करने का दोहरा अधिदेश है। इन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों की स्थापना के दो प्राथमिक उद्देश्य हैं - भारत से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा कारोबार को तटवर्ती [ऑनशोर] करना और भविष्य में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के निर्यातक के रूप में उभरना। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह प्राधिकरण वित्तीय संस्थानों, उत्पादों और सेवाओं को आइएफएससी की ओर अग्रसर होने में सक्षम करने के लिए एक अनुकूल और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान कर रहा है।

इस पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटकों में से एक महत्वपूर्ण घटक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के अनुसार किफायती और तत्काल विवाद समाधान प्रदान करना। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए माननीया वित्त मंत्री ने वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता केंद्र [आइएससी] स्थापित करने की घोषणा की। केंद्रीय बजट में गिफ्ट आइएफएससी में ऐसी विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है, जो घरेलू विनियमावलिओं से मुक्त होगा ताकि वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में कुशल कार्मिक सुचारु रूप से उपलब्ध हो सके। विकसित होते जा रहे वित्तीय सेवा उद्योग के साथ जैसे-जैसे आइएफएससी का महत्व बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और उच्च गुणवत्ता वाली मानव पूंजी की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होती जा रही है। आइएफएससी प्राधिकरण इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रयासरत है ताकि ये जो पहलें की गयी हैं वे सफल हो पाएं।

चूंकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली का ध्यान जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है, गिफ्ट आइएफएससी सतत वित्त के लिए वैश्विक केंद्र बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह प्राधिकरण एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर केंद्रित है जो भारत में और उभरती हुई अन्य अर्थव्यवस्थाओं में भी वैश्विक सतत पूंजी के प्रवाह को गतिमान करेगा। आइएफएससी प्राधिकरण ने लेबल पूंजी बाजार उत्पादों, सतत उधार, और निधियों में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाये हैं जिससे पारदर्शिता और संधारणीयता से संबंधित उत्पादों में प्रकटीकरण को बढ़ाना संभव हो पाया। इसके लिए एक विनियामक वातावरण प्रदान करने के उपाय किये गये हैं। इन उपायों से आइएफएससी में ईएसजी-लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियों में सतत उत्पादों के प्रस्तावों में वर्ष 2021-22 में लगभग 5.2 बिलियन डॉलर की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सतत वित्त की पूर्ति करने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए एक वैश्विक मंच उपलब्ध कराते हुए पूरे विश्व में सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना इस प्राधिकरण का लक्ष्य है।

आइएफएससी प्राधिकरण ने आइएफएससी में कई सारी निधि प्रबंधन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने के प्रयोजन से निधि प्रबंधन विनियमावलियों को अधिसूचित किया है जिसमें वेंचर कैपिटल फंड्स, स्पेशल सिचुरेशन फंड्स, हेज फंड्स आदि जैसी निजी निवेश निधियों से लेकर म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसी खुदरा निवेश निधियां भी शामिल हैं। इसके अलावा, इस विनियमावली में आइएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं, फॉमिली कार्यालय, भू-संपदा निवेश न्यास [आरईआइटी] और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यास [इनवीआइटी] की स्थापना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इन विनियमावलियों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित किया गया है जो प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करती हैं और निधि प्रबंधन यूनिटों को पंजीकृत करते हुए कारोबार को सुविधाजनक बनाती हैं और उसके जरिए इन यूनिटों को निधि प्रबंधन से संबंधित गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए प्रावधान भी उपलब्ध कराती हैं। ऐसी एकीकृत व्यवस्था प्रारंभ करने के पीछे यह उद्देश्य है कि भारत और अन्य देशों में निवेश के लिए वैश्विक पूंजी को आकर्षित किया जा सके।

आइएफएससी प्राधिकरण ने गिफ्ट आइएफएससी में विश्व स्तरीय फिनटेक हब बनाने की दिशा में, बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा और उससे संबद्ध क्षेत्रों में फिनटेक और टेकफिन के लिए अपनी तरह का पहला फिनटेक संस्था का फ्रेमवर्क तैयार किया है। यह प्राधिकरण फिनटेक संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने के लिए फिनटेक प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित करने वाला वित्तीय क्षेत्र का पहला भारतीय विनियामक भी बन गया। प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में स्वयं को एक विचारशील अग्रणी संस्था के



रूप में स्थापित करते हुए, 'इनफिनिटी मंच' का शुभारंभ किया है। यह एक ऐसा प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है, जो फिनटेक में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं का पता लगाने और उन्हें प्रोत्साहित करने और उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी की दुनिया के अग्रणी दिग्गजों को साथ लाता है ताकि वैश्विक समाधान और अवसरों को ढूंढा जा सके। आई स्पिन्ट'21, इस प्राधिकरण द्वारा शुरू किये गये वैश्विक हैकथॉन / समूहों की एक श्रृंखला है, जो बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाजार के डोमेन में समस्या विवरण के साथ क्रमशः भारतीय और विदेशी फिनटेक के लिए आदर्शरूप से लॉच और लैंडिंग पैड प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विनियामकों, फिनटेक हब, एक्सेलेरेटर, निवेशकों आदि के साथ जो सहयोग और साझेदारियाँ की जा रही हैं, वे गिफ्ट आइएफएससी में एक जीवंत फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

आइएफएससी में अंतराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज के शुभारंभ के साथ-साथ, भारत सोने के बाजार का केंद्र बनता चला जाएगा और धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय सोने के बाजार में कीमतों को प्रभावित करनेवाले देश के रूप में उभरेगा। प्राधिकरण ने आइएफएससी में व्यापार वित्त सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से अंतराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा मंच [आइटीएफएस] की स्थापना और संचालन के लिए एक रूपरेखा भी जारी कर दी है। यह आइटीएफएस प्लेटफॉर्म दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में खरीदारों / विक्रेताओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार वाले [एमएसएमई] निर्यातकों / आयातकों के लिए सुगम डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सुविधा, वित्तपोषण के कई सारे विकल्प और कीमतों की दक्षता से खोज करना संभव बनायेगा।

गिफ्ट आइएफएससी, जिसे एक बड़ी घरेलू अर्थव्यवस्था, बाजार की बढ़ती तरलता एवं अपनी श्रेणी की सर्वोत्तम विनियमावलियों का समर्थन भी हासिल है; अपनी सुविकसित वित्तीय प्रणाली के साथ, भारत को वैश्विक स्तर पर उपलब्ध अवसरों से जोड़ने और शेष दुनिया को भारत के विकास की कहानी से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में तेजी से उभरता जा रहा है।

प्राधिकरण के सदस्य (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार)



श्री इंजेती श्रीनिवास
अध्यक्ष



श्री पंकज जैन
सचिव, पेट्रोलियम एवं
प्राकृतिक गैस मंत्रालय



श्री आनंद मोहन बजाज
अपर सचिव
वित्त मंत्रालय



श्रीमती टी.एल. अलामेलू
सदस्या,
भारतीय बीमा विनियामक
और विकास प्राधिकरण



श्री सौरव सिन्हा
कार्यपालक निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक



श्री सुजीत प्रसाद
कार्यपालक निदेशक, भारतीय
प्रतिभूति और विनियम बोर्ड



श्री अनंत गोपाल दास
कार्यपालक निदेशक,
पेंशन निधि विनियामक
और विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण का वरिष्ठ प्रबंधन [दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार]

| नाम | पद |
|--------------------------|------------------|
| श्री मनोज कुमार | कार्यकारी निदेशक |
| श्री प्रवीण त्रिवेदी | कार्यकारी निदेशक |
| श्री दीपेश शाह | कार्यकारी निदेशक |
| श्री कुमार रघुरामन | महाप्रबंधक |
| श्री सुप्रियो भट्टाचार्य | महाप्रबंधक |
| श्री कमलेश शर्मा | महाप्रबंधक |
| श्री आशुतोष शर्मा | महाप्रबंधक |
| श्री जोसेफ जोशी सी जे | महाप्रबंधक |

विषय सूची

| क्रम संख्या | व्यष्टियाँ | पृष्ठ संख्या |
|-------------|--|--------------|
| 1 | बॉक्स मर्जों की सूची | XII |
| | सारणियों की सूची | XII |
| | आकृतियों की सूची | XIV |
| | चित्रों की सूची | XV |
| | संक्षेपाक्षर | XVI |
| 2 | भाग ख - समीक्षाधीन वर्ष : सामान्य आर्थिक पर्यावरण का अवलोकन | |
| | अ. वैश्विक आर्थिक मूल्यांकन, दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के लिए अवसर | 02 |
| | ब. घरेलू आर्थिक मूल्यांकन और संभावनाएं | 05 |
| 3 | भाग ग - प्राधिकरण की नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा | |
| | बैंकिंग और वित्त कंपनियां | 12 |
| | पूंजी बाजार | 23 |
| | अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज | 47 |
| | फिनटेक हब | 53 |
| | बीमा | 61 |
| | एयरक्राफ्ट लीजिंग | 69 |
| | ग्लोबल इन-हाउस सेंटर | 72 |
| | अन्य क्षेत्र | 73 |
| | सहायक सेवाएं | 81 |
| | सूचना प्रौद्योगिकी | 82 |
| 4 | भाग घ - प्राधिकरण के अर्ध-विधायी, कार्यपालक और अर्ध-न्यायिक कार्यकलापों की सूची | 85 |
| 5 | भाग ङ - निधियों के स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र [वित्तीय वर्ष (2021-22)] | 95 |
| 6 | भाग च - संगठनात्मक मामले | 97 |

बॉक्स मदों की सूची

| बॉक्स संख्या | बॉक्स का शीर्ष | पृष्ठ संख्या |
|--------------|--|--------------|
| 1 | वित्तीय कंपनियों / वित्तीय यूनिटों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क | 18 |
| 2 | वित्तीय कंपनियों/वित्तीय यूनिटों के लिए गतिविधि विशिष्ट विनियामक फ्रेमवर्क | 19 |
| 3 | विदेशी कंपनियों की लिस्टिंग को सुचारु बनाने के लिए अधिसूचना | 32 |
| 4 | एसपीएससी की लिस्टिंग के लिए विनियामक फ्रेमवर्क के विशेष प्रयोजन | 33 |
| 5 | एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग लीज के लिए फ्रेमवर्क की विशेषताएं | 69 |
| 6 | ग्लोबल इन-हाउस सेंटर विनियमावली, 2020 की मुख्य विशेषताएं | 72 |
| 7 | ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग | 76 |
| 8 | आईएफएससीए – आइआइएमए – समझौते का ज्ञापन | 100 |

सारणियों की सूची

| सारणी संख्या | सारणियों की सूची | पृष्ठ संख्या |
|--------------|--|--------------|
| 1 | जीवीए की स्थायी कीमतों पर [2011-12] वार्षिक वृद्धि | 05 |
| 2 | आइएफएससी में बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र | 20 |
| 3 | आइबीयू में बकाया डेरीवेटिव अनुबंधों की तुलना | 21 |
| 4 | गिफ्ट आइएफएससी में ट्रेडिंग सदस्य | 27 |
| 5 | गिफ्ट आइएफएससी में समाशोधन सदस्य | 27 |
| 6 | इंडेक्स फ्यूचर्स की प्रवृत्तियाँ | 40 |
| 7 | इंडेक्स ऑप्शंस की प्रवृत्तियाँ | 40 |
| 8 | आइएफएससी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध कमांडिटी डेरीवेटिव | 40 |
| 9 | कमांडिटी डेरीवेटिव की प्रवृत्तियाँ | 41 |
| 10 | मुद्रा डेरीवेटिव की प्रवृत्तियाँ | 41 |
| 11 | आइएफएससी एक्सचेंजों पर ऋणों की लिस्टिंग | 41 |

| सारणी संख्या | सारणियों की सूची | पृष्ठ संख्या |
|--------------|---|--------------|
| 12 | वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण निर्गमों की सूची | 42 |
| 13 | वित्तीय वर्ष 2021-22 में आइएफएससी एक्सचेंजों में विशिष्ट लिस्टिंग | 43 |
| 14 | गिफ्ट आइएफएससी में एआइएफ | 44 |
| 15 | गिफ्ट आइएफएससी में बुलियन बाज़ार के मध्यस्थ | 51 |
| 16 | बैंकटेक हैकथॉन के विजेता | 58 |
| 17 | इंशोर टेक हैकथॉन के विजेता | 59 |
| 18 | आईएफसीसीए में दिनांक 31 मार्च 2022 को कार्यरत बीमा संस्थाएँ | 64 |
| 19 | विनियमावलियों की सूची | 85 |
| 20 | अधिसूचनाओं की सूची | 88 |
| 21 | प्रमुख परिपत्रों / दिशानिर्देशों की सूची | 89 |
| 22 | वर्ष 2021-22 के लिए निधियों के स्रोत | 95 |
| 23 | वर्ष 2021-22 के लिए व्यय के प्रमुख स्रोत | 95 |
| 24 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण - विभागीय संरचना | 97 |
| 25 | वित्तीय वर्ष 2021-2022 में आयोजित आइएफएससी प्राधिकरण की बैठकें | 98 |
| 26 | कर्मचारियों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या | 98 |
| 27 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | 99 |
| 28 | दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार आरटीआइ आवेदनों की संख्या | 101 |

आकृतियों की सूची

| आकृति संख्या | आकृति का शीर्षक | पृष्ठ संख्या |
|--------------|---|--------------|
| 1 | वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टर्न ओवर | 20 |
| 2 | दिनांक 31 मार्च 2022 को बकाया उधार | 21 |
| 3 | दिनांक 31 मार्च 2022 को बकाया निवेश | 21 |
| 4 | बैंकों का प्रमुख देश एक्सपोजर | 22 |
| 5 | एक्सचेंजों पर अनुमानित टर्न ओवर (मिलियन अमरीकी डॉलर) | 39 |
| 6 | आइएफएससी एक्सचेंजों में ऋण की वर्ष-वार लिस्टिंग | 43 |
| 7 | पिछले वर्ष के दौरान संचयी ऋण प्रतिभूतियों की सूची | 44 |
| 8 | आइआइबीएक्स पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध उत्पाद | 51 |
| 9 | आइआइओ द्वारा हामीदारी दिया गया कारोबार | 65 |
| 10 | आइआइआइओ द्वारा किया गया कारोबार | 65 |
| 11 | हरित बॉन्डों का निर्गम | 75 |
| 12 | सतत ऋण जिसमें ग्रीन बाय लेबल शामिल नहीं है | 76 |
| 13 | वित्तीय वर्ष 2021-22 में आइएफएससी एक्सचेंजों पर ईएसजी ऋण प्रतिभूतियाँ | 77 |
| 14 | त्रैमासिक वैश्विक सतत निधि परिसंपत्तियाँ | 79 |

चित्रों की सूची

| चित्र संख्या | चित्र का शीर्षक | पृष्ठ संख्या |
|--------------|---|--------------|
| 1 | एसजीएक्स गिफ्ट सिटी कार्यालय का उद्घाटन और गिफ्ट डेटा कनेक्ट का शुभारंभ | 26 |
| 2 | भारत के पहले अप्रायोजित डिपॉजिटरी रसीदों में ट्रेडिंग का शुभारंभ | 31 |
| 3 | भारतीय स्टेट बैंक के 300 मिलियन अमरीकी डॉलर के फार्मोसा बॉन्डों की इंडिया आइएनएक्स पर लिस्टिंग | 42 |
| 4 | माननीय प्रधानमंत्री दिनांक 03 दिसंबर 2021 को इनफ़िनिटी मंच 2021 का उद्घाटन करते हुए | 54 |
| 5 | इनफ़िनिटी मंच 2021 में माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन | 55 |
| 6 | सर स्टीव स्मिथ, यूनाइटेड किंगडम सरकार के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा चैंपियन का आईएफएससीए का दौरा | 74 |
| 7 | श्री अमिताभ बैनर्जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय रेल वित्त निगम और श्री इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष आइएफएससीए, आइएफएससी के एक्सचेंजों पर आइआरएफसी के हरित बॉन्डों के लिस्टिंग समारोह के अवसर पर | 78 |
| 8 | निदेशक, आआइएम-ए [बाये] और अध्यक्ष आइएफएससीए [दायें] समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के समारोह के दौरान आइआइएम-ए परिसर में | 101 |
| 9 | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह | 102 |

इस रिपोर्ट को इंटरनेट पर भी देखा जा सकता है- <https://ifsc.gov.in/>

इस रिपोर्ट में प्रयुक्त मानक शब्दरूप

| | | |
|--------|---|----------------------|
| ₹ | : | रुपये |
| लाख | : | सौ हजार |
| करोड़ | : | सौ लाख |
| मिलियन | : | दस लाख |
| अरब | : | हजार मिलियन/सौ करोड़ |

पूर्णांकन के कारण योग में अंतर हो सकते हैं और कभी-कभी हो सकता है कि उनका जोड़ शत प्रतिशत तक न हो।

संक्षेपाक्षर

| | |
|-------------|---|
| एडीआर | अमेरिकन डिपॉज़िटरी रसीद |
| एई | उन्नत अर्थव्यवस्थाएं |
| एआइ | कृत्रिम बुद्धिमत्ता |
| एआइएफ | वैकल्पिक निवेश निधि |
| एएलएम | परिसंपत्ति देयता असंतुलन |
| एएमसी | परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी |
| एएमएल | एंटी मनी लाँडरींग |
| एपीएसी | एशिया पैसिफिक |
| एपीआइ | एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस |
| एआरसी | परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी |
| एसईएएन | दक्षिण पूर्वी एशियायी राष्ट्र संघ |
| एसएसओसीएचएम | एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया |
| एयूएम | प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियाँ |
| बीसीबीएस | बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति |
| बीडीआर | बुलियन डिपॉज़िटरी रसीद |
| बीएफएसआइ | बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा |
| बीआइएस | अंतर्राष्ट्रीय समझौता बैंक |
| बीओई | बैंक ऑफ इंग्लैंड |
| बीओपी | भुगतान शेष |
| बीआरएल | ब्राज़ीलियन रियाल |
| बीयू | बैंकिंग यूनिट |
| सीएडी | चालू खाता घाटा |
| सीबीडीटी | केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड |
| सीबीआइसी | केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड |
| सीबीएस | अनुपालन आधारित पर्यवेक्षण |
| सीडीआर | ऋण जमा अनुपात |
| सीडीएसएल | केंद्रीय डिपॉज़िटरी सर्विसेज [इंडिया] लिमिटेड |
| सीईओ | मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| सीएफटी | आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला |
| सीजीएम | मुख्य महा प्रबंधक |
| सीआइआइ | भारतीय उद्योग महासंघ |
| सीएम | समाशोधन सदस्य |
| सीओबी | कार्य संचालन |
| सीओएमईएक्स | कमोडिटी एक्सचेंज |

| | |
|---------------|---|
| सीओपी | पक्षों का सम्मेलन |
| सीओआर | पंजीकरण प्रमाणपत्र |
| सीओवीआइडी | कोरोना वायरस डीसीज |
| सीपीआइ | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक |
| सीपीएसई | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम |
| डीडीजी | उचित परिश्रम मार्गदर्शन |
| डीईए | आर्थिक कार्य विभाग |
| डीएफएस | वित्तीय सेवा विभाग |
| डीजीईपी | निर्यात संवर्धन महानिदेशालय |
| डीजीएफटी | विदेशी व्यापार महानिदेशालय |
| डीओसी | वाणिज्य मंत्रालय |
| डीओपी | पेंशन विभाग |
| डीआर | डिपॉजिटरी रसीद |
| डीटीए | घरेलू टैरिफ क्षेत्र |
| ईसीबी | विदेशी वाणिज्यिक उधार |
| ईसीजीसी | निर्यात वित्त गारंटी निगम |
| ईडी | कार्यपालक निदेशक |
| ईएमडीई | उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं |
| ईएमई | उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं |
| ईएमईए | यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका |
| ईएसजी | वातावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस |
| ईटीएफ | एक्सचेंज ट्रेडेड फंड |
| एफएआर | पूर्णतः पहुँच वाला मार्ग |
| एफएटीएफ | फाइनांशियल एक्शन टास्क फोर्स |
| एफसी | वित्तीय कंपनी |
| एफसीए | वित्तीय आचरण प्राधिकारी |
| एफसीवाई | विदेशी मुद्रा |
| एफडीआइ | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश |
| एफई | फिन टेक संस्था |
| एफईएमए | विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम |
| एफआइ | वित्तीय संस्था |
| एफआइसीसीआइ | भारतीय चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री |
| एफआइएनटीईसीएच | वित्तीय प्रौद्योगिकियाँ |
| एफएमई | निधि प्रबंधन संस्था |
| एफपीआइ | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक |
| एफएसबी | वित्तीय स्थिरता बोर्ड |

| | |
|------------------|--|
| एफएसडीसी | वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद |
| एफएसडीसी | एससी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद उप समिति |
| एफटीडब्ल्यूजेड | मुक्त व्यापार गोदाम क्षेत्र |
| एफवाइ | वित्तीय वर्ष |
| जीडीपी | सकल घरेलू उत्पाद |
| जीआइसी | वैश्विक आंतरिक केंद्र |
| जीआइएफटी (गिफ्ट) | गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय टेक सिटी |
| जीएम | महा प्रबंधक |
| जीएमएल | स्वर्ण धातु ऋण |
| जीएमएस | स्वर्ण मौद्रिकरण योजना |
| जीएनएल्यू | गुजरात नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी |
| जीओआइ | भारत सरकार |
| जीएसईसी | सरकारी प्रतिभूतियाँ |
| जीवीए | सकल मूल्य वर्धित |
| एचआरएमएस | मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली |
| एचटीएम | परिपक्वता तक धारित |
| आइए | निवेश सलाहकार |
| आइबीसी | इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड |
| आइबीई | अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज |
| आइसीएमए | अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार एसोसिएशन |
| आइएफएससी | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र |
| आइएफएससीए | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण |
| आइजीपीसी | भारती स्वर्ण नीति केंद्र |
| आइआइआइओ | आइ एफ एस सी, बीमा, मध्यस्थ कार्यालय |
| आइआइएमए | भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद |
| आइआइओ | आइ एफ एस सी, बीमा कार्यालय |
| आईएमएफ | अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष |
| आइएनडीसी | इंटेडेड नैशनली डिटरमाइंड काँट्रीब्यूशन |
| आइएनआर | भारतीय रुपया |
| आइएनवीआइटी | इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यास |
| आइएनएक्स | इंडिया इंटरनैशनल एक्सचेंज [आइएफएससी] लि. |
| आइओएससीओ | अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति कमीशन संगठन |
| आइपीओ | प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव |
| आइआरडीएआइ | भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण |
| केआरडब्ल्यू | कोरियाई वोन |
| एलबीएमए | लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन |

| | |
|--------------|---|
| एलसीआर | तरलता कवरेज अनुपात |
| एलएलपी | सीमित देयता भागीदारी |
| एलएमए | ऋण बाज़ार एसोसिएशन |
| एलएमई | लंदन धातु एक्सचेंज |
| एलओएलआर | अंतिम ऋणदाता |
| लीवरेजरेशियो | लीवरेज अनुपात |
| एलआरएस | उदारीकृत प्रेषण योजना |
| एलएसई | लंदन स्टॉक एक्सचेंज |
| एमसीएक्स | मल्टी कमांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. |
| एमआइआइ | बाज़ार अवसंरचना संस्थान |
| एमआइएस | प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| एमएल | मशीन लर्निंग |
| एमएमओयू | बहुपक्षीय समझौते का जापन |
| एमओयू | समझौते का जापन |
| एमवीपी | न्यूनतम अर्थक्षम उत्पाद |
| एनबीएफसी | गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी |
| एनडीसी | राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान |
| एनआइसी | राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र |
| एनआइसीसीएल | एन एस ई आइएफएससी समाशोधन निगम लि. |
| एनआइसीएसआइ | राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा आइएनसी. |
| एनआईपीएफपी | नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाईनान्स एंड पॉलिसी |
| एनआईएसएम | राष्ट्रीय प्रतिभूति बाज़ार संस्थान |
| एनएलपी | प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण |
| एनपीए | अनर्जक परिसंपत्तियाँ |
| एनएसडीएल | राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. |
| एनएसई | नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. |
| एनएसएफआर | निवल स्थिर निधि अनुपात |
| एनवाईएसई | न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज |
| ओईसीडी | आर्थिक सहयोग और विकास संगठन |
| ओएमओ | खुले बाज़ार के परिचालन |
| ओपीईसी | ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज |
| ओआरएफ | ऑब्जर्वर रीसर्च फाउंडेशन |
| ओटीसी | ओवर द काउंटर |
| पीएफआरडीए | पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण |
| पीएलआइ | उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन |
| पीएमआइ | पर्सोनिंग मैनेजर्स इंडेक्स |

| | |
|----------------|---|
| पीएमएल | धन शोधन की रोकथाम |
| पीएमएलए | धन शोधन निवारण अधिनियम |
| पीएम | पोर्टफोलियो प्रबंधक |
| पीओसी | प्रूफ ऑफ कंसेप्ट |
| पीआरसी | कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति |
| पीआरयू | विवेकपूर्ण निदेश |
| क्यूएफसीए | कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण |
| क्यूजे | अर्हता प्राप्त जौहरी |
| आरबीसी | जोखिम आधारित पूंजी |
| आरबीएस | जोखिम आधारित पर्यवेक्षण |
| आरबीएसएफ | जोखिम आधारित पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क |
| आरडीआरआर | फुटकर जमा प्रारक्षित निधि अनुपात |
| आरईआईटी | भू संपदा निवेश न्यास |
| आरएफपी | प्रस्ताव के लिए अनुरोध |
| आरआरबी | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
| एसएएफएल | जहाज अधिग्रहण वित्तपोषण और लीजिंग |
| एसबीआई | भारतीय स्टेट बैंक |
| एससीआरए | प्रतिभूति अनुबंध [विनियमावली] अधिनियम, 1956 |
| एसडीजी | सतत विकास लक्ष्य |
| एसईजेड | विशेष आर्थिक क्षेत्र |
| एसजीबी | सार्वभौम स्वर्ण बॉन्ड |
| एसजीएफ | निपटान गारंटी फंड |
| एसजीएक्स | सिंगापुर एक्सचेंज लि. |
| एसआइएसी | सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र |
| एसएलए | सर्वेयर और हानि मूल्यांकनकर्ता |
| एसएलबी | सततता से जुड़े बॉन्ड |
| एसएमई | छोटे और माध्यम आकार वाले उद्यम |
| एसएनएस | सेग्रीगेटेड नॉमिनी एकाउंट स्ट्रक्चर |
| एसपीएसी | स्पेशल परपज़ एक्विज़िशन कंपनी |
| एसपीवी | स्पेशल परपज़ वेहिकल |
| एसयूपी-टीईसीएच | पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी |
| टीसीएम | ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य |
| टीएफयू | ट्रेडिंग वित्त यूनिट |
| टीएलटीआरओ | लक्ष्यित दीर्घविधि रेपो परिचालन |
| टीएम | ट्रेडिंग सदस्य |
| टीपीए | तृतीय पक्ष प्रशासक |

| | |
|--------------|---|
| टीएसएम | ट्रेडिंग एवं स्वयं समाशोधन सदस्य |
| टीडब्ल्यूडी | ताइवान डॉलर |
| यूएससी | यूनिट अनुमोदन समिति |
| यूसीसी | यूनिक क्लायंट कोड |
| यूसीपी600 | यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डाक्यूमेंट्री क्रेडिट्स |
| यूके | यूनाइटेड किंगडम |
| यूएन | यूनाइटेड नेशन्स |
| यूएनएफसीसीसी | जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क |
| यूएस | यूनाइटेड स्टेट्स |
| यूएसडी | अमेरिकी डॉलर |
| वीसी | वेंचर पूंजी |
| वीसीसी | परिवर्तनीय पूंजी कंपनी |
| वीआरआर | स्वैच्छिक अवधारण मार्ग |
| वीआरआरआर | परिवर्तनीय दर रीवर्स रेपो |
| डब्ल्यूईओ | विश्व आर्थिक दृष्टिकोण |
| डब्ल्यूजीसी | विश्व स्वर्ण परिषद |
| डब्ल्यूपीआइ | थोक मूल्य सूचकांक |
| वाइओवाइ | वर्ष-दर वर्ष |

भाग ख

समीक्षाधीन वर्ष : सामान्य आर्थिक पर्यावरण का अवलोकन

अ. वैश्विक आर्थिक मूल्यांकन, दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के लिए अवसर

समूचा विश्व वर्ष 2022 में कोविड -19 महामारी के घटते प्रभावों से गुजर रहा है। वैश्विक सुधार होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनमें दुर्जेय चुनौतियां भी मौजूद हैं; नतीजतन जोखिम और अनिश्चितता भी भारी मात्रा में बनी हुई है।

यदि इसके सकारात्मक पहलुओं को देखा जाए तो वर्ष - 2020 में आयी तेज गिरावट के बाद कई देशों में विकास / उत्पादन का पुनरुत्थान हुआ, जिनमें टीकाकरण बहुत अधिक तेजी से किया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि होती दिखाई दी। लेकिन यह भी देखने में आया कि कई क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तनों के दौर से गुजरने वाली विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में पुनरुद्धार एक समान रूप से नहीं हुआ है।

कुछ प्रमुख भू-राजनीतिक गतिविधियों की वजह से ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि भी हुई है और उनकी आपूर्ति में व्यवधान पैदा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और कई उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं [ईएमडीई] में अपेक्षाकृत अधिक और व्यापक स्तर पर मुद्रास्फीति हुई है। चीन के रियल एस्टेट क्षेत्र में चल रही मंदी और निजी खपत की अपेक्षा से धीमी गति से हो रही बहाली में भी विकास की संभावनाएं सीमित ही बनी हुई हैं। अन्य नकारात्मक जोखिम जो इस दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, उनमें मुद्रास्फीति की उम्मीदों का डी-एंकरींग, वित्तीय तनाव, जलवायु संबंधी आपदाएं और दीर्घकालिक विकास के कारकों का कमजोर होना शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जनवरी 2022 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक [डब्ल्यूईओ] अपडेट अनुसार, यह अनुमान है कि वैश्विक विकास की दर वर्ष 2021 में 5.9 से घट कर वर्ष 2022 में 4.4 प्रतिशत रहेगी - जो डब्ल्यूईओ, अक्टूबर 2021 के अनुसार वर्ष 2022 के लिए अनुमानित दर से आधे प्रतिशत बिंदु तक कम है, जो विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मोटे तौर पर घटते हुए पूर्वानुमान को दर्शाता है। एक ऐसा संशोधित अनुमान, जिसमें बेहतर राजकोषीय नीति पैकेज को दोबारा बनाने की संभावना को सिरे से नकार दिया है, मौद्रिक सहायता की समय से पहले ही निकासी कर ली हैं, और जहां आपूर्ति में निरंतर कमियाँ मौजूद हों, के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 1.2 प्रतिशत बिंदु की गिरावट दर्शायी गयी है। चीन में, कोविड -19 को लेकर शून्य सहनशीलता नीति और संपदा विकासकों में प्रदीर्घ वित्तीय तनाव के कारण 0.8 प्रतिशत बिंदु की गिरावट देखी गयी। वैश्विक विकास में वर्ष 2023 में 3.8 प्रतिशत तक मंदी आने की संभावना है।

वर्ष 2021 की वित्तीय स्थिरता बोर्ड [एफएसबी] की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, स्पष्ट आर्थिक अनिश्चितता, आसान वित्तपोषण की स्थिति और निरंतर नीति समर्थन का संयोजन परिसंपत्ति मूल्यांकन को आकार दे रहा है, और वित्तीय लचीलापन का परीक्षण कर सकता है। वित्त के क्षेत्र में किये जा रहे नवोन्मेष, शीघ्रता से विकसित होती जा रही क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बाजार और जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा हो रही प्रत्यक्ष और संक्रमण जोखिम ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन हैं, जो वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों के स्वरूप को प्रभावित कर रहे हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए किये जा रहे विभिन्न उपायों में निम्नलिखित नीतिगत प्रतिक्रियाएँ शामिल हो सकती हैं :

| | | |
|---|---|---|
| तेजी से बढ़ता टीकाकरण जिसमें मुख्यतः कमजोर आबादी को लक्ष्य बनाया गया हो | घरेलू वृद्धि और नवोन्मेष | प्रभावी मौद्रिक नीति संप्रेषण |
| सीमा पार व्यापार एवं निवेश को सुविधाजनक बनाना | राजकोषीय उपाय -सार्वजनिक व्यय, सब्सिडी, और कर आधार को व्यापक बनाने के लिए उपाय | वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने तथा पुनः भुगतान को फ़ैलाने और विनिमय दर की जोखिमों को कम करने के लिए ऋण पुनर्संरचना करने के उपाय |
| सबसे गरीब देशों में ऋणों की संवहनीयता को बढ़ाने के लिए सक्रिय उपाय | जलवायु परिवर्तन पर तथा देश के भीतर मौजूद विषमता को कम करने के लिए दोगुने प्रयास | वृद्धि को बढ़ाने वाली नीति हस्तक्षेप और ऐसे सुधारों पर बल देना जो आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करते हैं ताकि उसे वैश्विक कमोडिटी बाजारों से डीकपल किया जा सके |

वित्तीय बाजारों का प्रदर्शन

बैंकिंग उद्योग

मार्च 2022 की बीआईएस की तिमाही समीक्षा के अनुसार, भू-राजनीतिक तनाव अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से अनिश्चितता की जो एक नयी लहर पैदा हुई उसके आने से पहले ही, वित्तीय बाजारों ने वैश्विक बदलावों की आहट को भाँपते हुए अपनी मौद्रिक नीतियों को तेजी के साथ कठोर बनाना शुरू कर दिया था।

अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं [ईई] में, जैसे ही निवेशकों ने फेडरल रिजर्व के रुख में आये हुए बदलाव को महसूस किया, नाममात्र बांड प्रतिफल में दिसंबर के मध्य से ही प्रत्यक्ष वृद्धि हुई। यह वृद्धि अधिकतर वास्तविक प्रतिफल में रूपांतरित होती गयी जबकि मुद्रास्फीति का मुआवजा अपनी उपज के साथ अलग दिशा में चला गया और वास्तविक उपज [मुद्रास्फीति-समायोजित] बड़े पैमाने पर नकारात्मक क्षेत्र में बनी रही।

उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं [ईएमई] में वित्तीय स्थिति संमिश्र लेकिन काफी हद तक स्थिर बनी रही, जिसमें स्थानीय मुद्रा के प्रतिफल, विशेष रूप से एशियाई देशों से इतर देशों में शॉर्ट एंड में बढ़ते गये और डॉलर में दिये गये ऋणों में भी इस दौरान वृद्धि हुई। अन्य ईएमई के मुकाबले एशिया की ईएमई में पोर्टफोलियो के प्रवाहों ने गति पकड़ ली जिनमें कम कठोर वित्तीय स्थितियों का समर्थन किया गया था।

मुद्रास्फीति का पुनरुत्थान, रूस-यूक्रेन संघर्ष और चीन में लॉकडाउन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियाँ खड़ी कर दीं। हालांकि, ग्लोबलडाटा के अनुसार, विश्व के शीर्ष 25 बैंकों का कुल बाजार पूंजीकरण [एमकैप] वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के दौरान 3.8 ट्रिलियन डॉलर पर स्थिर बना रहा।

तिमाही के दौरान, बैंकों के वैश्विक सीमा पार दावों में 1.4 ट्रिलियन डॉलर¹ की वृद्धि हुई। मार्च 2022 के अंत में सीमा पार के दावों का स्टॉक 35.9 ट्रिलियन डॉलर [एक वर्ष पहले से 4% ऊपर]² तक विस्तारित हो गया था, जो उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार तीसरा ऐसा सबसे बड़ा विस्तार था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में ईएमडीई के संबंध में बैंकों के सीमा-पार दावों में थोड़ा बदलाव आया, क्योंकि चीन के

¹ बीआईएस
² बीआईएस

संबंध में किये गये दावों में कमी आने के कारण वे अन्य ईएमडीई में हुई वृद्धि से प्रतिसंतुलित हो गये।

गैर-बैंक उधारकर्ताओं को विदेशी मुद्रा में दिये गये ऋणों की बात करें तो डॉलर में दिये गये ऋणों में धीमी गति से वृद्धि होती हुई दिखाई दी जबकि यूरो में दिये गये ऋणों में भारी मात्रा में वृद्धि हुई। ईएमडीई को दिया गया विदेशी मुद्रा ऋण बेहतर रहा। बढ़ती ब्याज दरों और भू-राजनीतिक तनावों की पृष्ठभूमि में, सिंडिकेटेड ऋण और बॉन्ड जारी करने के संबंध में उपलब्ध आंशिक डेटा से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में ईएमडीई के ऋण में कम वृद्धि हो सकती है³।

पूंजी बाजार

सरकार द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त प्रोत्साहन पैकेजों के साथ-साथ कोविड-19 के टीकाकरण, महामारी के दौरान जमा हुई बचत और आर्थिक सुधारों में बढ़ते विश्वास ने बाजारों का उत्साह बढ़ाया। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार रहीं:

- वर्ष 2021 में वैश्विक बाजारों में लगभग 46 बिलियन ट्रेडों में 160.95 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार किया गया जो, इक्विटी मूल्य में 16.9% की वृद्धि और उसकी मात्रा में 20.4% की वृद्धि को दर्शाता है।
- वर्ष 2020 के अंत की तुलना में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या वर्ष 2021 में 5.9% बढ़ गयी।
- वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में आइपीओ की संख्या में 74.2% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन आइपीओ का औसत आकार केवल 3.5% बढ़कर 186 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में गैर-आईपीओ लिस्टिंग की संख्या में 90.1% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो पिछले पांच वर्षों में रिकार्ड की गयी सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र ने अपने चरम को रिकार्ड किया है।
- 2021 में आईपीओ निवेश प्रवाह में 80.4% की वृद्धि हुई, जो पिछले पांच वर्षों में दर्ज की गयी सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण में एक्सचेंजों की मौलिक भूमिका को उजागर करती है।
- पहले से सूचीबद्ध की गयी कंपनियों के माध्यम से किये गये निवेशों का प्रवाह वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में 30.9% बढ़ा, जो कुल 854.60 बिलियन अमरीकी डॉलर का था।
- वर्ष 2021 में सूचीबद्ध एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स [ईटीएफ] की संख्या और ट्रेड किये गये मूल्य में क्रमशः 5.2% और 8.6% की गिरावट आयी, जबकि वर्ष 2020 की तुलना में इसकी मात्रा में 9.3% की वृद्धि देखने को मिली।
- वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में डेरिवेटिव्स की मात्रा में 33.7% की वृद्धि हुई, कुल मिलाकर रिकॉर्ड 61.87 बिलियन अनुबंधों का व्यापार हुआ। केवल ईटीएफ फ्यूचर्स को छोड़ कर छोड़कर सभी उत्पादों के कारोबार में तेजी आयी।

बीमा उद्योग

कोविड के बाद, बीमा उद्योग के लिए ऐसे कई सारे अवसर पैदा हुए हैं, जिन्हें एक सतत् विश्व की तरफ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। क्योंकि इस महामारी का एक परिणाम यह भी हुआ है कि जोखिमों से संरक्षण पाने के लिए समाधान ढूँढने का क्या मूल्य हो सकता है इसके बारे में जागरूकता पैदा हो गयी है जिसका बीमे की मांग पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है।

प्रारंभिक आंकड़ों⁴ से पता चलता है कि वर्ष 2021 में; विशेष रूप से, जहां भारी मात्रा में टीकाकरण किया गया था, कम-से-कम उन क्षेत्रों में समय-समय पर कई सारी गतिविधियों का निष्पादन फिर से संभव बना दिये जाने के कारण प्रीमियम की वृद्धि में और लाभ में फिर से एक बार उछाल आया। स्विस् आरर्ड के अनुसार, यह अनुमान है कि प्रीमियम वर्ष 2022 में 8 प्रतिशत और 2023 में 6.3 प्रतिशत बढ़ेगा क्योंकि मुद्रास्फीति और नये जोखिमों को अगर देखा जाए तो इन दरों में सख्ती लायी जा सकती है। इंड्योरटेक इस उद्योग में डिजिटल नवोन्मेष चलाते हुए और व्यवधान ला रहे हैं। दुनिया भर में इंड्योरटेक में निवेश वर्ष 2004 में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2019 में 7.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया और वर्ष 2021 में वह और भी बढ़कर 14.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक इंड्योरटेक्स ने बीमा मूल्य श्रृंखला के मार्केटिंग और वितरण क्षेत्रों पर ध्यान दिया⁵।

आसन्न जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के साथ, ऐसे समाधान, जो प्राकृतिक आपदाओं के नतीजतन पैदा हुए वित्तीय परिणामों का प्रबंधन करते हैं और तेजी से पुनर्बाहली में सहायता प्रदान करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, जहां कई बीमाकर्ताओं ने अपनी निवेश प्रक्रियाओं में जलवायु-जोखिम संबंधी विचारों को शामिल करना शुरू कर दिया है, नए उत्पाद लॉन्च और अंडरराइटिंग प्रक्रियाएं ज्यादातर अपरिवर्तित हैं।

³ बीआईएस

⁴ कीएटिंग वेल्थ, फाइंडिंग फोकस : वैश्विक बीमा रिपोर्ट 2022 (मेकिनसे एंड कंपनी)

⁵ उक्त

ब. घरेलू आर्थिक मूल्यांकन और संभावनाएं

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय [एनएसओ] द्वारा राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़ कर 9.2 प्रतिशत हो गयी है।

क्षेत्र विशिष्ट विकास दर नीचे तालिका में दी गई है:

सारणी 1 - स्थायी कीमतों पर [2011-12] जीवीए की वार्षिक वृद्धि [प्रतिशत]

| क्षेत्र | 2019-20 (पहला आर्डी ^१) | 2020-21 (पीई) | 2021-22 (पहला एई) |
|--|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र | 4.3 | 3.6 | 3.9 |
| उद्योग | -1.2 | -7 | 11.8 |
| सेवाएं | 7.2 | -8.4 | 8.2 |
| व्यापार, होटल, परिवहन, संप्रेषण और प्रक्षेपण से जुड़ी सेवाएं | 6.4 | -18.2 | 11.9 |
| वित्तीय, भू-संपदा और व्यावसायिक सेवाएं | 7.3 | -1.5 | 4 |
| सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं | 8.3 | -4.6 | 10.7 |
| मूलभूत कीमतों पर जीवीए | 4.1 | -6.2 | 8.6 |

स्रोत - आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्र महामारी से सबसे कम प्रभावित हुए हैं और यह अनुमान है कि इस क्षेत्र में पिछले वर्ष में आयी 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस क्षेत्र में 3.9 प्रतिशत वृद्धि होगी। अग्रिम अनुमान इस बात का इशारा करते हैं कि इस उद्योग का जीवीए [खनन और निर्माण सहित] वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7 प्रतिशत तक सिमट के रह गया था जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़ कर 11.8 प्रतिशत हो जाएगा। सेवा क्षेत्र महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, विशेष रूप से ऐसे खंड जिनमें मानव संपर्क शामिल है। पिछले वर्ष के 8.4 प्रतिशत संकुचन के बाद इस वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र के 8.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

मुद्रा स्फीति

वर्ष 2021 में, महामारी के दूसरे वर्ष के दौरान जैसे ही अर्थव्यवस्थाएं खुलने लगी, वैसे ही आर्थिक गतिविधियां भी पुनर्जीवित होने लगी और इसी कारण से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में तेजी आयी। कोविड -19 के दौरान अर्थव्यवस्था को चलाते रहने के लिए किया गया व्यय, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मांग को बढ़ाने के लिए किया गया था ताकि उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा दिया जा सके। यह व्यय परिवारों को विवेकाधीन सहायता प्रदान करने के लिए भी किया गया था, जो उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं, दोनों ही में मुद्रास्फीति का कारण बना। ऊर्जा, खाद्य, गैर-खाद्य वस्तुओं, इनपुट्स की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ आपूर्ति में आनेवाली बाधाओं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और दुनिया भर में बढ़ती माल ढुलाई लागत ने वर्ष के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया।

^१ आर्डी - संशोधित अनुमान, पीई - अनंतिम अनुमान, एई - अग्रिम अनुमान

भारत में औसत हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त [सीपीआइ-सी]⁷ मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6.6 थी जो वित्तीय वर्ष 2021-22 [अप्रैल-दिसंबर] की इसी अवधि के दौरान घट कर 5.2 प्रतिशत हो गयी, जबकि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मूल्य [डब्ल्यूपीआइ]⁸ मुद्रा स्फीति, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बहुत ही सौम्य रहने के बाद, वित्तीय वर्ष 2021-22 [अप्रैल-दिसंबर] के दौरान तेजी से बढ़ कर 12.5 प्रतिशत हो गयी।

कई ईएमडी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपनी सीमाओं के भीतर ही रहा। प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाये गये सक्रिय कदमों के कारण नवंबर 2021 में यह 4.9 प्रतिशत तो दिसंबर 2021 में 5.6 प्रतिशत तक पहुंच गया।

आर्थिक बाज़ार

वित्तीय प्रणाली अक्सर अशांत समय के दौरान ऐसे संभावित क्षेत्र के रूप में उभरती है जिसको आसानी से हानि पहुंचायी जा सकती है। हालांकि, भारत के पूंजी बाजार ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय कंपनियों के लिए रिकार्ड स्तर पर जोखिम पूंजी जुटाना संभव बनाया। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरह से पूंजीकृत है और एनपीए के ओवरहैंग में, महामारी के विलंबित प्रभाव के बाद भी, संरचनात्मक रूप से गिरावट आई है। बीमा क्षेत्र में हाल ही के दिनों में महामारी सहित बाहरी कारकों के साथ-साथ बड़े वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति के कारण व्यवधान आता हुआ देखा गया है, जिसमें डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थव्यवस्था का बेहतर औपचारिकीकरण, भुगतान में व्यवधान आदि शामिल हैं। अगर हम वैश्विक मानकों के साथ तुलना करें तो बीमे की पैठ और घनत्व भी बहुत अधिक नहीं दिखाई देता है। हालांकि, इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश [एफडीआई] के बढ़ने की संभावना, पूंजी बाजार की गतिविधियों और बीमा, रिमोट अंडरराइटिंग, प्रौद्योगिकी आदि के बारे में बढ़ती जागरूकता के आधार पर भविष्य में विकास की संभावनाएं बनी हुई प्रतीत होती हैं।

बैंकिंग क्षेत्र

मौद्रिक नीति और तरलता परिचालनों को अर्थव्यवस्था पर कोविड -19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की दृष्टि से लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 में कई बार दरों में कटौतियाँ किये जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाये रखा गया। इस दौरान पूरी वित्तीय प्रणाली में तरलता की मात्रा अधिशेष बनी रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली में और अधिक तरलता डालने के लिए सेकेंडरी मार्केट में सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम [जी-एसएपी], विशेष दीर्घविधि रेपो परिचालन [एलटीआरओ], ऑन-टैप टारगेटेड एलटीआरओ आदि सहित कई सारे उपाय किये। इसके बाद रिजर्व बैंक ने तरलता की स्थिति को पुनः संतुलित करने के लिए वीआरआरआर और रिवर्स रेपो नीलामियों का उपयोग किया।

वर्ष 2019 से भारत में बैंक ऋण वृद्धि⁹ [वाइओवाइ] घट रही है, लेकिन अप्रैल 2021 की शुरुआत में इसमें 5.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी थी। यह वृद्धि ऐसी ही बढ़ती चली गयी और दिनांक 17 दिसंबर 2021 तक यह 7.3 प्रतिशत पर रही। इसके लिए व्यक्तिगत ऋण और कृषि क्षेत्र विकास की गति को संचालित करने वाले प्रमुख कारक बने रहे। सेवा के क्षेत्र में ऋण की वृद्धि में गिरावट जारी रही, तथापि, उद्योगों को दिये गये ऋणों में सुधार के संकेत मिले। अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक की अवधि में उद्योगों को दिये गये ऋणों की मात्रा में कमी आयी थी जिसमें जनवरी 2021 के माह में वृद्धि होती दिखाई दी।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों [एससीबी] का सकल अनर्जक परिसंपत्ति [एनपीए] अनुपात वर्ष 2017-18 के अंत में 11.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत हो गया¹⁰। इसी तरह, निवल अनर्जक परिसंपत्ति [एनपीए] अनुपात उसी अवधि के दौरान 6 प्रतिशत से घटकर 2.2 प्रतिशत हो गया¹¹। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात [सीआरएआर] वित्तीय वर्ष 2013-14 में 13 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में 16.54 प्रतिशत हो गया।

पुराने अनर्जक परिसंपत्तियों की समस्या को हल करने के लिए और बैंकिंग प्रणाली को साफ सुथरा करने के लिए, वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में मौजूदा तनावग्रस्त ऋणों को समेकित करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी

⁷ एनएसओ

⁸ आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (सीपीआइआइटी)

⁹ भा.रि.बैंक

¹⁰ उक्त

¹¹ उक्त

[एआरसी] और एसेट मैनेजमेंट कंपनी [एएमसी] नामक दो संस्थाओं की स्थापना करने की और फिर अंतिम मूल्य वसूल करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष [एआइएफ] और अन्य संभावित निवेशकों की परिसंपत्तियों का प्रबंधन और निपटान करने की घोषणा की। इस बीच नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड [एनएआरसीएल], और इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड [आईडीआरसीएल] का गठन भी किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 24 सितंबर 2021 के भा.रि.बैंक [ऋण प्रकटीकरणों का हस्तांतरण] निर्देश, 2021 के अंतर्गत ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण प्रकटीकरणों की बिक्री / हस्तांतरण के मामले पर मौजूदा निर्देशों को बदल दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश, अन्य बातों के साथ, कुछ शर्तों के अधीन, भारत में किसी भी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक दायरे में आने वाली संस्थाओं के किसी भी वर्ग को ऋण जोखिम के हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश संबंधित वित्तीय विनियामक को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस उद्देश्य के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए भी कहते हैं। इस संबंध में, आइएफएससी प्राधिकरण ने आइएफएससी में अनुमत वित्तीय संस्थानों को घरेलू उधारदाताओं से तनावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण के लिए इस तरह का फ्रेमवर्क बनाने के उपायों की जांच करने और उपायों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है।

बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में, जो सीमा-पार निधि-आधारित बैंकिंग सेवाओं [जैसे, जमा, ऋण] के साथ-साथ शुल्क-आधारित सेवाओं पर केंद्रित है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जमा राशियों के बाह्य प्रवाहों के बावजूद तथा ऋणों में कमी आने के बावजूद भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की समेकित बैलेंस शीट का विस्तार हुआ है। मार्च 2020-21 तक भारतीय बैंकों की कुल 121 अपतटीय शाखाएँ¹² हैं जिनकी समेकित बैलेंस शीट 187.4 बिलियन अमरीकी डालर है¹³।

पूंजी बाजार

भारत में बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक - सेंसेक्स और निफ्टी 50, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 18.29 प्रतिशत¹⁴ और 18.88 प्रतिशत¹⁵ बढ़ गये। अच्छी कॉर्पोरेट आय, कोविड -19 के टीकाकरण में तेज गति से वृद्धि और देश भर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने से प्रेरित होकर, सेंसेक्स और निफ्टी दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को क्रमशः 61,766 और 18,477 अंकों के साथ अपने चरम स्तर पर पहुंच गये। भारतीय बाजारों ने प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, वर्ष 2021-22 के दौरान अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया।

52 भारतीय कॉर्पोरेट्स ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मेनबोर्ड आइपीओ के माध्यम से ₹ 1,11,417 करोड़ की राशि जुटायी जो अब तक की सार्वकालिक सर्वोच्च राशि है¹⁶। वर्ष 2021-22 में आइपीओ के माध्यम से जुटायी गयी यह राशि वर्ष 2020-21 में 30 आईपीओ के माध्यम से जुटाये गये ₹ 31,268 करोड़ के 3.5 गुना से अधिक थी। वर्ष 2021-22 प्राथमिक बाजारों के लिए एक ऐसा उछाल वाला असाधारण वर्ष रहा जिसमें कई नये युग की कंपनियों / तकनीकी स्टार्ट-अप्स / यूनिकॉर्न्स ने आइपीओ के माध्यम से धन जुटाया। लिस्टिंग को लेकर जो उत्साह देखा गया वह खुदरा, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स [एचएनआई] और संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी अभिदान में प्रकट हुआ और शानदार लिस्टिंग से हो रहे लाभ के कारण अधिक से अधिक कंपनियां बाजारों में इस अवसर को भुनाने के लिए प्रेरित हुई हैं।

अगर ऋणों की बात करें तो, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कॉर्पोरेट बॉन्ड के माध्यम से जुटायी गयी धनराशि लगभग 5.88 लाख करोड़ रुपये थी¹⁷। यह वर्ष 2020-21 में जुटाये गये 7.72 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर से 24 प्रतिशत कम थी। कुल मिलाकर, ऋण संग्रहण धीमा हो गया, और इक्विटी बाजार के साथ यह विरोधाभास इस बात का इशारा करता है कि निवेशक अब जोखिम उठाकर भी निवेश करने के लिए तैयार हैं।

म्यूचुअल फंड के संबंध में, म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधन के अधीन संपत्ति [एयूएम] दिनांक 31 मार्च 2022 को 19.5 प्रतिशत बढ़कर 37.56 लाख करोड़ रुपये हो गयी, जो दिनांक 31 मार्च 2021 को 31.43 लाख करोड़ रुपये थी¹⁸।

¹² बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सर्वेक्षण, 2020-21 [भा. रि. बैंक] दिनांक 04 फरवरी 2022

¹³ उक्त

¹⁴ बीएसई

¹⁵ एनएसई

¹⁶ प्रमुख डेटा बेस

¹⁷ भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड

¹⁸ एएमएफआई

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एफपीआइ ने भारतीय बाजारों से संयुक्त रूप से इक्विटी, ऋण और संमिश्र लिखतों से निवल 1.22 लाख करोड़ रुपये की निकासी की¹⁹। अभिरक्षाधीन एफपीआइ की परिसंपत्तियों के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका, मॉरीशस और लक्जमबर्ग मार्च 2022 के महीने में भारत में कुल एफपीआइ निवेश करने वाले तीन शीर्ष क्षेत्र बनकर उभरे जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक निवेश किया था। इसके अलावा, भारत को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 83.57 बिलियन अमरीकी डॉलर²⁰ का उच्चतम वार्षिक एफपीआइ प्राप्त हुआ। पिछले 20 वर्षों में एफपीआइ के प्रवाह में 20 गुना वृद्धि आयी है और इसी के साथ भारत एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में तेजी से उभरा है। इक्विटी में एफपीआइ के अंतः प्रवाह के संबंध में वित्त वर्ष 2021-22 में शीर्ष निवेशक देशों में, सिंगापुर 27% के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद में अमेरिका [18%] और मॉरीशस [16%] पर बने हुए हैं।

बीमा क्षेत्र

बीमा क्षेत्र की क्षमता और प्रदर्शन का आकलन आम तौर पर दो मापदंडों, अर्थात् बीमे की जनता में पैठ और बीमे के घनत्व के आधार पर किया जाता है। भारत में, वर्ष 2001 में बीमे की पहुंच 2.71 प्रतिशत थी और 2021 तक वह लगातार बढ़ते हुए 4.2 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2021 तक, भारत में जीवन बीमा के लिए पैठ 3.2 प्रतिशत और गैर-जीवन बीमा की पैठ 1 प्रतिशत बनी हुई है। जहां भारत जीवन बीमे के संबंध में बीमा पैठ के मामले में अंतरराष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, वहीं यह गैर-जीवन बीमा क्षेत्र के मामले में पीछे है। वैश्विक स्तर पर, जीवन खंड के लिए बीमा पैठ 3 प्रतिशत और जीवन से इतर खंडों के लिए यह वर्ष 2021 में 3.9 प्रतिशत थी।

भारत में बीमा घनत्व वर्ष 2001 के 11.5 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 में 91 अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2021 में, भारत में जीवन बीमा का घनत्व 69 अमेरिकी डॉलर था और गैर-जीवन बीमा घनत्व 22 अमेरिकी डॉलर था, जो वैश्विक मानकों से बहुत ही कम था। अगर वैश्विक स्तर की बात की जाए तो, वर्ष 2021 में बीमा घनत्व क्रमशः जीवन खंड के लिए 382 अमरीकी डॉलर और गैर-जीवन खंड के लिए अमरीकी डॉलर 492 था।

राजकोषीय गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उभरती कोविड-19 स्थिति की पृष्ठभूमि में, सरकार ने वर्ष की दूसरी छमाही में प्रोत्साहन पैकेज प्रस्तुत किये। बड़े पूंजीगत व्यय की ओर निर्देशित ये प्रोत्साहन उपाय वर्ष 2021-22 के दौरान भी जारी रहे, जिनमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन [पीएलआइ] योजनाएं, क्रेडिट गारंटी योजनाएं और नियति बढ़ाने की पहल भी शामिल थे, जो तरलता बढ़ाने के साथ ही, निवेश बढ़ाने के उपाय हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान पैदा होने के कारण राजस्व संग्रहण में भारी कमी आयी। इसके अलावा, कमजोर लोगों, छोटे कारोबारियों पर तथा कुल मिलाकर समग्र अर्थव्यवस्था पर ही महामारी का जो दुष्प्रभाव पड़ा उसे कम करने के लिए जो अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता पैदा हो गयी उसकी वजह से सीमित मात्रा में उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पैदा हो गया था। इसके नतीजतन, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के साथ प्रस्तुत किये गये बजटीय राजकोषीय घाटे में बजटीय व्यय [बीई] को 3.5 प्रतिशत से संशोधित कर 9.5 प्रतिशत [संशोधित अनुमान] कर दिया गया। 2020-21 अंतिम वास्तविक के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2 प्रतिशत यानी संशोधित अनुमान से कम था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के साथ प्रस्तुत की गयी मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति [एमटीएफपी] संबंधी वक्तव्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी में 6.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की परिकल्पना की गयी है। चालू वर्ष के दौरान घाटे में इस कमी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमानों में जीडीपी के 17.7 प्रतिशत से घटाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में 15.6 प्रतिशत कर दिया गया था तथा सकल कर राजस्व में जीडीपी के 0.1 प्रतिशत मामूली वृद्धि के लिए बजट में प्रावधान किये जाने के कारण चालू वर्ष के बजट के घाटे में कमी रखी गयी थी।

केंद्र सरकार की कुल देनदारियों में भारत की समेकित निधि की जमानत पर लिये गये ऐसे अनुबंधित ऋण शामिल हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें सार्वजनिक खाते की देनदारियां भी शामिल हैं। इन देनदारियों में विदेशों से लिए गये ऋण भी शामिल हैं। केंद्र सरकार का ऋण, जीडीपी के अनुपात के रूप में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में तेजी से बढ़कर 59.3 प्रतिशत हो गया, जो कि कोविड -19 महामारी के कारण लिये गये उधारों के साथ-साथ जीडीपी में तेजी से आयी कमी के कारण था।

¹⁹एन एस डी एल / सी डी एस एल से विदेशी पोर्ट फोलियो निवेश पर डेटा

²⁰पी आइ बी

सार्वजनिक ऋण में बड़े पैमाने पर बैंकों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि आदि जैसे संस्थागत क्षेत्रों का हिस्सा भारी मात्रा में रहता है। आरबीआइ ने नवंबर 2021 में खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में सुलभता के साथ प्रत्यक्ष पहुंच उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और निवेशक आधार का विस्तार करना संभव हो सके।

इसके अलावा, हाल ही के वर्षों में, भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में एफपीआइ, एनआरआइ और ओसीआइ जैसी पात्र अनिवासी संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई सारे उपाय किये हैं। इन उपायों में वर्ष 2019 में स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग [वीआरआर] योजना और वर्ष 2020 में पूरी तरह से सुलभ मार्ग [एफएआर] योजना का प्रारंभ शामिल है। वर्तमान में, मध्यम अवधि के फ्रेमवर्क के अंतर्गत, प्रतिभूतियों में एफपीआइ के बकाया स्टॉक के लिए 6 प्रतिशत की अनुमत सीमा के मुकाबले सरकारी प्रतिभूतियों में बकाया स्टॉक के लगभग 2.5 प्रतिशत का एफपीआइ बना हुआ है²¹। इसके अलावा, पूरी तरह से सुलभ मार्ग [एफएआर रुट] के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी [आइसीएसडी] के माध्यम से निवेश करने वाले अनिवासी निवेशकों का चैनल अभी चालू होना बाकी है। इस प्रकार, चीन और मैक्सिको जैसी अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ऐसे मामलों की तुलना में भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी प्रवाह संभावित स्तरों तक नहीं पहुंच पाया है।

विदेशी क्षेत्र

बाहरी क्षेत्र मुख्य रूप से देश के चालू खाते और पूंजी खाते की स्थितियों से संबंधित होता है। चालू खाते में, माल के निर्यात के साथ-साथ ही आयात में भी जोरदार उछाल आया है और महामारी के पहले की स्थितियों के स्तर को पार कर गया है जिससे व्यापारिक घाटा बढ़ गया है। यह वैश्विक मांग में आये हुए सुधारों के साथ-साथ घरेलू गतिविधियों में आये हुए सुधारों के कारण संभव हो पाया है। चालू खाते की शेष राशि में वर्ष 2020-21 में जीडीपी के 0.9 प्रतिशत अधिशेष के मुकाबले, वर्ष 2021-22 के दौरान 1.2 प्रतिशत घाटा दर्ज किया गया, क्योंकि व्यापार घाटा एक वर्ष पहले के 102.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 189.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था²²।

सेवाओं के निवल निर्यात और निवल निजी हस्तांतरण प्राप्तियों में हुई वृद्धि के कारण निवल अदृश्य प्राप्तियां वर्ष 2021-22 में अपेक्षाकृत अधिक थीं, भले ही शुद्ध आय पर किया गया खर्चा एक वर्ष पहले के मुकाबले में अधिक था। यह मुख्य रूप से कंप्यूटर, व्यवसाय और परिवहन जैसे शीर्ष तीन सेवाओं के कारण संभव हो पाया जो कुल सेवाओं के निर्यात का 80 प्रतिशत से अधिक है।

भारत में निवल विदेशी वाणिज्यिक उधारों [ईसीबी] में वर्ष 2020-21 में 0.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2021-22 में 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आमद दर्ज की। वर्ष 2021-22 में, विदेशी मुद्रा भंडार में [बीओपी के आधार पर] 47.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई थी।

अप्रैल-दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान वित्तीय सेवाओं में व्यापार के संबंध में, भारत से पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ-साथ वित्तीय मध्यस्थता सेवाओं से जुड़े संसाधनों का एक महत्वपूर्ण बहिर्वाह है।

पूंजी / वित्तीय खाते के संदर्भ में अगर बात की जाए तो, शुद्ध पूंजी प्रवाह एच 1: वित्त वर्ष 2022 में एच 1: वित्त वर्ष 2021 के मुकाबले तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 65.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया²³। इसके पीछे प्रमुख वजह थी एच 1: वित्त वर्ष 2021 में मुख्य रूप से ईसीबी, बैंकिंग पूंजी और ऋणों तथा अन्य पूंजी के रूप में विदेशी निवेश में निरंतर वृद्धि। विदेशी निवेश, जिसमें एफडीआइ और एफपीआइ शामिल हैं, पूंजी खाते का सबसे बड़ा घटक है। निवल विदेशी निवेशों के अंतः प्रवाह, जिनमें मुख्य रूप से एफडीआइ का भारी हिस्सा था, महामारी से पहले की स्थितियों से कम होकर, एच 1: वित्तीय वर्ष 2022 में, वित्त वर्ष 2021 की इसी अवधि की तुलना में, 25.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम हो गये²⁴।

पूंजी के मजबूत प्रवाहों के कारण मामूली-से सीएडी का वित्तपोषण आसानी से किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप एच 1: वित्त वर्ष 2022 में कुल भुगतान संतुलन में [बीओपी] 63.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिशेष था, जिसके कारण पहले से ही

²¹एनएसडीएल

²²भारि.बैंक

²³उक्त

²⁴उक्त

संवर्धित विदेशी मुद्रा भंडार दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक 633.6 बिलियन अमरीकी डालर²⁵ तक पहुंच गया। कुल मिलाकर, पिछले वर्ष की महामारी के कारण पैदा हुई मंदी के बाद, भारत में मजबूत पूंजी प्रवाहों के आगमन से, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ता गया और इस वजह से, विदेशी व्यापार वित्त वर्ष 2021-22 में मजबूती के साथ बहाल होता गया।

सतत् वित्त

भारत जलवायु संबंधी कार्रवाई की पहल करने में वैश्विक नेता बन कर उभरा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने सीओपी 26 में, जलवायु संबंधी कार्रवाई में भारत के अभूतपूर्व योगदान के रूप में 'पंचामृत' की घोषणा की। इसमें वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का भारत का लक्ष्य शामिल है। भारत ने वर्ष 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन के 1 बिलियन टन को कम करने और 2005 के स्तर से 2030 तक कार्बन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी लाने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है।

भारत हरित वित्त जुटाने की दिशा में वैश्विक प्रयासों में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहा है। जनवरी 2021 में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सतत् वित्त पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स के कार्य के दायरे [टर्म्स ऑफ रेफरेंस] में भारत में सतत् वित्त के लिए फ्रेमवर्क को परिभाषित करना, सतत् वित्त के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए स्तंभ स्थापित करना, सतत् वित्त संबंधी गतिविधियों के वर्गीकरण का मसौदा तैयार करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करना और वित्तीय क्षेत्र द्वारा जोखिम मूल्यांकन करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना शामिल है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2021 में इन जोखिमों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और सतत् वित्त और जलवायु जोखिम के क्षेत्रों में विनियामक पहल का नेतृत्व करने के लिए अपने विनियमन विभाग के ही 'सतत् वित्त समूह' [एसएफजी] की स्थापना की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकृत ईसीबी के संबंध में जारी मानदंडों ने भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनियों और अन्य फर्मों को ग्रीन बॉन्डो और सतत् बॉन्डों के माध्यम से वित्त जुटाने के लिए इस ईसीबी मार्ग का दोहन करने में सक्षम बनाया है, जो वित्त जुटाने के लिए इस मार्ग के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है।

²⁵उक्त

भाग ग

बैंकिंग और वित्त कंपनियां

विनियमावल्यां, परिपत्र, दिशा निर्देश आदि के संबंध में गतिविधियां

इस भाग में प्राधिकरण द्वारा बैंकिंग और उससे संबंधित सेवाओं को विनियमित करने के लिए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आइएफएससी में बैंकिंग के पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किये गये विभिन्न उपायों का चित्र प्रस्तुत किया गया है।

आइएफएससी में बैंकिंग विनियमन के लिए प्रारंभिक फ्रेमवर्क नवंबर 2020 में जारी किये गये आइएफएससीए [बैंकिंग] विनियमावली, 2020²⁶ के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। ये मोटे तौर पर आरबीआई²⁷ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित थे, जिनमें कुछ संशोधन किये गये थे, और उनमें कुछ रियायतें और सक्षमीकरण के प्रावधान भी शामिल किये गये थे जो, गिफ्ट आइएफएसएस में बैंकिंग व्यवसाय के विकास को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक समझे गये थे। साथ ही, इस बात को भी सुनिश्चित कर लिया गया था कि विनियामक निर्धारणों और प्रैक्टिस में कुछ मात्रा तक तो निरंतरता बनी रहे।

आइएफएससीए [बैंकिंग] विनियमावली, 2020 में आइएफएससी बैंकिंग यूनिटों [आइबीयू] के लिए लाइसेंसिंग, परिचालन, और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किये गये हैं। आरबीआई द्वारा विभिन्न संविधियों के अंतर्गत जारी किये गये निर्देशों / परिपत्रों / दिशानिर्देशों का एक सेट आइबीयू के लिए भी लागू किया गया था ताकि इन बैंकिंग यूनिटों के परिचालनों में कुछ मात्रा तक निरंतरता बनी रहे। चूंकि भारतीय और विदेशी बैंकों द्वारा और भी अधिक बैंकिंग यूनिट स्थापन किये जा रहे थे, इसलिए इन विनियमावल्यां में और उनके अंतर्गत जारी किये जा रहे निर्देशों में अंतराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र को नजर में रखते हुए संशोधन किया गया था। यह संशोधित आइएफएससीए [बैंकिंग] विनियमावली²⁸, दिनांक 06 जुलाई 2021 को अधिसूचित की गयी थी।

आइएफएससीए (बैंकिंग) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

यह फ्रेमवर्क किसी निर्देशात्मक-दृष्टिकोण अथवा नियम-आधारित दृष्टिकोण के बदले सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित होता है। इन संशोधित विनियमावल्यां के अंतर्गत किये गये प्रमुख बदलावों को नीचे दर्शाया गया है:

- अर्हता प्राप्त योग्य व्यक्तियों [क्यूआई²⁹] और अर्हता प्राप्त योग्य निवासी व्यक्तियों [क्यूआरआई³⁰] की परिभाषा को इन विनियमों से वापस ले लिया गया है, क्योंकि आइएफएससीए की बैंकिंग हैडबुक - कारोबार करने के संबंध में निर्देश - के एक भाग के रूप में ग्राहकों का वर्गीकरण और उनके साथ किये जाने वाले व्यवहार में स्थित भेद को उसमें शामिल किया गया है।
- आइबीयू के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़ कर इन बैंकिंग यूनिटों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 के अंतर्गत आनेवाली गतिविधियों के अलावा आइएफएससीए अधिनियम, 2019 के अंतर्गत आने वाली सभी गतिविधियां करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है।
- अब इन आइबीयू को उनके अपने घरेलू विनियामकों द्वारा जारी किये गये निर्देशों एवं अनुदेशों का तब तक पालन करना होता है जब तक कि उक्त प्राधिकरण ने अन्यथा निर्देश नहीं दिया हो। आइएफएससी में आइबीयू स्थापित करने के उद्देश्य से लाइसेंस पाने के लिए किये गये आवेदन पत्र पर नियमित लेते समय संबंधित घरेलू विनियमावली के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी पर लागू विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को कितनी सख्ती से लागू किया गया है यह देखना सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। बैंकिंग कंपनियों के गृह नियामकों के ऐसे विवेकपूर्ण दिशानिर्देश, जो शाखाओं के रूप में स्थापित आइबीयू पर भी लागू होते हैं - जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, अपडेटेड बेसल फ्रेमवर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसमें बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल कमेटी (बीसीबीएस) द्वारा जारी सभी मौजूदा और भविष्य के मानक शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों पर लागू होते हैं।
- आइबीयू को अपनी मूल शाखा के स्तर पर प्राधिकरण को आवधिक तौर पर अपनी घोषणाओं / विवरणियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता के साथ न्यूनतम विनियामक पूंजी बनाये रखने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है।

आइएफएससीए बैंकिंग हैडबुक

आइएफएससी में बैंकिंग कारोबार करने के लिए उपलब्ध सुविधा को और बढ़ाने की दृष्टि से प्राधिकरण ने आइएफएससीए बैंकिंग हैडबुक जारी की जो उक्त आइएफएससी के अंतर्गत कार्यरत आइबीयू, जो भारत में अथवा भारत के बाहर पंजीकृत बैंकिंग कंपनी की शाखा हैं, को जारी किये गये अनुदेशों का सारांश है। यह हैडबुक वैश्विक / क्षेत्रीय अंतराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में अपनायी जाने वाली

²⁶ आइएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी004, दिनांक 18 नवंबर, 2020

²⁷ परिपत्र डीओआर.आईबीडी. बीसी.14570/23.13.004/2014-15 दिनांक 01 अप्रैल 2015

²⁸ आइएफएससीए /2021-22/जीएन/आरईजी013, दिनांक 05 जुलाई, 2021

²⁹ ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर के निवासी हैं, जिनका निवल मूल्य एक मिलियन डॉलर अथवा समतुल्य राशि से अन्यून है

³⁰ ऐसे व्यक्ति जो भारत के निवासी हैं जिनका निवल मूल्य एक मिलियन डॉलर अथवा समतुल्य राशि से अन्यून है

सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया गया है और यह आइएफएससी के अंतर्गत चलाये जा रहे सभी बैंकिंग परिचालनों पर लागू होनेवाले सभी अनुदेशों / निदेशों का एकमात्र बृहद स्रोत बन गया है जिसे संशोधित विनियमावलियों के अनुरूप भी बनाया गया है। यह हैडबुक दिनांक 13 अगस्त 2021 को जारी किया गया था [जिसे दिनांक 12 नवंबर 2021 को संशोधित किया गया] और यह दिनांक 01 जनवरी 2022 से लागू हो गया।

इस हैडबुक में निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं जिनमें वे मॉड्यूल शामिल हैं जो आइएफएससीए [बैंकिंग] विनियमावली के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण की नियामक अपेक्षाओं और निर्देशों को अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ संप्रेषित करते हैं:

- i. **सामान्य निर्देश [जीईएन]** – ये निर्देश आइबीयू को लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित हैं, और जहां ये 'नियंत्रित' और 'नामित' कार्यों की परिभाषा करते हैं वहीं उन 'अनुमोदित / प्राधिकृत व्यक्तियों' की आवश्यकताओं को भी परिभाषित करते हैं जो ऐसे कार्यों को निष्पादित कर सकते हैं। साथ ही, इसमें बैंकिंग कारोबार के लिए व्यापक सिद्धांत भी निहित हैं और वे आइएफएससी प्राधिकरण की पर्यवेक्षी शक्तियों, क्रियाकलापों और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी भी प्रदान करते हैं।
- ii. **कारोबार करने के लिए निर्देश [सीओबी]** – इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आइबीयू [और जहां भी लागू हो, आइएफएससी में कार्यरत अन्य वित्तीय संस्थान] अपेक्षित आचरण, विशेष रूप से अपने ग्राहकों के साथ किये जानेवाले आचरण के न्यूनतम मानकों को पूरा करते हैं; और प्रतिपक्षों और अन्य बाजार सहभागियों के साथ उनके व्यवहार को बढ़ावा देने और आइएफएससी में वित्तीय बाजारों की अखंडता को बनाये रखने में अपना योगदान करते हैं।
- iii. **विवेकपूर्ण निर्देश [पीआरयू]** – मौजूदा आइएफएससी प्राधिकरण बैंकिंग विनियमावली, किसी आइबीयू को केवल एक यूनिट स्थापित करने की और उसे केवल बैंकिंग कंपनी की एक शाखा के रूप में संचालित करने की अनुमति प्रदान करता है जिसका विनियमन उसके घरेलू विनियामक द्वारा किया जाता है। संबंधित गृह विनियमावली के अंतर्गत उक्त बैंकिंग कंपनी के लिए लागू गैर-गुणात्मक विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को आइबीयू के संबंध में तब तक लागू किया जाता है, जब तक कि उक्त प्राधिकरण किसी भी पहलू पर कोई अन्य निर्देश जारी नहीं करता।

उक्त प्राधिकरण द्वारा इस हैडबुक में निर्दिष्ट कुछ महत्वपूर्ण विनियामक और परिचालनात्मक प्रावधानों के बारे में नीचे चर्चा की गयी है:

i. लाइसेंस प्रदान करने के मापदंड –

मौजूदा बैंकिंग विनियमावली में भारतीय और विदेशी बैंकों को आइएफएससी में एक शाखा [बैंकिंग यूनिट] के रूप में अथवा एक प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में परिचालन करने की अनुमति प्रदान की गयी है। आइएफएससी में बैंकिंग यूनिट की स्थापना करने के उद्देश्य से लाइसेंस पाने के लिए आवेदन करनेवाली बैंकिंग कंपनी को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होता है ताकि उसे लाइसेंस जारी करने के संबंध में विचार किया जा सके:

- क. उक्त आइबीयू का परिचालन प्रारंभ करने की तारीख से न्यूनतम 20 मिलियन अमरीकी डालर [आधारभूत पूंजी आवश्यकता] की राशि बनाये रखने की शर्त के अधीन उस आइबीयू के परिचालन के लिए आवश्यक विनियामक पूंजी बनाये रखना,
- ख. आइएफएससी के अंतर्गत आइबीयू की स्थापना करने के लिए अपने संबंधित घरेलू विनियामक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना तथा साथ ही, इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करना कि उस आइबीयू को जब भी कभी तरलता की आवश्यकता होगी तब वह उपलब्ध करायी जाएगी;
- ग. प्राधिकरण को इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करना कि –
 - वह अपने घरेलू विनियामक की विवेकपूर्ण अपेक्षाओं का पालन करता है और भविष्य में भी करता रहेगा;
 - प्राधिकरण के साथ पूंजी पर्याप्तता, तरलता जोखिम, और लीवरेज अनुपात से संबंधित ऐसी सभी रिपोर्टें साझा करेगा, जो वह अपने घरेलू विनियामक को प्रस्तुत करता है;
 - यदि उसके घरेलू विनियामक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं में से किसी भी अपेक्षा का उल्लंघन होने की संभावना पैदा होती है अथवा उसका वास्तविक उल्लंघन होता है तो, वह प्राधिकरण को अपने संबंधित घरेलू विनियामक / पर्यवेक्षक को उसके बारे में किये गये प्रस्तुतीकरण के संबंध में तत्काल सूचित करेगा।

विदेशी बैंकों के लिए, जिनकी भारत में कोई उपस्थिति नहीं है, आइबीयू के गठन के लिए अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजन से एक अतिरिक्त छानबीन व्यवस्था लागू की जाएगी।

ii. गवर्निंग बॉडी –

क. रचना

बैंकिंग कंपनी, आइबीयू के परिचालन प्रारंभ होने से पहले, उक्त आइबीयू के लिए एक गवर्निंग बॉडी को नियुक्त

करेगी और प्राधिकरण को उसके बारे में लिखित रूप से सूचना देगी। इस गवर्निंग बॉडी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है

- 1) उक्त बैंकिंग कंपनी के निदेशक बोर्ड का एक हिस्सा जिसके पास आइएफएससी में अथवा वहाँ से उस आइबीयू के कारोबार पर देखरेख करने का दायित्व होगा;
अथवा
- 2) यदि उक्त आइबीयू के पास बैंकिंग कंपनी के बोर्ड का वह हिस्सा नहीं है जो ऊपर (1) में यथा वर्णित अपने व्यवसाय की देखरेख कर रहा है - तो प्रबंधन समिति या इसी तरह के निकाय का वह हिस्सा जिसके पास आइएफएससी में या वहाँ से उक्त आइबीयू के कारोबार की देखरेख करने की जिम्मेदारी है;
अथवा
- 3) यदि उक्त आइबीयू में ऊपर [1] और [2] में यथा वर्णित गवर्नेंस संरचना नहीं है - तो निदेशक बोर्ड, प्रबंधन समिति या उक्त बैंकिंग कंपनी के अन्य निकाय द्वारा प्रत्यायोजित व्यक्ति, जिसके पास आइएफएससी में अथवा वहाँ से उस आइबीयू के कारोबार की देखरेख करने का दायित्व होगा। [प्रत्यायोजित व्यक्ति उस बैंकिंग कंपनी का कर्मचारी होगा लेकिन उसे उस बैंकिंग यूनिट में तैनात नहीं किया जाएगा अथवा वह उस आइबीयू के परिचालनों में किसी भी क्षमता में शामिल नहीं होगा। वह बैंकिंग कंपनी उस गवर्निंग बॉडी पर एक स्वतंत्र सदस्य की नियुक्ति पर भी विचार कर सकती है।

ख. उक्त गवर्निंग बॉडी के कर्तव्य-

- 1) उक्त आइबीयू के स्वरूप, उसके पैमाने और उसके परिचालनों की जटिलता के अनुरूप उस यूनिट के लिए कारोबारी रणनीति बनाना, उसकी योजना तैयार करना और उसके संचालन, जोखिम प्रबंधन, और आश्वासन क्रियाकलापों के लिए ढांचा बनाना और उसे मंजूरी देना।
- 2) उक्त आइबीयू की वित्तीय मजबूती को सुनिश्चित करना, पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बनाये रखना, और उसके कार्यानिष्पादन की समीक्षा करना।
- 3) निर्णय लेते समय जमाकर्ताओं, ग्राहकों, और अन्य स्टैकधारकों के वैध हितों का ध्यान रखना।

iii. नियंत्रित क्रियाकलाप -

ये किसी भी आइबीयू के महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें हैंडबुक, जनरल मॉड्यूल में निर्दिष्ट किया जाता है, और यह केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है जिन्हें प्राधिकरण ने ऐसे कार्य करने के लिए अनुमोदित किया है। आइबीयू के नियंत्रित कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यात्मक भूमिकाएँ आती हैं:

- क. मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रमुख - आइबीयू
- ख. अनुपालन अधिकारी
- ग. गैर - कार्यपालक संचालन क्रियाकलाप
- घ. ऐसी कोई अन्य भूमिका अथवा कार्य जो प्राधिकरण समय-समय पर निर्धारित करे।

iv. एएमएल - सीएफटी मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करना-

बैंकिंग यूनिटों को अपनी गतिविधियाँ निष्पादित करते समय केवाईसी और एएमएल / सीएफटी के यथा लागू मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है।

v. विवेकपूर्ण आवश्यकताएं -

मौजूदा आइएफएससीए विनियमावली और हैंड बुक में आइबीयू के लिए कुछ विवेकपूर्ण विनियामक आवश्यकताएँ निर्धारित की गयी हैं, जैसे तरलता कवरेज अनुपात [एलसीआर], निवल स्थिर निधि अनुपात [एनएसएफआर] और लीवरेज अनुपात [एलआर]। चूंकि यह विनियमावली आइबीयू को फुटकर बैंकिंग कारोबार करने की भी अनुमति प्रदान करती है, तो फुटकर जमा प्रारक्षित अनुपात [आरडीआरआर] को भी निर्धारित किया गया है। आइबीयू के लिए लागू ये विवेकपूर्ण मानदंड इस प्रकार हैं:

1. **एलसीआर और एनएसएफआर:** आइबीयू को स्टैंड अलोन आधार पर उस स्तर पर एलसीआर और एनएसएफआर बनाये रखना पड़ता है जो उक्त बैंकिंग कंपनी [जिसकी आइबीयू एक शाखा है] के घरेलू विनियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से अधिक हो, अथवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट किया गया हो। आइबीयू को प्राधिकरण की अनुमति के अधीन मूल स्तर पर एलसीआर बनाये रखने की अनुमति है। वर्तमान में, प्राधिकरण ने एनएसएफआर की आवश्यकता को लागू नहीं किया है और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम एलसीआर दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से 100% निर्धारित की गयी है।

2. **एलआर :** किसी भी बैंकिंग कंपनी को अपने किसी भी आइबीयू के लिए घरेलू विनियामक द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अधीन तब तक बासेल फ्रेमवर्क के अंतर्गत यथा परिभाषित न्यूनतम एलआर बनाये रखना होता है, जब तक कि अन्यथा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो। उक्त आइबीयू के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मूल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक त्रैमासिक प्रमाण पत्र प्राधिकरण को प्रस्तुत करे।
3. **आरडीआरआर :** हर आइबीयू को जनता से जुटायी गयी जमाराशियों की पिछले कार्य दिवस के अंत में बकाया राशि के 3% पर दैनिक आधार पर आरडीआरआर बनाये रखना आवश्यक है। यह आरडीआरआर मुक्त रूप से परिवर्तनीय किसी भी विदेशी मुद्रा में और उस आइबीयू के नोस्ट्रो खाते में शेष राशि के रूप में अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर की कम से कम दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा संप्रभु ऋण प्रतिभूतियों [खज़ाना बिलों सहित] के स्तर के निवेश के रूप में या फिर उससे ऊपर की होल्डिंग के रूप में बनाये रखा जा सकता है।
4. **रिपोर्टिंग और पर्यवेक्षण :** आइबीयू के लिए यह आवश्यक है कि वह प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / निदेशों / परिपत्रों में दिये गये अनुदेशों के अनुसार, अपनी बैंकिंग कंपनी की एक शाखा के रूप में अपने घरेलू विनियामक को प्रस्तुत की जा रही विवेकपूर्ण रिपोर्टों की एक प्रति प्राधिकरण को भी प्रस्तुत करे। इसके अलावा, सभी आइबीयू प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों / निर्देशों / परिपत्रों के अंतर्गत आनेवाली विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

प्राधिकरण आमतौर पर ऐसी जानकारी के लिए घरेलू विनियामक / पर्यवेक्षक के साथ सहयोग के चैनलों का उपयोग कर सकता है, जो कि बासेल फ्रेमवर्क के घरेलू कार्यक्षेत्र की विवेकपूर्ण पर्यवेक्षी व्यवस्था और बासेल के ही प्रभावी पर्यवेक्षण के मूलभूत सिद्धांतों के साथ उसका कितनी मात्रा तक मेलमिलाप हो सकता है इस बात पर निर्भर करेगा।

अन्य लागू कानूनों के अलावा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, प्राधिकरण को आइएफएससी में आइबीयू का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है। इन शक्तियों का प्रयोग प्राधिकरण के पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क के अनुसार आरबीएस के सिद्धांतों के आधार पर ऑन-साइट निरीक्षण और ऑफ-साइट निगरानी के माध्यम से किया जा सकता है। प्राधिकरण की शक्तियों में जानकारी जुटाने, और लाइसेंस को प्रतिबंधित, निलंबित या वापस लेने, किसी गतिविधि के बारे में कोई अतिरिक्त आवश्यकता लागू करने अथवा उस पर प्रतिबंध लगाने अथवा उसे सीमित करने की शक्तियां शामिल हैं लेकिन ये शक्तियां केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं हैं।

vi. अनुमत गतिविधियां -

अंतराष्ट्रीय बैंकिंग के बारे में वैश्विक परिदृश्य में हाल ही के दौरान हुए विकास को ध्यान में रखते हुए, आइएफएससी बैंकिंग विनियमावली में भी संशोधन किया गया था ताकि आइबीयू को संबंधित दिशा-निर्देशों / फ्रेमवर्क के अंतर्गत निवेश संबंधी परामर्श देने और पोर्टफोलियो प्रबंधन [धन प्रबंधन] जैसी सेवाओं की अतिरिक्त गतिविधियां निष्पादित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। आइएफएससी बैंकिंग विनियमावली में अंतिम संशोधन किये जाने के बाद [जिसे दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अधिसूचित किया गया था], आइबीयू को किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए आइएफएससी अधिनियम, 2019 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत अनुमत, लेकिन केवल बैंकिंग संस्थाओं के लिए निषिद्ध गतिविधियों को छोड़ कर, कोई भी गतिविधि करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कुछ गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. जमाराशियाँ -

आइबीयू को व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए चालू खाता, बचत खाता, और मीयादी जमा खाता खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अलावा, उन्हें संरचित जमा खातों का प्रस्ताव करने एवं जमा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी अनुमति प्रदान की गयी है। आइबीयू को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अधीन, भारतीय रुपये में लेनदेन करने के लिए स्पष्ट रूप से अनुमत प्रयोजनों को छोड़ कर, केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के लेनदेन करने की अनुमति है। सभी बैंकिंग लेनदेन केवल बैंक खातों के अंतरणों के माध्यम से ही करने की अनुमति है।

2. अग्रिम और निवेश -

आइबीयू को आइएफएससी में बहुतायत में उधार / निवेश उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति प्रदान की गयी है, जैसे:

- ऋण, कारोबार वित्त और स्वीकार्यता तथा प्रतिबद्धता संबंधी गारंटियाँ
- ऋण वृद्धि और बीमा

- पोर्टफोलियो की खरीद और बिक्री
- निवेश
- परिसंपत्तियों / प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में काम करना
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में परिचालन करना: आइबीयू एफपीआइ मार्ग के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति बाज़ार में निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवेश कर सकते हैं; बशर्ते सेबी द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अंतर्गत एफपीआइ के रूप में उनका पहले ही पंजीकरण हुआ हो, और एफपीआइ के रूप में उनका पंजीकरण होने के बाद उसकी सूचना प्राधिकरण को दी गयी हो।
- अंतर-बैंक ऋण / उधार
शिपमेंट के बाद निर्यात क्रेडिट
- निर्यात प्राप्तियों की फैक्टरिंग और फोरफैटिंग
- उपकरण लीज़िंग कार्य [विमान लीज़िंग सहित]
- निवासियों / अनिवासी फुटकर निवेशकों को ऋण प्रदान करना [निवासी निवेशक फ्रेमा अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अधीन होंगे]

3. डेरीवेटिव उत्पाद -

आइएफएससी में भारतीय रूपयों में एनडीएफ ट्रेडिंग की गतिविधि के बढ़ते हुए महत्व को पहचानते हुए प्राधिकरण ने आइएफएससी को भारतीय रूपयों में अपतटीय कारोबार करनेवाले एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से सिफारिशें करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक श्री जी. पद्मनाभन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। उक्त समिति ने अपतटीय भारतीय रूपया बाज़ार के हर महत्वपूर्ण घटक के संबंध में [जैसे उत्पाद, सहभागी, बुनियादी सुविधाएं, और विनियमावल्यां] सर्वोत्तम आदर्श प्रथाओं का अध्ययन किया और भारतीय कानून के दायरे में रहते हुए आइएफएससी के लिए वही दृष्टिकोण अपनाने के लिए उपाय करने की सिफारिश की। इन सिफारिशों में से बहुत सी सिफारिशों को हैंड बुक के माध्यम से अमल में लाया जा चुका है जो इस प्रकार हैं:

- विश्व स्तर पर स्वीकार्य विनियामक व्यवस्थाओं के अनुरूप ओटीसी डेरीवेटिव के कारोबार और समाशोधन के लिए सक्षमीकरण का फ्रेमवर्क
- आइएफएससी में डेरीवेटिव उत्पादों को विनियमित करने के लिए सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण
- आइबीयू को निम्नानुसार सामान्य और संरचित डेरीवेटिव बाज़ार के निर्माता [मार्केट मेकर्स] बनने की अनुमति प्रदान की गयी है।
 - विदेशी मुद्रा में ओटीसी डेरीवेटिव, आइएफएससी में आरक्षित की गयी [बुक] ब्याज दर और उधार
 - ओडीआइ [सेबी विनियमावली के अंतर्गत एफपीआइ प्रमाणपत्र धारण करनेवाले आइबीयू]
- ग्राहकों के यथा संभव व्यापक समूहों की भागीदारी की अनुमति है, जैसे:
 - आइएफएससी अधिनियम, 2019 की धारा 3[1][सी] में यथा परिभाषित वित्तीय संस्थाएं [आइबीयू से इतर]
 - फ्रेमा, 1999 की धारा 2[v] में यथा परिभाषित भारत के निवासी व्यक्ति
 - भारत के बाहर के निवासी
- आइबीयू को ताइवान डॉलर, ब्राज़ीलियन रियाल, दक्षिण कोरियायी वान आदि जैसी अपरिवर्तनीय मुद्राओं का एनडीएफ में बाज़ार बनाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- आइबीयू को आइएफएससी में और उसके बाहर अन्यत्र पंजीकृत किये गये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म [ईटीपी] पर लेनदेन करने की तथा आइएफएससी में और उसके बाहर अन्यत्र पंजीकृत किये गये वॉइस ब्रोकर की सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान की गयी है। ऐसे ईटीपी के स्थानों का पूरा या आधा अधूरा खुलासा किया जा सकता है अथवा उनका खुलासा नहीं भी किया जा सकता है।
- आइबीयू को हर तिमाही के अंत में प्राधिकरण को ऐसे ईटीपी के और वॉइस ब्रोकरों के नामों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।
- आइबीयू को एफएक्स प्राइम ब्रोकरेज [एफएक्सपीबी] सेवा प्रदान करने की अथवा एफएक्सपीबी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालक व्यवसायी के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

4. एफएक्स प्राइम ब्रोकरेज- आइबीयू को एफएक्स प्राइम ब्रोकर बनने की अनुमति प्रदान की गयी है। आइबीयू के ग्राहकों को एफएक्स प्राइम ब्रोकर की ट्रेडिंग लाइन्स का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गयी है ताकि वे विदेशी मुद्रा के व्यापारी के साथ भी विदेशी मुद्रा का लेनदेन कर सकें [ऐसा कोई बैंकिंग यूनिट जो आइएफएससी से बाहर का हो और जो एफएक्स प्राइम ब्रोकर ना हो]

- i. आइबीयू निम्नलिखित को एफएक्सपीबी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं
 - क. भारत का निवासी व्यक्ति [फेमा, 1999 के प्रावधानों के अधीन]
 - ख. भारत के बाहर रहनेवाला व्यक्ति
- ii. एफएक्सपीबी सेवाएं निम्नलिखित के लिए प्रदान की जा सकती हैं:
 - क. मुक्त रूप से सुपुर्दगी योग्य मुद्राएं
 - ख. सुपुर्दगी न की जा सकने वाली मुद्राएं
 - ग. हाजिर, वायदा [सपुर्दगी योग्य और गैर सुपुर्दगी योग्य] अदलाबदली, ऑप्शंस [प्लेन वनीला और एगजॉटिक] सहित सभी उत्पाद

5. फैक्टरिंग और फोरफेटिंग सेवाएं- आइबीयू को निम्नलिखित एक अथवा अनेक मार्गों से फैक्टरिंग और फोरफेटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है:

- i. आइएफएससी में गठित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से और और ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करते हुए, अथवा;
- ii. द्विपक्षीय आधार पर, प्राधिकरण द्वारा फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के अंतर्गत जारी किये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए;
- iii. द्विपक्षीय आधार पर, आपूर्तिकर्ता के साथ किये गये अनुबंध के आधार पर, जिसकी शर्तों पर भारत के अलावा किसी अन्य क्षेत्राधिकार के कानून की शर्तें भी लागू होती हैं।

6. प्रतिनिधि कार्यालय [आरओ] - भारत में अथवा भारत के बाहर निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी को अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति है। इन प्रतिनिधि कार्यालयों को किसी "संबंधित पक्ष" द्वारा [अर्थात् उसका मुख्य कार्यालय, उस मुख्य कार्यालय की कोई दूसरी शाखा, अथवा किसी समूह का सदस्य] आइएफएससी के बाहर के किसी कार्यक्षेत्र में प्रस्ताव की गयी वित्तीय सेवाएं या वित्तीय उत्पादों से संबंधित विपणन गतिविधियां निष्पादित करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है।

बाजार की इन गतिविधियों के अतिरिक्त कोई भी प्रतिनिधि कार्यालय निम्नलिखित अतिरिक्त गतिविधियां भी निष्पादित कर सकता है:

- क. अपने मुख्य कार्यालय के प्रोफाइल को बढ़ाने के उद्देश्य से की गयी गतिविधियां
- ख. अपने मुख्य कार्यालय के लिए संपर्क बिंदु और जानकारी का स्रोत बनना
- ग. कारोबारी प्रवृत्तियाँ, कारोबार के अवसर, और आइएफएससी में और शेष भारत में हो रही गतिविधियों के मामले में अपने मुख्य कार्यालय को रिपोर्ट करना

वित्तीय कंपनी / वित्तीय यूनित

वित्तीय कंपनियां, जिन्हें पूरे विश्व में गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है, किसी भी वित्तीय प्रणाली की वृद्धि के समानांतर इंजन जैसी होती हैं, जो बैंकिंग संस्थाओं के पूरक का काम करती हैं। वे किसी भी वित्तीय केंद्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसी वित्तीय कंपनियों / वित्तीय यूनितों पर [एफसी / एफयू] दिनांक 25 मार्च 2021 को जारी आइएफएससीए [वित्तीय कंपनियां] विनियमावली लागू होती है। वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम-केंद्रित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण प्रदान करना; और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाते हुए निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता को सुनिश्चित करना इस विनियमावली का उद्देश्य है।

वित्तीय कंपनियों को, जनता की जमाराशियों को छोड़कर आइबीयू को जो गतिविधियां करने की अनुमति है, वैसी ही गतिविधियां करने की अनुमति प्रदान की गयी है, और इस प्रकार वित्तीय कंपनियां, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के मामले में आइबीयू की भूमिका की पूरक बनी हुई हैं। इन विनियमों में विवेकपूर्ण विनियमों की प्रयोज्यता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी विनियमों और न्यूनतम स्वामित्व वाली निधियों की आवश्यकता जैसी विभिन्न स्वरूप की आवश्यकताएं शामिल हैं, जो उक्त यूनितों द्वारा की जा रही गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर और उनके पास ग्राहक इंटरफेस है या नहीं इस बात पर निर्भर करती हैं।

इन विनियमावलियों में आइएफएससी के अंतर्गत विशिष्ट गतिविधियों के निष्पादन को भी सक्षम कर दिया गया है जिसमें विमानों और जहाजों के लिए परिचालन पट्टे से संबंधित लेनदेन करना, वैश्विक और क्षेत्रीय खज़ाना केंद्रों की स्थापना करना और अंतराष्ट्रीय कारोबार वित्त प्लेटफॉर्मों की स्थापना शामिल है।

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विवेकपूर्ण मानदंड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और प्रकटीकरण की आवश्यकताओं को तथा उन वित्तीय कंपनियों / वित्तीय यूनितों की अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए विभिन्न दिशानिर्देश / परिपत्र जारी किये जिन्हें विशिष्ट दिशानिर्देशों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

बॉक्स 1 - वित्तीय कंपनियों / वित्तीय यूनिटों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क

वित्तीय कंपनियों / वित्तीय यूनिटों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित होता है। आइएफएससी में गठित की जाने वाली संस्थाओं का, प्राधिकरण के पास गौण संस्था, संयुक्त उपक्रम, अथवा एक शाखा आदि के रूप में पंजीकरण होने के बाद, वित्तीय कंपनियों की विनियमावली में उनके गठन की अनुमति प्रदान की जाती है। शाखा को वित्तीय यूनिट कहा जाता है और उसका गठन किया जा सकता है बशर्ते निवेश करनेवाली संस्था अथवा उस निवेश करनेवाली संस्था की मूल संस्था, जैसी भी स्थिति हो, अपने गृह कार्यक्षेत्र में विनियमित वित्तीय गतिविधि का परिचालन कर रही हो। इस विनियमावली की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- **विनियामक पूंजी :** कोई भी वित्तीय कंपनी / वित्तीय यूनिट अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों के साथ अपनी विनियामक पूंजी के 8 % का पूंजी अनुपात बनाये रखेगा। पूंजी की यह गणना बैंकों के लिए अपनायी जानेवाली सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ही है।
- **एलसीआर :** कोई भी वित्तीय कंपनी / वित्तीय यूनिट सभी समय के लिए, अथवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित अवधियों के लिए स्टैंड अलोन आधार पर एलसीआर बनाये रखेगा। वर्तमान में यह तरलता पूंजी अनुपात [एलसीआर] 100% है। इस एलसीआर की गणना के लिए अपनायी गयी पद्धति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निर्धारित पद्धति से साथ संरेखित किया गया था। इससे वित्तीय कंपनियों वित्तीय यूनिटों द्वारा ठोस और मजबूत तरलता जोखिम प्रबंधन विकसित करने में सहायता मिलेगी।
- **प्रकटीकरण की उच्चतम सीमा :** किसी वित्तीय कंपनी / वित्तीय यूनिट के किसी एकल / अथवा एक दूसरे जुड़े पक्षों के समूह के प्रति सभी प्रकटीकरण उसके उपलब्ध पूंजी आधार के पच्चीस प्रतिशत अथवा प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमोदित उच्चतर राशि से अधिक नहीं होंगे। इसकी गणना करने की प्रणाली भारतीय बैंकों द्वारा गठित आइबीयू के लिए लागू विनियमावलियों के साथ संरेखित की गयी है। साथ ही, कारोबार के स्वरूप तथा वित्तीय कंपनियों / वित्तीय यूनिटों के लिए निर्दिष्ट पूंजी के संबंध में विनियमावली को देखते हुए प्रकटीकरण पर क्षेत्र विशिष्ट सीमाओं जैसे पहलूओं को नहीं अपनाया गया था जिसमें उक्त वित्तीय कंपनी / वित्तीय यूनिट के गवर्निंग निकाय को इन कंपनियों / यूनिटों के प्रकटीकरणों से जुड़ी जोखिमों पर निगरानी करने की नीति बनाने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया था।
- **कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएं :** वित्तीय कंपनियों में जबाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना इन दिशानिर्देशों का उद्दिष्ट है ताकि निवेशकों का भरोसा बरकरार रहे और और कारोबारी परिचालन में निरन्तरता को सुनिश्चित किया जा सके। जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश, तुलनीय क्षेत्राधिकारों के साथ बेंचमार्क किये गये हैं, ऐसी स्थिति में, उन्हें मुख्य रूप से प्रारंभिक चरण में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लागू दिशानिर्देशों के साथ संरेखित भी किया गया है।
- **गतिविधि विशिष्ट दिशानिर्देश :** इन दिशानिर्देशों में वित्तीय कंपनी की विनियमावली के अंतर्गत अनुमत विभिन्न मूलभूत और गैर - महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए गतिविधि विशिष्ट निर्देश / अनुदेश जारी किये जाते हैं, तथा साथ ही, संस्थाओं को ऐसी गतिविधियों के लिए लागू विशिष्ट नियमों और पंजीकरण संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करने की भी आवश्यकता होती है।
- **प्राप्य वस्तु और सेवाओं के फैक्ट्रिंग और फोरफेटिंग पर दिशानिर्देश :** ये दिशानिर्देश आइएफएससी के अंतर्गत वित्तीय कंपनी / वित्तीय यूनिट के रूप में गठित संस्थाओं को फैक्ट्रिंग और फोरफेटिंग की गतिविधियां शुरू करने के लिए सक्षम बनाते हैं। साथ ही, ये दिशानिर्देश, आइटीएफएस प्लेटफॉर्म पर भी लागू हैं। इन दिशानिर्देशों को मुख्यतः फैक्ट्रिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के साथ एवं एफसीआइ पर दिशानिर्देशों के साथ संरेखित किया गया है, जो खुले खाते के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार प्राप्तियों के फैक्ट्रिंग और वित्तपोषण के वैश्विक प्रतिनिधि निकाय हैं, जब कि फोरफेटिंग पर जारी दिशानिर्देशों में उक्त संस्थाओं को यूसीपी 600 जैसी विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने की अपेक्षा की गयी है।

प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये इन परिपत्रों के अलावा, भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसने आइएफएससी में उत्पादों अथवा उपकरणों के लिए एक वित्तीय उत्पाद के रूप में परिचालन पट्टा और परिचालन तथा वित्तीय पट्टे के संमिश्र स्वरूप को संभव बनाया। तदनुसार, प्राधिकरण ने एक अलग अधिसूचना के जरिए जहाज पट्टे पर देने की गतिविधि को एक वित्तीय उत्पाद बना दिया।

- **आइएफएससी में किसी भी उत्पाद / उपस्कर को वित्तीय उत्पाद के रूप में परिचालन पट्टे को अधिसूचित करना:**

भारत सरकार ने दिनांक 06 अक्टूबर 2020 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए विमान परिचालन पट्टे को एक वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित किया। आइएफएससी में जहाजों के परिचालन पट्टे और अन्य विभिन्न उपकरणों के संबंध में प्राधिकरण के भारी-भरकम आकलन को देखते हुए, भारत सरकार ने दिनांक 14 दिसंबर 2021 की अधिसूचना के जरिए ऐसे उत्पादों और उपकरणों के परिचालन और वित्तीय पट्टे के मिश्रण सहित परिचालन पट्टे को प्राधिकरण द्वारा यथा निर्दिष्ट एक वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित किया। इसी के आधार पर विमानों के लिए आवश्यक ग्राउंड सपोर्ट उपकरणों के परिचालन पट्टे को लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है।

- **जहाज पट्टे पर देने को वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित करना**

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसरण में, प्राधिकरण ने दिनांक 07 जनवरी 2021 की राजपत्र में अधिसूचना के जरिए जहाज पट्टे पर देने को भी वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित किया। जहाज-अधिग्रहण, उसका वित्तपोषण और उसे पट्टे पर देने के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में आइएफएससी को स्थापित करने के बारे में एक विशेषज्ञ समिति [सफल समिति] द्वारा किये गये अध्ययन के बाद यह अधिसूचना लागू की गयी। प्राधिकरण अब स्टेकधारकों के साथ परामर्श करते हुए आइएफएससी के लिए जहाज पट्टे पर देने के ढांचे को अंतिम स्वरूप देने की प्रक्रिया में है।

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नौ संस्थाओं को वित्तीय कंपनियों के रूप में विमान परिचालन पट्टे की गतिविधि प्रारंभ करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जब कि चार संस्थाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया। एक होल्डिंग कंपनी को भी एक वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था और चार संस्थाओं को आइटीएफएस प्लेटफॉर्म की स्थापना करने के लिए विनियामक सैंड बॉक्स के अंतर्गत परीक्षण करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी थी।

बॉक्स 2 - वित्तीय कंपनियों/वित्तीय यूनिटों के लिए गतिविधि विशिष्ट विनियामक फ्रेमवर्क

आइटीएफएस प्लेटफॉर्म का गठन करने के लिए फ्रेमवर्क : प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया फ्रेमवर्क विक्रेताओं / नियतिकों को तथा खरीदारों / आयातकों को प्रतिस्पर्धात्मक शर्तों पर अपने-अपने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लेनदेन करने के प्रयोजन से विभिन्न प्रकार की कारोबार वित्त सुविधाएं पाने के लिए सक्षम कराता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार नियतिक अथवा आयातक आइटीएफएस प्लेटफॉर्म पर एक कारोबार वित्त यूनिट का [टीएफयू] निर्माण करते हैं जिसका अर्थ है एक इनवॉइस अथवा बिल अथवा कारोबार संबंधी अन्य कोई भी मानक दस्तावेज। उसके बाद प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसीकृत / विनियामित / पंजीकृत वित्तपोषक [बैंकिंग यूनिट अथवा वित्तीय कंपनी / वित्तीय यूनिट अथवा अन्य कोई भी पात्र एजेंसी] अथवा भारत में या विदेश में अन्य वित्तीय सेवा क्षेत्र के विनियामक, जिन्हें कारोबार वित्त शृंखला आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गयी है, इस टीएफयू का वित्तपोषण करते हैं।

प्राधिकरण ने चार संस्थाओं को अपने विनियामक सैंड बॉक्स में अपने प्लेटफॉर्म की जांच करने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। उक्त सैंड बॉक्स से सफलतापूर्वक निकालने के बाद ऐसी संस्थाओं को आइएफएससी में अपना आइटीएफएस प्लेटफॉर्म परिचालित करना संभव हो पाएगा।

वैश्विक / क्षेत्रीय निगमित खज़ाना केंद्रों पर फ्रेमवर्क : वैश्विक और भारतीय कॉरपोरेट्स के लिए अपनी खज़ाना गतिविधियों को केंद्रीकृत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संचालन को समेकित करके कॉर्पोरेट वित्तपोषण का लाभ उठाने के अवसर पैदा करना इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर -समूह वित्तपोषण, बेहतर तरलता और जोखिम प्रबंधन शामिल हैं।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा [एफआइ] सतत ऋण प्रदान किये जाने के बारे में फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट: सतत वित्त वह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर प्राधिकरण का ध्यान केंद्रित है और आइएफएससी को सतत वित्त के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना उसका प्रमुख लक्ष्य है। प्राधिकरण के फ्रेमवर्क का प्रारूप सतत वित्त की उपलब्धि के लिए वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त मानकों और सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया था। इस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के अनुसार, वित्तीय संस्थाओं को अंतिम परिपत्र जारी किये जाने के नौ माह के भीतर निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाने का निदेश दिया गया है और यह भी प्रस्ताव किया गया है कि किसी भी वित्तीय संस्था की कुल ऋण परिसंपत्तियों के दस प्रतिशत का हरित / सामाजिक / सतत / सततता से जुड़े ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा जाए।

लेनदेन / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियाँ


फिलहाल, आइएफएससी में पंद्रह लाइसेंस प्राप्त आइबीयू कार्यरत हैं जिनकी औसत कर्मचारी संख्या ग्यारह प्रति आइबीयू है। आइबीयू द्वारा बुक किया गया कुल टर्न ओवर [कारोबार की मात्रा] एक वर्ष की अवधि में ही चौगुने से अधिक हो गया है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक आइबीयू का कुल बकाया मूल्य 29.38 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो 31 मार्च, 2021 को परिसंपत्ति के बकाया मूल्य के लगभग दोगुना था। ऋण परिनियोजन आइबीयू की कुल बकाया परिसंपत्ति का सबसे बड़ा घटक था जिनमें से अधिकांश कारोबार वित्त और वाणिज्यिक ऋणों के रूप में था। आइबीयू द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 तक दिये गये ऋणों का कुल मूल्य 18.49 बिलियन अमरीकी डॉलर था।


आइबीयू द्वारा निष्पादित की जा रही गतिविधियों में अंतर-बैंक उधार लेना, अंतर-शाखा उधार लेना, मध्यम अवधि के नोट जारी करना, बहुपक्षीय संस्थानों से उधार लेना, आदि निधियाँ जुटाने के स्रोत बने हुए हैं। परिसंपत्ति परिनियोजन की गतिविधियां बड़े पैमाने पर कारोबार वित्त और वाणिज्यिक ऋणों की ओर केंद्रित हो चुकी हैं। खज़ाना बिल, कॉरपोरेट बॉन्ड, इक्विटी शेयर आदि में निवेश करना आइबीयू के लिए निवेश के प्रमुख मार्ग बने हुए हैं। उनका बकाया निवेश दिनांक 31 मार्च, 2021 के 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 31 मार्च 2022 को 2.1 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

सारणी 2 - आइएफएससी में बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र


| ब्योरे | वित्तीय वर्ष 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2021-22 |
|---|----------------------|----------------------|
| उक्त अवधि के अंत में बैंकिंग यूनिटों (आइबीयू) की संख्या | 15 | 15 |
| उक्त अवधि के अंत में अमरीकी डॉलर में बकाया कुल परिसंपत्तियाँ | 14,977 | 29,381 |
| उक्त अवधि के अंत में टर्न ओवर [अमरीकी डॉलर में] कुल कारोबार की मात्रा | 21,110 | 1,06,982 |
| उक्त अवधि के अंत में कर्मचारियों की कुल संख्या | 118 | 162 |

आइएफएससी में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेनदेन के प्रवाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)






आकृति 2 - दिनांक 31 मार्च 2022 को बकाया उधार



आकृति 3 - दिनांक 31 मार्च 2022 को बकाया निवेश

सारणी 3 - आइबीयू में बकाया डेरीवेटिव अनुबंधों की तुलना

| डेरीवेटिव बकाया | दिनांक 31 मार्च 2021 को बकाया | दिनांक 31 मार्च 2022 को बकाया |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| गैर-सुपुर्दगीयोग्य डेरीवेटिव अनुबंध [विदेशी मुद्रा - भारतीय रुपया] [एनडीएफ, विदेशी मुद्रा अदलाबदली और ऑप्शंस के साथ] | 18,128.82 | 23,478.52 |
| विदेशी मुद्रा - विदेशी मुद्रा वायदे | 1,482.97 | 1,673.00 |
| विदेशी मुद्रा - विदेशी मुद्रा अदलाबदली | 839.50 | 1,333.63 |
| विदेशी मुद्रा - विदेशी मुद्रा ऑप्शंस | 10.00 | 31.12 |
| भारतीय मुद्रा दर अदलाबदली (आइआरएस) (ओवरनाईट इंडेक्स अदलाबादलियों [ओआइएस] सहित) | 25.00 | 7,293.33 |
| विदेशी मुद्रा ब्याज दर अदलाबदली (आइआरएस) (ओवरनाईट इंडेक्स अदलाबादलियों [ओआइएस] सहित) | 24,600.73 | 44,413.40 |
| अन्य | 304.84 | 1,171.94 |
| कुल | 45,391.86 | 79,394.94 |



आगामी वर्ष के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम

- एफएसआइ कनेक्ट, अंतराष्ट्रीय समझौता बैंक के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्षमता निर्माण।
- आइएफएससी में विदेशी मुद्रा समाशोधन तंत्र की स्थापना करना।
- यथोचित विनियामक फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंकिंग कारोबार के लिए पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्था [डब्ल्यूओएस] मॉडेल की संभावना को तलाशना।
- भारतीय बैंकिंग यूनिटों द्वारा यथोचित विनियामक फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय [आरएओ] गठित करने की संभावना को तलाशना।
- वित्तीय कंपनियों की विनियमावली में शामिल विभिन्न पहलुओं पर परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी करना जिसमें, अन्यो के साथ-साथ, विवेकपूर्ण विनियमावली, पूंजी फ्रेम वर्क, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों और कारोबार संबंधी नियमों के संचालन से संबंधित पहलू शामिल होंगे।
- फैक्ट्रिंग, फॉरफिटिंग, जहाजों के लिए परिचालन पट्टे और अन्य गतिविधियों के लिए गतिविधि विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी करना।
- वित्तीय संस्थाओं [आइबीयू, एफसी / एफयू] द्वारा विमान / जहाजों को पट्टे पर देने, और सतत तथा सततता से जुड़े हुए ऋणों के लिए फ्रेमवर्क को संभव बनाने के लिए करने के लिए रूपरेखा तैयार करना।

पूँजी बाज़ार

कंपनियों को पूँजी के कुशल आवंटन की सुविधा प्रदान करने में और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में अपना योगदान देने में प्रतिभूति बाजार की प्रमुख भूमिका होती है। ऐसी कई प्रकार की प्रतिभूतियाँ हैं जैसे कि इक्विटी शेयर, ऋण लिखत, परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ, फंड के यूनिट, डेरिवेटिव आदि। पूँजी बाजार बचत और निवेश को वित्तीय प्रणाली में चैनलाइज़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आइएफएससी में मौजूद पूँजी बाजार में विदेशी पूँजी के प्रवाह को भारत में विभिन्न माध्यमों से प्रवाहित करने का प्रवेशद्वार होने की क्षमता है, जिसमें निधियों का प्रबंधन करते हुए और आइएफएससी एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग करते हुए उसके माध्यम से पूँजी जुटाना शामिल है।

आइएफएससी में स्थापित फंड भारत के प्रतिभूति बाजारों के विभिन्न उत्पादों में विदेशी निवेशकों और अनिवासी भारतीयों से निवेश करने के लिए पूँजी जुटा सकते हैं। साथ ही, आइएफएससी में मौजूद फंडों का पारिस्थितिकी तंत्र [इकोसिस्टम] कुछ क्षेत्रों, जैसे स्टार्ट-अप्स, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम, हरित और सतत वित्तपोषण, भू संपदा परियोजनाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश आदि में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी योगदान दे सकता है। भारतीय कॉर्पोरेट [बैंकों, सीपीएसई आदि सहित] आइएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों पर विदेशी मुद्रा बांड और / अथवा मसाला बांडों की लिस्टिंग करते हुए भी पूँजी जुटा सकते हैं।

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बाज़ार इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं [स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम, और डिपॉजिटरीज] के विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित नीतियों सहित, पूँजी बाजारों में बहुत-सी अन्य गतिविधियों के लिए भी विनियामक फ्रेमवर्क अधिसूचित किया है, जिसमें मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर विभिन्न प्रतिभूतियाँ जारी करना और उनकी लिस्टिंग करना, आइएफएससी में पूँजी बाजारों में परिचालित हो रही विभिन्न प्रकार की मध्यस्थ संस्थाओं का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, और आइएफएससी में निधि प्रबंधन की विभिन्न गतिविधियाँ करना शामिल हैं।

अन्य कार्यक्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ नियमों को बेंचमार्क करना और आइएफएससी में कारोबार करने की सुविधाओं को बढ़ाना इस प्राधिकरण का उद्देश्य है। अगर भविष्य की बात करें तो, आइएफएससी में एक क्षेत्रीय / वैश्विक केंद्र के रूप में उभरना पूँजी बाजार का लक्ष्य है ताकि सेवाएँ प्रदान करने के प्रयोजन से निवेशकों [भारत सहित] से निवेश आकर्षित किया जा सके और उस निवेश को अन्य कार्यक्षेत्रों में चैनलाइज़ किया जा सके।

विनियमावली, परिपत्र, और दिशानिर्देशों आदि से संबंधित गतिविधियाँ

बाज़ार इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाएँ (एमआइआइ)

स्टॉक एक्सचेंज

स्टॉक एक्सचेंज अत्यधिक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और तरलता उपलब्ध करवाते हैं, जो निवेशकों एवं बाज़ार के सहभागियों को यथोचित दामों पर प्रतिभूतियाँ खरीदने / बेचने में सहायता प्रदान करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों और संस्थाओं के लिए बाज़ार से पूँजी तक पहुँच बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विनियामित पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पारदर्शिता और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है वहीं अपने निवेशकों को अपनी दौलत सुरक्षित रखने में भी सहायता प्रदान करता है तथा साथ ही, कंपनी की वृद्धि और उसके कारोबारी समयचक्र एवं समग्र देश के विकास में सहभागी होने का अवसर भी प्रदान करता है।

आइएफएससी में दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार दो अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिनका नाम है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज [आइएफएससी] लिमिटेड [इंडिया आइएनएक्स], और एनएसई आइएफएससी लिमिटेड [एनएसई आइएफएससी] साथ ही, आइएफएससी में एक बुलियन एक्सचेंज भी है जिसका नाम है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आइएफएससी लिमिटेड [आइआइबीएक्स]।

प्राधिकरण ने, वर्ष के दौरान, एनएसई आइएफएससी की मान्यता का दिनांक 29 मई 2021 को तथा इंडिया आइएनएक्स की मान्यता का दिनांक 29 दिसंबर 2021 को एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया। आइआइबीएक्स को भी पहली बार दिनांक 09 दिसंबर 2021 को मान्यता प्रदान की गयी।

समाशोधन निगम

समाशोधन निगम एक ऐसी एमआइआइ है जो स्टॉक एक्सचेंजों पर निष्पादित किये गये लेनदेनों की पुष्टि, समाशोधन, और निपटान का कार्य करती है। उक्त समाशोधन निगम यह सुनिश्चित करने के मुख्य दायित्व को निभाते हैं कि लेन-देन प्रतिपक्षों के बीच

त्वरित और कुशल तरीके से निपटाये जा रहे हैं।

आइएफएससी में दो समाशोधन निगम अपना परिचालन कर रहे हैं जिनका नाम हैं, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन [आइएफएससी] लिमिटेड [इंडिया आइसीसी] और एनएसई आइएफएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड [एनआइसीसीएल]।

प्राधिकरण ने एनआइसीसीएल की मान्यता को दिनांक 29 मई 2021 से प्रारंभ होकर एक वर्ष के लिए नवीकरण प्रदान किया। प्राधिकरण ने इंडिया आइसीसी की मान्यता को दिनांक 29 दिसंबर 2021 से प्रारंभ होकर एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण प्रदान किया।

डिपॉजिटरी

डिपॉजिटरी एक ऐसा विशेषीकृत वित्तीय संगठन है जो ईक्विटी शेयर जैसी प्रतिभूतियों को अमूर्त रूप में धारित करता है ताकि उनका स्वामित्व प्रत्यक्ष प्रमाणपत्रों के अंतरण के बदले केवल बही प्रविष्टि के माध्यम से आसानी से अंतरित किया जा सके। इससे ब्रोकर और वित्तीय कंपनियों को अपनी प्रतिभूतियों को ऐसे स्थान पर रखना संभव हो पाता है जहां से वे समाशोधन और निपटान के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके। सीडीएसएल आइएफएससी लिमिटेड आइएफएससी की एक मात्र कार्यरत डिपॉजिटरी है जो प्रतिभूतियों तथा साथ ही बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के अभिलेख रखने का काम करती है।

आइएफएससीए [बाज़ार इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाएं] विनियमावली, 2021

आइएफएससीए [बाज़ार इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाएं] विनियमावली, 2021 [एमआइआइ विनियमावली] को दिनांक 16 अप्रैल 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित किया गया है जिसमें आइएफएससी में परिचालित हो रहे स्टॉक एक्सचेंजों, समाशोधन निगमों, और डिपॉजिटरियों के लिए एकिकृत विनियामक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया गया है।

इस एमआइआइ विनियमावली की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

क. शेयरहोल्डिंग

आइएफएससी में एमआइआइ की शेयर होल्डिंग निम्नानुसार होगी -

| एमआइआइ | कंसॉर्टियम के बिना | | कंसॉर्टियम के साथ | |
|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | द्वारा धारित | % | द्वारा धारित | % |
| स्टॉक एक्सचेंज | स्टॉक एक्सचेंज | कम-से-कम 26 | एमआइआइ का कंसॉर्टियम | कम-से-कम 51 |
| | अन्य कोई व्यक्ति | 25 तक | अन्य कोई व्यक्ति | 25 तक |
| समाशोधन निगम | समाशोधन निगम अथवा स्टॉक एक्सचेंज | कम-से-कम 26 | एमआइआइ का कंसॉर्टियम | कम-से-कम 51 |
| | अन्य कोई व्यक्ति | 25 तक | अन्य कोई व्यक्ति | 25 तक |
| डिपॉजिटरी | डिपॉजिटरी | कम-से-कम 26 | एमआइआइ का कंसॉर्टियम | कम-से-कम 51 |
| | अन्य कोई व्यक्ति | 25 तक | अन्य कोई व्यक्ति | 25 तक |

ख. निवल मूल्य

किसी भी मान्यताप्राप्त एमआइआइ का निवल मूल्य सभी समय कम-से-कम 3 मिलियन अमरीकी डॉलर होगा। साथ ही, यदि आवश्यक हो तो, प्राधिकरण, जोखिम प्रबंधन के एक उपाय रूप में, किसी भी मान्यताप्राप्त एमआइआइ के निवल मूल्य को उक्त संस्था के कारोबार के स्वरूप और उसकी मात्रा के आधार पर उच्चतर मात्रा पर निर्धारित कर सकता है।

ग. गवर्नेंस

- किसी भी मान्यता प्राप्त एमआइआइ के गवर्निंग बोर्ड में एमआइआइ विनियमावली में यथा निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर शेयरधारक निदेशक, जनहित निदेशक और प्रबंध निदेशक शामिल होंगे।
- किसी भी मान्यता प्राप्त एमआइआइ के गवर्निंग बोर्ड की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और उसके क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी सभी क्रियाविधियों को प्रलेखित किया जाना चाहिए, जिनमें हितों के टकरावों की पहचान करना, उन टकरावों को टालने के प्रयास करना और ऐसे टकराव फिर से ना हो पाये इसकी व्यवस्था करना शामिल है।
- किसी भी मान्यता प्राप्त एमआइआइ का गवर्निंग बोर्ड अपने निदेशकों का समग्र कार्यानिष्पादन और अपने अलग-अलग निदेशकों के व्यक्तिगत कार्यानिष्पादन की नियमित तौर पर समीक्षा करेगा।
- किसी भी मान्यता प्राप्त एमआइआइ का हर निदेशक और प्रबंध तंत्र का प्रमुख कार्मिक, प्राधिकरण द्वारा यथा निर्दिष्ट नीतिमत्ता संहिता और आचार संहिता का पालन करेगा।
- कोई भी मान्यता प्राप्त एमआइआइ प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट समितियों का गठन करेगा।
- कोई भी मान्यता प्राप्त एमआइआइ अपने विनियामक विभागों को अन्य विभागों से अलग रखने के लिए यथोचित नीति अपनाएगा।

घ. सामान्य दायित्व

एमआइआइ को एमआइआइ विनियमावलियों में यथा निर्दिष्ट विभिन्न दायित्व और जिम्मेदारियों का अनुपालन करना होगा।

बुलियन एक्सचेंज विनियमावली का एमआइआइ विनियमावली के साथ समन्वय

आइएफएससी [बुलियन एक्सचेंज] विनियमावली, 2020 [“बुलियन एक्सचेंज विनियमावली”] को दिनांक 11 दिसंबर 2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित किया गया है, जिसमें बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन निगम, बुलियन डिपॉजिटरी, वॉल्ट प्रबंधक, और भारत में आइएफएससी में बुलियन बाज़ार से जुड़े अन्य मध्यस्थों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क निर्धारित गया है।

इसके बाद, एमआइआइ विनियमावली को दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित किया गया, जिसमें आइएफएससी के प्रतिभूति बाजारों में स्थित बाज़ार इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों के लिए विनियामक ढांचा प्रदान किया गया।

बुलियन एक्सचेंज विनियमावलियों में किये गये संशोधनों को दिनांक 06 जुलाई 2021 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित करते हुए उक्त विनियमावली को सुसंगत किया गया है, जिसमें यह बात निर्धारित की गयी है कि यदि किसी एक ही विषय पर बुलियन एक्सचेंज विनियमावली का कोई प्रावधान एमआइआइ विनियमावली के प्रावधान से असंगत पाया जाता है अथवा उसमें कोई विसंगति पायी जाती है तो ऐसे मामले में, एमआइआइ विनियमावली के प्रावधान लागू होंगे।

अन्य परिपत्र / दिशानिर्देश

एमआईआई की मान्यता और नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र - प्राधिकरण ने 20 सितंबर, 2021 के परिपत्र के माध्यम से आइएफएससी में एमआइआइ की मान्यता और नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र निर्दिष्ट किया है।

मान्यता प्राप्त एमआइआइ के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों [केएमपी] के लिए नीतिमत्ता संहिता और आचार संहिता - आइएफएससी में मान्यता प्राप्त एमआइआइ के कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए, प्राधिकरण ने दिनांक 13 सितंबर 2021 के परिपत्र [दिनांक 30 नवंबर 2021 के परिपत्र के साथ पढ़े जाने वाले] के माध्यम से एमआइआइ के निदेशकों और केएमपी के लिए आचार संहिता और नैतिकता के आचरण के बारे में विस्तृत और ब्योरेवार आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया है।

एमआइआइ के आपदा बहाली [डीआर] साइट पर निष्पादित लेनदेन की स्थिति - प्राधिकरण ने दिनांक 22 जून 2021 के अपने परिपत्र के माध्यम से यह बात स्पष्ट कर दी है कि स्टॉक एक्सचेंजों की डीआर साइट [गिफ्ट आइएफएससी के बाहर स्थित साइट] से निष्पादित किये गये कारोबार को विनियामक आवश्यकता के कारण इस रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी कि वे गिफ्ट आइएफएससी में ही निष्पादित किये गये हैं।

तरलता वृद्धि योजना के लिए दिशानिर्देश - स्टॉक एक्सचेंजों पर तरलता को बढ़ाने के लिए प्राधिकरण ने दिनांक 31 मार्च 2022 के अपने परिपत्र के जरिए तरलता वृद्धि योजना [एलईएस] के दिशानिर्देशों की समीक्षा की है। स्टॉक एक्सचेंजों को उक्त परिपत्र में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी भी प्रतिभूति में / लिस्टेड उत्पाद में ऊपर उल्लेख की गयी एलईएस को लागू करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

आइएफएससी में मौजूद स्टॉक एक्सचेंजों पर निष्पादित ट्रेड का निपटान - आइएफएससी में बदलते बाजार की गतिशीलता के साथ तालमेल रखने और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ समाशोधन और निपटान प्रक्रिया को संरेखित करने के लिए, प्राधिकरण ने दिनांक 16 दिसंबर 2021 के परिपत्र के माध्यम से यह बात निर्धारित की है कि आइएफएससी में स्टॉक एक्सचेंज में निष्पादित किये जा रहे सभी प्रकार के ट्रेड का दिन में कम-से-कम एक बार निपटान किया जाएगा। समाशोधन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि जोखिम प्रबंधन का फ्रेमवर्क सभी समय भुगतान और बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर पर गठित समिति [सीपीएमआइ] और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सेक्यूरिटीज कमीशन [आइओएससीओ] द्वारा जारी किये गये वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर के सिद्धांतों [पीएफएमआइ] के अनुरूप है। साथ ही, समाशोधन निगम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि ट्रेडिंग दिवस / सत्र के दौरान, खुले वायदा अनुबंधों पर होनेवाली मार्क-टू-मार्केट हानियों को उनके जोखिम मूल्यांकन के आधार पर नियमित अंतराल पर संपार्श्विक उपलब्ध कराया जाता है।

एनएसई आइएफएससी - एसजीएक्स कनेक्ट

एनएसई आइएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट आइएफएससी में निफ्टी के उत्पादों के लिए एक बड़ा तरलता पूल बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय और आइएफएससी प्रतिभागियों को एक साथ लाएगा। एसजीएक्स से निफ्टी के डेरिवेटिव्स में खरीद और बिक्री के आदेश एक गौण एसजीएक्स एसपीवी के माध्यम से एनएसई आइएफएससी के उस प्लेटफॉर्म पर भेजे जाएंगे, जहां पर ऐसे आदेश एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। एसजीएक्स एसपीवी, एसजीएक्स के माध्यम से दर्ज किये गये आदेशों के लिए पास-थ्रू संस्था के रूप में कार्य करेगा। एनएसई आइएफएससी, एसजीएक्स एसपीवी से प्राप्त आदेशों का गिफ्ट-आइएफएससी में अपने ट्रेडिंग सदस्यों से प्राप्त आदेशों के साथ मिलान कराएगा। एसजीएक्स ने फरवरी 2021 में पहले ही आइएफएससी में 'एसजीएक्स इंडिया कनेक्ट आइएफएससी प्राइवेट लिमिटेड' नाम से एक एसपीवी निगमित कर लिया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रगति

प्राधिकरण ने क्रमशः एसजीएक्स इंडिया कनेक्ट आइएफएससी प्राइवेट को एक ट्रेडिंग सदस्य के रूप में तथा एनएसई आइएफएससी और एनआइसीसीएल को एक स्व-समाशोधन सदस्य के रूप में दिनांक 07 सितंबर 2021 को पंजीकरण प्रदान किया। गिफ्ट आइएफएससी में 'एनएसई आइएफएससी - एसजीएक्स कनेक्ट' को परिचालित करने की दिशा में एक कदम के रूप में, अक्टूबर 2021 में गिफ्ट डेटा कनेक्ट का शुभारंभ किया गया था। यह अंतरराष्ट्रीय सदस्यों को एसजीएक्स के माध्यम से निफ्टी डेरिवेटिव अनुबंधों को रियल टाइम ट्रेडिंग डेटा तक अपनी पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे निवेशकों को भारत के इक्विटी बाजार में अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। यह कनेक्ट गिफ्ट सिटी के पारिस्थितिकी तंत्र का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के साथ के एकीकरण करने के लिए की जा रही प्रमुख गतिविधियों में से एक गतिविधि है।



चित्र 1 - एसजीएक्स गिफ्ट सिटी कार्यालय का उद्घाटन और गिफ्ट डेटा कनेक्ट का शुभारंभ

इंडिया आइएनएक्स ग्लोबल एक्सेस

इंडिया आइएनएक्स ने दिनांक 18 सितंबर 2018 को इंडिया आइएनएक्स ग्लोबल एक्सेस आइएफएससी लिमिटेड ["ग्लोबल एक्सेस"] का शुभारंभ किया, ताकि एक केंद्रीकृत एकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने में सुविधा हो सके। ऐसी वैश्विक पहुंच बन जाने से गिफ्ट आइएफएससी में मौजूद सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर जिन उत्पादों की ट्रेडिंग की जाती है उन उत्पादों की विविध श्रेणियों तक आसानी से पहुंचना संभव हो सकता है। प्राधिकरण ने दिनांक 25 नवंबर 2021 को इस वैश्विक पहुंच के लिए एक परिचयात्मक ब्रोकर के रूप में कार्य करने और आगे चलकर कुछ निश्चित शर्तों के अधीन कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकर के साथ गठजोड़ करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।

पूंजी बाजार के मध्यस्थ

ट्रेडिंग सदस्य

ब्रोकर डीलर / ट्रेडिंग सदस्य ऐसी संस्थाएं हैं जो आइएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने स्वयं के खाते के साथ-साथ अपने ग्राहकों की ओर से भी लेनदेनों को निष्पादित करती हैं।

सारणी 4 - गिफ्ट आइएफएससी में ट्रेडिंग सदस्य

| स्टॉक एक्सचेंज | ट्रेडिंग सदस्यों की संख्या |
|-----------------|----------------------------|
| इंडिया आइएनएक्स | 53 |
| एनएसई आइएफएससी | 49 |

(स्रोत : इंडिया आइएनएक्स और एनएसई आइएफएससी)

समाशोधन सदस्य

समाशोधन सदस्य के पास ब्रोकर डीलर / ट्रेडिंग सदस्य द्वारा निष्पादित सभी सौदों के समाशोधन और निपटान का दायित्व होता है।

सारणी 5 - गिफ्ट आइएफएससी में समाशोधन सदस्य

| समाशोधन निगम | स्वयं समाशोधन सदस्यों की संख्या | कारोबार एवं समाशोधन सदस्यों की संख्या | व्यावसायिक समाशोधन सदस्यों की संख्या |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| इंडिया आइसीसी | 4 | 7 | 2 |
| एनआइसीसीएल | 5 | 6 | 2 |

(स्रोत : इंडिया आइसीसी और एनआइसीसीएल)

डिपॉजिटरी के सहभागी [डीपी]

डिपॉजिटरी का कोई भी सहभागी मान्यता प्राप्त डिपॉजिटरी का भागीदार होता है और वह डिपॉजिटरी और निवेशक के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण में कुल 4 डीपी पंजीकृत हैं। डिपॉजिटरी के सभी सहभागियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पंजीकरण प्रदान किया गया था।

अभिरक्षक

अभिरक्षक एक ऐसा विशेष वित्तीय संस्थान है जो वित्तीय उत्पादों के संबंध में ऐसी अभिरक्षा सेवाएं प्रदान करने का कारोबार करता है जिनमें वित्तीय उत्पादों को सुरक्षित रखना और उनके संबंध में आनुषंगिक सेवाएं प्रदान करना शामिल है। दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के पास कुल 4 अभिरक्षक पंजीकृत थे।

डिबेंचर ट्रस्टी

डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर से संबंधित किसी भी मुद्दे के संबंध में नियुक्त किया गया एक ट्रस्टी है। यह जारीकर्ता कंपनी की ओर से सुरक्षित संपत्ति अपने पास रखते हुए, डिबेंचर-धारकों के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जारीकर्ता कंपनी और डिबेंचर धारकों के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। आइएफएससीए [पूँजी बाज़ार मध्यस्थ] विनियमावली, 2021 आइएफएससी में डिबेंचर ट्रस्टियों के पंजीकरण के लिए अपनायी जाने वाली क्रियाविधि उपलब्ध कराती है।

आइएफएससी के एक्सचेंजों में बॉन्डों को सूचीबद्ध करने के संबंध में आयी वृद्धि के साथ ही, ऋण जारी करने से संबंधित मध्यस्थ वित्तीय सेवाओं की मांग बढ़ती जा रही है। इस संबंध में आइएफएससी, डिबेंचर ट्रस्टियों को अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाली भारतीय और विदेशी दोनों ही संस्थाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है।

प्राधिकरण के पास वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, डिबेंचर ट्रस्टियों से पंजीकरण के लिए तीन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इनमें से एक संस्था को लाइसेंस प्रदान किया है। शेष आवेदन दिनांक 31 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रक्रियाधीन हैं।

पोर्टफोलियो प्रबंधक

पोर्टफोलियो प्रबंधक एक ऐसा व्यक्ति है, जो किसी ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध के अनुसरण में उस ग्राहक को उसकी प्रतिभूतियों अथवा वित्तीय उत्पादों, अथवा निधियों के पोर्टफोलियो के प्रबंधन अथवा प्रशासन के बारे में, [या तो विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में अथवा अन्यथा] जैसी भी स्थिति हो, परामर्श देता है निर्देश देता है या हामीदारी देता है। दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के पास कुल 6 पंजीकृत पोर्टफोलियो प्रबंधक हैं। सभी पोर्टफोलियो प्रबंधकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पंजीकरण प्रदान किया गया था।

निवेश सलाहकार

निवेश सलाहकार ऐसा व्यक्ति होता है जो ग्राहकों को प्रतिभूतियों अथवा अन्य निवेश उत्पादों में निवेश करने के संबंध में सलाह देने का काम करता है, जिसके लिए उसे भुगतान किया जाता है। दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के पास कुल 5 पंजीकृत निवेश सलाहकार थे।

आइएफएससीए [पूँजी बाज़ार मध्यस्थ] विनियमावली, 2021 [सीएमआइ विनियमावली]

सीएमआइ विनियमावली को दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित किया गया था। इस विनियमावली में पंजीकरण, दायित्वों और जिम्मेदारियों की विनियामक आवश्यकताओं के लिए एक व्यापक और एकीकृत विनियामक फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है, जिसमें सीमा पार व्यापार, निरीक्षण और विभिन्न प्रकार के पूँजी बाजार मध्यस्थ, जैसे ब्रोकर कारोबारी, समाशोधन सदस्य, डिपॉजिटरी के सहभागी, निवेश बैंकर, पोर्टफोलियो प्रबंधक, निवेश सलाहकार, संरक्षक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, डिबेंचर न्यासी, और खाता एग्रीगेटर शामिल हैं। यह विनियमावली कारोबार करने में सुविधा पैदा करने के बारे में ध्यान केंद्रित करती है, जो आइओएससीओ द्वारा निर्धारित मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

क. पंजीकरण संबंधी आवश्यकताएं

- क) ब्रोकर कारोबारियों, समाशोधन सदस्यों, डिपॉजिटरी के सहभागियों, निवेशक बैंकरों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों, निवेश सलाहकारों और अभिरक्षकों के लिए आइएफएससी में परिचालन शुरू होने से पहले प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, डिबेंचर न्यासी और एकाउंट एग्रीगेटर भी प्राधिकरण के साथ पंजीकरण करेंगे और सीएमआइ विनियमावलियों में निर्दिष्ट सभी लागू आवश्यकताओं का पालन करेंगे।
- ख) प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकिंग इकाइयों को, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट विनियामक प्रावधानों का अनुपालन करने की शर्त पर, आइएफएससी में पूँजी बाजार में किसी विशिष्ट मुद्दे के लिए बैंकर के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- ग) उक्त प्राधिकरण पूँजी बाजार मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, पिछला अनुभव, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, पात्रता मानदंडों का पालन, वित्तीय विश्वसनीयता, निवल मूल्य, और आवेदक एवं उसके

प्रमुख अधिकारियों, निदेशकों / भागीदारों / नामित भागीदारों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और नियंत्रक शेयरधारकों द्वारा यथोचित और सही आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना, जैसे कारकों पर विचार करेगा।

- घ) कोई भी आवेदक इस विनियमावली के अंतर्गत कई श्रेणियों में पंजीकृत होने के लिए आवेदन कर सकता है। पूंजी बाजार मध्यस्थ के रूप में काम करने वाली कोई भी संस्था कई सारी श्रेणियों में लागू न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकताओं के उच्चतम स्तर को बनाये रखेगी।

ख. सरलीकृत आवेदन

इस बात पर विचार करते हुए कि आइएफएससी अपने प्रारंभिक चरण में है, भारत में पहले से पंजीकृत और विनियमित संस्थाओं को अथवा उसी श्रेणी के अंतर्गत वैध पंजीकरण वाले विदेशी कार्यक्षेत्रों³¹ को आसानी से पंजीकरण कराना संभव हो इसके लिए [दिनांक 31 मार्च 2022 तक] एक विंडो के लिए प्रदान की गयी थी।

ग. ढांचा

प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होने की मांग करने वाले मध्यस्थों को अपनी शाखा स्थापित करके अथवा कोई कंपनी या एलएलपी या निकाय कॉर्पोरेट या साझेदारी फर्म या स्वामित्ववाली फर्म या प्राधिकरण द्वारा अनुमत किसी अन्य रूप में स्थापित करके आइएफएससी में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी। शाखा के ढांचे की अनुमति केवल [क] उन मध्यस्थों को ही दी जाएगी जो पहले से ही भारत में या उसी प्रकार की गतिविधियों के संचालन के लिए एक विदेशी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत या विनियमित हैं अथवा [ख] आवेदक पहले से ही लाइसेंस प्राप्त, पंजीकृत या किसी अन्य क्षमता में इस प्राधिकरण के साथ प्राधिकृत हैं। साथ ही, आइएफएससी में एक शाखा के रूप में काम करने वाली संस्थाएँ आइएफएससी में अपनी शाखा के संचालन कार्य को पर्याप्त रूप से अपने ही दायरे में सीमित रखेंगी और सीएमआइ विनियमावली में यथा निर्दिष्ट अतिरिक्त आवश्यकताओं का पालन करेंगी।

घ. सामान्य दायित्व और जिम्मेदारियाँ

पंजीकृत मध्यस्थों को विनियमावली में निर्दिष्ट सामान्य दायित्वों और जिम्मेदारियों का अनुपालन करना होगा, जिसमें आचार संहिता का पालन, खाता बहियों का रखरखाव, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज रखना, और प्राधिकरण को जानकारी देते रहना तथा विभिन्न विवरणियाँ और विवरणों का प्रस्तुतिकरण, निवेशकों की शिकायतों का निवारण, तथा व्यवसाय निरंतरता योजना को बनाये रखना, साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण, नियंत्रण में बदलाव, शुल्क का भुगतान, वार्षिक लेखा परीक्षा और अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करना भी शामिल है।

ड. विशिष्ट दायित्व और जिम्मेदारियाँ

इसके साथ ही, पंजीकृत मध्यस्थों को संबंधित विनियमावली में उल्लिखित संबंधित श्रेणियों के लिए यथानिर्दिष्ट विस्तृत दायित्वों और जिम्मेदारियों का भी अनुपालन करना होगा।

च. सीमा पार कारोबार

आइएफएससी में शामिल पंजीकृत मध्यस्थ भारत में अथवा विदेशी सीमा पार के कार्यक्षेत्रों के पूंजी बाजारों में भी विनियमावली में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हुए कारोबार कर सकते हैं।

ब्रोकर कारोबारियों के लिए वैश्विक पहुँच

ब्रोकर व्यावसायी स्टॉक एक्सचेंजों पर ग्राहकों और विभिन्न उत्पादों के बीच मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करते हुए के पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राधिकरण ने आइएफएससी में काम करनेवाले ब्रोकर कारोबारियों को अधिक लचीलापन प्रदान करने और कारोबार करने में उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 25 नवंबर, 2021 के परिपत्र के माध्यम से ब्रोकर कारोबारियों को यथोचित नियंत्रणों और संतुलन के साथ वैश्विक बाजारों [आइएफएससी के बाहर के एक्सचेंज] तक पहुंचने की अनुमति प्रदान की है।

³¹सीएमआइ विनियमावली में यथा निर्दिष्ट

ब्रोकर कारोबारियों को वैश्विक पहुँच प्रदान करनेवाली किसी विनियमित संस्था के साथ सीमा पार व्यवस्थाओं में प्रवेश करते हुए आइएफएससी के बाहर के एक्सचेंजों तक पहुंचने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अलावा, केवल अपने मालिकाना खाते के माध्यम से कारोबार करने वाले ब्रोकर कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य के रूप में स्वयं को पंजीकृत करने की अनुमति भी दी गयी है।

ब्रोकर कारोबारियों को विश्व स्तर पर पहुँच प्राप्त करने से पहले आइएफएससी में किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज / एक्सचेंजों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके अलावा, विश्व स्तर पर पहुँच रखनेवाले ब्रोकर कारोबारियों को सीएमआइ विनियमावली में निर्धारित शर्तों का एवं दिनांक 25 नवंबर 2021 के परिपत्र में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

निवेश बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत आइबीयू

निवेश बैंकर आइएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियां जारी करने, उनकी लिस्टिंग करने और आइएफएससी में प्राथमिक बाजारों के निर्गमों को जारी करने के उद्देश्य से पारिस्थितिकी तंत्र को समग्र रूप से विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह देखते हुए कि बैंक अथवा उनके सहयोगी विश्व स्तर पर पूंजी बाजार के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में निवेश बैंकिंग संबंधी गतिविधियां निष्पादित कर रहे हैं, और कारोबार करने की सुविधा को और भी बढ़ाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने दिनांक 03 दिसंबर 2021 के अपने परिपत्र के माध्यम से एक बैंकिंग यूनिट को, जिसे आइएफएससी प्राधिकरण ने लाईसेंस प्रदान किया है, आइएफएससी में निवेश बैंकिंग की गतिविधियां निष्पादित करने के लिए अनुमति प्रदान की है। निवेश बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकिंग यूनिट उक्त परिपत्र में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एक बैंकिंग यूनिट को आइएफएससी में निवेश बैंकर के रूप में काम करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

गैर बैंक अभिरक्षकों के लिए समाशोधन की सदस्यता

आइएफएससी में अभिरक्षक सेवाओं के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए, तथा साथ ही, वैश्विक कार्यक्षेत्र के अनुरूप लेवल प्लेइंग फील्ड को सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण ने दिनांक 15 सितंबर 2021 के अपने परिपत्र के माध्यम से उक्त परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन आइएफएससी में शाखा मोड के माध्यम से कार्यरत मान्यता प्राप्त गैर-बैंक अभिरक्षकों को आइएफएससी में समाशोधन सदस्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करने की अनुमति प्रदान की है।

एक्सचेंजों में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध उत्पाद

डेरिवेटिव्स

डेरिवेटिव्स दो या दो से अधिक पक्षों के बीच ऐसे अनुबंध होते हैं, जिनका मूल्य सहमति पर आधारित अंतर्निहित वित्तीय परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह पर आधारित होता है। ऐसे सामान्य अंतर्निहित लिखतों में बाँड, कमोडिटीज, मुद्राएं, ब्याज दरें, बाजार सूचकांक और स्टॉक शामिल होते हैं। डीक्वेटी, सूचकांक, कमोडिटी और मुद्रा आइएफएससी में मौजूद स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार के लिए उपलब्ध सामान्य प्रकार के डेरिवेटिव माने गये हैं।

स्टॉक एक्सचेंजों पर निगोशिएटेड लार्ज ट्रेड [एनएलटी] सुविधा लागू करना

आइएफएससी में एक जीवंत पूंजी बाजार पारिस्थितिकी तंत्र को सुगम बनाने के लिए तथा वैश्विक निवेशकों एवं विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए, प्राधिकरण ने दिनांक 22 जून, 2021 के परिपत्र के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर डेरिवेटिव के लिए एनएलटी सुविधा प्रारंभ की है। इस एनएलटी सुविधा के विनियामक फ्रेमवर्क को बाद में दिनांक 11 मार्च 2022 को संशोधित किया गया था ताकि आइएफएससी में मौजूद मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों के साथ जोड़ना सुगम हो सके।

डिपॉज़िटरी रसीदें [डीआर]

डीआर एक ऐसा परक्राम्य [निगोशिएबल] वित्तीय साधन है जो किसी अन्य कार्यक्षेत्र में जारी या सूचीबद्ध कंपनी की अंतर्निहित प्रतिभूतियों का प्रतिनिधित्व करता है। 31 मार्च, 2022 तक, एनएसई आईएफएससी पर ट्रेडिंग के लिए डॉट्टीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के डीआर की एक सेकेंडरी लिस्टिंग उपलब्ध है।

ग्लोबल स्टॉक्स पर गैर-प्रायोजित डिपॉज़िटरी रसीदें [एनएसई आइएफएससी रसीदें]

एनएसई आइएफएससी ने दिनांक 03 मार्च, 2022 को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनियामक सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत की पहली गैर-प्रायोजित डिपॉज़िटरी रसीदों की [एनएसई आइएफएससी रसीद] ट्रेडिंग शुरू की, जिससे भारतीय खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एलआरएस के अंतर्गत आसान और किफायती तरीके से वैश्विक स्टॉक में निवेश करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

महत्वपूर्ण विशेषताएं:

- एनएसई आइएफएससी और एनआइसीसीएल पर एनएसई आइएफएससी रसीदों की ट्रेडिंग समाशोधन और निपटान।
- प्रतिभूतियाँ आइएफएससी डिपॉज़िटरी के पास अमूर्त रूप से रखी जाएंगी।
- स्टॉक्स से रूपांतरित करते हुए सुपरिभाषित अनुपात के आधार पर गैर-प्रायोजित डिपॉज़िटरी रसीदों का निर्माण किया जाएगा।
- निवेशक कॉर्पोरेट कार्टवाई से होनेवाले लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।



चित्र 2 - भारत के पहले अप्रायोजित डिपॉज़िटरी रसीदों में ट्रेडिंग का शुभारंभ

ऋण प्रतिभूतियां

ऋण सार्वजनिक और निजी संगठनों के वित्तपोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में भले ही मुख्यतः ऐसे निर्गम निजी संस्थाएं जारी करती हों, लेकिन अगर कुल निर्गमों की बात की जाए तो बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा [बीएफएसआइ] क्षेत्र का इस पर अभी भी दबदबा बना हुआ दिखाई देता है। विदेशी निवेशक भारतीय कॉर्पोरेट ऋण बाजार को व्यापक और गहरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस संबंध में, आइएफएससी ऋण लिखतों के माध्यम से भारत में वैश्विक पूंजी को प्रवाहित करने में एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में तैयार हो चुका है।

आइएफएससी में स्थित स्टॉक एक्सचेंजों पर जिन ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग की गयी है उन्हें आइएफएससीए द्वारा अधिसूचित की गयी लिस्टिंग विनियमावली का तथा ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर बनाये गये फ्रेमवर्क का अनुपालन करना होता है।

आइएफएससीए [प्रतिभूतियों को जारी करना और उनकी लिस्टिंग करना] विनियमावली, 2021

आइएफएससी में पूंजी बाजारों का विकास करना इस प्राधिकरण का प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है और इस उद्देश्य से प्राधिकरण ने आइएफएससी में प्रतिभूतियों को जारी करने और उनकी लिस्टिंग करने के संबंध में एक मजबूत विनियामक ढांचा जारी किया है।

आइएफएससीए [प्रतिभूतियों को जारी करना और उनकी लिस्टिंग करना] विनियमावली, 2021 ["लिस्टिंग विनियमावली"] को दिनांक 19 जुलाई, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित किया गया था। इस विनियमावली को कारोबार करने में

आसानी और पूंजी बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है।

यह लिस्टिंग विनियमावलीयाँ आइएफएससी, भारत और विदेशी कार्यक्षेत्रों में शामिल कंपनियों द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ और ऋण प्रतिभूतियाँ जारी करने और उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए एकीकृत विनियामक फ्रेमवर्क प्रदान करती हैं³²।

बॉक्स 3 - विदेशी कंपनियों की लिस्टिंग को सुचारु बनाने के लिए अधिसूचना

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05 अगस्त, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 393 ए के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें विदेशी कंपनियों / भारत से बाहर निगमित कंपनियों को; जहां तक वे प्रतिभूतियों में अभिदान की पेशकश करने, विवरण पुस्तिका से संबंधित आवश्यकताएं और आइएफएससी से प्रासंगिक सभी मामलों से संबंधित हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 387 से 392 के प्रावधानों से छूट प्रदान की गयी है।

इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के संबंध में निम्नलिखित संस्थाएं भी आइएफएससी में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी ऋण प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध करने के लिए पात्र हैं:

- कोई भी अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय या सांविधिक संगठन / संस्था / एजेंसी, बशर्ते ऐसे संगठन / संस्थान / एजेंसी को उसके संविधान के अनुसार प्रतिभूतियाँ जारी करने की अनुमति प्रदान की गयी हो और उसका मुख्यालय भारत, आइएफएससी या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थित हो अथवा वह संस्था वहाँ पर पंजीकृत हो;
- कोई भी नगरपालिका या कोई भी सांविधिक निकाय या बोर्ड या निगम, प्राधिकरण, ट्रस्ट अथवा एजेंसी, जो किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य के अधिनियम के माध्यम से अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्पेशल परपज वेहिकल के माध्यम से जारीकर्ता द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने अथवा स्मार्ट सिटी बनाने के उद्देश्य से निधियाँ जुटाने के लिए अधिसूचित की गयी हो; और
- कोई भी संस्था जिसकी प्रतिभूतियों के लिए किसी संप्रभु संस्था [भारत या एक विदेशी क्षेत्राधिकार] द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से गारंटी दी जाती है

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आइएफएससी में मौजूद पूंजी बाजार विशेष रूप से फिनटेक, कॉर्पोरेट पुनर्गठन, आदि क्षेत्रों में नवोन्मेषी व्यापार मॉडल के वित्तपोषण का समर्थन करते हैं, इस फ्रेमवर्क में, स्टार्ट-अप कंपनियों, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों [एसएमई] और विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों [एसपीएससी] द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों के संबंध में तथा उनकी लिस्टिंग के संबंध में एक समर्पित अध्याय प्रदान किया गया है।

लिस्टिंग संबंधी विनियमावली में ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों के बारे में एक समर्पित अध्याय है। इससे निवेशकों और हरित बॉन्ड बॉन्ड, सामाजिक बॉन्ड, स्थायी बॉन्ड और स्थिरता से जुड़े बॉन्ड जारी करनेवालों के बीच की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। यह आइएफएससी को सतत वित्त का एक प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य को हासिल करने में भी मदद करेगा।

लिस्टिंग विनियमावली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव

पात्रता: कोई भी जारीकर्ता केवल तभी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव करने के लिए पात्र होगा यदि:

- जारीकर्ता की पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालनगत आय कम-से-कम 20 मिलियन अमरीकी डॉलर थी; अथवा
- जारीकर्ता का समेकित लेखा परीक्षित खातों के आधार पर औसत कर-पूर्व लाभ पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम-से-कम 1 मिलियन अमरीकी डॉलर होना चाहिए; अथवा
- प्राधिकरण द्वारा यथा निर्दिष्ट अन्य कोई भी पात्रता मानदंड

साथ ही, जारीकर्ता ने विवरण पुस्तिका प्रस्तुत करने की तारीख से कम-से-कम तीन वर्ष पूर्व अपना कारोबार प्रारंभ किया हो

प्रस्ताव की मात्रा: यह निर्गम 15 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम नहीं होनी चाहिए।

न्यूनतम अभिदान: इस निर्गम की सफलता के लिए, निर्गम में प्राप्त न्यूनतम अभिदान कम-से-कम निर्गम की मात्रा के पचहत्तर प्रतिशत होना चाहिए और अभिदान देनेवालों की संख्या भी कम-से-कम 200 होनी चाहिए।

³² लिस्टिंग विनियमावली में यथा परिभाषित

ख. स्टार्ट अप्स और छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यम

पात्रता

कोई भी स्टार्ट अप कंपनी, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करती है तो अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ अथवा उसके बिना किसी भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने के लिए पात्र होगी:

- क) कंपनी द्वारा दिये गये प्रस्ताव के दस्तावेज कंपनी के इनकॉर्पोरेशन / पंजीकरण की तारीख से दस वर्षों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये हों;
- ख) कंपनी का इनकॉर्पोरेशन / पंजीकरण होने के बाद उसका वार्षिक टर्न-ओवर किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान बीस मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं हुआ हो; और
- ग) उक्त कंपनी नवोन्मेष, सुधारित उत्पादों अथवा सेवाओं को विकसित करने में लगी हो, अथवा उसका कारोबारी मॉडल उल्लेखनीय [स्केलेबल] हो, जिसमें रोजगार निर्माण अथवा संपदा निर्माण की अपरंपार सभावनाएं हों

कोई भी छोटे और मध्यम आकार की कंपनी अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की किसी भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ अथवा उसके बिना लिस्टिंग करने के लिए पात्र होगी, बशर्ते उसके इनकॉर्पोरेशन / पंजीकरण के बाद से उसका वार्षिक टर्न-ओवर किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए पचास मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं हुआ हो।

सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ सूचीबद्ध करना

- प्रस्ताव की मात्रा: उक्त निर्गम दो मिलियन अथवा उससे अधिक अमरीकी डॉलर लेकिन पंद्रह मिलियन अमरीकी डॉलर से कम राशि का होगा।
- न्यूनतम अभिदान: इस निर्गम को सफल होने के लिए, उक्त निर्गम में प्राप्त होनेवाला न्यूनतम अभिदान उसके प्रस्ताव की मात्रा के 75 प्रतिशत होना चाहिए और अभिदानकर्ताओं की संख्या कम-से कम 50 होनी चाहिए।

ग. विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी (एसपीएस)

एसपीएस ऐसी कंपनी है जिसका कोई परिचालनवाला कारोबार नहीं होता और जिसे किसी कारोबारी संयोजन को प्रभावित करने के प्राथमिक उद्देश्य से गठित किया गया हो। ऐसी एसपीएस की संख्या कुछ कार्यक्षेत्रों में [विशेषतः अमरीका में] हाल ही के वर्षों में बहुत बढ़ गयी है और इसे बहुत सी कंपनियों के लिए निधियाँ जुटाने के पारंपारिक आइपीओ के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

प्राधिकरण ने विश्व भर में अपनायी जानेवाली सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर एसपीएस को सूचीबद्ध करने के लिए विनियामक फ्रेमवर्क को निर्दिष्ट किया है। प्राधिकरण का लिस्टिंग फ्रेमवर्क जहां नवोन्मेष की गुंजाइश प्रदान करता है, वहीं उसके पास निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक जांच और संतुलन भी मौजूद होता है। वैश्विक पूंजी तक पहुंच प्रदान करते हुए स्टार्ट-अप के पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधाजनक बनाना एसपीएस के फ्रेमवर्क का उद्देश्य है।

बॉक्स 4 - एसपीएस की लिस्टिंग के लिए विनियामक फ्रेमवर्क के विशेष प्रयोजन

पात्रता मानदंड

- आइएफएससी, भारत अथवा किसी विदेशी कार्यक्षेत्र में इनकॉर्पोरेट की गयी विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां [एसपीएस] अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को आइएफएससी में सूचीबद्ध किये जाने के लिए पात्र हैं।
- एक एसपीएस जारीकर्ता आइएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के आइपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए केवल तभी पात्र होगा, अगर:
 - (क) आइपीओ से पहले लक्षित कारोबार संयोजन की पहचान नहीं की गयी है; तथा
 - (ख) एसपीएस में लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप मोचन और परिसमापन के प्रावधान मौजूद हैं

- एसपीएसी जारीकर्ता के प्रायोजक का एसपीएसी के लेनदेन या कारोबारी संयोजन या निधि प्रबंधन या मर्चेन्ट बैंकिंग संबंधी गतिविधियों में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसका खुलासा प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज़ में किया जाएगा।

प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज़ में प्रारंभिक प्रकटीकरण

प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज़ में सभी भौतिक प्रकटीकरण शामिल होंगे जो वास्तविक, सही और पर्याप्त होंगे ताकि निवेशक समझ बूझ कर निर्णय लेने में सक्षम हो सके [लिस्टिंग विनियमावली के विनियम 74 में दिये गये ब्योरे]।

निर्गम की मात्रा

- इस निर्गम की मात्रा पचास मिलियन अमरीकी डॉलर से कम नहीं होनी चाहिए।
- प्रायोजक निर्गम जारी होने के बाद चुकता पूंजी की कम-से-कम पंद्रह प्रतिशत पूंजी अपने पास रखेंगे लेकिन वह बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। साथ ही, प्रायोजक आइपीओ जारी होने से पहले अथवा उसके साथ ही, एसपीएसी कंपनी में राशियों के रूप में सकल अभिदान [सभी प्रतिभूतियाँ] अपने पास रखेंगे जिनकी राशि उस निर्गम की मात्रा के 2.5 प्रतिशत अथवा दस मिलियन अमरीकी डॉलर, इनमें से जो भी कम हो, होगी।

हामीदारी [अंडरराइटिंग]

- इसके लिए हामीदारी दी जा सकती है और ऐसे मामले में, प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज़ में हामीदारी व्यवस्था के बारे में पर्याप्त प्रकटीकरण का खुलासा किया जाएगा।
- हामीदारी कमीशन का कम-से-कम पचास प्रतिशत कारोबार संयोजन के सफल समापन तक आस्थगित रखा जाएगा और उसे एस्करो खाते में जमा किया जाएगा।
- यदि कंपनी का परिसमापन किया जाता है तो ऐसे मामले में, हामीदार एस्करो खाते में जमा आस्थगित कमीशन पर अपने अधिकारों को त्याग देगा।

आवेदन और आबंटन

- आवेदन की न्यूनतम मात्रा : 100,000 अमरीकी डॉलर। इस प्रस्ताव को सफल होने के लिए, निर्गम की मात्रा का कम-से-कम पचहत्तर प्रतिशत सब्सक्राइब किया जाएगा और ग्राहकों की न्यूनतम संख्या कम से कम पचास होनी चाहिए।
- किसी एकल आवेदन को निर्गम के बाद पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक आवंटित नहीं किया जाएगा और निवेशकों को आवंटन यथानुपात आधार या विवेकाधीन आधार पर होगा, जैसा कि प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज़ में बताया गया है, किया जाएगा।

वारंट्स

वारंट को इक्विटी शेयरों के साथ अलग किया जा सकता है और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर उनका अलग से कारोबार किया जा सकता है बशर्ते प्रस्ताव दस्तावेज़ में विवरण का उचित रूप से खुलासा किया गया हो।

एस्करो खाता

- एसपीएसी का जारीकर्ता इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आइपीओ से प्राप्त हुई समग्र आय को ऐसे एस्करो खाते में रखा जाएगा जिसपर ब्याज दिया जाता है, और उक्त एसपीएसी का कारोबारी संयोजन जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक वह एक स्वतंत्र अभिरक्षक के नियंत्रण के अधीन रहेगा। एस्करो की निधियों का निवेश केवल प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज़ में बताये गये लिखतों में ही किया जाएगा और इसमें केवल अल्पावधि निवेश स्तर के तरल लिखत शामिल होंगे।
- एसपीएसी जारीकर्ता एस्करो खाते में रखी गयी राशि से प्राप्त ब्याज और अन्य आय को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निकाल सकता है:

क) कारों का भुगतान; और

- ख) प्रायोजकों से ईतर शेयरधारकों के विशेष संकल्प के जरिए दिये गये पूर्वनिर्णय के अधीन सामान्य कार्यशील पूंजी व्यय।

प्रस्तावित कारोबार संयोजन के बारे में विवरणिका:

- उक्त एसपीएसी, शेयरधारकों के अनुमोदन की मांग करते हुए, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज [एक्सचेंजों] के पास एक विवरणिका प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रस्तावित कारोबारी संयोजन के लिए सभी ब्योरे प्रस्तुत किये गये होंगे।

शेयरधारकों का अनुमोदन:

- उक्त एसपीएसी प्रायोजकों को छोड़कर अन्य अधिकांश शेयर धारकों के माध्यम से प्रस्तावित कारोबारी संयोजन के लिए पूर्वनिर्णय प्राप्त करेगा।

मोचन

- यदि किसी शेयर धारक ने [प्रायोजकों को छोड़ कर] प्रस्तावित कारोबारी संयोजन के विरुद्ध अपना मत दिया है, तो उसे एस्करो खाते में धारित सकल राशि में से यथानुपात आधार पर उन प्रतिभूतियों का मोचन करने का अधिकार होगा। [देय करों की निवल राशि]
- यदि किसी एसपीएसी के नियंत्रण में कोई बदलाव होता है, तो उक्त एसपीएसी का जारीकर्ता [प्रायोजकों को छोड़कर] उसके शेयरधारकों को उन शेयरों के मोचन का विकल्प देगा ताकि वे अपनी प्रतिभूतियों को एस्करो खाते में धारित सकल राशि के यथानुपात आधार पर रूपांतरित कर सकें। [देय करों की निवल राशि]

कारोबारी संयोजन

- प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज में बतायी गयी समय सीमा, जो स्टॉक एक्सचेंज [एक्सचेंजों] में सूचीबद्ध होने की तारीख से छत्तीस महीने से अधिक नहीं हो, के भीतर व्यापार संयोजन को पूरा करेगा।
- एसपीएसी जारीकर्ता इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कारोबार अधिग्रहण का कुल उचित बाजार मूल्य एस्करो खाते में जमा की गयी कुल राशि के कम-से-कम अस्सी प्रतिशत के बराबर होगा, जिसमें एस्करो खाते में धारित आस्थगित हामीदारी कमीशन और एस्करो खाते में अर्जित आय पर देय कोई भी कर शामिल नहीं होगा।
- एसपीएसी और प्रायोजक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यापार संयोजन के साथ उनका कोई संबंधित पार्टी लेनदेन या प्रायोजक या उनके किसी सहयोगी का कोई संबंध नहीं है।

परिसमापन

- यदि कारोबार संयोजन अनुमत समय सीमा के भीतर पूरा नहीं होता है, तो एस्करो खाते को इन विनियमों और प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज किये गये खुलासे के अनुसार परिसमापित कर दिया जाएगा।

कारोबार संयोजन के बाद

- इसके परिणामस्वरूप जो नया जारीकर्ता होगा उसे इस विनियमावली में निर्धारित लिस्टिंग पात्रता मानदंड को 180 दिनों के भीतर पूरा करना होगा, ताकि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग को जारी रखा जा सके। यह जारीकर्ता आइएफएससीए लिस्टिंग विनियमावली में निर्दिष्ट लिस्टिंग दायित्वों और निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करेगा।
- इसके परिणामस्वरूप जो जारीकर्ता होगा, उसमें मौजूद एसपीएसी के प्रायोजकों की शेयरधारिता उक्त कारोबार संयोजन बंद होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक हो जाएगी। परिणामी जारीकर्ता के प्रवर्तकों, प्रवर्तक समूहों, नियंत्रक शेयरधारकों, निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता व्यवसाय संयोजन के बंद होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक हो जाएगी।

घ. गौणलिस्टिंग

यदि प्रतिभूतियां पहले से ही भारत में [आइएफएससी के बाहर] या एक विदेशी क्षेत्राधिकार में सूचीबद्ध हैं, तो लिस्टिंग विनियमावली आइएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों पर कंपनी की निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की गौण लिस्टिंग के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती है।

ड. डिपॉजिटरी रसीदें

लिस्टिंग फ्रेमवर्क पात्र सूचीबद्ध कंपनियों को आइएफएससी में मौजूद स्टॉक एक्सचेंजों पर डिपॉजिटरी रसीदें [डीआर] जारी करते हुए और उनकी लिस्टिंग करते हुए पूंजी जुटाने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त फ्रेमवर्क ऐसी पात्र कंपनियों को, जिनकी डिपॉजिटरी रसीदें भारत में किसी भी एक्सचेंज पर [आइएफएससी के बाहर] या विदेशी क्षेत्राधिकार में सूचीबद्ध हैं, उनके लिए कोई नया सार्वजनिक निर्गम जारी किये बिना, उन्हें ऐसी डीआर को आइएफएससी में मौजूद स्टॉक एक्सचेंजों पर एक अतिरिक्त स्थान उपलब्ध करवाते हुए उनकी लिस्टिंग करवाता है एवं उनके व्यापार को सक्षम बनाता है।

च. ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग

विनियामक ढांचा आइएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर ऋण प्रतिभूतियों [मध्यम अवधि के नोटों के अंतर्गत जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित] को सूचीबद्ध करने की सुविधा प्रदान करता है।

छ. ईएसजी ऋण प्रतिभूतियाँ

प्राधिकरण चाहता है कि आइएफएससी को स्थायी वित्त के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाया जाए, जो स्थायी परियोजनाओं की जरूरतों को आधार प्रदान करता रहे। इस दृष्टि से, लिस्टिंग विनियमावली में ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों, जैसे हरित बॉन्ड, सामाजिक बॉन्ड, सतत बॉन्ड और सततता से जुड़े बॉन्ड को सूचीबद्ध किये जाने के बारे में एक समर्पित अध्याय मौजूद है।

ज. लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ

लिस्टिंग संबंधी विनियमावली में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध की गयी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों वाली कंपनियों द्वारा विभिन्न घटना आधारित प्रकटीकरणों, आवधिक प्रकटीकरणों और अन्य दायित्वों के बारे में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित से संबंधित ब्योरेवार अपेक्षाओं को निर्धारित किया गया है:

- सामग्री अथवा मूल्य संवेदनशील जानकारी
- निदेशक बोर्ड की बैठकों, वार्षिक आम सभा, और असाधारण आम सभा की बैठकों के बारे में प्रकटीकरण
- निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षक, और अनुपालन अधिकारी में किया गया बदलाव
- वित्तीय विवरणों के बारे में लेखा परीक्षकों द्वारा दिया गया कोई प्रतिकूल अभिमत, अभिमत की अस्वीकृति, योग्य अभिमत
- प्रवर्तकों और नियंत्रक शेयर धारकों द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का भार
- शेयर धारिता का तरीका
- लेखा परीक्षित अलग-अलग [स्टैंड अलोन] और समेकित वित्तीय विवरण
- वार्षिक रिपोर्ट
- क्रियाविधियों से विचलन अथवा उनमें किये गये बदलावों का विवरण
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस
- स्थिरता रिपोर्ट
- कॉर्पोरेट कार्रवाइयाँ
- वेबसाइट का रखरखाव

लिस्टिंग संबंधी विनियमावली में जारीकर्ताओं के बारे में प्रकटीकरण की आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट किया गया है जैसे [क] स्टॉक एक्सचेंजों पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की गौण सूची, [ख] स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध डिपॉजिटरी रसीदें और [ग] स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियाँ।

आईएफएससी प्राधिकरण [निधि प्रबंधन] विनियमावली, 2022

प्राधिकरण को भारत में आइएफएससी को विकसित और विनियमित करने की शक्तियां प्रदान किये जाने के बाद, इसने आइएफएससी प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत विभिन्न विनियमावलियों को अधिसूचित किया और उसके जरिए घरेलू विनियामकों द्वारा तैयार की गयी संबंधित विनियमावलियों को, जहां तक आइएफएससी में उनकी प्रयोज्यता है, निरस्त कर दिया। आइएफएससी में एआइएफ पहले सेबी [एआइएफ] विनियमावली, 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित हुआ करते थे। समय के साथ-साथ, सरकार, आइएफएससी प्राधिकरण और अन्य विनियामकों ने विभिन्न वैश्विक वित्तीय केंद्रों में प्रचलित कुछ प्रमुख प्रथाओं को बेंचमार्क करने के लिए एआइएफ शासन में कुछ बदलाव किये। आइएफएससी ने अलग से भू-संपदा निवेश न्यास [आरईआइटी], इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यास [आइएनवीआइटीएस] और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं [पीएमएस] के लिए विस्तृत फ्रेमवर्क जारी किया। इसके अलावा, गैर संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश निधियों के बारे में एक परिचालन ढांचा निर्दिष्ट किया जाना बाकी था। इस प्रकार, अन्य विकसित वित्तीय केंद्रों की तर्ज पर ही, निधि प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता थी।

इस पृष्ठभूमि में, प्राधिकरण ने आइएफएससी में स्थित निधि उद्योग के लिए क्या रोड मैप हो इसकी सिफारिश करने के लिए निवेश निधियों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। यह समिति श्री निलेश शाह की अध्यक्षता में गठित की गयी थी, जो कोटक महिन्द्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. के प्रबंध निदेशक तथा प्रधान मंत्री के आर्थिक परामर्शदाता परिषद के सदस्य हैं। इस समिति में प्रौद्योगिकी, वितरण, कानून और अनुपालन जैसे क्षेत्रों सहित फंड प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र के अग्रणी व्यक्ति भी शामिल थे।

उक्त समिति ने दिनांक 31 जनवरी 2022 को प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट की जांच करने के उपरांत, प्राधिकरण ने ड्राफ्ट आइएफएससी [निधि प्रबंधन] विनियमावली, 2022 को मार्च 2022 में आयोजित प्राधिकरण की बैठक में अपना अनुमोदन प्रदान किया।

इस विनियमावली की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

क. निधि प्रबंधक का पंजीकरण: फंड मैनेजर पर सीधे नजर रखने के लिए और वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप, निधि प्रबंधन संस्था [एफएमई] को आइएफएससी प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत और विनियमित किया जाएगा।

ख. बहुविध गतिविधियों के लिए एकल पंजीकरण : जो निधि प्रबंधन संस्था [एफएमई] फंड प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों की मेजबानी करने का इरादा रखती है, जैसे खुदरा योजनाओं [एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सहित], गैर-खुदरा योजनाओं [एआइएफ] का प्रबंधन करना, पीएमएस शुरू करना अथवा विभिन्न निवेश ट्रस्टों [आरईआइटी और इनविट] के प्रबंधक के रूप में काम करना, आइएफएससी के पास अपना एकीकृत पंजीकरण [पंजीकृत एफएमई - खुदरा] करवाते हुए ऐसा कर सकती हैं। केवल गैर-खुदरा निवेशकों के लिए निधियों अथवा गतिविधियों का प्रबंधन करने का इरादा रखने वाले निधि प्रबंधकों की पात्रता संबंधी आवश्यकताएं कम होंगी [पंजीकृत एफएमई - गैर-खुदरा]। इसके अलावा, ऐसे निधि प्रबंधक को [प्राधिकृत एफएमई], जो स्टार्ट-अप कंपनियों में अथवा उभरती या प्रारंभिक चरण की ऐसी कंपनियों की गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने का इरादा रखता है, जो आइएफएससी में मौजूद योजनाओं में मुख्य रूप से नये उत्पादों, नयी सेवाओं और प्रौद्योगिकी में उद्यम पूंजी [वीसी] के माध्यम से शामिल हैं उसको एक विशेष पंजीकरण प्रदान किया जाएगा जिसके लिए कुछ अल्प-सी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी।

एफएमई, खुदरा योजनाओं, गैर-खुदरा योजनाओं, वीसी योजनाओं, पीएमएस और निवेश न्यासों के संबंध में विस्तृत पात्रता एवं विनियामक अपेक्षाओं को उक्त विनियमावली में निर्दिष्ट किया गया है।

ग. हरित चैनल : केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों या ऐसे निवेशकों से पैसा मांगने वाली वीसी योजनाएं या गैर-खुदरा योजनाएं, जो एक निर्धारित सीमा से ऊपर निवेश करती हैं, ग्रीन चैनल के लिए पात्र होंगी, अर्थात् निवेशक आइएफएससी प्राधिकरण के पास पंजीकृत होने पर तत्काल अभिदान के लिए अपनी योजनाएं खोल सकते हैं। उस योजना का आकार क्या होगा, निवेशकों की संख्या कितनी होगी, अनुमत निवेश कितना होगा, इन सभी बातों को इस विनियमावली में निर्दिष्ट किया गया है।

घ. ईटीएफ: यह देखते हुए कि ईटीएफ विशिष्ट बाजारों अथवा परिसंपत्तियों की श्रेणियों के बारे में कम लागत पर ज्ञान प्राप्त करने का साधन उपलब्ध कराते हैं, पंजीकृत एफएमई - खुदरा सूचकांक आधारित ईटीएफ एवं कमोडिटी

आधारित ईटीएफ का शुभारंभ कर सकती है। ईटीएफ की संरचना के संबंध में अपेक्षाओं को भी निर्धारित किया जा चुका है। स्वर्ण और चांदी के ईटीएफ के निधि प्रबंधक, प्रत्यक्ष बुलियन में किये गये निवेशों के अतिरिक्त, आइएफएससी में मौजूद बुलियन एक्सचेंज पर जिनका व्यापार किया जाता है ऐसी बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों में भी सीधे ही निवेश कर सकेंगे।

- ड. पीएमएस :** निधि प्रबंधन उद्योग से संबंधित आइएफएससी में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए, पंजीकृत एफएमई को विनियमावली के मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर, ग्राहकों को पीएमएस का प्रस्ताव करने की अनुमति दी गयी है। कोई भी एफएमई पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राहक से कोई निधियां अथवा 150,000 अमरीकी डॉलर से कम की प्रतिभूतियों को स्वीकार नहीं करेगी। हालांकि, मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए, यह न्यूनतम निवेश सीमा लागू नहीं होगी। जैसा कि प्राधिकरण द्वारा सीएमआइ विनियमावली में कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएं जोड़ते हुए उन्हें पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, विनियमावली में निर्धारित आवश्यकताओं को मोटे तौर पर पीएमएस के लिए निर्धारित आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया गया है।
- च. निवेश न्यास :** परिसंपत्ति वर्ग और विनियामक ढांचे में समानता को ध्यान में रखते हुए, आरईआइटी और इनविट के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे को निवेश न्यास के रूप में समेकित किया गया है और निवेश निधि व्यवस्था में शामिल किया गया है। निवेश न्यासों के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव और इनविट के निजी नियोजन [प्लेसमेंट] के अलावा, यह विनियमावली आरईआइटी के निजी नियोजन को भी संभव बनाते हैं।
- छ. तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ :** बैंकों द्वारा सामना किए जा रहे एनपीए के मुद्दे और इस संबंध में आइएफएससी की भूमिका को संबोधित करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, आइएफएससी में एफएमई द्वारा विशेष स्थिति निधि के लिए सक्षम प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं।
- ज. ईएसजी :** निवेशकों की बढ़ती संख्या यह उम्मीद लगाये बैठी है कि निधि प्रबंधक ईएसजी के कारकों को अपनी निवेश रणनीतियों में शामिल कर लेंगे। आइएफएससी को सतत वित्त से संबंधित गतिविधियों के एक केंद्र के रूप में विकसित करने के इरादे से, संस्था और योजना स्तर पर स्थिरता से संबंधित प्रकटीकरणों को अनिवार्य बनाया गया है।
- झ. फॅमिली ऑफिस :** विश्व स्तर पर, एचएनआइ और अल्ट्रा एचएनआइ और उनके परिवारों की संपत्ति के प्रबंधन और परिरक्षण के लिए एक औपचारिक संरचना की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसने फॅमिली ऑफिस के लिए एक विनियामक ढांचे की अवधारणा का मार्ग प्रशस्त किया है। तदनुसार, एक परिवार कार्यालय के स्व-प्रबंधित निवेश कोष की सुविधा के लिए एक रूपरेखा निर्दिष्ट की गयी है।
- ञ. नवोन्मेष :** विभिन्न नवोन्मेषों का विनियमित तरीके से समर्थन करने के लिए, इन विनियमावलियों में निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं:
 - क. फंड लैब :** होनहार निधि प्रबंधकों के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के जीवंत वातावरण में नये उत्पादों, रणनीतियों, प्रक्रियाओं, सेवाओं, कारोबारी मॉडलों, नयी प्रौद्योगिकियों को आजमाने के लिए 18 महीनों की अवधि के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है।
 - ख. सह-निवेश संरचना के रूप में एसपीवी :** अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्रों की तरह ही, निधि प्रबंधकों को मुख्य योजना के अंतर्गत कुछ शर्तों के अधीन निधि / योजना के साथ सह-निवेश या लीवरेज को सक्षम करने के लिए एसपीवी बनाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
 - ग. निजी बाजारों में खुदरा सहभागिता :** निजी बाजारों में निवेश करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तदनुसार, कुछ खुदरा क्लोज एंडेड योजनाओं को कुछ शर्तों के अधीन गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- ट. लिस्टिंग :** उक्त विनियमावली में, अन्य बातों के अलावा, योजनाओं को सूचीबद्ध करना, [जो केवल क्लोज एंडेड


खुदरा योजनाओं के मामले में अनिवार्य है। ईटीएफ की अनिवार्य रूप से लिस्टिंग, ईटीएफ या निवेश न्यास की गौण सूची को सक्षम करना, आदि के संबंध में निर्धारित की गयी आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। निलंबन, अनिवार्य और स्वैच्छिक लिस्टिंग के ब्योरे भी निर्दिष्ट किये गये हैं।

- ठ. अन्य आवश्यकताएं:** एफएमई, उसके सहायक, केएमपी [जिसमें प्रधान अधिकारी, निधि प्रबंधक और नामित अनुपालन अधिकारी शामिल हैं] के लिए एक विस्तृत आचार संहिता निर्धारित की गयी है। इस विनियमावली में कारोबार निरंतरता योजना, साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन, जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण में परिवर्तन आदि के बारे में आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट किया गया है। योजना की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, निवेशकों के प्रति अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के प्रकटीकरण आदि के संबंध में आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट किया गया है। निरीक्षण और लेखा परीक्षा के लिए क्रियाविधि, संस्थाओं का दायित्व, यदि कोई चूक होती है तो कार्रवाई करने की जिम्मेदारी, आदि को विज्ञापनों के लिए एक आचार संहिता के साथ ही निर्दिष्ट किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एफएमई द्वारा जारी किये जा रहे विज्ञापन सटीक, सत्य, निष्पक्ष, स्पष्ट, पूर्ण, एवं निःसंदिग्ध तथा संक्षिप्त हैं। मौजूदा निवेशकों के सहित सभी निवेशकों, तथा निवेश करने के इच्छुक लोगों के साथ उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्यांकन के व्यापक सिद्धांतों को भी निर्दिष्ट किया गया है।

लेन देन / क्रियाविधियाँ / परिचालन / प्रवृत्तियाँ

स्टॉक एक्सचेंजों पर टर्न-ओवर

आइएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर अनुमानित कारोबार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 1,980 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़कर 2,867 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में अनुमानित कारोबार में लगभग 45% की वृद्धि हुई।



आकृति 5 - एक्सचेंजों पर अनुमानित टर्न ओवर (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

आइएफएससी के एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध डेरीवेटिव्स

सूचकांक डेरीवेटिव्स

इंडिया आईएनएक्स पर सबसे लोकप्रिय इंडेक्स डेरीवेटिव्स हैं - एस एण्ड पी बीएसई सेंसेक्स और एस एण्ड पी बीएसई सेंसेक्स 50। एनएसई आइएफएससी 4 सूचकांकों पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अनुबंधों पर ट्रेडिंग की पेशकश करता है, जो इस प्रकार हैं: निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी आईटी और फिननिफ्टी इंडेक्स।

इंडेक्स फ्यूचर्स: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुमानित टर्नओवर के लिहाज से इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेडिंग 20% बढ़ी।

सारणी 6 - इंडेक्स फ्यूचर्स की प्रवृत्तियाँ

| वित्तीय वर्ष | अनुबंधों की संख्या | | अनुमानित टर्न ओवर (मिलियन अमरीकी डॉलर) | |
|--------------|--------------------|----------------|--|----------------|
| | इंडिया आइएनएक्स | एनएसई आइएफएससी | इंडिया आइएनएक्स | एनएसई आइएफएससी |
| 2020-21 | 7,248,004 | 3,320,859 | 93,199 | 56,678 |
| 2021-22 | 5,515,681 | 2,488,692 | 96,461 | 83,707 |

(स्रोत : इंडिया आइएनएक्स और एनएसई आइएफएससी)

इंडेक्स ऑप्शंस : वित्तीय वर्ष 2021-22 में नोशनल टर्नओवर के लिहाज से इंडेक्स ऑप्शंस में की गयी ट्रेडिंग में 51% की बढ़ोतरी हुई। इसी अवधि के दौरान, कारोबार किये गये अनुबंधों की संख्या में भी 18% की वृद्धि हुई।

सारणी 7 - इंडेक्स ऑप्शंस की प्रवृत्तियाँ

| वित्तीय वर्ष | अनुबंधों की संख्या | | अनुमानित टर्न ओवर (मिलियन अमरीकी डॉलर) | |
|--------------|--------------------|----------------|--|----------------|
| | इंडिया आइएनएक्स | एनएसई आइएफएससी | इंडिया आइएनएक्स | एनएसई आइएफएससी |
| 2020-21 | 117,264,788 | 9,454,922 | 1,648,052 | 114,961 |
| 2021-22 | 145,295,033 | 4,793,400 | 2,498,722 | 156,381 |

(स्रोत : इंडिया आइएनएक्स और एनएसई आइएफएससी)

कमोडिटी डेरीवेटिव्स

जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए विभिन्न कमोडिटी डेरीवेटिव्स उपलब्ध हैं।

सारणी 8 - आइएफएससी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध कमोडिटी डेरीवेटिव

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| मूल्यवान धातु | सोना, चांदी |
| मूल धातु | तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा, निकल, जिंक |
| ऊर्जा | ब्रेंट क्रूड ऑयल |

सभी कमोडिटीज में एक्सचेंजों पर सोने के डेरीवेटिव्स की सबसे जादा ट्रेडिंग की जाती है।

जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है, कमोडिटी डेरीवेटिव्स में वित्तीय वर्ष 2021-22 में गिरावट आयी है।

सारणी 9 - कमोडिटी डेरीवेटिव्स की प्रवृत्तियाँ

| टर्न ओवर (मिलियन अमरीकी डॉलर) | वित्तीय वर्ष 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2021-22 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| इंडिया आइएनएक्स | 41,776 | 26,195 |
| एनएसई आइएफएससी | 8,930 | 1,005 |

मुद्रा डेरीवेटिव्स

जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर विभिन्न मुद्रा डेरीवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

| | |
|----------------------------|--|
| वैश्विक मुद्रा डेरीवेटिव्स | यूरो - अमरीकी डॉलर, जीबीपी- अमरीकी डॉलर, जापानी येन-अमरीकी डॉलर, सीएचएफ- अमरीकी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर- अमरीकी डॉलर, |
| रुपया डेरीवेटिव्स | भारतीय रुपया- अमरीकी डॉलर, अमरीकी डॉलर- भारतीय रुपया |

जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है, मुद्रा डेरीवेटिव्स में वित्तीय वर्ष 2021-22 में गिरावट आयी है।

सारणी 10 - मुद्रा डेरीवेटिव्स की प्रवृत्तियाँ

| वित्तीय वर्ष | अनुबंधों की संख्या | | अनुमानित टर्न ओवर (मिलियन अमरीकी डॉलर) | |
|--------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|
| | इंडिया आइएनएक्स | एनएसई आइएफएससी | इंडिया आइएनएक्स | एनएसई आइएफएससी |
| 2020-21 | 1,192,347 | 215,248 | 12,113 | 4,450 |
| 2021-22 | 215,886 | 67,114 | 2,899 | 1,722 |

ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आइएफएससी एक्सचेंजों पर ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आइएफएससी में कुल ऋण सूची लगभग 18 बिलियन अमरीकी डॉलर की रही जिसमें लगभग 6 बिलियन अमरीकी डॉलर की प्राथमिक लिस्टिंग शामिल है।

सारणी 11 - आइएफएससी एक्सचेंजों पर ऋणों की लिस्टिंग

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2021-22 |
|--|--------------------------|
| मध्यम अवधि के नोट स्थापित | 12,500 (मि. अमरीकी डॉलर) |
| ऋण प्रतिभूतियाँ (डॉ डाउन और स्टैंड अलोन) | 18,186 (मि. अमरीकी डॉलर) |
| जारीकर्ताओं की संख्या | 17 |
| निर्गमों की संख्या | 31 |

आइएफएससी एक्सचेंजों में विशेष रूप से सूचीबद्ध ऋण निर्गमों से 4% की कटौती कर का लाभ होता है, [अन्यथा 5% के मुकाबले] जो भारतीय संस्थाओं के लिए कम लागत पर पूंजी जुटाने के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, आइएफएससी में विशेष लिस्टिंग की संख्या में वृद्धि हुई है। आइएफएससी एक्सचेंजों में विभिन्न लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियां, जैसे सामाजिक, सतत और सततता से जुड़े बांड शुरू हो गये हैं। इसी तरह, ताइवान में अमरीकी डॉलर में जारी किये गये फॉर्मोसा बांडों को पहली बार आइएफएससी में सूचीबद्ध किया गया है



चित्र 3 - भारतीय स्टेट बैंक के 300 मिलियन अमरीकी डॉलर के फॉर्मोसा बांडों की इंडिया आइएनएक्स पर लिस्टिंग


सारणी 12 - वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण निर्गमों की सूची

| जारीकर्ता का नाम | सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियाँ (मिलियन अमरीकी डॉलर) |
|--|---|
| अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि. | 300 |
| अडानी ग्रीन एनर्जी लि. | 750 |
| अडानी पोर्ट अंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लि. | 750 |
| एक्सिस बैंक लि. | 600 |
| एचडीएफसी बैंक लि. | 1,100 |
| भारतीय रेल वित्त निगम लि. | 500 |
| इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि. | 1,697 |
| जे एस डब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लि. | 400 |
| पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. | 352 |
| आर ई सी लि. | 400 |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. | 7,050 |
| रीन्यू पॉवर प्राईवेट लि. | 400 |
| रीन्यू विंड एनर्जी दिल्ली प्राईवेट लि. (9 अन्य समूह कंपनियों के साथ) | 585 |
| श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लि. | 2,579 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 300 |
| आइआइएफएल फाइनेंस लि. | 376 |
| आवास फाइनेंसियर्स लि. | 47 |
| कुल | 18,186 |

सारणी 13 - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आइएफएससी एक्सचेंजों में विशिष्ट लिस्टिंग


| जारीकर्ता का नाम | लेबल | राशि मिलियन अमरीकी डॉलर |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| रीन्यू पॉवर | ग्रीन | 585 |
| एचडीएफसी बैंक | | 1000 |
| एचडीएफसी बैंक | | 100 |
| रीन्यू पॉवर | ग्रीन | 400 |
| आइआरएफसी | सततता से जुड़े | 500 |
| जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर | सामाजिक | 300 |
| आवास फाइनेन्सियर्स | | 47 |

नीचे दिये गये आँकड़े वित्तीय वर्ष 2021-22 में आइएफएससी एक्सचेंजों में ऋण लिस्टिंग में हुई वृद्धि को दर्शाते हैं। उक्त वित्तीय वर्ष में कुल निर्गम लगभग 18 बिलियन अमरीकी डालर रहा जिसमें प्राथमिक, गौण और विशिष्ट लिस्टिंग शामिल हैं।



आकृति 6 - आइएफएससी एक्सचेंजों में ऋण की वर्ष-वार लिस्टिंग

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में ऋण प्रतिभूतियों की संचयी सूची में लगभग 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।



आकृति 7 - पिछले वर्ष के दौरान संचयी ऋण प्रतिभूतियों की सूची

वैकल्पिक निवेश निधि

आइएफएससीए के साथ पंजीकृत निधियों की संख्या में भी वर्ष 2021-22 के दौरान तेजी आयी थी। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार गिफ्ट आइएफएससी में कुल 24 एआइएफ मौजूद हैं, जिनका संचयी एयूएम 5,153 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा है।

इन 24 एआइएफ में से 10 श्रेणी 1 और श्रेणी 2 एआइएफ से संबंधित हैं, जिनके पास कुल 4,081 मिलियन अमरीकी डॉलर की प्रतिबद्ध निधियां हैं, जबकि 14 एआइएफ श्रेणी 3 के अंतर्गत आती हैं जिनकी प्रतिबद्ध निधि कुल 1,072 मिलियन अमरीकी डॉलर की है।

सारणी 14 - गिफ्ट आइएफएससी में एआइएफ

| एआइएफ श्रेणी | कॉर्पस (मिलियन अमरीकी डॉलर में) |
|----------------------|---------------------------------|
| श्रेणी 1 और श्रेणी 2 | 4,081 |
| श्रेणी 3 | 1,072 |
| कुल | 5,153 |

वकालत और आउटरीच

आइओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह [डब्ल्यूआइडब्ल्यू], 2021

डब्ल्यूआइडब्ल्यू 2021 निवेशक शिक्षा और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रतिभूति विनियामकों द्वारा की गयी विभिन्न पहलों को उजागर करने के लिए आइओएससीओ द्वारा प्रचारित एक सप्ताह तक चलने वाला वैश्विक अभियान है। इस डब्ल्यूआइडब्ल्यू के दौरान आइओएससीओ प्रतिभूति विनियामक और आइओएससीओ के अन्य सदस्य कई तरह की गतिविधियों का आयोजन करते हैं, जैसे कि निवेशक-केंद्रित संचार और सेवाओं का शुभारंभ करना, निवेशक शिक्षा पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करना, और अपने ही कार्यक्षेत्रों में स्थानीय / राष्ट्रीय अभियान आयोजित करना आदि। आइओएससीओ डब्ल्यूआइडब्ल्यू अभियान के वर्ष 2021 के दौरान प्रमुख संदेश निम्नलिखित विषयों पर थे:

- सतत वित्त, और
- धोखाधड़ी और घोटालों की रोकथाम

(i) कार्यक्रम के शुभारंभ की बेल रिंगिंग सेरेमनी

इंडिया आइएनएक्स ने दिनांक 22 नवंबर 2021 को आइओएससीओ डब्ल्यूआइडब्ल्यू 2021 के उत्सव के शुभारंभ के लिए बेल

रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन किया। इस अवसर पर प्राधिकरण द्वारा आइएफएससी में हरित और सतत वित्त को बढ़ावा देने के लिए उठाये गये कदमों पर प्रकाश डाला गया।

(ii) एनएसई आइएफएससी द्वारा आयोजित पैनल चर्चा

“सीओपी 26 के बाद प्रभावित निवेश परिदृश्य” विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गयी थी। उक्त पैनल में वित्तीय सेवा उद्योग और आइएफएससी प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल थे। इस चर्चा के दौरान सीओपी 26 के महत्व को दोहराया गया और मूल्य निष्कर्षण के मुकाबले मूल्य सृजन की आवश्यकता पर बल दिया गया। चर्चा के दौरान हरित बॉन्डों की वृद्धि, ईएसजी निधियाँ, ईएसजी सतत संबंधी रिपोर्टिंग, ईएसजी बॉन्डों की लिस्टिंग के संबंध में विनियामक फ्रेमवर्क, सतत वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की भूमिका आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया।

(iii) आइबीयू के साथ सतत वित्त पर गोलमेज सम्मेलन

डब्ल्यूआइडब्ल्यू 2021 के एक भाग के रूप में, सतत वित्त पर आइबीयू के साथ एक वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें हरित / सतत बैंकिंग उत्पादों के संबंध में सामान्य विनियामक फ्रेमवर्क की आवश्यकता सहित अनेक विषयों पर चर्चा की गयी।

(iv) सतत वित्त पर सोशल मीडिया अभियान

आइओएससीओ डब्ल्यूआइडब्ल्यू 2021, के एक भाग के रूप में, प्राधिकरण ने सतत वित्त, हरित बॉन्ड, ईएसजी बॉन्डों के लिए लिस्टिंग फ्रेमवर्क, ग्रीनवॉशिंग, स्वतंत्र बाहरी समीक्षा, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण आदि में स्मार्ट तरीके से निवेश करने के बारे में जागरूकता फैलायी।

(v) एनएसई आइएफएससी द्वारा आयोजित समापन समारोह की बेल सेरेमनी

एनएसई आइएफएससी ने समापन समारोह की बेल सेरेमनी की मेजबानी की। इससे पहले प्रोफेसर अमित गर्ग, आइआइएम, अहमदाबाद द्वारा “सस्टेनेबिलिटी एंड फाइनेंस: इमर्जिंग डायनेमिक्स” विषय पर एक विशेषज्ञ सत्र का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, एनएसई आइएफएससी ने वृक्षारोपण अभियान का भी आयोजन किया।

अंतर्राष्ट्रीय एंगेजमेंट्स

आइओएससीओ

प्राधिकरण आइओएससीओ का एक सहयोगी सदस्य है। साथ ही, यह आइओएससीओ की ग्रोथ एंड इमर्जिंग मार्केट कमेटी [जीईएम] और एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समिति [एपीआरसी] का भी सदस्य है। वर्ष 2021-22 के दौरान, इसने वर्चुअल रूप में आयोजित जीईएम और एपीआरसी की बैठकों में भाग लिया।

प्राधिकरण ने आइओएससीओ एसपीएसी नेटवर्क में भी भाग लिया, जिसका गठन आइओएससीओ द्वारा विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया गया था।

यूरोपियन सेक्युरिटीज एंड मार्केट्स एथॉरिटी [ईएसएमए]

आइएफएससी में स्थित समाशोधन निगम अर्थात्, एनआइसीसीएल और आइसीसी को ईएसएमए द्वारा यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन [ईएमआइआर] के अंतर्गत तीसरे देश के सीसीपी के रूप में मान्यता प्राप्त है। आइएफएससीए और ईएसएमए ने भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन, समाशोधन निगमों से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए दोनों प्राधिकरणों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की है।

फाइनेंशियल सेंटर्स फॉर सस्टेनेबिलिटी (एफसी4एस)

प्राधिकरण सितंबर 2021 में एफसी4एस नेटवर्क का सदस्य बन गया है। यह एफसी4एस नेटवर्क दुनिया के वित्तीय केंद्रों का एक बढ़ता हुआ समूह है, जो पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। वित्तीय केंद्रों को, हरित और सतत वित्त, अनुभवों का आदान प्रदान, अभिसरण कार्रवाई संबंधी स्थिति का मूल्यांकन करने में सक्षम

बनाकर और साझा प्राथमिकताओं पर कार्य करते हुए स्थायी वित्त के विस्तार में तेजी लाना इस नेटवर्क का उद्देश्य है। वैश्विक स्तर पर और आइएफएससी के कार्यक्षेत्र में हरित और सतत वित्त पर रणनीतिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एफसी4एस के साथ सहयोग करना प्राधिकरण का लक्ष्य है।

भारत-यूनाइटेड किंगडम सतत वित्त मंच

प्राधिकरण भारत-यूनाइटेड किंगडम सतत वित्त मंच का एक मुख्य सदस्य है। सतत वित्त के संबंध में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच गहरे सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गयी थी। अंतरराष्ट्रीय पूंजी के प्रवाहों को जुटाने के लिए संभावित पहलें करना, नीतियों और विनियमावलिओं के बारे में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना, और द्विपक्षीय साझेदारी को स्थायी रूप से बढ़ावा देना इस मंच के उद्देश्यों में शामिल है।

आगामी वर्ष के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम

• निधि प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित दिशा-निर्देश

सरकार के राजपत्र में आइएफएससीए [निधि प्रबंधन] विनियमावली, 2022 के प्रकाशन के बाद, आइएफएससी में निधि प्रबंधन की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों, जैसे एंजेल फंड के लिए फ्रेमवर्क, मान्यता प्राप्त निवेशक, ईएसजी योजनाओं द्वारा प्रकटीकरण, फैमिली कार्यालय, वित्तीय उत्पादों का वितरण, एफएमई द्वारा आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जाने का प्रस्ताव है।

• सतत वित्त

आइएफएससीए अगले वित्तीय वर्ष में सतत वित्त के क्षेत्र में कई सारी पहलें करने की योजना बना रहा है:

- सतत वित्त पर गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन।
- आइबीयू द्वारा सतत ऋण और सततता से जुड़े ऋण प्रदान करना।
- भारतीय कॉर्पोरेटों द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों [सीपीएसई] सहित ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग करने के लिए आइएफएससी को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में सुस्थापित करना।
- हरित बॉन्ड, कार्बन क्रेडिट, हरित आरईआइटी, हरित इक्विटी आदि जैसे विभिन्न हरित उत्पादों को जारी करने और उनकी ट्रेडिंग करने के लिए डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी पर आधारित एक समर्पित प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए फ्रेमवर्क बनाना।
- ट्रांज़िशन बॉन्डों के लिए फ्रेमवर्क।

• एनएसई आइएफएससी – एसजीएस कनेक्ट

यह उम्मीद की जा रही है कि एनएसई आइएफएससी-एसजीएस कनेक्ट वित्त वर्ष 2022-23 में पूरी तरह से चालू हो जाएगा जो अंतरराष्ट्रीय और आइएफएससी के सहभागियों को आइएफएससी में निफ्टी उत्पादों के लिए एक बड़ा तरलता पूल बनाने के लिए एक साथ लाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज

भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और दुनिया की सोने की मांग का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा भारत का ही होता है। सोने की मांग प्रमुख रूप से आभूषण [73.1%], बुलियन [15.9%], सिक्के [6.9%], ईटीएफ [2.7%], औद्योगिक [1.4%] उपयोग के रूप में पैदा होती है³³। भारत में सोने की आपूर्ति मुख्य रूप से आयात के माध्यम से की जाती है, जब कि स्थानीय खनन से केवल 1 प्रतिशत से भी कम और रीसाइक्लिंग से लगभग 10 प्रतिशत सोना आता है³⁴। भारत में आयात किये जाने वाले सोने में प्रमुखतः परिष्कृत रूप में और डोरे रूप में आयात किया गया सोना शामिल है। लगभग 1000 टन की वार्षिक आयात मांग के साथ सोने की मांग हमेशा अधिक रही है।

सोना महिलाओं को सुरक्षा और बचाव प्रदान करता है, और वह कठिन परिस्थितियों में पूरे परिवार के लिए तरलता भी प्रदान करता है। सोना, न केवल संकट में आम आदमी के लिए, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के लिए भी जब कोई संकट होता पैदा है, जैसा कि 1991 में हुआ था, तो संपार्श्विक का एक रूप बन जाता है।

प्रतिबंधवाले वातावरण के शुरुआती वर्षों में, विशेष रूप से स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1962 के बाद, अपेक्षाकृत प्रतिबंधात्मक नीति के साथ मजबूत घरेलू मांग के चलते, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तुलना में घरेलू सोने की कीमतें बढ़ गयीं। सोने की मांग और आपूर्ति में महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और विदेश व्यापार नीति के निहितार्थ हैं। आयात के माध्यम से सोने के लिए भारी मांग का सीएडी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह बाहरी क्षेत्र की स्थिरता को तो और भी अधिक प्रभावित करता है। इन सब बातों को देखते हुए, घरेलू सोने के वास्तविक रूप में उपलब्ध भंडार को जुटाकर उस सोने का वित्तीयकरण करना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है।

सरकार ने देश में निष्क्रिय पड़े सोने का मौद्रिकरण करने की दृष्टि से, वर्ष 2015 के केंद्रीय बजट में स्वर्ण मौद्रिकरण योजना [जीएमएस] चालू की, जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा संचित सोने का उपयोग स्वर्ण धातु ऋण [जीएमएल] के माध्यम से उधारकर्ता की इन्वेंट्री की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम ब्याज दर वाले वित्तीय उत्पाद के रूप में उत्पादक और लाभकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष सोने की मांग को कम करने और निवेश के उद्देश्य से हर साल आयात किये जाने वाले सोने के एक हिस्से को वित्तीय बचत में स्थानांतरित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ, सरकार ने नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना [एसजीबीएस] शुरू की थी।

सरकार, विशेष रूप से सोने के आयात पर कराधान को सुव्यवस्थित करते हुए सोने के व्यापार में अधिक पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है। तथापि, ऐसी विभिन्न पहलों के बावजूद, भारत में सोने के बाजार में अस्पष्टता बनी हुई है और उसका स्वरूप भी उसकी समग्र मूल्य श्रृंखला में तथा अक्षम बाज़ार तंत्र एवं प्रक्रियाओं में असंगठित / खंडित बना हुआ है। इसमें वैश्विक प्रथाओं के अनुसार, जिनमें आपूर्ति श्रृंखला की प्रामाणिकता और सोने की निम्मेदार तरीके से सोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाता है, बुलियन सुपुर्दगी की गुणवत्ता और मानकों जैसे पहलुओं में कमियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा, कीमतों की पारदर्शिता एवं निवेश के लिए बुलियन को एक विकल्प के रूप में चुनने के लिए एक सुसंगठित मार्ग का अभाव जैसी कमियाँ भी देखी जा सकती हैं।

केंद्रीय बजट 2018-19 ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में स्वर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका को पहचान लिया, जिसमें यह घोषणा की गयी थी कि सरकार सोने को एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक स्वर्ण नीति तैयार करेगी और देश में सोने के आदान-प्रदान के लिए उपभोक्ता अनुकूल और व्यापार कुशल प्रणाली भी स्थापित करेगी। केंद्रीय बजट 2020-21 में, भारत की माननीय वित्त मंत्री ने आइएफएससी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित करने की भी घोषणा की है।

एक एक्सचेंज मॉडल में, सभी पात्र बाजार सहभागियों को केंद्रीकृत समाशोधन / निपटान की उपलब्धता के कारण पारदर्शी मूल्य की खोज का लाभ मिलता है तथा साथ ही, यदि उसमें कोई चूक या कमी हो तो, उसे पूरा करने के लिए निपटान गारंटी फंड [एसजीएफ] उपलब्ध होने के कारण जोखिम को भी घटाना संभव हो जाता है। साथ ही, इस मॉडल में आपूर्ति तथा मांग, दोनों ही तरफ से छोटे खिलाड़ियों के साथ भी, जिसमें मौजूदा मॉडल के मुकाबले, जहां केवल मध्यस्थ ही [नामित बैंक और नामित एजेंसियाँ] प्रमुख भूमिका निभाते हैं; उच्चतर भागीदारी की संभावना बनी रहती है,।

³³भारत के स्वर्ण बाजार का परिवर्तन – फरवरी 2018 नीति आयोग

³⁴विश्व स्वर्ण परिषद और धातु फोकस

विनियमावल्यां, परिपत्र, दिशानिर्देशों आदि से संबंधित गतिविधियां

आइआइबीएक्स के संचालन को सक्षम करने के लिए, सरकार ने दिनांक 31 अगस्त 2020 को वित्तीय सेवाओं के रूप में बुलियन हाजिर व्यापार और बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों [बीडीआर] को वित्तीय उत्पादों के रूप में और बुलियन से संबंधित सेवाओं को वित्तीय सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया। दिनांक 11 दिसंबर 2020 को आइएफएससीए [बुलियन एक्सचेंज] विनियमावली, 2020 को अधिसूचित किया गया। इस विनियमावली में, अन्य बातों के साथ-साथ, बुलियन एक्सचेंज, समाशोधन निगम, डिपॉजिटरी और वॉल्ट प्रबंधक को शामिल किया गया है।

आइएफएससीए [बुलियन एक्सचेंज] [संशोधन] विनियमावली, 2021 को दिनांक 06 जुलाई 2021 को अधिसूचित किया गया था। इस संशोधन में यह बात स्पष्ट की गयी है कि यदि एक ही विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [बाज़ार इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाएं] विनियमावली, 2021 के प्रावधान इस विनियमावली के प्रावधानों के विरोधी स्वरूप में पाये जाते हैं अथवा उनमें कोई विसंगति पायी जाती है, तो ऐसे मामले में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [बाज़ार इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाएं] विनियमावली, 2021 के प्रावधान लागू होंगे।

अधिसूचनाएं / परिपत्र / दिशानिर्देश

- बुलियन हाजिर सुपुर्दगी अनुबंध और अंतर्निहित बुलियन के साथ बीडीआर को एससीआरए के प्रयोजन के लिए दिनांक 24 दिसंबर 2021 की अधिसूचना के अंतर्गत प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- डीजीएफटी की दिनांक 05 जनवरी 2022 की अधिसूचना संख्या 49/2015-20 के द्वारा अर्हताप्राप्त जौहरियों [क्यूजे] को सोने के आयात की अनुमति दी गई है।
- वस्तुओं और सेवाओं के आयात के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 जनवरी 2022 के मास्टर निदेशों ने क्यूजे को आइआइबीएक्स के माध्यम से सोना आयात करने के लिए सक्षम बनाया है।
- वाणिज्य विभाग के दिनांक 01 फरवरी 2022 के निर्देश ने आइएफएससीए द्वारा प्राधिकृत यूनिटों को उक्त प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित कीमती धातुओं का व्यापार करने के संबंध में अपने प्राधिकृत परिचालनों के लिए आइआइबीएक्स में परिचालन करने की अनुमति दी गयी है।

आइएफएससीए द्वारा जारी परिपत्र / दिशानिर्देश

I. बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन निगम, बुलियन डिपॉजिटरी, बुलियन मध्यस्थ, रिफाइनरी और वॉल्ट प्रबंधकों के लिए दिनांक 25 अगस्त, 2021 को जारी किये गये परिचालन दिशानिर्देश

परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- बुलियन एक्सचेंज बुलियन डिपॉजिटरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी बीडीआर के माध्यम से बुलियन के व्यापार को संभव बनायेगा।
- बुलियन एक्सचेंज केवल ऐसे बुलियन में व्यापार को संभव बनायेगा जो संघर्ष प्रभावित और खतरों से भरे इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला पूरी जिम्मेदारी के साथ अखंड बनी रहे इसके लिए ओईसीडी के यथोचित सावधानी बरते जाने के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।
- ऐसे बुलियन अनुबंधों के मामले में जहां उनका निपटान टी+0 आधार पर किये जाने की संभावना है, वहाँ व्यापार करनेवाले सदस्य अथवा उसके ग्राहकों के पास व्यापार प्रारंभ किये जाने से पहले ही निधियाँ उपलब्ध होने की आवश्यकता होगी।
- कोई भी सदस्य आइएफएससीए में या तो अपनी किसी सहायक संस्था अथवा किसी शाखा के माध्यम से अथवा प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमत अन्य किसी तरीके से अपने परिचालनों को सुस्थापित करेगा। सभी संस्थाएं विनियमावली में निर्धारित “सही और यथोचित मानदंडों” का अनुपालन करेंगे।
- समेकित परिचालन दिशानिर्देश आइएफएससीए में एक रिफाइनिंग यूनिट स्थापित करने के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित करते हैं। किसी भी बुलियन रिफाइनरी को आइएफएससीए का यूनिट बनने के लिए अपने नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण [हर समय पर बनाये रखने के लिए] के अनुसार कम से कम 7 मिलियन अमरीकी डालर या इसके समकक्ष राशि की वास्तविक निवल संपत्ति की आवश्यकता होगी।

- vi. ग्राहकों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता - योग्य व्यक्ति जो भारत से बाहर निवासी व्यक्ति है और योग्य निवासी व्यक्ति, प्रत्येक के लिए 250,000 अमरीकी डालर है। भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों, जो कॉर्पोरेट या संस्थागत संस्थाएं हैं, के लिए न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता 500,000 अमेरिकी डॉलर है।
- vii. बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक नेट-नेट सेटलमेंट मॉडल को अपनाएगा जिसे बहुस्तरीय नेटिंग क्रियाविधिओं के द्वारा अपनाया जा सकता है ताकि समाशोधन सदस्यों के निवल निपटान दायित्वों [सुपुर्दगी / प्राप्ति की स्थितियों] का निर्धारण किया जा सके।
- viii. समाशोधन सदस्य का निवल मूल्य 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम नहीं होगा।
- ix. बुलियन डिपॉजिटरी एक वॉल्ट प्रबंधक के माध्यम से बुलियन के भंडारण और सुरक्षा का कार्य करेगा और बुलियन एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्निहित बुलियन पर बीडीआर जारी करेगा।
- x. बुलियन डिपॉजिटरी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वॉल्ट प्रबंधक वॉल्टिंग सेवाओं के लिए बुलियन के उस भंडारण क्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकन करता है जिसके संबंध में बुलियन डिपॉजिटरी रसीदें जारी की जाती हैं। आइआइबीएक्स से संबंधित गतिविधियों के लिए बुलियन का प्रत्यक्ष भंडारण अन्य गतिविधियों के लिए प्रदान की जाने वाली वॉल्टिंग सेवाओं से अलग होगा।
- xi. वॉल्ट मैनेजर संबंधी दिशानिर्देश पंजीकरण, पात्रता मानदंड, कर्तव्यों और दायित्वों, निरीक्षण और लेखा परीक्षा और अन्य विविध प्रासंगिक मामलों पर प्रकाश डालते हैं।
- xii. उक्त वॉल्ट, वॉल्ट प्रबंधक के पूर्ण प्रत्यक्ष परिचालन और नियंत्रण में होगी।
- xiii. प्राधिकरण के साथ पंजीकृत वॉल्ट प्रबंधक को कम से कम 7 मिलियन अमरीकी डॉलर की निवल संपत्ति को अपने पास रखना होगा जिसे हर समय बनाये रखा जाएगा।

II. आइएफएससीए के दिनांक 19 जनवरी 2022 के परिपत्र द्वारा निर्दिष्ट क्यूजे के लिए मानदंड और आइआइबीएक्स में भागीदारी का तरीका

मुख्य बातें:

- i. डीजीएफटी ने दिनांक 05 जनवरी 2022 की अधिसूचना संख्या 49 / 2015-2020 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्दिष्ट किया है कि आइआइबीएक्स के माध्यम से क्यूजे द्वारा आइटीसी [एचएस] कोड 71081200 और 71189000 के अंतर्गत सोने के आयात की अनुमति दी जाएगी।
- ii. क्यूजे के रूप में मान्यता पाने और ट्रेडिंग सदस्य [टीएम] या ट्रेडिंग सदस्य के ग्राहकों के रूप में लेनदेन करने की अनुमति पाने के लिए यह जरूरी है कि वह संस्था आइटीसी [एचएस] के अध्याय 71 के अंतर्गत आइटीएस [एचएस] कोड 7108, 7113, 7114 और 7118 के आनवाले आने वाली वस्तुओं के कारोबार में लगी होनी चाहिए।
- iii. क्यूजे सभी समय आइएफएससीए [बुलियन एक्सचेंज] विनियमावली, 2020 के अंतर्गत निर्दिष्ट 'सही और यथोचित मानदंडों' का पालन करेंगे।
- iv. भारत में स्थित क्यूजे जो आइएफएससीए में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति नहीं हो, सीमित उद्देश्य व्यापार सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें उक्त संस्था केवल अपने ही खाते [स्वामित्व वाले कारोबार] पर कारोबार कर सकती है। ऐसे कारोबारी सदस्य के लिए किसी भी ग्राहक को ऑनबोर्ड होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त संस्था आइएफएससीए [बुलियन एक्सचेंज] विनियमावली, 2020, दिनांक 25 अगस्त 2021 को आइएफएससीए द्वारा जारी किये गये परिचालन संबंधी दिशानिर्देश और समय-समय पर प्राधिकरण एवं आइआइबीएक्स द्वारा लागू की गयी विनियामक आवश्यकताओं में निर्दिष्ट अन्य सभी लागू मानदंडों का पालन करेगी।

III. सोना और चांदी ईटीएफ

यह देखते हुए कि ऐसे ईटीएफ कम लागत पर विशिष्ट बाजारों या परिसंपत्ति वर्गों में प्रकटीकरण हासिल करने का एक साधन प्रदान करते हैं, आइएफएससीए में पंजीकृत निधि प्रबंधकों को इंडेक्स आधारित ईटीएफ और कमोडिटी आधारित ईटीएफ प्रारंभ करने की अनुमति दी गयी है। प्रत्यक्ष बुलियन में निवेश के अलावा, सोने और चांदी के ईटीएफ को आइआइबीएक्स में सीधे बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

लेनदेन / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियाँ

आइआइबीएक्स को सक्षम करने के लिए अब तक निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

- इंडिया इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग्स आइएफएससी लिमिटेड नामक एक होल्डिंग कंपनी को गिफ्ट आईएफएससी में आइआइबीएक्स, बुलियन समाशोधन निगम और बुलियन डिपॉजिटरी की स्थापना और संचालन के लिए पांच एमआइआइ अर्थात् सीडीएसएल, इंडिया आइएनएक्स, एमसीएक्स, एनएसडीएल और एनएसई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद - दिनांक 04 जून, 2021 को इनकॉर्पोरेट किया गया है, और दिनांक 09 अगस्त 2021 को एक वित्त कंपनी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
- होल्डिंग्स कंपनी ने बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम को शामिल करते हुए अपनी सहायक कंपनी 'इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आइएफएससी लिमिटेड' के माध्यम से इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की है।
- आइआइबीएक्स को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09 दिसंबर 2021 को मान्यता दी गयी थी और सरकार ने इसे दिनांक 10 दिसंबर 2021 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर दिया था।
- सीडीएसएल-आइएफएससी, जो कि एक आइएफएससी आधारित डिपॉजिटरी है, उसे दिनांक 17 अगस्त, 2021 को बुलियन एक्सचेंज के लिए बुलियन डिपॉजिटरी के रूप में नामित किया गया है। बुलियन डिपॉजिटरी ने रसीद के निमाण और उन्हें समाप्त करने के लिए तथा आइएफएससी से बुलियन की जमा और निकासी के लिए एसओपी बनाए हैं। घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अर्हता प्राप्त जौहरियों को बुलियन की सुपुर्दगी के लिए सीमा शुल्क निकासी मिलना आसान हो इसके लिए डेटा का निबंध गति से आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से एपीआई पद्धति का उपयोग करके बुलियन डिपॉजिटरी प्रणाली और एसईजेड ऑनलाइन पोर्टल को एकीकृत किया गया है।
- आईएफएससी में मौजूदा पंजीकृत सदस्यों को बुलियन ट्रेडिंग / समाशोधन सदस्यों के रूप में ग्रैंडफादर करने की अनुमति दी गयी है, बशर्ते आइएफएससी के दिनांक 17 सितंबर, 2021 परिपत्र में यथा उल्लिखित निवल मूल्य और आधारभूत न्यूनतम पूंजी संबंधी आवश्यकता की पूर्तता की गयी हो।
- सीक्वल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को आइएफएससी में अपने 25 टन सोने के भंडारण की क्षमता वाले अपने वॉल्ट के लिए वॉल्ट मैनेजर के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, दो और वॉल्ट प्रबंधकों को आइएफएससी के साथ पंजीकृत किये जाने की संभावना है, जिनकी संचयी वॉल्टिंग क्षमता लगभग 125 टन सोना है।

बुलियन बाजार मध्यस्थ

आइआइबीएक्स में सहभागियों की श्रेणियाँ इस प्रकार हैं:

- ट्रेडिंग सदस्य [टीएम] : सदस्यता की यह श्रेणी एक सदस्य को अपने खाते के साथ-साथ अपने ग्राहकों के खाते में भी व्यापार को निष्पादित करने का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन टीएम के माध्यम से निष्पादित व्यापारों का समाशोधन और निपटान एक क्लियरिंग सदस्य [सीएम] के माध्यम से किया जाता है।
- ट्रेडिंग-एवं-स्व-समाशोधन सदस्य [टीएसएम] : सदस्यता की यह श्रेणी सदस्यों को ट्रेड को निष्पादित करने और अपने स्वयं के खाते के साथ-साथ अपने ग्राहकों के खाते में निष्पादित ट्रेड का समाशोधन करने और निपटान का अधिकार देती है।
- व्यापार-एवं-समाशोधन सदस्य [टीसीएम] : सदस्यता की यह श्रेणी ऐसे सदस्यों को, अपने खाते के साथ-साथ अपने ग्राहकों के खाते में ट्रेड को निष्पादित करने और स्वयं के साथ-साथ अन्य व्यापारिक सदस्यों द्वारा, जो सदस्य की समाशोधन सेवाओं को उपयोग करने का विकल्प देते हैं, निष्पादित ट्रेड का समाशोधन करने और उसका निपटान करने का अधिकार देती है।
- व्यावसायिक समाशोधन सदस्य [पीसीएम] : सदस्यता की यह श्रेणी सदस्यों को एक्सचेंज के केवल उन व्यापारिक सदस्यों के ट्रेड का समाशोधन करने और उसके निपटान का अधिकार देती है जो पीसीएम के माध्यम से किये गये अपने ट्रेड का समाशोधन करना और उनका निपटान करने का विकल्प देते हैं।


समाशोधन और निपटान संबंधित समाशोधन सदस्यों के निपटान दायित्वों के अनुसार बहुपक्षीय नेटिंग आधार पर किया जाएगा। एक निर्धारित प्रक्रिया के रूप में, टीएम द्वारा दर्ज किये गये ट्रेडों के संबंध में सभी दायित्वों को संबंधित सीएम को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जिन्होंने उनके लिए सीएम के रूप में कार्य करने का वचन दिया है।

दिनांक 31 मार्च 2022 तक टीएम, टीसीएम, पीसीएम की क्षमता में बुलियन बाजार के मध्यस्थों के रूप में पंजीकृत संस्थाओं की संख्या नीचे दी गयी है।

सारणी 15 - गिफ्ट आइएफएससी में बुलियन बाज़ार के मध्यस्थ

| बुलियन टीएम | बुलियन टीसीएम | बुलियन पीसीएम |
|-------------|---------------|---------------|
| 7 | 4 | 2 |

इसके अलावा 30 क्यू जे को दिनांक 31 मार्च 2022 तक अधिसूचित किया गया है।



वकालत और आउटरीच

| | |
|---|--|
| दुबई कीमती धातु सम्मेलन- दिनांक 18 नवंबर 2021 | <ul style="list-style-type: none"> आइआईबीएक्स और डीएमसीसी के बीच समझौता ज्ञापन। अमीरात रिफाइनरी, अल-एतिहाद रिफाइनरी और विभिन्न खाड़ी स्थित बैंकों/बड़े व्यापारियों के साथ सहभागिता। |
| भारत स्वर्ण सम्मेलन दिनांक 12-13 नवंबर 2021 | <ul style="list-style-type: none"> यह कार्यक्रम "भारत के बुलियन बाजारों को आकार देने वाले सुधार" विषय पर केंद्रित था। भारत के बाजार सहभागियों के साथ चर्चा। |
| इंडिया अंतर्राष्ट्रीय बुलियन समिट दिनांक 12 मार्च 2021 | <ul style="list-style-type: none"> यह कार्यक्रम रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए आइआईबीएक्स का महत्व, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सोने की कीमत का दृष्टिकोण, आदि विषयों पर केंद्रित था। सरफा बाजार सहभागियों (वैश्विक के साथ-साथ घरेलू) के साथ बैठक। |

आगामी वर्ष के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम

- क्यूजे द्वारा आईआईबीएक्स के माध्यम से सोने के आयात का संचालन
- भारत के अन्य भौगोलिक स्थानों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के भीतर वॉल्टिंग इकाइयों के लिए आइएफएससीए के प्राधिकार को बढ़ाना।
- आइबीयू को समाशोधन सदस्य और आइआईबीएक्स पर ट्रेडिंग करने वाले सदस्यों के रूप में परिचालन करने के लिए सक्षम बनाना।
- बाज़ार के चुनिंदा सहभागियों, जैसे वैश्विक बुलियन बैंक, की आइआईबीएक्स पर दूरस्थ सदस्यता को सक्षम बनाना।
- सोने की लीज़िंग / स्वर्ण ऋण को सक्षम बनाना।
- डिजिटल सोना / सोना बचत खाते / स्वर्ण संचय योजना के लिए नीतियाँ बनाना / दिशानिर्देश जारी करना।

फिनटेक हब

वर्ष 2020-21 में अपने केंद्रीय बजट भाषण में माननीया वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार गिफ्ट आईएफएससी में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब के विकास का समर्थन करेगी। प्राधिकरण ने इस विजन के अनुरूप वैश्विक स्तर पर फिनटेक के बीच विजिबीलिटी और विचारों के आदान प्रदान [माइंड शेयर] को संभव बनाने के लिए एक रणनीति तैयार की और एक मजबूत फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए प्रगतिशील विनियामक फ्रेमवर्क बनाया, और उसे प्रोत्साहित करने के लिए कई सारे उपाय किये।

विनियमावली, परिपत्र, दिशा निर्देश आदि के संबंध में गतिविधियां

विनियामक / नवोन्मेषी सैंड बॉक्स

आइएफएससी ने अक्टूबर 2020 में "विनियामक / नवोन्मेषी सैंडबॉक्स" के लिए एक फ्रेमवर्क पेश किया था, जिसके अंतर्गत पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं के दायरे में काम करने वाली संस्थाओं को सीमित समय सीमा के लिए वास्तविक ग्राहकों का एक सीमित सेट के साथ लाइव वातावरण में नवोन्मेषी फिनटेक समाधान के साथ प्रयोग करने के लिए कुछ सुविधाएं और लचीलापन प्रदान किया जाएगा। इन विशेषताओं को निवेशकों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हुए और जोखिम को न्यूनतम बनाते हुए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ मजबूत किया जाएगा। आइएफएससी में एक नवोन्मेष केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, एक "नवोन्मेष सैंडबॉक्स" प्रस्तुत किया गया था, जो एक ऐसा टेस्टिंग वातावरण उपलब्ध करायेगा जहां फिनटेक फर्म आइएफएससी में कार्यरत एमआइआइ द्वारा उपलब्ध कराये गये बाजार से संबंधित आंकड़ों [डेटा] के आधार पर लाइव मार्केट से अलग होकर भी अपने समाधान का परीक्षण कर सकते हैं। आइएफएससी में काम करने वाले एमआइआइ नवोन्मेष सैंडबॉक्स का प्रबंधन देखेंगे और उसके लिए सारी सुविधाएं भी प्रदान की करेंगे।

आइएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन योजना 2022

एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, जो अपने कार्यक्षेत्र में सुस्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में स्थित फिनटेक के साथ तुलन योग्य हो, आइएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन योजना 2022 को फरवरी 2022 में राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, जिससे आइएफएससीए पहला ऐसा भारतीय वित्तीय क्षेत्र का विनियामक बना जिसने प्रोत्साहन योजना तैयार की हो और विशिष्ट अनुदान द्वारा फिनटेक संबंधी गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान की हो।

पात्र आवेदकों के लिए अनुदान की छः श्रेणियाँ निम्नलिखित इस प्रकार हैं:

- i. **फिन टेक स्टार्ट अप अनुदान** - किसी भी नवीन फिन टेक आइडिया अथवा समाधान वाले स्टार्ट अप के लिए कोई उत्पाद अथवा सेवा को विकसित करने और 'बाजार तक पहुँचने' [गो टू मार्केट] की पहलों के लिए। इस स्तर पर सारा ध्यान स्टार्ट अप को एमवीपी में बदलने पर केंद्रित किया गया है।
- ii. **अवधारणा का प्रमाण [पीओसी] अनुदान** - घरेलू या विदेशी बाजार में एक प्रारंभिक या परिपक्व फिनटेक इकाई [एफई] द्वारा पीओसी आयोजित करने के उद्देश्य से।
- iii. **सैंडबॉक्स अनुदान** - सैंडबॉक्स में नवीन उत्पादों या सेवाओं के साथ प्रयोग करने के लिए।
- iv. **ग्रीन फिनटेक अनुदान** - ईएसजी निवेशों सहित सतत वित्त और सततता से जुड़े वित्तपोषण को सुचारु बनाने हेतु समाधान विकसित करने के लिए।
- v. **एक्सीलरेटर अनुदान** - आइएफएससी में एक्सीलरेटर का समर्थन करने के लिए।
- vi. **लिस्टिंग समर्थन अनुदान** - प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने के इच्छुक घरेलू फिनटेक यूनिटों को समर्थन देने के लिए।

यह अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में लगभग 125 से भी अधिक फिन टेक इस योजना से लाभान्वित होंगे।

वकालत और जनसंपर्क

इनफिनिटी फोरम

वैश्विक स्तर पर फिनटेक के बीच विजिबिलिटी और माइंडशेयर को संभव बनाने के लिए प्राधिकरण की रणनीति के पहले घटक के रूप में, आइएफएससी ने वार्षिक विचार-नेतृत्व मंच के रूप में **इनफिनिटी फोरम** का शुभारंभ किया। यह फोरम ऐसा प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है, जो फिनटेक में बड़े-बड़े विचारों का पता लगाने और उन्हें आगे बढ़ाने और उन विचारों को वैश्विक समाधानों और अवसरों के रूप में विकसित करने के लिए नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी दिग्गज व्यक्तियों को एक साथ लाता है।

भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 03 दिसंबर, 2021 को इस मंच के प्रथम संस्करण का उद्घाटन किया था। यह कार्यक्रम दो दिनों के लिए वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था और आइएफएससी द्वारा गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए 70 से भी अधिक देशों से 95,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए थे। इस आयोजन में 8 इनफिनिटी टॉक, 9 इनफिनिटी पैनल और 9 देशों के 62 स्पीकर शामिल थे।



चित्र 4 - माननीय प्रधानमंत्री दिनांक 03 दिसंबर 2021 को इनफिनिटी मंच 2021 का उद्घाटन करते हुए

फोरम के उद्घाटन संस्करण में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश थे। नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया, फिक्की और नैसकॉम ने प्रमुख घरेलू भागीदारों के रूप में अपनी भूमिका निभाई। इनफिनिटी मंच 2021, भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सहित 4 महाद्वीपों और 5 देशों में फैली अपनी आयोजन टीम के साथ वास्तव में वैश्विक स्तरीय मंच बन गया था। आयोजन दल को कार्यक्रम के संचालन के उद्देश्य से गठित एक सलाहकार समिति ने मार्गदर्शन प्रदान किया था। समिति में तीन भागीदार देशों के फिनटेक नेताओं सहित भारत सरकार, भारतीय उद्योग और तटीय देशों के सदस्य शामिल थे।

इस मंच का एजेंडा “बियॉन्ड” के विचारों पर केंद्रित था। पूरे कार्यक्रम को मोटे तौर पर तीन विषयों में बांटा गया था, जिनमें से प्रत्येक ने इस कार्यक्रम की व्यापक भावना के अनुरूप फिनटेक के दायरे को उसकी मौजूदा सीमाओं से परे जाकर उनका और भी अधिक विस्तार करने की मांग की। इसमें प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं और फिनटेक उद्यमियों द्वारा दिये गये भाषण और पैनल चर्चाएं शामिल थीं, जिसमें फिनटेक से संबंधित वैचारिक सीमाओं को और भी विस्तृत करने की मांग की गयी।

इनफिनिटी मंच 2021 में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान गिफ्ट आइएफएससी को फिनटेक हब में बदलने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया।

“भारत में फिनटेक उद्योग वित्त और औपचारिक ऋण तक देश हर आम आदमी की पहुँच को बढ़ाने के लिए नवोन्मेष कर रहा है। अब समय आ गया है कि फिनटेक की इन पहलों को फिनटेक क्रांति में बदला जाए, ऐसी क्रांति जो देश के हर नागरिक को वित्तीय रूप से सक्षम बना सके।”

जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी जा रही है:

| फिन टेक की थीम | फोकस किये गये क्षेत्र |
|-----------------------------|---|
| फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज | नयी प्रौद्योगिकियों और विषयों के समावेशी और सहयोगी विकास का समर्थन करने के लिए वैश्विक सहयोग पर ध्यान देना - एक वैश्विक स्टैक का निर्माण |
| फिनटेक बियॉन्ड फ़ाईनेन्स | फिन टेक का अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ अभिसरण- स्पेस, कृषि, हरित |
| फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट | संकल्पनाओं और अवसरों की अगली पीढ़ी पर ध्यान - क्वांटम कम्प्यूटिंग |

इनफिनिटी मंच की प्रमुख बातें

1. इनफिनिटी पैनल: पूरे विश्व में समावेशी वृद्धि के लिए फिनटेक

इस पैनल में 3 विभिन्न देशों के वित्त मंत्री शामिल थे:

- श्रीमती निर्मला सीतारामन, माननीया वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, भारत सरकार
- सुश्री मूल्यानी इन्द्रावती, माननीया वित्त मंत्री, रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया
- श्री टेंगकु जफरुल अज़ीज़, माननीय वित्त मंत्री, मलेशिया

उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि इन देशों ने कैसे समावेशी विकास को हासिल करने और अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए; उनके सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एवं भविष्य में वे जो अवसर देखते हैं उनके लिए प्रौद्योगिकी का किस प्रकार लाभ उठाया है। पैनल ने इस बात को नोट किया कि प्रौद्योगिकी की कोई भौतिक सीमाएँ नहीं होती हैं अतः विशेष रूप से क्रिप्टो, आंकड़ों की गोपनीयता आदि के उभरते क्षेत्रों के लिए विनियमावली तैयार करने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। उक्त पैनल ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पहचान के महत्व पर भी प्रकाश डाला।



चित्र 5 - इनफिनिटी मंच 2021 में माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन

2. इनफिनिटी पैनेल: फिनटेक बियॉन्ड फाइनेंस

भारत सरकार के माननीय रेल; संचार; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव और इंडोनेशिया गणराज्य के माननीय पर्यटन और रचनात्मक अर्थव्यवस्था मंत्री श्री सैंडियागा एस ऊनो ने **फिनटेक बियॉन्ड फाइनेंस** पर पैनेल का नेतृत्व किया।

इस पैनेल ने आर्थिक विकास में तेजी लाने और नये अवसरों के प्रवेशद्वार को खोलने में मदद करने के लिए फिनटेक बियॉन्ड फाइनेंस की भूमिका पर चर्चा की। भारत में वित्तीय समावेशन के एक मॉडल के रूप में जेएएम ट्रिनिटी की अवधारणा पर चर्चा की गयी। इसके अलावा, भारतीय मामले में फिनटेक बियॉन्ड फाइनेंस के उदाहरण के रूप में आइआरसीटीसी की भूमिका को प्रस्तुत किया गया। इसी तरह, फिनटेक क्षेत्र इंडोनेशिया में पर्यटन क्षेत्र को जो बढ़ावा दे रहा है और नये अवसर पैदा कर रहा है, उस पर भी प्रकाश डाला गया। कुल मिलाकर, पैनेल ने दोनों देशों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर जोर दिया।

3. इनफिनिटी टॉक: फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज – एक बैंकर का दृष्टिकोण

श्री उदय कोटक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कोटक महिंद्र बैंक, ने अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने अग्रणी होकर यूपीआइ और आधार के बारे में अपनी सीमाओं से परे जाकर भी अलग-अलग देशों के साथ सहयोग किया। उन्होंने आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और डेटा एनालिटिक्स के जरिए डेटा की शक्तियों का अहसास करते हुए वित्तीय सेवाओं के लोकतंत्रीकरण के महत्व को अधोरेखित किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों के लिए यूपीआई की अनुमति देने का विचार काफी कारगर हो सकता है।

4. इनफिनिटी टॉक: लाभ की दृष्टि से फिनटेक – एक निवेशक का दृष्टिकोण

श्री मासायोशी सोन, सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने, पूरे विश्व में फिनटेक उद्योग को विकसित करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का निर्माण करने के बारे में तथा अल्प दृष्टि को छोड़ कर दूर तक देखने के बारे में बात की ताकि पूरे विश्व में फिनटेक उद्योग को विकसित किया जा सके और उसके जरिए विश्व कल्याण के लिए उससे लाभ उठाया जा सके। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोविड-19 के प्रभाव की वजह से छोटे-छोटे कारोबारियों ने प्रौद्योगिकी को अपनाया है और उनकी सीमाओं से परे जाकर भी डिजिटल विभाजन को लांघ दिया है।

उन्होंने यह उल्लेख किया कि सॉफ्ट बैंक समूह ने भारत में लगभग 14 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया है और सभी भारतीय यूनिकॉर्न को 10 प्रतिशत तक की निधियों की आपूर्ति की है जिसकी वजह से लगभग 10 मिलियन नये रोजगार पैदा हुए हैं।

5. इनफिनिटी टॉक: डिजिटल राष्ट्र – कल का इंफ्रास्ट्रक्चर – एक कॉर्पोरेट का दृष्टिकोण

श्री मुकेश अंबानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हर व्यक्ति को वित्त उपलब्ध हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकी के समाधान के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने उल्लेख किया कि अगर डेटा को नया तेल माना जाए, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी नयी पाइपलाइन है और वैश्विक विकास का अगला चरण उन राष्ट्रों और कंपनियों पर निर्भर करेगा जो एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करेंगे और उससे लाभ उठाएं। इस परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आइएफएससीए की तकनीक और नवोन्मेष को सक्षम करने और आइएफएससीए को दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए प्रवेश द्वार बनाने की विजन भारत के लिए अनूठा अवसर प्रदान करती है।

6. इनफिनिटी टॉक: फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज

ब्रिटेन के राजकोष के माननीय चांसलर श्री ऋषि सुनक ने फिनटेक क्षेत्र के वैश्विक परिवर्तन में भारत- ब्रिटेन की साझेदारी की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने फिनटेक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में लगभग 44 फिनटेक यूनिकॉर्न बन चुके हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों सरकारों के बीच साझा प्रतिबद्धताएं भारत और ब्रिटेन के बीच वित्तीय गलियारे को मजबूत करेगी और फिनटेक क्षेत्र को केंद्र में रख कर एक दूसरे के साथ आगे

बढ़ती जाएंगी।

7. इनफिनिटी टॉक: शून्य जी से शून्य सी

श्री सुनील भारती मित्तल, संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक, भारती एंटरप्राइजेस और श्री नंदन नीलकेणी, अध्यक्ष और सह-संस्थापक, इन्फोसिस ने इस बात पर चर्चा की कि शून्य जी [शून्य ग्रैविटी] में किये गये निवेश और नवोन्मेष से शून्य सी [शून्य कार्बन], अर्थात् हरित अर्थव्यवस्था में किये जाने वाले निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

चर्चा इस बात पर हुई कि कैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां और दूरसंचार क्षेत्र मिलकर भारत के सबसे दूरस्थ स्थानों तक व्यापक कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की शक्ति पर जोर दिया गया, जिससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स [आइओ टी] के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन पर निगरानी रखने और उसमें कमी लाये जाने सहित देश को बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे।

8. इनफिनिटी टॉक: क्वांटम कंप्यूटिंग फिन टेक का भविष्य किस प्रकार बदल सकता है?

आइबीएम के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अरविंद कृष्ण ने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में चर्चा करते हुए हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे बदलने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्तियां और क्षमताएं क्या हैं इस बात पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे दुनिया ब्लॉकचेन और वेब 3.0 से ग्रस्त होती जा रही है, वैसे-वैसे क्वांटम कंप्यूटिंग [क्यूसी] एक प्रमुख डिसरप्टर के रूप में उभर रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां क्यूसी का उपयोग किया जा सकता है, विशेषकर, वित्त के क्षेत्र में आनेवाली जटिल समस्याओं को सुलझाने सहित वित्तीय सेवाओं में इस क्यूसी का उपयोग अच्छी तरह से किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि क्यूसी के भविष्य को उन्नत करने में भारत को, एक मजबूत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग की संस्कृति के साथ, एवं उसमें नवोन्मेष लाने की भावना के साथ, प्रमुख भूमिका निभानी है।

अन्य इनफिनिटी टॉक और पैनलों में जिन विषयों पर चर्चा की गयी थी, वे इस प्रकार हैं:

इनफिनिटी टॉक

- सीमाओं से परे पहचान: आधार - 2.0
- फिनटेक के युग में वित्तीय विनियमन और नवोन्मेष

इनफिनिटी पैनल

- फिनटेक बियाँन्ड बाउंड्रीज - वैश्विक स्टैक बनाना
- आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस और क्वांटम संप्रेषण फिन टेक को किस प्रकार प्रभावित करेगा?
- स्पेस टेक और फिन टेक का अभिसरण
- फिनटेक बियाँन्ड बाउंड्रीज: सीमाओं से परे उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाना
- फिन टेक में विविधता और समावेश को बढ़ावा देना
- फिनटेक बियाँन्ड नेक्स्ट: वित्तीय सेवाओं में क्वांटम कंप्यूटिंग
- फिनटेक में बड़े अवसर - एक निवेशक का दृष्टिकोण

फिनटेक शोकेस

उक्त इनफिनिटी फोरम ने भारत और विदेशों के चुनिंदा फिनटेक को दिनांक 04 दिसंबर 2021 को आयोजित वर्चुअल प्रदर्शनी में अपने द्वारा किये गये नवोन्मेष को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जिसमें प्राधिकरण की आई-स्प्रेन्ट'21 शृंखला के अधीन आयोजित स्प्रेन्ट के अंतिम चरण में पहुंचे फिनटेक भी शामिल थे। इस इनफिनिटी फोरम 2021 में आयोजित इस प्रदर्शनी में 11 देशों के [अमेरिका, सिंगापुर, स्वीडन, हांगकांग, यू ए ई, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, आदि] 107 फिनटेक ने भाग लिया और 6 देशों के 10 फिनटेक ने अपने-अपने प्रस्तुतीकरण दिये और इनमें 6782 लोग उपस्थित थे।

कॉल फॉर एक्शन

'कॉल फॉर एक्शन' खंड के अंतर्गत, भारत और सहयोगी देशों के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को फोरम में विभिन्न सत्रों से निकलने वाली नीतिगत सिफारिशों पर कॉल फॉर एक्शन स्टेटमेंट विकसित करने और प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

छात्रों की ओर से 150 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। शीर्ष 10 प्रस्तुतीकरणों को 25,000 रुपये तक के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और शीर्ष पांच के तीन छात्रों को प्राधिकरण में इंटरनशिप का प्रस्ताव दिया गया।

आई-स्प्रिंट'21

आइएफएससी में बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों और फंड प्रबंधन के दायरे में आनेवाले वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं में फिनटेक द्वारा की जा रही पहलों को बढ़ावा देने के लिए, आइएफएससी ने इन क्षेत्रों में वैश्विक फिनटेक हैकथॉन की एक श्रृंखला आइ-स्प्रिंट'21 का शुभारंभ किया।

(I) बैंक टेक पर स्प्रिंट 01

बैंकिंग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए आई-स्प्रिंट'21 के बैनर तले इसका शुभारंभ किया गया था और नीति आयोग के सहयोग से प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड द्वारा इसकी मेजबानी की गयी थी। आइसीआइसीआइ बैंक, एचएसबीसी बैंक, इंटरनैशनल सेंटर फॉर एंटरप्राइन्सियुअरशिप एंड टेक्नोलॉजी [आइ क्रिएट], ज़ोन स्टार्टअप्स और इन्वेस्ट इंडिया इस हैकथॉन के भागीदार थे। उक्त हैकथॉन दुनिया भर के सभी योग्य फिनटेक के लिए खुला था और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा समर्थित अपनी तरह का इकलौता हैकथॉन था।

हैकथॉन के लिए समस्या कथन इस प्रकार थे:

- क. एकीकृत – अपने ग्राहक को जानिए [यू-केवाईसी] समाधान
- ख. आइएफएससी के लिए खुदरा बैंकिंग उत्पाद
- ग. खरीदार की साख को इष्टतम बनाना
- घ. रेगटेक / सुपटेक समाधान

सारणी 16 – बैंकटेक हैकथॉन के विजेता

| विजेता | समस्या कथन / श्रेणी |
|---|-----------------------------------|
| सिंग्ज़ी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | एकीकृत केवाईसी समाधान |
| एसबीएनआरआइ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | आइएफएससी में खुदरा बैंकिंग उत्पाद |
| एन वर्व सिस्टीम्स लिमिटेड | खरीदारों की साख को इष्टतम बनाना |

स्प्रिंट 01: बैंकटेक के विजेताओं के लिए 24 लाख रुपये की घोषणा की गयी थी, जिसे आईक्रिएट ने प्रायोजित किया था। हैकथॉन के विजेताओं को प्राधिकरण के लागू विनियामक / नवोन्मेषी सैंडबॉक्स में सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वे नियामक मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करेंगे।

(II) स्प्रिंट 02 “<गो>क्वान्ट कैप”

आइएफएससी, गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड और ब्लूमबर्ग ने आई-स्प्रिंट'21 के एक भाग के रूप में “<गो>क्वान्ट कैप” नाम से दिनांक 26 अक्टूबर 2021 से स्प्रिंट 02 का शुभारंभ किया। यह <गो>क्वान्ट कैप एक त्रि-स्तरीय प्रतियोगिता थी जिसमें भारत के 30 से भी अधिक बिजनेस स्कूलों के 915 छात्रों ने भाग लिया जिनमें आइआइएम अहमदाबाद, आइआइएम, बंगलुरु, आइएसबी हैदराबाद आदि के छात्र भी शामिल थे। इनमें से 281 छात्रों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया और उन्हें क्वान्ट इन्वेस्टिंग प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। आइएफएससी के अध्यक्ष ने इस हैकथॉन के विजेताओं की घोषणा की और युवाओं को ऐसे हैकथॉनों में भाग लेते रहने के लिए तथा क्वान्ट जैसी नये युग की प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जिससे वित्तीय बाजारों के नये क्षितिजों को और भी विस्तारित किया जा सकेगा।

(III) स्प्रिंट 03: बीमा टेक

आई-स्प्रिंट 21 के बैनर तले "स्प्रिंट 03: बीमा टेक का शुभारंभ किया गया जिसमें बीमा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया और आइएफएससीए, गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड ने फिक्की के सहयोग से इसकी मेजबानी की। आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड, मैक्स लाइफ, आईक्रिएट, इंडिया इंश्योर-टेक एसोसिएशन और इन्वेस्ट इंडिया इस हैकथॉन के भागीदार थे।

इस हैकथॉन के लिए समस्या कथन इस प्रकार थे:

- क. अपनी पैठ बढ़ाने, बेहतर हामीदारी, जीवन/स्वास्थ्य उत्पादों के दावों का प्रबंधन करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास
- ख. वैश्विक स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए डिजिटल नवोन्मेष
- ग. वाणिज्यिक बीमा में नवोन्मेष
- घ. बीमा कंपनियों के बीच संतुलन को साधने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

सारणी 17 - इंश्योर टेक हैकथॉन के विजेता

| संस्था का नाम | किस समस्या कथन के लिए आवेदन किया गया था |
|--|---|
| यूएमबीओ आइडी टेक प्राइवेट लिमिटेड (रिस्कवरी इन्शुरर टेक) | अपनी पैठ बढ़ाने, बेहतर हामीदारी, जीवन/स्वास्थ्य उत्पादों के दावों का प्रबंधन करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास |
| लिववेल एशिया (सिंगापुर) | वैश्विक स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए डिजिटल नवोन्मेष |
| जीओक्यू॥ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | वैश्विक स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए डिजिटल नवोन्मेष |
| ऑनशुअरिटीज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | अपनी पैठ बढ़ाने, बेहतर हामीदारी, जीवन/स्वास्थ्य उत्पादों के दावों का प्रबंधन करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास |
| ज़िंगसेक एबी (स्वीडन) | अपनी पैठ बढ़ाने, बेहतर हामीदारी, जीवन/स्वास्थ्य उत्पादों के दावों का प्रबंधन करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास |
| सिंग्ज़ी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | अपनी पैठ बढ़ाने, बेहतर हामीदारी, जीवन/स्वास्थ्य उत्पादों के दावों का प्रबंधन करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास |

हैकथॉन के विजेताओं को प्राधिकरण के लागू विनियामक / नवोन्मेषी सैंडबॉक्स में सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वे नियामक मार्गदर्शन और सहयोग भी प्राप्त करेंगे।

(IV) स्प्रिंट 04: मार्केट टेक

इन्फिनिटी फोरम 2021 का समापन करते हुए, प्राधिकरण ने दिनांक 04 दिसंबर, 2021 को "स्प्रिंट 04: मार्केट टेक" हैकथॉन का शुभारंभ किया, जो पूंजी बाजार क्षेत्र पर केंद्रित था। आइएफएससीए और गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड ने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज [एनएसई] के सहयोग से इसका आयोजन किया। ज़ेरोधा, पीडब्ल्यूसी, चैनपलक्स, टैलेंटस्प्रिंट, आईक्रिएट, आइआइएम-बी [एनएसआरसीईएल] और इन्वेस्ट इंडिया इस हैकथॉन के साझेदार थे।

इस हैकथॉन के लिए समस्या कथन इस प्रकार थे:

- क. गिफ्ट आइएफएससी में खुदरा पूंजी बाज़ार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समाधान,
- ख. गिफ्ट आइएफएससी में हरित वित्त उत्पादों में बैंकों, संस्थागत निवेशकों, और खुदरा निवेशकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए समाधान,
- ग. मूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में टोकन जारी करने [टोकनाइज़ेशन] और उनके खंडित स्वामित्व के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी [डीएलटी] पर आधारित समाधान,
- घ. पूंजी बाजारों पर केंद्रित वेब 3.0 पर नवोन्मेषी समाधान और,
- ङ. भारत अथवा विदेशों में जारी किये गये गैर-सूचीबद्ध बॉन्डों के लिए विकेंद्रीकृत विनिमय / ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म के रूप में एक नवोन्मेषी समाधान

अंतर्राष्ट्रीय एंगेजमेंट्स

आइएफएससीए 2021 में वैश्विक वित्तीय नवोन्मेष नेटवर्क [जीएफआइएन] का सदस्य बन गया, जो उपभोक्ताओं के हितों में वित्तीय नवोन्मेष का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध 29 संगठनों का एक नेटवर्क है। यह नेटवर्क नवोन्मेषी फर्मों की विनियामकों के साथ बातचीत करवाने हेतु एक ऐसा अधिक प्रभावी तरीका प्रदान करता है, जिससे वह उन देशों के बीच, जो नये-नये विचारों को अमल में लाने के लिए प्रयासरत होते हैं, मार्गदर्शन करने में सहायता प्रदान कर सके। इसमें एक से अधिक कार्यक्षेत्रों में नवीन उत्पादों, सेवाओं या कारोबारी मॉडल का परीक्षण करने की इच्छा रखने वाली फर्मों के लिए एक पायलट भी शामिल है। नवोन्मेष से संबंधित विषयों पर वित्तीय सेवा विनियामकों के बीच सहयोग के लिए एक नया ढांचा तैयार करना, विभिन्न अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करना इसका उद्देश्य है।

आगामी वर्ष के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम

अगले वित्तीय वर्ष के लिए आइ-स्प्रेन्ट'22 और लॉन्गेविटी फाइनेंस, सतत वित्त, रेगटेक आदि पर हैकथॉन का आयोजन करने की योजना बनायी जा रही है। इन्फिनिटी मंच, जो आइएफएससीए द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक विचार-नेतृत्व कार्यक्रम है, उसका दूसरा संस्करण वर्ष 2022 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

आइएफएससीए के बाहरी संगठनों के साथ मौजूदा एंगेजमेंट्स के अलावा, गिफ्ट आइएफएससी में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी विनियामकों [फिनटेक के बीच पुलों का निर्माण करने के लिए], और फिनटेक हब [घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों] और संबंधित स्टैकधारक समूहों के साथ समझौते के ज़ापन की योजना बनायी जा रही है।

बीमा

बीमा उद्योग प्रमुख प्रकार के जोखिमों को कवर करने में अपनी भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें व्यक्तिगत जोखिम, व्यावसायिक जोखिम, अन्य शामिल हैं। यह अपने द्वारा हामीदारी दिये गये प्रीमियम की मात्रा, अपने द्वारा किये गये निवेशों की विविधता और वह जितने दावों का निपटान करता है उनकी मात्रा के आधार पर भी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को आकार प्रदान करता है।

भारत में बीमा क्षेत्र की अत्यधिक वृद्धि के साथ, आइएफएससी को वैश्विक बीमा और पुनर्बीमा केंद्र के रूप में विकसित करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आइएफएससी में बीमा सेवाओं की शुरुआत ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाने में मदद की है। इससे बीमाकर्ताओं को दोतरफा अवसर उपलब्ध हो जाएगा अर्थात्; जहां एक तरफ आइएफएससी में अनुकूल विनियामक नीतियों और ढांचे के माध्यम से भारतीय बीमाकर्ता विदेशी कार्यक्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं वहीं विदेशी बीमाकर्ता आइएफएससी में अनुकूल विनियामक नीतियाँ और फ्रेमवर्क बनाते हुए अपनी पहुँच अन्य कार्यक्षेत्रों तक बढ़ा सकते हैं।

विनियमावल्याँ, परिपत्र, दिशानिर्देश आदि के संबंध में गतिविधियाँ

आइएफएससी में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, प्राधिकरण ने आइएफएससी बीमा कार्यालयों [आइआइओ] और आइएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालयों [आइआइआइओ] को उनके व्यवसाय के संचालन हेतु सभी विनियामक और परिचालन मामलों को शामिल करने के उद्देश्य से यह विनियमावली और विस्तृत संचालन दिशानिर्देश जारी किये हैं।

आइएफएससीए [बीमा व्यवसाय का पंजीकरण] विनियमावली, 2021

आइएफएससीए [बीमा व्यवसाय का पंजीकरण] विनियमावली, 2021 [आइआइओ विनियमावली] (पुनः) बीमाकर्ताओं के पंजीकरण का प्रावधान करता है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर, इस विनियमावली को बहुत व्यापक और व्यवसाय के अनुकूल बनाया गया है। इस विनियमावली में आइएफएससी से बीमे का प्रस्ताव करनेवाली संस्थाओं और उन्हें जो अन्य गतिविधियाँ निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की गयी है, उन गतिविधियों के लिए एक विनियामक ढांचा निर्धारित किया गया है। आइएफएससी में अपना कार्यालय स्थापित करने की इच्छुक बीमा और पुनर्बीमा कंपनी को आइआइओ विनियमावली के अंतर्गत आइएफएससीए से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

आइआइओ विनियमावली की मुख्य बातें

- (1) निम्नलिखित संस्थाएं आइएफएससी में बीमा कार्यालय खोल सकते हैं:
 - i. भारतीय बीमाकर्ता और पुनर्बीमा कर्ता;
 - ii. विदेशी बीमाकर्ता और विदेशी पुनर्बीमाकर्ता;
 - iii. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता अथवा आइआरडीएआइ द्वारा पंजीकृत लॉयड इंडिया का शाखा कार्यालय;
 - iv. कोई सार्वजनिक [पब्लिक] कंपनी;
 - v. कोई बीमा सहकारी समिति;
 - vi. कोई निगमित निकाय;
 - vii. लॉयड्स सोसाइटी; और
 - viii. प्रबंधन सामान्य एजेंट
- (2) प्रबंधन सामान्य एजेंट [एमजीए] भारत के बाहर निगमित निकाय हो सकता है, या भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित कोई कंपनी हो सकती है जिसे विदेशी बीमाकर्ता के साथ बाध्यकारी समझौते के आधार पर बीमा व्यवसाय, पुनर्बीमा व्यवसाय या दोनों करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। एमजीए के रूप में पंजीकरण किये जाने के मामले में, संबंधित विदेशी [पुनः] बीमाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट पूंजी, शोधन क्षमता, निवल स्वामित्ववाली निधि संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना है।
- (3) यदि किसी आइआइओ को एक शाखा के रूप में स्थापित किया जाता है, तो उसे न तो कोई तटवर्ती पूंजी लाने की आवश्यकता होती है और न ही किसी तटवर्ती शोधन क्षमता [सॉल्वेंसी] की आवश्यकता होती है। 1.5 मिलियन अमरीकी डालर की निर्दिष्ट पूंजी को अपने गृह कार्यक्षेत्र में बनाये रखा जा सकता है। इसके अलावा, बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार, सहायक कंपनियों या निगमित कंपनियों को प्रत्यक्ष बीमा के लिए 100 करोड़ रुपये और पुनर्बीमा के लिए 200 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी की आवश्यकता होगी।

- (4) आइआइओ को शाखा के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है और उस स्थिति में, पूंजी और शोधन क्षमता को पेरेंट लेवल पर बनाये रखा जाना है।
- (5) आइएफएससी में शाखा कार्यालय स्थापित करने के इच्छुक विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए की निवल स्वामित्व वाली निधि [एनओएफ] की आवश्यकता कम करके 1000 करोड़ भारतीय रुपया है;
- (6) आइआइओ के सभी कारोबारी लेनदेन मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में किये जाएंगे;
- (7) आइएफएससी में जीवन बीमाकर्ता निम्नलिखित की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है:
 - क. भारत के निवासी व्यक्ति; [भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एलआरएस के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित सीमा से अनधिक प्रीमियम की राशि सहित सकल प्रेषणों के अधीन];
 - ख. अनिवासी भारतीय [एनआरआई];
 - ग. आइएफएससी में स्थित यूनिट;
 - घ. एसईजेड में स्थित यूनिट; और
 - ड. भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति
- (8) आइएफएससी में जनरल बीमाकर्ता निम्नलिखित बीमा कारोबार शुरू कर सकते हैं:
 - क. आइएफएससी में स्थित यूनिटों का जोखिम;
 - ख. भारत के एसईजेड में स्थित यूनिटों का जोखिम;
 - ग. भारत के बाहर से सीधे बीमा [स्थानीय कानूनों के अंतर्गत];
 - घ. बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अधीन डीटीए से सीधे बीमा;
 - ड. निर्यातकों और आयातकों की अपतटीय बीमा जोखिमें; और
 - च. अनिवासी भारतीयों को, भारतीय मूल के व्यक्तियों और विदेशी निवासियों / राष्ट्रिकों के लिए विदेशी यात्रा और स्वास्थ्य बीमा
- (9) आइएफएससी में पुनर्बीमाकर्ता निम्नलिखित बातों के लिए पुनर्बीमा समर्थन प्रदान कर सकता है:
 - क. आइएफएससी में बीमा कारोबार करनेवाले आइआइओ;
 - ख. आइएफएससी में पुनर्बीमा कारोबार करनेवाले आइआइओ;
 - ग. भारत में बसे हुए पुनर्बीमाकर्ता [सीडेंट्स] जो सीधे बीमा कारोबार करते हैं [मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क के अधीन];
 - घ. भारतीय पुनर्बीमाकर्ता और भारत में बसे हुए एफआरबी;
 - ड. भारत से बाहर बसे हुए सीडेंट्स / पुनर्बीमाकर्ता

आइएफएससीए [आइआइओ का परिचालन] दिशानिर्देश, 2021

प्राधिकरण ने आइएफएससी में आइआइओ के परिचालन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को आइएफएससी प्राधिकरण [आइआइओ का परिचालन] दिशानिर्देश, 2021 जारी किये थे। इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है:

1. पुनर्बीमा और रीट्रोसेशन प्रतिगामी आवश्यकताएँ;
2. खातों, अभिलेखों और दस्तावेजों की पुस्तकों का रखरखाव;
3. कॉर्पोरेट प्रशासन;
4. पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण;
5. आईआईओ के लिए शुल्क संरचना;
6. बीमा उत्पाद;
7. आउटसोर्सिंग व्यवस्था आदि
8. फॉर्मेट्स के साथ रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

आइएफएससी [बीमा मध्यस्थ] विनियमावली, 2021

आइएफएससी [बीमा मध्यस्थ] विनियमावली, 2021 आइआइआइओ के पंजीकरण के लिए तथा उनके द्वारा की जाने वाली अनुमत गतिविधियों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क निर्धारित करती है। बीमा में मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करने का इरादा रखने वाली संस्था को विनियमावली के अंतर्गत उक्त प्राधिकरण से पंजीकरण का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों में ब्रोकर, कॉर्पोरेट एजेंट, तृतीय पक्ष के प्रशासक [टीपीए] और सर्वेक्षणकर्ता और हानि का मूल्यांकन करनेवाले [एसएलए] शामिल हैं। कोविड महामारी ने व्यापार के लेन-देन के दूरस्थ और डिजिटल साधनों को अपनाने में तेजी लायी और इस तरह की आधुनिक वास्तविकताओं के अनुरूप, उपरोलिखित विनियमावली में व्यापक रूप से डिजिटल अपेक्षाओं तथा बीमा और पुनर्बीमा कारोबार जुटाने के लिए और सेवाओं के लिए प्रावधान हैं। निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करने और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए, विनियमावली में विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों के कार्य, उनकी गतिविधियों और आचार संहिता को विस्तार से निर्धारित किया गया है।

- (1) निम्नलिखित संस्थाएं आइएफएससी में बीमा मध्यस्थ कार्यालय गठित कर सकते हैं:
 - क. आइआरडीएआइ के पास पंजीकृत कोई मध्यस्थ अथवा बीमा मध्यस्थ;
 - ख. घरेलू विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण के पास पंजीकृत कोई विदेशी बीमा मध्यस्थ;
 - ग. कोई भारतीय कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित है, अथवा कोई फर्म, अथवा कोई सहकारी समिति; अथवा
 - घ. कोई ऐसा निगमित निकाय जो भारत के बाहर के किसी देश के कानून के अंतर्गत निगमित किया गया है।
- (2) कोई भी बीमा कंपनी निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में पंजीकरण करावा सकता है:
 - क. बीमा वितरक:
 - i) कंपोजिट ब्रोकर;
 - ii) कॉर्पोरेट एजेंट;
 - iii) प्रत्यक्ष ब्रोकर;
 - iv) पुनर्बीमा ब्रोकर;
 - ख. बीमा दावा सेवा प्रदाता:
 - i) सर्वेक्षणकर्ता और हानि का मूल्यांकनकर्ता;
 - ii) तृतीय पक्ष प्रशासक;
- (3) परिचालनों की गुंजाइश :
 - क. प्रत्यक्ष बीमा ब्रोकर को आइएफएससी के भीतर आइएफएससी के साथ भारत के अन्य एसईजेड से और भारत के बाहर से अपनी गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। हालाँकि, यह बीमा अधिनियम की धारा 2 सी बी के अनुसार भारत में डीटीए से प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय की अपेक्षा नहीं कर सकता है;
 - ख. कंपोजिट ब्रोकर अथवा पुनर्बीमा ब्रोकर को आइएफएससी में, भारत में स्थित अन्य एसईजेड में, डीटीए में और भारत के बाहर अपनी गतिविधियां निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की गयी है;
 - ग. आइएफएससी में पंजीकृत टीपीए, सर्वेक्षणकर्ता और हानि के मूल्यांकनकर्ताओं को आइआइओ और भारत से बाहर रहने वाले बीमाकर्ता द्वारा जारी पॉलिसियों के लिए सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गयी है। तथापि, भारत के बाहर यदि किसी को अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो कोई भी टीपीए उसके चिकित्सा और उपचार पर किये गये व्यय अथवा अस्पताल में भर्ती होने के लिए किये गये व्यय के संबंध में भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा जारी विदेश यात्रा पॉलिसियों और स्वास्थ्य पॉलिसियों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है।

आइएफएससी [आइआइआइओ का परिचालन] दिशानिर्देश, 2021

प्राधिकरण ने आइएफएससी में आइआइआइओ के लिए परिचालन संबंधी मुद्दों को सुलझाने हेतु एक रूपरेखा तैयार करने के लिए आइएफएससी [आइआइआइओ का संचालन] दिशानिर्देश, 2021 दिनांक 01 नवंबर, 2021 को जारी किया था। इनमें निम्नलिखित

क्षेत्रों को शामिल किया गया है:

1. अर्हताएं, प्रशिक्षण, और परीक्षा संबंधी आवश्यकताएं;
2. अभिलेखों के रखरखाव का प्रारूप;
3. शेयरों के लाभकारी स्वामित्व अथवा योगदान और नियंत्रण में परिवर्तन का तरीका;
4. आइआइआओ को पारिश्रमिक, पुरस्कार, फीस, अथवा अन्य कोई भुगतान;
5. बीमा राशि को अलग करना;
6. गतिविधियों की आउटसोर्सिंग;
7. सम्मेलन, विलय और अधिग्रहण और व्यवसाय का हस्तांतरण;
8. डिजिटल मोड के माध्यम से बीमा कारोबार की बिक्री;
9. प्रारूपों के साथ रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताएं

आइएफएससीए [बीमा वेब एग्रीगेटर] विनियामक, 2022

आइएफएससीए से खुदरा बीमा व्यवसाय को विकसित करने पर ध्यान देने के साथ, प्राधिकरण ने बीमा वेब एग्रीगेटर्स [आइडब्ल्यूए] के पंजीकरण और संचालन के लिए आइएफएससीए [बीमा वेब एग्रीगेटर] विनियमावली, 2022 को अधिसूचित किया। यह आइडब्ल्यूए अपनी वेबसाइट पर विभिन्न कंपनियों की बीमा पॉलिसियों के बारे में जानकारी संकलित करता है और उसे उपलब्ध कराता है और वैश्विक ग्राहकों को बीमा समाधान प्रदान करने में बीमा कंपनियों की सहायता करता है। आइडब्ल्यूए कई भारतीय प्रवासियों की [डायसपोरा] की बीमा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसके अलावा, इस तरह के खुदरा व्यापार को पूरी तरह से प्रौद्योगिकी की सहायता से बढ़ावा देने के लिए, प्राधिकरण ने आइएफएससीए के आइडब्ल्यूए के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा अधिसूचित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ उदारीकृत न्यूनतम पूंजी और निवल मूल्य आवश्यकताओं और आइडब्ल्यूए के संचालन के लिए एक लाइट टच विनियामक ढांचा प्रदान करता है।

ग्राहक-केंद्रित वातावरण में, संभावित ग्राहकों को उपलब्ध विभिन्न बीमा पॉलिसियों के माध्यम से दिशानिर्देश देने में तेजी के साथ से सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है। ग्राहक की जरूरतों और बजट के हिसाब से सबसे उपयुक्त नीति की खोज करना एक चुनौती भरा काम है, लेकिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स में हुई प्रगति का सही लाभ उठाते हुए ग्राहक के लिए सही पॉलिसी खोजने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, आइडब्ल्यूए की विनियमावली ऐसे एग्रीगेटर्स के विकास के लिए किये जा रहे भविष्योन्मुखी प्रयासों में से एक है।

लेनदेन / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियाँ

बीमा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी हैं जिन्हें दो व्यापक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता [आइआइओ] और बीमा मध्यस्थ [आइआइआओ]। ये विश्व स्तर पर ग्राहकों को बीमा समाधान प्रदान करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं।

सारणी 18 - आइएफएससीए में दिनांक 31 मार्च 2022 को कार्यरत बीमा संस्थाएँ

| | |
|---|-----------|
| आइएफएससी बीमा कार्यालय (आइआइओ) | 4 |
| आइएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय (आइआइआओ) | 15 |
| कुल | 19 |

अब तक, चार आइआइओ को आइएफएससी में बीमा और / या पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र [सीओआर] प्रदान किया जा चुका है।


1. जनरल इन्शुरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया [जीआइसी आरई] [दिनांक 30 जनवरी 2017 से]
2. न्यू इंडिया एशियन इन्सुरेंस कंपनी लिमिटेड [दिनांक 06 सितंबर 2016 से]
3. निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड [ईसीसीजीसी] [दिनांक 24 जुलाई 2017 से]
4. आइसीआइसीआइ लॉन्गवॉर्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लि. [दिनांक 20 जनवरी 2021 से]

15 आइआइआइओ में से एक मध्यस्थ प्रत्यक्ष बीमा ब्रोकर है और 14 मध्यस्थ समग्र बीमा ब्रोकर हैं।

आइएफएससी में कारोबारी लेनदेन :-

क. आइएफएससी बीमा कार्यालय [आइआइओ] :


आइआइओ ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 18.60 मिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 71.64 मिलियन अमरीकी डॉलर का सकल [पुनः]बीमा प्रीमियम बुक किया है :-



आकृति 9 - आइआइओ द्वारा हामीदारी दिया गया कारोबार

ख. आइएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय [आइआइआइओ] :

आइआइआइओ ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 153.1 मिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 223.45 मिलियन अमरीकी डॉलर का [पुनः]बीमा प्रीमियम का लेनदेन किया। आइआइआइओ के वर्षवार वित्तीय लेनदेन निम्नानुसार हैं:



आकृति 10 - आइआइआइओ द्वारा किया गया कारोबार

वकालत और जनसंपर्क

स्प्रेट 03 आइ-स्प्रेट 21 के अंतर्गत इन्शुर टेक

आइएफएससी में बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों और निधि प्रबंधन के क्षेत्र में वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं में वित्तीय प्रौद्योगिकियों [‘फिनटेक’] की पहलों को बढ़ावा देने के लिए किये जा रहे प्रयास में, प्राधिकरण ने इनफिनिटी फोरम 2021 के हिस्से के रूप में ‘स्प्रेट-2021 के बैनर तले इन क्षेत्रों में हैकथॉन की एक श्रृंखला का आयोजन किया। स्प्रेट03: इंड्योर-टेक हैकथॉन बीमा क्षेत्र में आयोजित किया गया था और यह एक विनियामक द्वारा समर्थित अपनी तरह का एक अनूठा कार्यक्रम था। यह वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया था और दुनिया भर के पात्र फिनटेक के लिए खुला था।

भारतीय बीमा संस्थान के साथ समझौते का ज्ञापन

अपने एंगेजमेंट और जनसंपर्क गतिविधियों के एक भाग के रूप में, प्राधिकरण ने आइएफएससी में बीमा क्षेत्र में पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए दिनांक 17 जनवरी, 2022 को भारतीय बीमा संस्थान [आइआइआइ] के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। यह संस्थान हमेशा गतिशील बीमा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के प्रयोजन से भारत में तथा साथ ही, विदेशों में भी बीमा उद्योग में पेशेवरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने और ऐसे पाठ्यक्रमों का निरंतर उन्नयन करने में एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने में शामिल रहा है। इस संस्थान द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्रों को बीमा उद्योग, विनियामकों और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित बीमा शिक्षा प्रदाताओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह संस्थान वैश्विक बीमा शिक्षा संस्थान [आइजीआई] का भी सदस्य है।

अनुसंधान

बीमे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

प्राधिकरण ने आइएफएससी में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के उद्देश्य से श्री जी.एन. बाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष, एलआइसी की अध्यक्षता में और सेबी के साथ आइएफएससी में बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। उक्त समिति ने व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन और सघन विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित क्षेत्रों में आइएफएससी को वैश्विक [पुनः]बीमा हब के रूप में विकसित करने के लिए दूरगामी सिफारिशों की हैं:

- (i) आइएफएससी ने एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग के लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है जिसका उपयोग आइएफएससी में एविएशन इंड्योरेंस हब और ट्रेड क्रेडिट इंड्योरेंस विकसित करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी क्लबों की सुविधा प्रदान करते हुए शिपिंग उद्योग के लिए इसी प्रकार का मंच भी लागू किया जा सकता है।
- (ii) कैप्टिव बीमा मॉडल स्वयं के जोखिम प्रबंधन का एक किफायती तरीका है। विश्व स्तर पर, प्रमुख वित्तीय केंद्रों में कैप्टिव बीमा मॉडल के लिए अनुकूल विनियामक व्यवस्था मौजूद है। इसलिए आइएफएससी प्राधिकरण ऐसे कैप्टिव के संचालन को सक्षम करने के लिए एक नया ढांचा विकसित कर सकता है;
- (iii) आइएफएससी द्वारा आइएफएससी में संभव बनाये गये वैश्विक इन-हाउस सेंटर [जीआइसी] का [पुनः]बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से जीआइसी को विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है;
- (iv) बीमाकर्ताओं को अधिक आय तथा लचीलेपन की पेशकश करने वाले वित्तीय साधनों और उत्पादों को एक ही बास्केट में जुटाने के और भी अधिक अवसर प्रदान किये जाने के लिए निवेश ढांचे को फिर से डिजाइन किया जा सकता है;
- (v) विश्व स्तर पर, प्रीमियम के लिए वित्त प्रदान करने की प्रथा मौजूद है, जो बीमा कारोबार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का बहुत महत्वपूर्ण संचालक बना हुआ है। इसे आइएफएससी में भी लागू किया जा सकता है;
- (vi) वैश्विक बाजार के लिए उपलब्ध बीमा से जुड़ी प्रतिभूतियों, आपदा बांड और पैरामीट्रिक जोखिम हस्तांतरण जैसे वैकल्पिक जोखिम हस्तांतरण समाधान विकसित करना;
- (vii) प्रवासी भारतीयों की बीमा जरूरतों का मानचित्रण करना और ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल के प्रचार और विकास के माध्यम से ऐसी जरूरतों को पूरा करना।

गिफ्ट आइएफएससी को पुनर्बीमा केंद्र बनाना

प्राधिकरण ने विकसित अपतटीय पुनर्बीमा बाजार वाले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों का तुलनात्मक अध्ययन करने का दायित्व नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च [एनसीईईआर] को सौंपा है। एनसीईईआर ने रिसर्च करने के लिए सिंगापुर, लंदन और डीआईएफसी इन तीन सु-स्थापित वित्तीय केंद्रों की पहचान कर ली है।

इस अध्ययन के दो उद्देश्य थे :

- क.** आइएफएससी में मौजूद वर्तमान पुनर्बीमा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तुलना करने के लिए इन अधिकार क्षेत्रों से प्रासंगिक विनियामक डिजाइन और कारोबारी प्रथाओं / नवोन्मेषों की पहचान करना। ऐसी तुलना करने से यह समझने में मदद मिली कि क्या गिफ्ट आइएफएससी का नया पुनर्बीमा विनियामक डिजाइन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, और क्या यह अंतरराष्ट्रीय कारोबारी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल पैदा करता है।
- ख.** आइएफएससी और अंतरराष्ट्रीय केंद्रों के बीच यदि कोई खाई हो, तो उस खाई को पाटने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाना। इन उपायों को अपनाने से आइएफएससी को वैश्विक पुनर्बीमा समाधान के प्रदाता के रूप में अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सकती है।

अंतिम रिपोर्ट दिनांक 31 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत की गयी थी और इसमें कई विशिष्ट सिफारिशें शामिल थीं, जैसे जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क की शुरुआत, विवेक-आधारित निवेश फ्रेमवर्क, वैकल्पिक जोखिम हस्तांतरण फ्रेमवर्क, विशेषज्ञता प्राप्त करना, कारोबार करने में आसानी आदि।

विनियम और पर्यवेक्षण

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का फ्रेमवर्क [आरबीएसएफ]:

बीमा विनियमन और पर्यवेक्षण का क्षेत्र, परंपरागत रूप से अनुपालन या नियम-आधारित व्यवस्था पर आधारित रहा है जिसमें एक चेकलिस्ट दृष्टिकोण अपनाया जाता है जहां सभी संस्थाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है। आइएफएससी में प्राधिकरण विनियमन और पर्यवेक्षण के मामलों में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने का प्रयास करता है। ऐसा ही एक फ्रेमवर्क अर्थात् आरबीएसएफ, पर्यवेक्षण को गतिशील बनाता है क्योंकि यह फ्रेमवर्क किसी भी विनियामक को जोखिम का प्रोफाइल बनाने, जोखिम का मूल्यांकन करने और संकेतकों को व्यवस्थित रूप से पहचानने, उनका मापन करने और उनपर निगरानी रखने के लिए सक्षम बनाता है, और यदि जोखिम वास्तव में पैदा हो रहा हो तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं उनका अनुमान लगाता है, और पर्यवेक्षी उद्दिष्टों के संबंध में पैदा होनेवाले जोखिम भरे क्षेत्रों के लिए दुर्लभ पर्यवेक्षी संसाधनों को आवंटित करता है। प्राधिकरण इस संबंध में दुनिया भर के प्रमुख विशेषज्ञ संस्थानों के साथ चर्चा कर रहा है। इस प्रकार के सहयोग से प्राधिकरण को नियम-आधारित शासन से जोखिम-आधारित शासन में निर्बाध रूप से मूल रूप से रूपांतरित होने में मदद मिलेगी। आरबीएसएफ दिसंबर 2021 में प्रस्तुत एनसीईईआर रिपोर्ट की एक प्रमुख सिफारिश भी रहा है।

इस महत्वाकांक्षी आरबीएसएफ में यह अपेक्षित है कि प्राधिकरण को लगातार जानकारी [इन्टेलिजेंस] इकट्ठा करने, इस उद्योग के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करने और वर्तमान में मौजूद और भविष्य में आनेवाले जोखिमों से अवगत रहने की आवश्यकता होगी। इसमें आम तौर पर पूरे क्षेत्र में मौजूद यूनिटों के बारे में और विशेष रूप से जिनका पर्यवेक्षण चल रहा है ऐसी यूनिटों के बारे में सघन ज्ञान रखना शामिल होगा। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण [आरबीएस], प्रचलित अनुपालन आधारित पर्यवेक्षण [सीबीएस] दृष्टिकोण के विपरीत, यथानुपातिक और दूरदर्शी है। जोखिम को पूरी तरह से टाल देने के बजाय उसका प्रबंधन करना इसका उद्देश्य है। आरबीएस की अवधारणा का केंद्र जोखिम आधारित पूंजी [आरबीसी] के साथ इसका जुड़ाव है। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण किया जाएगा। उच्च जोखिम के लिए उच्च पूंजी की आवश्यकता होगी ताकि यदि संकट आता है तो उस समय बचाव के लिए एक कुशन उपलब्ध हो सके। एक अभिनव कार्य वातावरण में, जैसे कि गिफ्ट आइएफएससी में मौजूद है, अनुपालन-आधारित शासन एक प्रमुख बाधा बना कर उभरा है और इसीलिए आरबीएस, जिसकी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडियोरेंस सुपरवाइजर्स [आइएसआईएस] जैसे मानक सेटिंग निकायों द्वारा वकालत की जाती है, समय की आवश्यकता बन चुका है।

अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता

बीमा पर्यवेक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन

आइएफएससीए दिसंबर 2020 में आइएआइएस का सदस्य बन गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी आईएआईएस एमएमओयू (बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन) के हस्ताक्षरकर्ता बनने के लिए आईएफएससीए के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। यह प्राधिकरण और अन्य बीमा पर्यवेक्षकों के बीच वैश्विक सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक औपचारिक आधार प्रदान करेगा। कैबिनेट की मंजूरी के आधार पर प्राधिकरण ने आइएआइएस एमएमओयू में शामिल होने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस समय विचाराधीन है।

आगामी वर्ष के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम

महामारी से पैदा हुई उथल-पुथल के परिणामस्वरूप बीमा उद्योग में ग्राहकों की जरूरतों, अपेक्षाओं और व्यवहार को लेकर आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बीमा के डिजिटल तरीकों का महत्व तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। बीमा परिस्थितिकी तंत्र को, जिसमें बीमाकर्ता, पुनर्बीमाकर्ता, मध्यस्थ और विनियामक शामिल हैं, इन नयी वास्तविकताओं के अनुकूल ढालना होगा।

दूसरी ओर, महामारी ने जहां लोगों में जागरूकता बढ़ाई है, वहीं बीमा कराते हुए अपने हितों की रक्षा करने की आवश्यकता भी पैदा कर दी है। यह बीमा उद्योग के लिए एक बहुत सकारात्मक बात है और आइएफएससीए प्राधिकरण इस अवसर के लिए तैयार है।

प्रवासी भारतीय जो लगभग 30 मिलियन से भी अधिक हैं, गिफ्ट आईएफएससीए को, अपने विश्व स्तर पर मौजूद प्रतिस्पर्धी परिस्थितिकी तंत्र से भुनाने के लिए, एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। व्यापक और सक्षम बनानेवाले विनियामक फ्रेमवर्क जैसे मौजूदा कदम और आरबीएसएफ, इन्श्योरटेक, विवेकाधारित निवेश फ्रेमवर्क आदि जैसे भविष्योन्मुखी प्रयास हमारे पुनर्बीमा और विमानन बीमा का केंद्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

एयरक्राफ्ट लीजिंग

विनियमावलियों, अधिसूचनाओं, प्रमुख परिपत्रों / दिशानिर्देशों को जारी करने के संबंध में गतिविधियां

विमानन मूल्य श्रृंखला में एयरक्राफ्ट लीजिंग सबसे ज्यादा लाभप्रद कारोबार वाला क्षेत्र है। विश्व स्तर पर विमान पट्टे पर देने का यह कारोबार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों से निष्पादित किया जाता है जो व्यापार के अनुकूल विनियामक और कर व्यवस्था भी प्रदान करता है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मई 2018 में भारत में विमान वित्तपोषण और पट्टे की गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया था। उक्त दल ने अपनी वर्ष 2019 की रिपोर्ट 'प्रोजेक्ट रूपया रफ्तार' में यह अवलोकन किया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विमान पट्टे पर देने का कारोबार प्रारंभ करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करता है।

बाद में माननीया वित्त मंत्री ने अपने वर्ष 2020 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की कि -

“दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के रूप में, भारत के लिए भारतीय भूमि से विमान वित्तपोषण और पट्टे पर देने की गतिविधियों में पदार्पण करने का समय आ गया है। यह आत्मनिर्भर विमानन उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत के विशेष वित्तीय आर्थिक क्षेत्रों [एसईजेड], अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र [आईएफएससी] में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के अलावा, विमानन वित्त के क्षेत्र में आकांक्षात्मक नौकरियां पैदा करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। भारत को ऐसी गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए सरकार विनियामक रोडमैप के लिए आवश्यक तत्वों को लागू करेगी।”

आईएफएससी ने दिनांक 09 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी दूसरी प्राधिकरण बैठक में सरकार को इस बात की सिफारिश की थी कि ऑपरेटिंग लीज सहित, एयरक्राफ्ट फाईनेन्सिंग और लीजिंग की गतिविधि को आईएफएससी में एक वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, भारत सरकार ने दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को, 'एयरक्राफ्ट लीज जिसमें विमान या हेलीकॉप्टर या उनके इंजन या उनके किसी हिस्से की ऑपरेटिंग और फाईनेन्सल लीज या ऑपरेटिंग और फाईनेन्सल लीज के हाइब्रिड शामिल हैं' को आईएफएससी अधिनियम, 2019 के अंतर्गत 'वित्तीय उत्पाद' के रूप में अधिसूचित किया।

आईएफएससी में पहली बार एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग लीज कारोबार को संभव बनाने के लिए, प्राधिकरण ने दिनांक 19 फरवरी, 2021 को 'फ्रेमवर्क फॉर एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग लीज' जारी किया, जिसमें अनुमत गतिविधियों, पात्रता, पूंजी की आवश्यकता, पंजीकरण और एयरक्राफ्ट लीजिंग संस्थाओं के लिए आवश्यक अन्य अनुपालन संबंधी गतिविधियां शामिल हैं।

31 मार्च 2022 तक, एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग लीज का फ्रेमवर्क वर्तमान में संशोधन के अधीन है। फ्रेमवर्क फॉर फाईनेन्सल लीज और विमान परिसंपत्ति प्रबंधन / समर्थन सेवाओं को भी इसमें शामिल करना इस संशोधित ढांचे का उद्देश्य है।

बॉक्स 5 - 'फ्रेमवर्क फॉर एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग लीज' की विशेषताएं :

अनुमत गतिविधियां -

- एयरक्राफ्ट लीज व्यवस्था के लिए ऑपरेटिंग लीज, जिसमें एयरक्राफ्ट लीज से संबंधित बिक्री और लीज बैक, खरीद, नोवेशन, ट्रांसफर, असाइनमेंट, और इसी तरह के अन्य लेनदेन शामिल हैं।
- आईएफएससी प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ अन्य कोई भी गतिविधियाँ।

अनुमत ढांचा -

- प्राधिकरण द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई कंपनी या एलएलपी या कोई न्यास या कोई अन्य प्रारूप।

पात्रता -

- संस्था को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति एफएटीएफ के अनुपालन कार्यक्षेत्र में स्थित होगा।
- उक्त संस्था आइएफएससी में कारोबारी संचालन के अनुरूप अपने संसाधनों को तैनात करेगी।

पूंजी की आवश्यकताएं -

- उक्त संस्था मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में 200,000 अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य की न्यूनतम पूंजी हर समय बनाये रखेगी।

मुद्रा -

- केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में ही लेनदेन करना।
- प्रशासकीय व्यय भारतीय रुपयों में चुकाना।

वकालत और जनसंपर्क

इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट 2021

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिनांक 26 फरवरी, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आइएफएससी प्राधिकरण, गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड और फिक्की के सहयोग से "इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट" का आयोजन किया। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री इस शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे और माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सम्मानित अतिथि थे। इस शिखर सम्मेलन में, भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विभिन्न स्टेकधारक और इस उद्योग के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत सरकार और प्राधिकरण द्वारा अपनाये 360-डिग्री दृष्टिकोण को अधोरेखित करने के लिए और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत गिफ्ट आइएफएससी में विमान पट्टे पर देने के कारोबार को सक्षम करने के लिए पैनल चर्चा आयोजित की गयी थी।

एयरो इंडिया एक्सपो 2021

एयरो इंडिया रक्षा प्रदर्शनी संगठन, रक्षा मंत्रालय द्वारा येलहंका वायु सेना स्टेशन, बेंगलुरु में आयोजित की जाने वाली एक द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है। एयरो इंडिया का 13 वां संस्करण फरवरी 2021 में आयोजित किया गया था। इस आयोजन के दौरान, आइएफएससी में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी एयरक्राफ्ट लीजिंग प्लेटफॉर्म पर एयरक्राफ्ट लीज पर दिये जाने के अवसरों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया था।

मास्टर क्लास फॉर प्रिंसिपल्स " इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग "

नागरी विमानन मंत्रालय, प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड ने फिक्की के सहयोग से और बोइंग तथा एयर बस के समर्थन के साथ दिनांक 09 अप्रैल 2021 को " इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग " पर वर्चुअल मास्टर क्लास का आयोजन किया।

प्रिंसिपल्स मास्टरक्लास में 700 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गयी। यह मास्टरक्लास नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इस क्षेत्र के उद्योगपतियों और इस विषय के विशेषज्ञों को एक साथ एक मंच पर लाने वाला प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें भारत की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गयी। इस चर्चा में वित्तपोषण और पट्टे संबंधी गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में स्थित विकास के अवसरों को उजागर किया गया। तथा साथ ही, भारत को विमानन फाईनेन्सिंग और लीजिंग हब बनने के लिए कौन सी चुनौतियों से निपटने की जरूरत होगी इस विषय पर भी चर्चा की गयी।

विंग्स इंडिया 2022

"विंग्स इंडिया" नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक द्विवार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है। चार दिवसीय कार्यक्रम मार्च, 2022 में बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद में 'इंडिया@75: एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज' विषय के साथ आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियां, सम्मेलन, शैलेट, सीईओ फोरम, स्थिर प्रदर्शन, मीडिया सम्मेलन और पुरस्कार शामिल थे। इस आयोजन में 125 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रदर्शकों ने भाग लिया। प्रदर्शकों में विमान और हेलीकॉप्टर निर्माता, विमान इन्टीरीयर्स, विमान मशीनरी और उपकरण कंपनियां, हवाईअड्डा बुनियादी ढांचा कंपनियां, ड्रोन, कौशल विकास, अंतरिक्ष उद्योग, एयरलाइंस, एयरलाइन सेवाएं और कार्गो शामिल हैं। आयोजन के दौरान 'द आउटलुक: एविएशन फाईनेन्सिंग एंड लीजिंग' पर एक समर्पित पैनल चर्चा हुई।

लेनदेन / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियाँ

पहला विमान पट्टे पर देने वाली संस्था को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06 मई, 2021 को पंजीकृत किया गया, और आइएफएससी में कार्यरत संस्था ने दिनांक 19 अगस्त 2021 को भारत में एक लेसी को पहला विमान पट्टे पर दिया, जो गिफ्ट आइएफएससी के माध्यम से अपतटीय विमान पट्टे पर देने की सेवाओं में किये गये पदार्पण को चिह्नित करता है।

इसके बाद, विमानन बाजार में रुचि बढ़ती जा रही है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक प्राधिकरण द्वारा नौ लेसॉर पंजीकृत हैं। इसके अलावा, चार लेसॉर के आवेदनों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है और दो लेसॉर के आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

ग्लोबल इन-हाउस सेंटर

विनियमावल्याँ, अधिसूचनाओं, प्रमुख परिपत्रों / दिशानिर्देशों को जारी करने के संबंध में की जाने वाली गतिविधियाँ

पिछले दो दशकों में, भारत अपनी अंतर्निहित शक्तियों, जैसे अत्यधिक कुशल प्रतिभा की उपलब्धता, और संचालन की लाभकारी लागत के कारण ग्लोबल इन-हाउस सेंटर [जीआइसी] के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। अनिवार्यतः, जीआइसी ऐसे अपतटीय केंद्र हैं जो बड़े कॉर्पोरेट्स और संगठनों के लिए निर्दिष्ट इन-हाउस का कार्य करते हैं। वित्तीय क्षेत्र में, ऐसे जीआइसी अपनी मूल कंपनी के लिए अपतटीय बैक-एंड प्रक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जो उपलब्ध कम लागत वाले प्रतिभा संचय का लाभ उठाते हुए तकनीकी समाधान प्रदान करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, जीआइसी ऋण और निर्णय विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी की रोकथाम आदि के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले नवोन्मेषी केंद्र के रूप में विकसित होते गये हैं।

केंद्र सरकार ने, प्राधिकरण की सिफारिश पर, गिफ्ट आइएफएससी में जीआइसी के कारोबार को सक्षम करने के लिए, वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए आइएफएससी प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत इन जीआइसी को एक वित्तीय सेवा के रूप में अधिसूचित किया है। इसके बाद, प्राधिकरण ने ग्लोबल इन-हाउस सेंटर विनियमावली, 2020 को अधिसूचित कर दिया, जिसने वित्तीय सेवा समूह से संबंधित संस्थाओं को आइएफएससी में ऐसे जीआइसी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है।

बॉक्स 6 - ग्लोबल इन-हाउस सेंटर विनियमावली, 2020 की मुख्य विशेषताएं

- "ग्लोबल इन-हाउस सेंटर" को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित एक ऐसे यूनिट के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अपने वित्तीय सेवा समूह के भीतर स्थित संस्थाओं को, जिसमें बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वित्तीय मध्यस्थों, निवेश बैंकों, बीमा कंपनियों, पुनर्बीमा कंपनियों, रजिस्ट्रियों, दलाली करनेवाली फर्मों, फंडों, स्टॉक एक्सचेंजों, समाशोधन गृहों, डिपॉजिटरियों, और अभिरक्षकों को, लेकिन यह सूची केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है; प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहायता सेवाएं प्रदान करता है।
- "वित्तीय सेवा समूह" को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जो ऐसे वित्तीय सेवा विनियामक द्वारा अथवा अपने ही कार्यक्षेत्र में वित्तीय सेवा संबंधी गतिविधियों का विनियमन करनेवाले अन्य सक्षम निकाय द्वारा विनियमित होती है, और इसमें उस संस्था की होल्डिंग या सहायक या सहयोगी कंपनी, शाखा, तथा उस होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल होती हैं, जिसकी वह एक सहायक कंपनी है।
- यह अपने उन्हीं वित्तीय सेवा समूह की जरूरतों को पूरा करेगा, जिसमें जिन संस्थाओं को सेवा प्रदान की जाती है, वे संस्थाएं एफएटीएफ अनुपालन क्षेत्राधिकार में स्थित हों।
- ऐसी सहायता सेवाएं किसी वित्तीय उत्पाद के संबंध में वित्तीय सेवा करने के उद्देश्य से प्रदान की जानी चाहिए।
- ग्लोबल इन-हाउस सेंटर को चाहिए कि वे केवल अनिवासी संस्थाओं को ही अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।
- भारत में घरेलू क्षेत्र में मौजूदा यूनिटों से कर्मचारियों के स्थानांतरण की अनुमति केवल पर्यवेक्षी कर्मियों के संबंध में होगी, जिसे प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से ऐसी श्रेणी में अधिकतम बीस प्रतिशत तक की अनुमति दी जा सकती है।

दिनांक 31 मार्च 2022 तक, बीए कॉन्टिनम इंडिया प्रा. लि. जो बैंक ऑफ अमेरिका की एक सहायक कंपनी है, आइएफएससी में 800 से अधिक कर्मचारियों के साथ अपने जीआइसी का संचालन कर रही है।

अन्य क्षेत्र

विकासात्मक गतिविधियां

गिफ्ट आइएफएससी को एक अग्रणी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, जिसके पास अपनी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ विनियामक व्यवस्था हो, प्रतिस्पर्धी कर संरचना हो, और व्यापार करने में आसानी प्रदान करने की व्यवस्था मौजूद हो, भारत सरकार ने भारत में आइएफएससी में वित्तीय सेवाओं, वित्तीय उत्पादों और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत नियामक प्राधिकरण होना चाहिए इस दृष्टि से आइएफएससी की स्थापना की है।

आइएफएससी अधिनियम, 2019 उक्त प्राधिकरण को भारत में आइएफएससी में वित्तीय सेवा बाजार को विकसित करने और उसे विनियमित करने का दोहरा अधिकार प्रदान करता है। विशिष्ट रूप से, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यह प्रावधान किया गया है कि आइएफएससी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत में आइएफएससी में वित्तीय सेवाओं, वित्तीय उत्पादों और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करे। प्रारंभिक विकास के चरण में, एक जीवंत वित्तीय सेवा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, जिसमें नवोन्मेष को बढ़ावा दिया गया हो, वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करता है और व्यापार करने में आसानी को सुगम बनाता है, जो इस प्राधिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है।

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास साधने के अपने अधिदेश को पूरा करने के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता में पूरी दृढ़ता के साथ, निम्नलिखित गतिविधियां निष्पादित कीं:

- i. आइएफएससी में विश्व स्तर पर बैंचमार्क विनियामक आर्किटेक्चर विकसित करना।
- ii. आइएफएससी में उपलब्ध अवसरों को प्रस्तुत करने के लिए वैश्विक और घरेलू वित्तीय सेवा उद्योग के साथ सक्रिय जनसंपर्क और एंगेजमेंट।
- iii. वेबिनार, डिजिटल रोड शो, गोलमेज, आदि सहित प्रचार और विकास संबंधी गतिविधियाँ।
- iv. कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देने की दृष्टि से आइएफएससी में कारोबार स्थापित करने के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं को सहायता प्रदान करना।
- v. आइएफएससी में नये वित्तीय कारोबारों को सक्षम करने के लिए प्रस्ताव देने और सिफारिशें करने की दृष्टि से वित्तीय सेवा उद्योग के बदलते वैश्विक परिदृश्य का विश्लेषण और मूल्यांकन करना।
- vi. विनियामक प्राधिकरणों, व्यापार प्रतिनिधियों, उद्योग निकायों आदि सहित विदेशी कार्यक्षेत्रों और वित्तीय केंद्रों के साथ सहयोग।
- vii. वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आइआरडीएआइ, आदि सहित घरेलू स्टेकधारकों के साथ समन्वय कार्य।

वैश्विक वित्तीय सेवा उद्योग तकनीकी परिवर्तनों और नये युग के वित्तीय उत्पाद और सेवाओं के विकसित होने के कारण एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। परिवर्तन के इस प्रवाह की वर्तमान स्थिति गिफ्ट आइएफएससी को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तथा नये युग में उदित हो रहे वित्तीय क्षेत्र का अग्रज बनने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान कर रही है। इस दिशा में, प्राधिकरण ने वैश्विक रुझानों का अध्ययन किया और गिफ्ट आइएफएससी में नये वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का शुभारंभ करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जहाज लीजिंग और फाईनेन्सिंग, लॉन्गेविटी फाइनेंस, वैश्विक कॉरपोरेट ट्रेजरी सेंटर आदि शामिल हैं।

- i. **जहाज लीजिंग:** भारत के पास एक बहुत बड़ी तटरेखा है और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार भी; लेकिन इसके बावजूद, भारत अभी भी अंतरराष्ट्रीय शिपिंग क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा बना हुआ है। इसको देखते हुए प्राधिकरण ने एक सक्षम विनियामक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए, दिनांक 24 जून 2021 को जहाज का वित्तपोषण और उन्हें पट्टे पर दिये जाने के संबंध में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करने, इसमें उपलब्ध अवसरों की पहचान करने और गिफ्ट आइएफएससी की ओर से ऐसी गतिविधियों को सक्षम करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया। उक्त समिति ने दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को **“सफल: जहाज अधिग्रहण, फाईनेन्सिंग और लीजिंग”** शीर्षक से अपनी रिपोर्ट आइएफएससी प्राधिकरण को सौंप दी है।
- ii. **लॉन्गेविटी फाइनेंस:** प्राधिकरण ने वैश्विक रुझानों का अध्ययन करने एवं आइएफएससी को लॉन्गेविटी फाइनेंस के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सुश्री काकू नखाते, कंद्री हेड [इंडिया], बैंक ऑफ अमेरिका और श्री गोपालन

श्रीनिवासन, पूर्व-अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड की अध्यक्षता में लॉन्गेविटी फाइनेंस पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

- iii. **ग्लोबल कॉरपोरेट ट्रेजरी सेंटर:** प्राधिकरण ने वैश्विक विनियामक आर्किटेक्चर का मूल्यांकन करने के बाद, जून 2021 में आइएफएससी में वित्तीय कंपनी / वित्तीय यूनिटों द्वारा वैश्विक / क्षेत्रीय कॉरपोरेट ट्रेजरी सेंटर संबंधी गतिविधियों को शुरू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया। यह फ्रेमवर्क अब वैश्विक और भारतीय कॉरपोरेट्स को कॉर्पोरेट वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए अपनी ट्रेजरी गतिविधियों को केंद्रीकृत करके अंतर्राष्ट्रीय संचालन करने के अवसर प्रदान करता है, जिसमें अंतर-समूह फाइनेंसिंग, बेहतर तरलता प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं सहित अन्य बातें शामिल हैं।

विदेशी कार्यक्षेत्रों और वित्तीय केंद्रों के साथ सहयोग -

वित्तीय सेवाओं में सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए यह जरूरी है कि प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्रों और अधिकार क्षेत्र के साथ मजबूत संबंध विकसित किये जाएं। इस दिशा में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में अंतर-सरकारी मंचों और विदेशी नियामकों के साथ द्विपक्षीय अंतर-नियामक सहयोग के माध्यम से इस तरह के कई सहयोग शुरू किये गये।

अंतर सरकारी मंच:

- i. **यूनाइटेड किंगडम:** वर्ष 2020 में आयोजित 10 वीं आर्थिक और वित्तीय चर्चा [ईएफडी] में यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच एक नया रणनीतिक सहयोग स्थापित करने का निर्णय लिया गया ताकि गिफ्ट सिटी में भारत के पहले आइएफएससी को विकसित करने में तेजी लायी जा सके और गिफ्ट सिटी एवं यूनाइटेड किंगडम की वित्तीय सेवाओं के पारिस्थितिकी तंत्र के बीच दोनों देशों को, उनके विनियामकों को और कारोबारों को एक साथ लाते हुए उनके बीच संबंधों को और भी दृढ़ बनाया जा सके जिससे अनुभवों एवं विशेषज्ञता को साझा करना संभव हो पाए।

इस रणनीतिक सहयोग के एक भाग के रूप में, उक्त प्राधिकरण विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में और भी अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूके में समकक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, ब्रिटिश उच्चायोग के विदेशी राष्ट्रमंडल विकास कार्यालय [एफसीडीओ] ने अपने तकनीकी सहायता कार्यक्रम के माध्यम से गिफ्ट आइएफएससी में एक वैश्विक फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए अपना समर्थन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, यूनाइटेड किंगडम ने आइएफएससी के प्रमुख फिनटेक विचार नेतृत्व कार्यक्रम "इनफिनिटी फोरम 2021" में "पार्टनर कंट्री" के रूप में भाग लिया जो वर्चुअल मोड में आयोजित की गयी थी। इस आयोजन ने समूचे यूनाइटेड किंगडम की फिनटेक संस्थाओं को अपने संबंधित स्टैकधारकों के समक्ष अपने नवोन्मेषी समाधान और अपना नेटवर्क प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया।



चित्र 6 - सर स्टीव स्मिथ, यूनाइटेड किंगडम सरकार के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा चैंपियन का आईएफसीसीए का दौरा

इसके अलावा, दोनों पक्षों ने सितंबर 2021 में आयोजित 11 वीं ईएफडी में, यूनाइटेड किंगडम - भारत रणनीतिक साझेदारी में हासिल की गयी प्रगति का स्वागत किया और आइएफएससी में वैश्विक फिनटेक और सतत वित्त के लिए एक केंद्र विकसित करने की दिशा में काम करने पर अपनी सहमति जतायी। दोनों पक्षों ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज [एलएसई] और आइएफएससी एक्सचेंजों पर हरित, सामाजिक और सतत बांडों की दोहरी लिस्टिंग की सुविधा का अन्वेषण करने पर भी सहमति व्यक्त की, ताकि फर्मों को विदेशी पूंजी जुटाने में सक्षम बनाया जा सके।

- ii. **संयुक्त राज्य अमेरिका:** अक्टूबर 2021 में आयोजित 8वीं भारत-यूएसए आर्थिक और वित्तीय साझेदारी में, दोनों ही पक्षों ने गिफ्ट आइएफएससी को और भी विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है इसका अन्वेषण करने के लिए चर्चा का दौर प्रारंभ करने पर अपनी सहमति जतायी।

अंतर-विनियामक सहयोग -

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित विदेशी विनियामकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया और द्विपक्षीय सहयोग को औपचारिक रूप प्रदान किया:

1. फाइनांशियल सर्विसेज रेग्युलेटरी एथॉरिटी ऑफ आबूधाबी ग्लोबल मार्केट्स [एफएसआरए-एडीजीएम]
2. कमीशन डी सर्विलांस डु सेक्टर फाइनेंसर [सीएसएसएफ-लक्जमबर्ग]
3. कतर फाइनांशियल सेंटर एथॉरिटी [क्यूएफसीए]
4. फाइनान्सिंस्पेक्टोनेन [एफआइ - स्वीडन]
5. दुबई फाइनांशियल सर्विसेज एथॉरिटी [डीएफएसए]


इस समझौतों के जापनों से नये और उभरते वित्तीय बाजारों के रुझानों, विनियमावलिओं और सर्वोत्तम प्रथाओं पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से बेहतर सहकार्य और सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण अन्य विदेशी विनियामकों के साथ अंतर-विनियामक सहयोग [एमओयू] को अंतिम रूप देने के बहुत अग्रिम चरण में है।

सतत वित्त

वैश्विक परिदृश्य


दुनिया भर के देश जलवायु के संबंध में जो कार्रवाई करते हैं उसके बारे में बढ़ती हुई प्रतिबद्धताओं के परिणामस्वरूप सतत वित्त को अंतराष्ट्रीय महत्व प्राप्त हुआ। दुनिया भर के विनियामकों ने वित्तीय बाजारों के हर पहलू में सततता संबंधी विचारों के एकीकरण पर अपना ध्यान लगाया है।

क्लाइमेट बॉन्ड मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार, बॉन्ड जारी करने में आयी निरंतर तेजी के कारण वर्ष 2021 में ग्रीन बॉन्ड बाजार आधा ट्रिलियन [यूएसडी 517.4 बिलियन] को पार कर गया। वर्ष 2021 में ग्रीन बॉन्ड का आंकड़ा, वर्ष 2020 के 297 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड आंकड़े से, 60 प्रतिशत से अधिक की समग्र वृद्धि के साथ आगे निकल गया।



आकृति 11 - हरित बॉन्डों का निर्गम

इसके अलावा, वर्ष 2021 में सामाजिक, सततता, सततता से जुड़े बांड [एसएलबी] और ट्रांज़िशन लेबल जारी करने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन सभी विषयों में वर्ष 2021 में कुल 646.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि निहित थी। यह वर्ष 2020 में 434.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से 50 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। संक्षेप रूप से, यह क्लाइमेट बॉन्ड की परिभाषाओं के अनुसार कुल लेबल वाले सतत ऋण की मात्रा को रिकॉर्ड 1.2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक ले जाता है।



आकृति 12 - सतत ऋण जिसमें हरित बॉन्ड के लेबल वाले ऋण शामिल नहीं हैं।

भारत में सतत वित्त

नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित सीओपी 26 शिखर सम्मेलन में, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 2030 तक भारत के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करने, देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का संकल्प लिया। इस प्रतिबद्धता में वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करना और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता को 500 गीगावैट तक बढ़ाना भी शामिल है।

ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद [सीईईडब्ल्यू]³⁵ की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत को 10.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संचयी निवेश की आवश्यकता होगी। उक्त रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है कि 10.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर में से 8.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा [और संबंधित वितरण और पारेषण इंफ्रास्ट्रक्चर] के माध्यम से उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए होगी, और 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की आवश्यकता औद्योगिक क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने के लिए एवं शेष गतिशीलता संक्रमण के लिए होगी। इस अध्ययन में यह भी अनुमान लगाया गया है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि भारत को 3.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के भारी भरकम निवेश घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इस निवेश के एक महत्वपूर्ण भाग का वित्तपोषण विदेशी पूंजी के माध्यम से करने की आवश्यकता होगी और आइएफएससी भारत की हरित और सतत परियोजनाओं में विदेशी निवेश के लिए एक प्रवेशद्वार के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस दौरान गतिशील परिदृश्य और अनुकूल विनियामक वातावरण एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा।

आइएफएससी में सतत वित्त

प्राधिकरण ने दिनांक 16 जुलाई 2021 को लिस्टिंग विनियमावली को अधिसूचित किया, जो ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग के लिए विनियामक ढांचा प्रदान करता है।

बॉक्स 7 - ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग


- 1) ऋण प्रतिभूतियों को यदि किसी भी मान्यता प्राप्त फ्रेमवर्क के साथ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ के सिद्धांत / दिशानिर्देश, जलवायु बॉन्ड मानक, आसियान मानक, यूरोपीय संघ के मानक / वर्गीकरण के साथ अथवा भारत में या अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कार्यप्रणाली [जिसके बारे में मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा] के साथ संरेखित किया गया हो तो हरित, सामाजिक, सततता से जुड़ी ऋण प्रतिभूतियों के रूप में लेबल किया जाएगा।

³⁵भारत का 2070 नेट-जीरो लक्ष्य निवेश आकार

- 2) जारीकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि ईएसजी ऋण प्रतिभूतियाँ उल्लिखित मान्यता प्राप्त फ्रेमवर्क के अनुरूप ही हैं इसकी जांच करने के लिए स्वतंत्र बाहरी समीक्षक को नियुक्त किया गया है।
- 3) हरित बांड, सामाजिक बांड और सतत बांड जारीकर्ताओं के लिए प्रस्ताव दस्तावेजों में अतिरिक्त प्रकटीकरण करना अनिवार्य है जिसमें ईएसजी के उद्देश्यों पर एक विवरण, जारीकर्ता द्वारा परियोजनाओं और / या परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और चयन के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का विवरण, निर्गम से प्राप्त होनेवाली आय का प्रस्तावित उपयोग, निर्गम से प्राप्त होनेवाली आय पर नजर रखने के लिए अपनायी जाने वाली प्रणालियों और क्रियाविधियों के ब्योरे शामिल हैं। प्रतिभूतियों की लिस्टिंग के बाद, जारीकर्ताओं को वार्षिक आधार पर [आय के पूर्ण आवंटन तक] [क] निर्गम से प्राप्त आय का उपयोग, [ख] उस आय के आवंटन की रिपोर्ट, और [ग] उसका क्या प्रभाव हुआ इसके बारे में अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
- 4) सततता से जुड़ी ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं को प्रस्ताव दस्तावेज में अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसमें सततता से जुड़ी ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने का औचित्य और जारीकर्ताओं की समग्र सततता और व्यावसायिक रणनीति शामिल है। इसके अलावा, जारीकर्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियाँ जारी करने से पहले और जारी करने के बाद के दायित्वों का पालन करेगा, जिसके साथ उन प्रतिभूतियों को संरेखित किया गया है।

प्राधिकरण ने पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा और फिनटेक में आइएफएससी में सतत वित्त के विकास के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित की है। आइएफएससी के पास दो अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम और लगभग 20 आइबीयू के साथ एक अच्छी तरह से काम करने वाला पूंजी बाजार और बैंकिंग परिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। आइएफएससी की लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता और आइएफएससी से संचालित संस्थाओं के लिए कर प्रोत्साहन, आइएफएससी के माध्यम से सतत परियोजनाओं में पूंजी प्रवाह को मिलनेवाले लाभ हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आइएफएससी एक्सचेंजों पर ईएसजी-लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियों की कुल लिस्टिंग 5234 मिलियन अमरीकी डॉलर है। ईएसजी-लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियों के फ्रेमवर्क ने, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित है, आइएफएससी एक्सचेंजों में सामाजिक, सतत और सततता से जुड़ी ऋण प्रतिभूतियों का शुभारंभ संभव बनाया है।



आकृति 13 - वित्तीय वर्ष 2021-22 में आइएफएससी एक्सचेंजों पर ईएसजी ऋण प्रतिभूतियाँ

दिनांक 24 जनवरी, 2022 को, भारतीय रेलवे वित्त निगम [आइआरएफसी] ने अपने 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के ग्रीन बॉन्डों को विशेष रूप से आइएफएससी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया। आइआरएफसी अपने अपतटीय बांडों को विशेष रूप से आइएफएससी एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम [सीपीएसई] बन गया। दिनांक 11 मार्च, 2022 को, आइएफएससी एक्सचेंज पर आवास फाइनेंसर्स 3600 मिलियन रुपये पर अपने सामाजिक मसाला बांड को सूचीबद्ध करने वाला पहला जारीकर्ता बन गया।



चित्र 7 - श्री अमिताभ बैनर्जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय रेल वित्त निगम और श्री इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष आइएफएससीए, आइएफएससी के एक्सचेंजों पर आइआरएफसी के हरित बॉन्डों के लिस्टिंग समारोह के अवसर पर

केंद्रीय बजट 2022-23

वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में माननीया वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि देश में सतत और जलवायु वित्त के लिए वैश्विक पूंजी की सेवाओं को गिफ्ट सिटी में सुगम बनाया जाएगा।

सतत वित्त पर आइएफएससीए की विशेषज्ञ समिति

प्राधिकरण ने सतत वित्त केंद्र को विकसित करने के लिए अपेक्षित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के अपने प्रयासों में क्या दृष्टिकोण अपनाया जाए तथा इसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए इसके बारे में सिफारिश करने के प्रयोजन से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री सी.के. मिश्रा, इस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति में सतत वित्त स्पेक्ट्रम से जुड़े नेता शामिल हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, मानक सेटिंग निकाय, निधियों संबंधी शिक्षा प्रदाता, और परामर्शदाता भी शामिल हैं।

विशेषज्ञ समिति का गठन निम्न उद्देश्यों से किया गया है:


- प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कार्यक्षेत्रों में सतत वित्त में मौजूदा नियामक प्रथाओं का अध्ययन करना और आइएफएससी में एक विश्व स्तरीय सतत वित्त केंद्र विकसित करने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क की सिफारिश करना।
- गिफ्ट आइएफएससी के लिए सतत वित्त में मौजूद तथा उभर रहे अवसरों का पता करना ताकि भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रवेशद्वार के रूप में कार्य किया जा सके; और
- सतत वित्त के लिए एक अल्पावधि, मध्यावधि, और दीर्घावधि विजन / रोड मैप की सिफारिश करना।

यह अनुमान है कि उक्त विशेषज्ञ समिति वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

निधि प्रबंधन विनियमावली

दुनिया भर के निधि प्रबंधकों ने निवेश संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में ईएसजी जोखिमों और अवसरों को शामिल करना शुरू कर दिया है। ऐसी सतत निधियों की संख्या, जो अपनी संपत्ति आवंटन की रणनीति में सततता संबंधी विचारों को अपने निर्णयों के साथ मिला लेती हैं, पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ती जा रही है। सतत म्यूचुअल फंड और ईएसजी-केंद्रित ईटीएफ के तहत एयूएम पिछले साल वैश्विक स्तर पर 53 प्रतिशत से बढ़कर 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जिसमें शुद्ध 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर सतत रणनीतियों में प्रवाहित हुआ³⁶।

³⁶मॉनिंग स्टार



आकृति 14 - त्रैमासिक वैश्विक स्थायी निधि परिसंपत्तियाँ (बिलियन अमरीकी डॉलर)

प्राधिकरण का इरादा ईएसजी पर ध्यान केंद्रित करने वाले फंडों के लिए सहायक वातावरण प्रदान करना है, जिसमें अपनी श्रेणी की सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के लिए बेंचमार्क किये गये प्रकटीकरण के उन्नत फ्रेमवर्क ढांचे मौजूद हैं।

आइओएससीओ की सिफारिशों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों की विनियमावली के आधार पर, आइएफएससीए [निधि प्रबंधन] विनियमावली, 2022 में एफएमई द्वारा ईएसजी के प्रकटीकरणों पर आवश्यकताएं निर्दिष्ट की गयी हैं। एयूएम एक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर प्रबंधन करने वाले एफएमई [किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 3 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट एयूएम की किसी अन्य सीमा] को निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करना होगा:

| विवरण | टिप्पणियाँ |
|-----------------------|---|
| (I) गवर्नेंस | भौतिक सततता-संबंधी जोखिमों और अवसरों के इर्द-गिर्द गवर्नेंस पर नीति बनाना। |
| (II) जोखिम प्रबंधन | अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा करना कि निधि प्रबंधक किस प्रकार भौतिक सततता से संबंधित जोखिमों की पहचान, और उनका मूल्यांकन एवं प्रबंधन कैसे करता है। |
| (III) निवेश की रणनीति | अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निधि प्रबंधक की निवेश के बारे में रणनीतियों और प्रक्रियाओं में सततता से संबंधित जोखिमों और अवसरों को, जहां प्रासंगिक हो वहाँ, शामिल करने की प्रक्रिया को स्थापित और प्रकट करना, जिसमें डेटा और कार्यप्रणाली भी शामिल हो। |

इसके अलावा, विनियमावली के अनुसार, कोई भी एफएमई जो ईएसजी से संबंधित योजना शुरू करता है, उसे निवेश के उद्दिष्ट, निवेश नीति, रणनीति, भौतिक जोखिम, बेंचमार्क आदि के बारे में पूर्ण प्रकटीकरण करना आवश्यक होगा।

सतत और सततता से जुड़े ऋण

प्राधिकरण ने आईबीयू और एफसी द्वारा सतत ऋण को बढ़ावा देने के फ्रेमवर्क पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। आइएफएससीओ वैश्विक सतत वित्त केंद्र बनाने की समग्र रणनीति के एक भाग के रूप में, इसका उद्देश्य बैंकिंग यूनियनों द्वारा सतत क्षेत्रों को उधार देने को प्रोत्साहित करना है। प्रस्तावित फ्रेमवर्क के मुख्य घटक नीचे दिये गये हैं:

- यह आइबीयू और एफसी को सतत वित्तपोषण के बारे में बोर्ड द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके बदले यह फ्रेमवर्क ऋणदाताओं को ऐसी सुविधाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने की अनुमति देता है, जिन्हें कार्यशील पूंजी वित्त, व्यापार वित्त आदि के संबंध में हरित / सामाजिक / सतत और उसी प्रकार के अल्पकालिक वित्तपोषण के रूप में लेबल किया जा सकता है।

- ii. इस फ्रेमवर्क में आइएफएससी के पास पंजीकृत आइबीयू और एफसी / एफयू [आइएफएससी से उधार देने की गतिविधियां करने वाले] को ऐसे निर्देश देने का प्रस्ताव है कि वे अंतिम फ्रेमवर्क जारी होने की तारीख से नौ महीने की समयावधि के भीतर सतत उधार के बारे में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति विकसित करें। इसके अलावा, ऐसी संस्थाओं द्वारा अगले वर्ष से अपनी ऋण परीसंपत्तियों का कम-से-कम पांच प्रतिशत हरित / सामाजिक / सतत / सततता से जुड़े क्षेत्रों / सुविधाओं को उधार के रूप में दिया हुआ होना चाहिए।
- iii. इस मार्गदर्शन संबंधी फ्रेमवर्क में यह प्रस्ताव किया गया है कि आइबीयू को आइसीएमए, एलएमए आदि द्वारा बनाये गये अंतरराष्ट्रीय मानकों / सिद्धांतों के साथ स्वयं को संरेखित करते हुए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाते समय मूल्यांकन प्रक्रिया, रिपोर्टिंग तंत्र और निगरानी प्रक्रिया को शामिल किया जाना चाहिए।
- iv. उक्त फ्रेमवर्क में आइबीयू और एफसी के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे हरित / सामाजिक / सतत / सततता से जुड़ी श्रेणियों के अंतर्गत अर्ध-वार्षिक आधार पर ऋण देने के विवरण की रिपोर्ट करते रहे।

आइएफएससी के एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध की गयी कंपनियों द्वारा सततता संबंधी रिपोर्टिंग

प्राधिकरण ने लिस्टिंग विनियमावली, 2021 में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी [50 मिलियन अमरीकी डॉलर या उससे अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली] के लिए यह अनिवार्य किया है कि वह पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस के कारकों के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों को हर वर्ष एक सततता रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सततता रिपोर्ट इन बातों पर आधारित होगी:

- [क] अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, सततता लेखा मानक बोर्ड, जल-वायु से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरणों पर टास्क फोर्स, एकीकृत रिपोर्टिंग अथवा अन्य ऐसे कोई भी मानक जिन्हें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा आइएफएससीए निर्दिष्ट करे; अथवा
- [ख] भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य कोई मानक।

सहायक सेवाएं

विश्व स्तर पर, व्यावसायिक सेवाओं ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में वित्तीय सेवा उद्योग को फलने-फूलने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। व्यावसायिक सेवा प्रदाता कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं, लेखा और प्रबंधन परामर्श सेवाओं, सचिवीय सेवाओं आदि जैसी प्रमुख सहायता सेवाएं प्रदान करते हुए वित्तीय संस्थानों / फर्मों को आधार प्रदान करते हैं। आइएफएससी में व्यावसायिक सेवाओं की मांग वित्तीय सेवाओं के लेनदेन और उत्पादों के जटिल और परिष्कृत स्वरूप से परिचालित होती है जिनकी प्रकृति मूलतः सीमा पार लेनदेनों जैसी है।

भारत में विशेषतः चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक जैसी व्यावसायिक सेवाओं के लिए कुशल प्रतिभा संग्रह की उपलब्धता के साथ, ऐसी अपार संभावनाएं बनी हुई हैं कि आइएफएससी व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं का एक प्रमुख केंद्र बने जो आइएफएससी से तथा विदेशों से पैदा हुई मांग को भी पूरा कर सके। गिफ्ट आइएफएससी में वित्तीय बाजारों के विकास में व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं के अंगभूत महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने फरवरी 2021 में "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सहायक सेवाओं को सक्षम करने के लिए फ्रेमवर्क" जारी किया था।

गिफ्ट आइएफएससी में सहायक सेवा प्रदान करनेवाली फर्मों के परिचालन से व्यावसायिक सेवाओं की मांग को पूरा करते हुए और आइएफएससी के लिए वैश्विक और घरेलू वित्तीय उद्योग को आकर्षित करते हुए वित्तीय सेवाओं के पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में तेज गति प्राप्त हुई।

विनियमावलियों, अधिसूचनाओं, प्रमुख परिपत्रों / दिशानिर्देशों के संबंध में गतिविधियां

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सहायक सेवाओं को सक्षम करने के लिए फ्रेमवर्क

सहायक सेवाओं को ऐसी सेवाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी सेवा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहायता प्रदान करते हैं, या उसकी मदद करते हैं, या उसे मजबूती प्रदान करते हैं या आइएफएससी अधिनियम, 2019 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित 'सेवाएं' प्रदान करते हैं अथवा उससे जुड़ी हुई हैं।

उक्त फ्रेमवर्क के अंतर्गत अनुमत सहायक सेवाएं इस प्रकार हैं :

- कानूनी, अनुपालन और सचिवीय;
- लेखा परीक्षा, एकाउंटिंग, बुक कीपिंग और कर संबंधी सेवाएं;
- व्यावसायिक और प्रबंधन परामर्शदात्री सेवाएं
- प्रशासन, परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं, और ट्रस्टीशिप सेवाएं;
- आइएफएससी द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित अन्य कोई सेवाएं

निम्नलिखित संस्थाएं सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए पात्र हैं :

- आइएफएससी के अंतर्गत गठित कोई भी मौजूदा अथवा नयी इन्कॉर्पोरेट की गयी निगमित संस्था, अथवा
- कोई शाखा अथवा गौण कार्यालय स्थापित करते हुए कोई भी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी

सेवा प्रदाता निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक को अनुमत सेवाएं प्रदान कर सकते हैं :

- आइएफएससी में गठित संस्था अथवा संस्थाएं;
- भारत में आइएफएससी में या विदेशों में अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए विदेशी कार्यक्षेत्रों में स्थित वित्तीय सेवा संस्थाएं;
- ऐसी भारतीय संस्थाएं जो आइएफएससी में या विदेशी कार्यक्षेत्रों में कोई संस्था खोलने, गठित करने अथवा उसका संचालन करने का प्रस्ताव करती हैं, बशर्ते उसके लिए प्रतिफल मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो।

बाद में प्राधिकरण ने दिनांक 10 जून 2021 को सहायक सेवाओं को संभव बनाने के फ्रेमवर्क के बारे में एक सुस्पष्ट परिपत्र जारी किया। इस परिपत्र के अंतर्गत जारी कुछ स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं :

- आइएफएससी में किसी भी संस्था को एक कंपनी, या सीमित देयता भागीदारी, या एक पंजीकृत भागीदारी फर्म, या उसकी शाखा, या प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित किसी भी अन्य रूप में स्थापित किया जा सकता है।
- सेवा प्रदाता आइएफएससी में अनुमत विभिन्न सहायक सेवाओं के लिए भारत में आइएफएससी में या विदेशों में विदेशी कार्यक्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
- आवेदक उक्त फ्रेमवर्क के अंतर्गत अपने ग्राहक की परिसंपत्तियों को [पैसों सहित] प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी अपने कब्जे में नहीं लेगा और केवल निर्धारित फ्रेमवर्क के भीतर ही अनुमत सेवाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा, उक्त आवेदक को,

डिबेंचर ट्रस्टी, निवेश सलाहकार, एआइएफ, फंड प्रबंधन, आदि जैसी विनियमित गतिविधियों के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क के अंतर्गत अलग से प्राधिकरण के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी।

लेनदेन / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियाँ

सहायक फ्रेमवर्क के अंतर्गत, कुल 36 संस्थाओं ने प्राधिकरण के पास प्राधिकार हेतु आवेदन किया था, जिनमें से 28 संस्थाओं को दिनांक 31 मार्च 2022 तक ऐसा प्राधिकार प्रदान किया गया। गिफ्ट आइएफएससी में सहायक सेवा पारिस्थितिकी तंत्र वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कई सारी प्रमुख व्यावसायिक सेवा प्रदान करनेवाली फर्मों, निधि प्रशासकों, ट्रस्टीशिप सेवा प्रदाताओं, एकाउंटिंग फर्मों, परामर्श सेवाएं प्रदान करनेवाली फर्मों, कानूनी फर्मों के साथ तेजी से विकसित हुआ और इन फर्मों ने आइएफएससी में मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करायी।

वकालत और जनसंपर्क

जनसंपर्क को विकसित करने की रणनीति के एक भाग के रूप में, प्राधिकरण ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया [आईसीएसआई] और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया [आईसीएआई] के सहयोग से आइएफएससी में व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं के लिए क्या अवसर उपलब्ध हैं इसको दर्शाने के लिए वेबिनार आयोजित किए।

सूचना प्रौद्योगिकी [आइटी]

प्रौद्योगिकी पूरे विश्व भर में वित्तीय वातावरण को सक्षम बनाने वाला एक प्रमुख प्रवर्तक है। प्राधिकरण ने आइटी प्रणालियों और इंफ्रास्ट्रक्चर में की जाने वाली अनेक पहलों की एक श्रृंखला को अभिनिर्धारित कर लिया है। तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया की मांगों और चुनौतियों के साथ तालमेल रखने के उद्देश्य से प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार लाने के लिए सभी व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के बीच तालमेल बनाना प्राधिकरण का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गयी प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी प्रणाली [सुप-टेक]

कारोबार करने में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्राधिकरण को शुरू से अंत तक एक प्रभावी आईटी-सक्षम प्रणाली की आवश्यकता है। इस प्रणाली में इसकी विनियमित संस्थाओं के बीच प्रशासनिक, अनुपालन, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन संबंधी फ्रेमवर्क को शामिल किया जाएगा। यह भारत में एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस [एपीआई] आधारित मशीन-टू-मशीन संचार के माध्यम से या एकीकरण के माध्यम से अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के साथ भी सहयोग करेगा।

उक्त प्रणाली को एक ऐसे प्रभावी और पारदर्शी मंच के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें रिपोर्टिंग, आरबीएस और डेटा विश्लेषण को शामिल किया जा सकेगा। इस प्रणाली में विनियमित संस्थाओं से प्राप्त डेटा को संग्रहित करने के लिए एक आंतरिक भंडार भी शामिल होगा। इसके अलावा, उनके पास प्रकटीकरण संबंधी रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट और अन्य संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक पोर्टल भी उपलब्ध होगा। उक्त प्रणाली को विकसित करने की प्रक्रिया जारी है और विक्रेताओं के चयन के लिए प्रस्ताव भेजने के अनुरोध [आरएफपी] पहले ही मंगाये जा चुके हैं और जिस विक्रेता का चयन होगा वह उक्त प्रणाली लागू करेगा।

आनेवाले दिनों में, इस प्रणाली को कार्यान्वित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि प्राधिकरण के विनियामक और पर्यवेक्षी कामकाज को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अलावा, प्राधिकरण के उद्देश्यों को साकार करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने पर भी जोर दिया जाएगा।

आइएफएससीए वेबसाइट

उक्त वेबसाइट अपने कामकाज के बारे में जनता एवं अपनी विनियमित संस्थाओं और अन्य सहायक कंपनियों के बीच जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्राधिकरण के एक महत्वपूर्ण इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। यह वेबसाइट संगठन की स्थापना के साथ ही लाइव हो गयी थी और मार्च 2022 में इसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र [एनआईसी] में स्थानांतरित कर दिया गया था जिससे इसके कार्यानिष्पादन और सुरक्षा में वृद्धि हुई।

प्राधिकरण अपनी वेबसाइट को नवीनतम डिजाइन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित कर रहा है ताकि उसे भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। प्राधिकरण की वेबसाइट को इसके समकक्षों के साथ विश्वस्तरीय बनाने के लिए बेंचमार्किंग की जा रही है। नयी वेबसाइट बेहतर नेविगेशन डिजाइन और स्पीड रिफ्रेश, एआई / एमएल समर्थित सुविधाओं जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ उपयोगकर्ता को अनुकूल इंटरफेस प्रदान करेगी। इसे दुनिया भर में व्यापक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के साथ

भी सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा। इसमें जो अगली पीढ़ी की विशेषताएं शामिल की गयी हैं उनकी वजह से आइएफएससी में भविष्य में आनेवाली संस्थाओं के साथ बाधा रहित संप्रेषण करना सुलभ हो जाएगा जिससे कारोबार करने में और भी आसानी होगी।

आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर

प्राधिकरण अपने कर्मचारियों को कंप्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन और हाई-स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क [एलएएन] कनेक्टिविटी से लैस वर्कस्टेशन प्रदान करता है। प्राधिकरण ने एक आंतरिक मेल सर्वर चालू किया है ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित भी रहे और कुशलता से प्रसारित भी की जा सके। यह आंतरिक फ़ाइल सर्वर संगठन के भीतर दस्तावेज़ों को साझा करने में आसानी प्रदान करता है। कार्यालय का नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर अधिकतम व्यस्त यातायात को संभालने में सक्षम है। प्राधिकरण के परिसर में उच्च गति वाली वाई-फाई संपर्क व्यवस्था मौजूद है और बोर्ड रूम तथा मीटिंग रूम में विश्व स्तरीय वीडियो कॉन्फ़रेंसिंग उपकरण मौजूद हैं जिससे निबंध और सुरक्षित संप्रेषण संभव हो पाता है।

ई-ऑफिस – आइएफएससीए एप्लीकेशन

एनआइसी द्वारा विकसित ई-ऑफिस एप्लिकेशन एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रबंधन प्रणाली है जिसका उद्देश्य अधिक प्रभावी और पारदर्शी आंतरिक और अंतर-विभागीय प्रक्रियाओं की शुरुआत करके प्राधिकरण के भीतर गवर्नेंस का समर्थन करना है। अलग-अलग विभागों में और उनके बीच एक आसान, जबाबदेह, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से काम संभव बनाना इस एप्लीकेशन का विजन है।

उक्त ई-ऑफिस एप्लिकेशन, फाइल निर्माण, नोटिंग, संदर्भ, पत्राचार अटैचमेंट, अनुमोदन के लिए ड्राफ्ट बनाना और फाइलों के साथ रसीदों की आवाजाही और ट्रैकिंग के साथ-साथ स्कैनिंग, पंजीकरण, आवक पत्राचार की रूटिंग जैसी सेवाएं प्रदान करते हुए ऐसे कार्यालय को संभव बनाने में प्राधिकरण की सहायता करता है जिसमें कागज की बहुत आवश्यकता न रहे।

इस एप्लिकेशन में फ़ाइल प्रबंधन प्रणाली, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, प्रबंधन सूचना प्रणाली, कर्मचारी डेटा प्रबंधन और मास्टर डेटा प्रबंधन भी शामिल हैं, जो प्राधिकरण की आंतरिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में मदद करते हैं।

भाग घ

प्राधिकरण के अर्ध-विधायी, कार्यपालक और अर्ध-न्यायिक कार्यकलापों की सूची / कवरेज

आइएफएससीए को भारत में स्थित आइएफएससी के एकीकृत विनियामक के रूप में स्थापित किया गया है, ताकि वह आरबीआइ, सेबी, आइआरडीएआइ और पीएफआरडीए जैसे चार घरेलू विनियामक जिन विनियामक शक्तियों का प्रयोग करते आये, उन्हीं विनियामक शक्तियों का एकीकृत रूप में उपयोग कर सके। इस प्रकार, आइएफएससीए ऐसी सभी अर्ध- विधायी, कार्यपालक, और अर्ध- न्यायिक कार्यकलापों को आइएफएससी के भीतर निष्पादित कर सकेगा जो इन विनियामकों द्वारा घरेलू स्तर पर निष्पादित की जा रही हैं। आइएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 12 आइएफएससीए को आइएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाएं और वित्तीय संस्थाओं को विकसित करने और उन्हें विनियमित करने की शक्तियां प्रदान करती है। साथ ही, वह केंद्र सरकार को भी ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, और वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों की सिफारिश कर सकती है जिनको आइएफएससी के अंतर्गत अनुमति प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा, आइएफएससीए उक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत उपरोलिखित चार घरेलू विनियामकों द्वारा प्रयोग की जा सकनेवाली शक्तियों का प्रयोग और कार्यकलाप कर सकता है, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची -1 में निर्दिष्ट कुछ अधिनियमों के संदर्भ में हैं और जहां तक वे आइएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं से संबंधित हैं।

प्राधिकरण ने अपनी अर्ध-विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई क्षेत्रों के लिए विनियमावल्यां जारी की हैं। बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा जैसी मुख्य गतिविधियों के अलावा, प्रशासनिक और विविध मामलों पर भी विनियमावल्यां जारी की गयी हैं। प्राधिकरण द्वारा विनियमित किये जाने वाले विभिन्न वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए, निम्नलिखित विनियमावल्यां, अधिसूचनाएं और परिपत्र जारी किये गये हैं:

सारणी 19 - विनियमावल्यां की सूची

| क्रम सं. | विनियमावल्यां | जारी करने की तारीख | उद्देश्य |
|----------|--|--------------------|---|
| 1 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाएं] विनियमावली, 2021 आइएफएससीए / 2021-22 / जी एन / आर ई जी 011 | 12/ 04/ 2021 | इन विनियमावल्यां में बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों को मान्यता प्रदान करने और उनके परिचालन के लिए और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है |
| 2 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [बैंकिंग] [दूसरा संशोधन] विनियमावली, 2021 आइएफएससीए / 2021-22 / जीएन / आरईजी 013 | 05/ 07/ 2021 | प्राधिकरण ने आइएफएससीए [बैंकिंग] विनियमावली, 2020 में कुछ परिभाषाओं और प्रावधानों को सम्मिलित करने, उन्हें संशोधित करने, उन्हें त्याग देने और कुछ परिभाषाओं एवं प्रावधानों उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए यह विनियमावली जारी की है। |
| 3 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [विनियमावली बनाने के लिए क्रियाविधि] विनियमावली, 2021 आइएफएससीए / 2021-22 / जीएन / आरईजी 012 | 05/07/2021 | प्राधिकरण ने इस विनियमावली को विनियम बनाने के लिए तौर तरीके तय करने हेतु जारी किया है और यदि कुछ नियमों को बनाने की आवश्यकता है या मौजूदा नियमों को तत्काल संशोधित करने की आवश्यकता है तो उक्त प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। |

| | | | |
|---|---|------------|--|
| 4 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [बुलियन एक्सचेंज] [संशोधन] विनियमावली, 2021 आइएफएससीए / 2021-22 / जीएन / आरईजी 014 | 05/07/2021 | प्राधिकरण ने आइएफएससीए [बुलियन एक्सचेंज] विनियमावली, 2020 में कुछ संशोधित करने के लिए नियम जारी किए हैं। |
| 5 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [प्रतिभूतियों का निर्गम और उनकी लिस्टिंग] विनियमावली, 2021 आइएफएससीए / 2021-22 / जीएन / आरईजी 015 | 16/07/2021 | प्राधिकरण ने ऐसा एकीकृत फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए यह विनियमावली जारी की है जिसमें (i) विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के निर्गम और उनकी लिस्टिंग तथा (ii) प्रारंभिक और निरंतर प्रकटीकरणों को निर्दिष्ट किया गया हो। इस विनियमावली में स्टार्ट अप कंपनियों, छोटे और मध्यम आकार वाले उद्योगों और एसपीएसी द्वारा प्रतिभूतियाँ जारी करने और उनकी लिस्टिंग के लिए भी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा उनकी लिस्टिंग संभव हो इसके लिए भी एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें ईएसजी और स्मार्ट सिटीज पर ध्यान केंद्रित किया गया है। |
| 6 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [पूंजी बाज़ार मध्यस्थ] विनियमावली, 2021 आइएफएससीए / 2021-22 / जीएन / आरईजी 018 | 18/10/2021 | इस विनियमावली में, अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी बाज़ार के विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों के पंजीकरण, उत्तरदायित्व, और जिम्मेदारियों निरीक्षण एवं प्रवर्तन के संबंध में विनियामक जरूरतों का प्रावधान किया गया है जैसे, ब्रोकर डीलर, समाशोधन सदस्य, डिपॉजिटरी के सहभागी, निवेश बैंकर, पोर्टफोलियो प्रबंधक, निवेश सलाहकार, अभिरक्षक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, डिबेंचर ट्रस्टीज और एकाउंट एग्रीगेटर्स। |
| 7 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [निर्गम मध्यस्थ] विनियमावली, 2021 आइएफएससीए / 2021-22 / जीएन / आरईजी 017 | 18/10/2021 | इस विनियमावली में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्गम मध्यस्थों के लिए पात्रता मानदंड, पंजीकरण प्रक्रिया, और अनुमत गतिविधियों के लिए प्रावधान किये गये हैं। |
| 8 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [बीमा कारोबार का पंजीकरण] विनियमावली, 2021 आइएफएससीए / 2021-22 / जीएन / आरईजी 016 | 18/10/2021 | इस विनियमावली में, अन्य बातों के साथ-साथ, आइएफएससी में बीमा कारोबार को पंजीकृत करने के लिए पात्रता मानदंड, पंजीकरण की प्रक्रिया, और अनुमत गतिविधियां, मूलभूत विनियामक और गवर्नेंस संबंधी जरूरतें शामिल हैं। |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| 9 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [बीमा मध्यस्थ] [संशोधन] विनियमावली, 2021 आइएफएससीए / 2021-22 / जीएन / आरईजी 020 | 04/01/2022 | प्राधिकरण ने आइएफएससीए [बीमा मध्यस्थ] विनियमावली, 2021 के कुछ प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने के लिए इस विनियमावली को जारी किया है। |
| 10 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [बीमा कारोबार का पंजीकरण] [संशोधन] विनियमावली, 2021 आइएफएससीए / 2021-22 / जीएन / आरईजी 019 | 04/01/2022 | प्राधिकरण ने आइएफएससीए [बीमा कारोबार का पंजीकरण] विनियमावली, 2021 में कुछ संशोधन करने के लिए यह विनियमावली जारी की थी। |
| 11 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [बीमा वेब एग्रीगेटर] विनियमावली, 2022 आइएफएससीए / 2021-22 / जीएन / आरईजी 021 | 31/01/2022 | प्राधिकरण ने आइएफएससीए में खुदरा बीमा कारोबार को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, बीमा वेब एग्रीगेटर के पंजीकरण और परिचालनों के लिए यह विनियमावली जारी की है। |
| 12 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण [कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति] विनियमावली, 2022 आइएफएससीए / 2021-22 / जीएन / आरईजी 022 | 23/03/2022 | इस विनियमावली में, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति [पीआरसी] के गठन और संरचना, समिति द्वारा समीक्षा की गूंजाइश, अनुपालन और गवर्नेंस संबंधी कार्यकलाप और जोखिम प्रबंधन, शिकायतों पर कार्रवाई करने का तरीका, तथा साथ ही, पीआरसी के लिए जानकारी तक पहुँच के लिए प्रावधान किये गये हैं। |

सारणी 20 - अधिसूचनाओं की सूची

| क्रम सं. | अधिसूचना | प्रकाशन की तारीख | अधिसूचना का प्रयोजन |
|----------|---|------------------|--|
| 1 | आइएफएससी की कुछ धाराओं में छूट के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन एस. ओ. 3156 [ई] ³⁷ | 05/08/2021 | इस अधिसूचना में निम्नलिखित कंपनियों को धारा 387 से 392 तक के प्रावधानों से [दोनों ही धाराओं को मिलाकर] छूट प्रदान की गयी है:- (क) विदेशी कंपनियां (ख) भारत के बाहर निगमित कंपनियां अथवा निगमित होने जा रही कंपनियां, और जहां कंपनी स्थापित हो गयी है अथवा स्थापित नहीं हुई है, अथवा जब कंपनी का गठन होता है, तब वह भारत में कारोबार के लिए जगह ले ले अथवा न लें; जहां तक वे प्रतिभूतियों में अपना अभिदान करने का प्रस्ताव करने से संबंधित हैं, प्रॉस्पेक्टस से संबंधित अपेक्षाएं, और आइएफएससी में उससे जुड़े अन्य सभी मसले |
| 2 | कंपनियां [विदेशी कंपनियों का पंजीकरण] संशोधन नियमावली, 2021 जी. एस. आर. 538 [ई] ³⁸ | 05/08/2021 | कंपनी [विदेशी कंपनियों का पंजीकरण] नियमावली, 2014 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। इस स्पष्टीकरण के अंतर्गत, प्रतिभूतियों की इलेक्ट्रॉनिक आधारित पेशकश, उनकी सदस्यता या प्रतिभूतियों की आइएफएससी में लिस्टिंग को कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (42) के प्रयोजन के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक मोड' के रूप में नहीं माना जाएगा। |
| 3 | कंपनियां [परिभाषाओं के ब्योरो को निर्दिष्ट करना] तीसरी संशोधन नियमावली, 2021 ³⁹ | 05/08/2021 | कंपनी [परिभाषा के ब्योरो को निर्दिष्ट करना] नियम, 2014 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (एच) के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत, प्रतिभूतियों की इलेक्ट्रॉनिक आधारित पेशकश, उनकी सदस्यता अथवा प्रतिभूतियों की आइएफएससी में लिस्टिंग को अधिनियम की धारा 2 के खंड (42) के प्रयोजन के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक मोड' के रूप में नहीं माना जाएगा। |

³⁷ कंपनी अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना कॉर्पोरेट कार्यभार मंत्रालय द्वारा जारी की गयी है।³⁸ उक्त³⁹ उक्त अधिसूचना कॉर्पोरेट कार्यभार मंत्रालय द्वारा जारी की गयी है।

सारणी 21 - प्रमुख परिपत्रों / दिशानिर्देशों की सूची

| क्रम सं. | परिपत्र / दिशानिर्देश | जारी करने की तारीख | उद्दिष्ट |
|----------|---|--------------------|---|
| 1 | बीयू द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा [पीएमएस] और निवेश सलाहकार सेवा का प्रस्ताव | 26/04/2021 | इस परिपत्र में यह निर्दिष्ट किया गया है कि आइएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए जारी दिनांक 09 / 09 / 2020 के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश [सेबी द्वारा जारी] यथावश्यक परिवर्तनों के साथ बीयू पर भी लागू होंगे। इस परिपत्र में बैंकिंग यूनिटों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए कुछ अन्य अपेक्षाएं भी निर्धारित की गयी हैं। |
| 2 | विवेकपूर्ण विनियमावली और गतिविधि विशिष्ट दिशानिर्देश | 03/05/2021 | ये दिशानिर्देश आइएफएससी में गठित एफसी / एफयू पर लागू होंगे। इस विवेकपूर्ण विनियमावली के अंतर्गत, एफसी / एफयू के लिए गतिविधि विशिष्ट विनियमावली और ऐसे अन्य प्रावधान निर्दिष्ट किये गये हैं। |
| 3 | एफसी / एफयू द्वारा म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों के वितरण के बारे में दिशानिर्देश | 03/05/2021 | इसमें आइएफएससी में स्थापित एफसी / एफयू पर म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों के वितरण के बारे में लागू दिशानिर्देश दिये गये हैं। |
| 4 | किसी भी वित्तीय कंपनी / वित्तीय यूनिट द्वारा गौण गतिविधियों के निष्पादन के लिए लागू विभिन्न दिशा-निर्देशों / परिपत्रों / निर्देशों की जानकारी | 03/05/2021 | यह आइएफएससी में गठित किसी भी एफसी / एफयू पर लागू है। प्राधिकरण के उक्त परिपत्र के अंतर्गत पंजीकृत सभी एफसी / एफयू को, जो उक्त परिपत्र के अंतर्गत निर्दिष्ट गौण गतिविधियों में से कुछ गतिविधियां प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें इन परिपत्रों में उल्लिखित आइएफएससी प्राधिकरण अथवा सेबी के परिपत्रों / निर्देशों / दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। |
| 5 | एफसी / एफयू के लिए प्रकटीकरणों की उच्चतम सीमा की गणना के लिए फ्रेमवर्क | 25/05/2021 | इस फ्रेमवर्क का उद्दिष्ट है एफसी / एफयू के पूंजी संसाधनों के मुकाबले महत्वपूर्ण प्रकटीकरणों की निगरानी करना और इस प्रकार किसी एक प्रतिपक्ष या उससे जुड़े हुए प्रतिपक्ष के समूहों के सामने भारी प्रकटीकरणों से पैदा हो रही जोखिमों के एक साथ आने की संभावना से उनका बचाव करना। |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| 6 | सहायक सेवाओं को सक्षम बनाने के फ्रेमवर्क पर स्पष्टीकरणात्मक परिपत्र | 10/06/2021 | यह परिपत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 10 फरवरी 2021 को सहायक सेवाओं के बारे में जारी परिपत्र के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि आवेदक डिबेंचर ट्रस्टी, निवेश सलाहकार, एआइएफ, निधि प्रबंधक आदि जैसी विनियमित गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए यथोचित फ्रेमवर्क के अंतर्गत अलग से पंजीकरण प्राप्त करेगा। |
| 7 | एफसी / एफयू के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन पर दिशानिर्देश | 24/06/2021 | तरलता जोखिम प्रबंधन का फ्रेमवर्क इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी एफसी / एफयू तरलता की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगा पाता है और उनको पूरा करने के लिए भी तैयार रहता है। प्राधिकरण आइएफएससी में स्थित एफसी / एफयू को तरलता जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए निर्देश जारी करता है। |
| 8 | एफसी / एफयू द्वारा वैश्विक / क्षेत्रीय कॉर्पोरेट खज़ाना केंद्र की गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए फ्रेमवर्क | 25/06/2021 | यह फ्रेमवर्क आइएफएससी में गठित ऐसे यूनिट पर लागू है जो वित्तीय कंपनी विनियमावली के अंतर्गत वित्तीय कंपनी/वित्तीय यूनिट के रूप में पंजीकृत है और वैश्विक/ क्षेत्रीय कॉर्पोरेट खज़ाना केंद्र के कार्यकलापों को निष्पादित करने का इच्छुक है। इस परिपत्र में अनुमत खज़ाना सेवाएं, अनुमत खज़ाना गतिविधियां, और अन्य मामले शामिल हैं। |
| 9 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र [आइएफएससी] में व्यापार वित्त सेवाएं प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा प्लेटफॉर्म [आइटीएफएस] गठित करने के लिए फ्रेमवर्क | 09/06/2021 | प्रतिस्पर्धात्मक शर्तों पर विभिन्न प्रकार की व्यापार वित्त सुविधाएं प्राप्त करना नियतियों एवं आयातकों के लिए संभव हो इसके लिए प्राधिकरण आइएफएससी में आइटीएफएस स्थापित करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। |
| 10 | वित्तीय कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएं | 09/08/2021 | उक्त परिपत्र का उद्देश्य है वित्तीय कंपनी के लिए उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, और निरंतरता को सुनिश्चित करना ताकि निवेशकों का विश्वास बना रहे और दीर्घाविधि एवं स्थायी कारोबारी उद्दिष्टों को हासिल किया जा सके। |

| | | | |
|----|---|------------|---|
| 11 | आइएफएससी बैंकिंग हैडबुक | 13/08/2021 | <p>आइएफएससी बैंकिंग हैडबुक में प्राधिकरण द्वारा ऐसे आइबीयू को जारी किये गये निर्देश शामिल होते हैं जो एक बैंकिंग कंपनी की शाखा के रूप में अपना परिचालन कर रहे हैं। इस हैड बुक के तीन घटक हैं: सामान्य निर्देश, कारोबार चलाने के संबंध में [सीओबी] निर्देश, और आइबीयू पर लागू विवेकपूर्ण निर्देश।</p> <p>सीओबी निर्देशों का उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि आइबीयू विशेषतः अपने ग्राहकों के साथ किये जाने वाले आचरण, प्रतिपक्षों के साथ उनके लेनदेन और बाजार के अन्य सहभागियों के साथ किये जाने वाले आचरण के संबंध में न्यूनतम मानकों को पूरा करते हैं।</p> <p>इन विवेकपूर्ण निर्देशों में गवर्नेंस, गवर्निंग बॉडी की जिम्मेदारियाँ, नीतियाँ, प्रणालियाँ, और आइबीयू पर लागू किये गये नियंत्रणों के संबंध में विवेकपूर्ण आवश्यकताओं के गुणात्मक पहलु शामिल हैं।</p> |
| 12 | बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन, निगम, बुलियन डिपॉजिटरी, और वॉल्ट प्रबंधक पर परिचालन संबंधी दिशानिर्देश | 25/08/2021 | <p>किसी भी आइएफएससी में स्थित बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन, निगम, बुलियन डिपॉजिटरी, और वॉल्ट प्रबंधक को आइएफएससी [बुलियन एक्सचेंज] विनियमावली, 2020 के अनुसार अपनी गतिविधियों को परिचालित करना संभव हो इसके लिए यह परिपत्र जारी किया गया है।</p> |
| 13 | गिफ्ट-आईएफएससी में स्थित एमआइआइ के निर्देशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों [केएमपी] के लिए आचरण संहिता और नीतिमत्ता संहिता के बारे में परिपत्र | 13/09/2021 | <p>इस परिपत्र में गवर्निंग बोर्ड के निर्देशकों और मान्यताप्राप्त एमआइआइ के केएमपी के लिए आचरण संहिता और नीतिमत्ता संहिता दी गयी है।</p> |
| 14 | प्राप्तियों के फैक्ट्रिंग और फोरफेटिंग पर दिशानिर्देश | 17/08/2021 | <p>ये दिशानिर्देश प्राधिकरण के पास पंजीकृत एफसी / एफयू पर तथा जो यूनिट प्राप्तियों के फैक्ट्रिंग और फोरफेटिंग की गतिविधियां प्रारंभ करना चाहते हैं, उन पर लागू होते हैं।</p> |
| 15 | ब्रोकर व्यावसायियों को वैश्विक पहुँच | 25/11/2021 | <p>आइएफएससी में पंजीकृत ब्रोकर व्यावसायियों को सीएमआइ विनियमावली के अध्याय V और उक्त परिपत्र में निर्धारित परिपत्रों की शर्त पर, आइएफएससी के बाहर के कार्यक्षेत्रों में निगमित एक्सचेंजों तक पहुँच बनाने की अनुमति प्रदान की गयी है।</p> |

| | | | |
|----|----------------------------|------------|--|
| 16 | आइएफएससी में निवेश बैंकिंग | 03/12/2021 | इस परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, आइबीयू को निवेश बैंकर के रूप में परिचालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, तथा साथ ही, फीस की संरचना और अन्य प्रासंगिक मामलों को भी निर्धारित किया गया है। |
|----|----------------------------|------------|--|

वकालत और जनसंपर्क

आइएफएससीए – गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी [जीएनएलयू] प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

जीएनएलयू ने आइएफएससीए के तत्वावधान में दिनांक 06 दिसंबर, 2021 को वित्तीय बाजार कानूनों पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है जिसमें आइएफएससी में उनकी प्रयोज्यता पर विशेष बल दिया गया है। इस पाठ्यक्रम में अकादमिक जनसंपर्क की सुविधा प्रदान की गयी है और यह आइएफएससी और वित्तीय बाजार कानूनों की बारीकियों पर जागरूकता पैदा करता है।

अनुसंधान

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 [एसईजेड अधिनियम] और नियमों को रद्द करने वाले प्रस्तावित नये कानून में आइएफएससी के लिए विशेष व्यवस्था पर अनुसंधान

यह देखा गया है कि मौजूदा फ्रेमवर्क में आइएफएससी में स्थित संस्थाओं को एसईजेड अधिनियम और आइएफएससीए अधिनियम, दोनों ही के प्रावधानों के अंतर्गत दोहरे अनुपालन से गुजरना पड़ता है। इस संबंध में, उक्त अधिनियम को निरस्त करने वाले प्रस्तावित नये कानून की पृष्ठभूमि में आइएफएससी के लिए विशेष व्यवस्था को सक्षम करने के प्रयोजन से एसईजेड अधिनियम और नियमों के प्रावधानों पर विस्तृत शोध किया जा रहा है।

गिफ्ट आइएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए विनियामक फ्रेमवर्क पर अनुसंधान

केंद्रीय बजट 2022-23 में यह प्रस्ताव किया गया था कि गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों को स्थापन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी जो वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में अपने पाठ्यक्रम प्रदान करेगी। ये विश्वविद्यालय केवल आइएफएससीए की विनियमावधियों को छोड़ कर अन्य सभी घरेलू नियमावधियों से मुक्त होंगे जिससे वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी में उच्च स्तरीय मानव संसाधन उपलब्ध होने में आसानी हो। इस पृष्ठभूमि में, इस कार्यक्षेत्र में कार्यरत मौजूदा विदेशी विश्वविद्यालयों के विनियामक फ्रेमवर्क के बारे में अनुसंधान, तथा साथ ही, उन देशों के विनियामकों द्वारा बनाये गये फ्रेमवर्क / गवर्निंग विनियमावधियों का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रारंभ किया जाएगा।

आगामी वर्ष के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम

गिफ्ट आइएफएससी में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र [आइएसी] का गठन करना

केंद्रीय बजट 2022-23 में, माननीय वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के अनुसार विवादों के समय पर निपटाने के लिए गिफ्ट सिटी में एक आइएसी स्थापन करने की घोषणा की। तदनुसार, आइएफएससीए एक आइएसी की स्थापना के लिए तौर तरीके तय करने के लिए स्टैकधारकों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।

आइएफएससी के लिए अपतटीय कारोबार को आकर्षित करना और उसके जरिए इसे एक ऐसा मजबूत वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाना जिसमें अन्य प्रतिस्पर्धी कार्यक्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता हो, आइएफएससीए का एक प्रमुख उद्देश्य है। एक समकालीन और मजबूत विवाद समाधान केंद्र होने से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र के खिलाड़ियों को आइएफएससी की ओर अग्रसर किया जा सकेगा। विवाद निवारण तंत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आइएफएससीए ने जीएनएलयू को आइएफएससी में उपयुक्त विवाद समाधान सुविधाओं की स्थापना पर अनुसंधान करने का काम सौंपा था। उक्त अनुसंधान रिपोर्ट आइएफएससीए को दिनांक 03 सितंबर, 2021 को प्रस्तुत की गयी।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग [एएमएल], आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला [सीएफटी] और अपने ग्राहक को जानिए [केवाईसी] दिशानिर्देश

आइएफएससीए को एक एकीकृत विनियामक के रूप में, एफएटीएफ की सिफारिशों और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुरूप एएमएल / सीएफटी पर व्यापक दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता है। जब ये दिशानिर्देश एक बार लागू हो जाएंगे तो उसके बाद आइएफएससी में स्थित संस्थाओं को क्लाइंट ऑनबोर्डिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों पर एक स्पष्ट फ्रेमवर्क प्राप्त हो जाएगा। प्राधिकरण अपने प्रस्तावित दिशानिर्देशों में एफएटीएफ की सिफारिशों और अन्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने के लिए एक व्यापक अध्ययन कर रहा है।

भाग ड.

निधियों के स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र [वित्तीय वर्ष 2021-22]

सारणी 22 - वर्ष 2021-22 के लिए निधियों के स्रोत

| निधियों के स्रोत - प्राप्तियाँ | राशि (₹ लाख में) |
|---|------------------|
| वार्षिक फीस | 854.04 |
| आवेदन फीस | 82.29 |
| ब्रोकर टर्न ओवर फीस | 340.24 |
| लिस्टिंग फीस | 2.03 |
| पंजीकरण फीस | 635.21 |
| सरकारी अनुदान | 9,603.89 |
| आइएफएससी प्राधिकरण द्वारा अर्जित विनियामक शुल्क पर ब्याज आय | 35.86 |
| विविध आय | 1.25 |
| कुल | 11,554.81 |

सारणी 23 - वर्ष 2021-22 के लिए व्यय के प्रमुख क्षेत्र

| व्यय के प्रमुख क्षेत्र - भुगतान | राशि (₹ लाख में) |
|---------------------------------------|------------------|
| आस्थापना व्यय | 2,052.04 |
| प्रशासनिक व्यय | 1,050.96 |
| अचल परिसंपत्तियों की खरीद | 1,455.07 |
| पूर्वदत्त व्यय / पूंजी खाते पर अग्रिम | 1,736.30 |
| अन्य पूर्वदत्त व्यय | 33.77 |
| कुल | 6,328.14 |

भाग च

संगठनात्मक मामले

सारणी 24 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण - विभागीय संरचना

| विभाग | प्रभाग |
|-------------------------------|--|
| बैंकिंग | बैंकिंग विनियमावली - 1 बैंकिंग विनियमावली - 2 बैंकिंग पर्यवेक्षण वित्त कंपनी विनियमावली |
| पूंजी बाज़ार | कॉर्पोरेट वित्त - ईक्विटी, हायब्रीड और उससे जुड़े उत्पाद कॉर्पोरेट वित्त - ऋण और सतत वित्त बाज़ार इंफ्रा स्ट्रक्चर संस्थाएं-विनियमावली और पर्यवेक्षण निवेश निधियाँ - I और नये उत्पाद तथा सेवाएं निवेश निधियाँ - II और एयरक्राफ्ट लीज़िंग |
| बीमा | बीमा |
| मूल्यवान धातु | बाज़ार संरचना और जोखिम प्रबंधन प्रौद्योगिकी एवं पर्यवेक्षण उत्पाद - विकास एवं विनियमावली विनियामक मामले और समन्वय |
| विकास | वित्तीय बाज़ारों का विकास - I वित्तीय बाज़ारों का विकास - II और अंतर्राष्ट्रीय मामले |
| आर्थिक नीति और विश्लेषण | आर्थिक नीति और विश्लेषण |
| सामान्य प्रशासन | प्रशासन और मानव संसाधन खज़ाना, वित्त, और लेखा |
| आइटी और फिनटेक | आइटी और फिनटेक |
| कानूनी नीति और विनियामक मामले | कानूनी नीति विनियामक मामले |

सारणी 25 - वित्तीय वर्ष 2021-2022 में आयोजित आइएफएससी प्राधिकरण की बैठकें

| बैठक | दिनांक |
|--------------------------|----------------|
| प्राधिकरण की सातवीं बैठक | 30 जून 2021 |
| प्राधिकरण की आठवीं बैठक | 24 सितंबर 2021 |
| प्राधिकरण की नौवीं बैठक | 27 दिसंबर 2021 |
| प्राधिकरण की दसवीं बैठक | 16 मार्च 2022 |

मानव संसाधन

भारत सरकार ने दिनांक 24 अप्रैल 2020 की अधिसूचना के माध्यम से आइएफएससी की स्थापना की, और दिनांक 06 जुलाई, 2020 को इसके पहले अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। आइएफएससी में वित्तीय सेवा बाजार के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार एक नव स्थापित एकीकृत विनियामक होने के नाते, सही प्रतिभा को आकर्षित करना, उन्हें विशिष्ट कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना, डोमेन विशेषज्ञता का निर्माण करना और उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करना आइएफएससी का उद्देश्य है।

आइएफएससी ने वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में पेशेवर विशेषज्ञता रखने वाले युवा पेशेवरों, सलाहकारों और वरिष्ठ सलाहकारों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। आइएफएससी उन छात्रों को इंटरनशिप के अवसर भी प्रदान करता है जो वित्तीय सेवाओं में एक पेशेवर कैरियर बनाना चाहते हैं।

भर्ती

एक नया संगठन होने के बावजूद सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / ऋण आधार पर ग्रेड 'ए' अधिकारी से लेकर कार्यपालक निदेशक तक के विभिन्न पदों को भरने के लिए तीन महीने से भी कम समय में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी। भर्ती के बाद की स्थिति में स्वीकृत स्टाफ संख्या और कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी 26 - कर्मचारियों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या

| स्थिति | दिनांक 31 मार्च 2022 को स्वीकृत स्टाफ संख्या | दिनांक 31 मार्च 2022 को वास्तविक स्टाफ संख्या |
|---|---|--|
| कार्यपालक निदेशक | 6 | 3 |
| मुख्य महा प्रबंधक | 9 | 0 |
| महा प्रबंधक | 12 | 5 |
| उप महा प्रबंधक | 15 | 15 |
| सहायक महा प्रबंधक | 20 | 3 |
| प्रबंधक | 26 | 6 |
| सहायक प्रबंधक | 30 | 20 |
| कार्यपालक सहायक / वरिष्ठ कार्यपालक सहायक / कार्यपालक पर्यवेक्षक | 20 | 0 |
| मल्टी-टास्किंग स्टाफ | | |
| ग्रेड ए / ग्रेड बी / ग्रेड सी* | 10 | 0 |
| कुल | 148 | 52 |

*इनकी आवश्यकताओं को आउटसोर्सिंग के जरिए अनुबंध के आधार पर तैनात करते हुए, पूरा किया जाता है

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली [एचआरएमएस]

आइएफएससीए ने ऑन लाइन मानव संसाधन प्रणाली लागू की है जो निम्नलिखित समाधान प्रदान करती है:

मानव संसाधन प्रशासन

कर्मचारी प्रबंधन

रिपोर्टिंग

कौशल प्रबंधन

पीटीओ / छुट्टी प्रबंधन और समय की ट्रैकिंग

पे रोल

कार्यनिष्पादन समीक्षा, करियर में प्रगति, प्रशिक्षण (एलएमएस) मॉड्यूल

प्रशिक्षण कार्यक्रम और वेबिनार

आइएफएससीए ने वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विनियमन और विकास में शामिल अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आयोजित विभिन्न वेबिनार / सेमिनार / बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

सारणी 27 - प्रशिक्षण कार्यक्रम

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम |
|----------|---|
| 1 | आइओएससीओ एसपीएसी नेटवर्क |
| 2 | अबूधाबी सतत वित्त मंच |
| 3 | हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा प्रतिभूति बाजार के विनियामकों के लिए वैश्विक प्रमाणपत्र कार्यक्रम |
| 4 | ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा सतत वित्त का परिचय |
| 5 | सीएफटीआरआइ कार्यक्रम [केंब्रिज विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम] |
| 6 | आइजीपीसी मूल्यवान धातु कार्यशाला |
| 7 | प्रतिभूतियों और डेरीवेटिव्स के समाशोधन पर आइओएससीओ प्रशिक्षण और सीसीपी की भूमिका |
| 8 | प्रवर्तन मैनुअलों को विकसित करने पर आइओएससीओ एपीआरसी टीए कार्यशाला |
| 9 | फिच अध्ययन द्वारा गहन बैंक प्रशिक्षण |
| 10 | पर्यवेक्षकों के महाविद्यालय, आरबीआई द्वारा संगठनात्मक जोखिम, और आंतरिक जोखिम संस्कृति का संक्रमण और अनुपालन के वातावरण पर कैप्सूल कार्यक्रम |
| 11 | पर्यवेक्षकों के महाविद्यालय, आरबीआई द्वारा परिचालनगत जोखिम पर कैप्सूल कार्यक्रम |
| 12 | पर्यवेक्षकों के महाविद्यालय, आरबीआई द्वारा आइ टी और साइबर के लचीलेपन की जोखिम पर कैप्सूल कार्यक्रम |

| | |
|----|---|
| 13 | पर्यवेक्षकों के महाविद्यालय, आरबीआई द्वारा फिनटेक, आरईजीटेक सुपटेक प्रौद्योगिकियों पर फाउंडेशन और ब्लॉक बिल्डिंग पर कार्यक्रम |
| 14 | टोरांटो सेंटर द्वारा आयोजित वर्चुअल कोर करिक्यूलम प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम |
| 15 | एनआइबीएम, पुणे द्वारा वित्तीय डेरीवेटिव्स पर लाइव ऑन लाइन प्रशिक्षण |
| 16 | सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा जारी वित्तीय सेवाओं में वेब 3.0 ज्ञान प्रमाणपत्र |
| 17 | आइएफएससी – पीडब्ल्यूसी में फिनटेक और टेकफिन पर फ्रेमवर्क के बारे में वेबिनार |
| 18 | सिंगापुर फिनटेक समारोह |
| 19 | एफसीए – सततता की थीमवाली टेकस्प्रिन्ट |
| 20 | आइबीएम टेक्नोलॉजी वर्कशॉप [ब्लॉक चेन और क्वांटम] |

अनुसंधान गतिविधियां

अनुसंधान विंग नीति निर्माण के लिए अनुसंधान संबंधी इनपुट प्रदान करते हुए संबंधित परिचालन विभागों के साथ मिलकर काम करता है। वर्ष के दौरान, आइएफएससी में कार्बन बाजार विकसित करने की व्यवहार्यता पर व्यापक शोध किया गया। आइएफएससी में जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर एक अध्ययन किया गया जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।

वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने एक ज्ञान संवर्धन पोर्टल का शुभारंभ किया, जो वित्त और अर्थव्यवस्था से संबंधित क्षेत्रों में वैश्विक गतिविधियों पर अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए की गयी एक पहल है। यह एक वेब आधारित सूचना एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जिसमें विनियम, प्रकाशन, समाचार, रिपोर्ट, उभरते क्षेत्रों में रुझान आदि शामिल हैं।

बॉक्स 8 - आईएफएससी-आइआइएम समझौते का ज्ञापन

आइएफएससी और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद [आइआइएम-ए] ने नीति निर्माण में सहायता के लिए साक्ष्य-आधारित नीति अनुसंधान के संचालन में सहयोग को मजबूत करने और उभरते वित्तीय क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 10 फरवरी, 2022 को आइआइएम-ए के परिसर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

उक्त समझौता ज्ञापन आइएफएससी और आइआइएम-ए के बीच दो-तरफा सहयोग के लिए, विशेष रूप से नीति अनुसंधान, आर्थिक प्रभाव विश्लेषण, रणनीति प्रबंधन और उभरते क्षेत्रों, जैसे कि फिनटेक, जलवायु वित्त, आदि के क्षेत्रों में एक आदर्शमंच प्रदान करेगा।

इस समझौते के ज्ञापन के अंतर्गत, दोनों संस्थान, नीति विश्लेषण और विकास के लिए, अनुसंधान, परामर्श, प्रशिक्षण, इंटरनीशिप और क्षमता निर्माण के एवं वित्त और प्रौद्योगिकी के अभिसरण के क्षेत्रों में विकास के अवसर तलाशेंगे।



चित्र 8 - निदेशक, आआइएम-ए [बाये] और अध्यक्ष आइएफएससीए [दायें]
समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के समारोह के दौरान आइआइएम-ए परिसर में

आइएफएससीए मुख्यालय परियोजना

चूंकि गिफ्ट आइएफएससी को वास्तव में विश्व स्तरीय और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, प्रस्तावित आइएफएससीए के मुख्यालय भवन [जिसे इसके बाद आइएफएससीए टावर कहा गया है] की जो अवधारणा बनायी गयी है उसके अनुसार उस भवन का डिजाइन तैयार किया गया है ताकि वह भवन इतना भव्य बन सके कि गिफ्ट आइएफएससी का एक अग्रणी अंतराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में बढ़ता जा रहा महत्व उसमें प्रतिबिंबित हो। इस 27 मंजिला आइएफएससीए टावर का डिजाईन स्मार्ट सिटी की संकल्पना के अनुरूप इस प्रकार बनाया गया है जो अत्यंत कुशल हो और टिकाऊ हो। वर्ष 2024 में इस भवन के पूरा होने के बाद, यह आइएफएससी टावर नये और आत्मनिर्भर भारत के सपनों और आकांक्षाओं का प्रतीक होगा।

गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड ने आइएफएससीए को 3 लाख वर्ग फुट के निर्माण को विकसित करने के लिए अप्रैल 2021 में विकास अधिकारों का आबंटन किया था। इसके बाद प्राधिकरण ने 200 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के लिए आर्थिक कार्य विभाग [डीईए] को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। डीईए ने सितंबर 2021 में, 100 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान को मंजूरी दी, और शेष 100 करोड़ रुपये को ऋण के रूप में मंजूर किया गया, जिसे 10 साल की अवधि में चुकाया जाएगा।

उक्त परियोजना के निष्पादन के लिए, प्राधिकरण ने अगस्त 2021 में गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार [पीएमसी] के रूप में नियुक्त किया। उक्त पीएमसी ने अक्टूबर 2021 में मेसर्स एचपीसी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को उक्त भवन का डिजाइन तैयार करने के लिए प्रमुख वास्तु विशारद के रूप में नियुक्त किया।

सूचना का अधिकार [आरटीआइ]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 इस बात को अनिवार्य बनाता है कि यदि सरकारी सूचना या जानकारी पाने के लिए जनता से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ हो तो उसका समय पर जवाब दिया जाना चाहिए। नागरिकों को शक्तियां प्रदान करना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना इस अधिनियम का मूल उद्देश्य है।

सारणी 28 - दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार आरटीआइ आवेदनों की संख्या

| रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान प्राप्त आरटीआइ अनुरोधों की संख्या | निर्धारित समय सीमा के भीतर जिन अनुरोधों का उत्तर दिया गया उनकी संख्या |
|---|--|
| 17 | 17 |

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न [रोकथाम, निषेध और निवारण] अधिनियम, 2013 [पॉश अधिनियम]

कार्यस्थल पर उत्पीड़न लैंगिक भेदभाव का एक रूप है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत गारंटीकृत समानता का अधिकार, और जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और काम के माहौल, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है।

आइएफएससीए संगठन में एक स्वस्थ और सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। एक ऐसा सुरक्षित कार्य वातावरण, जिसमें कर्मचारियों के बीच किसी भी तरह की असुविधा और भय की भावना ना हो, काम में गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक मजबूत कार्यस्थल संस्कृति कर्मचारियों को प्रेरित करती है और उत्पादकता में भी सुधार लाती है। आइएफएससीए उक्त अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करे इस बात को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

पॉश अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई, 2021 को एक आंतरिक शिकायत समिति [आईसीसी] का गठन किया गया। वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान गतिविधियां

- आइएफएससीए के कर्मचारियों को पॉश अधिनियम के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए दिनांक 29 सितंबर 2021 को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- आइएफएससीए में दिनांक 08 मार्च 2022 को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जो # ब्रेक द बायस थीम के साथ संरेखित किया गया। इस आयोजन में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें आईसीसी के एक बाहरी सदस्य द्वारा पॉश अधिनियम पर एक सत्र आयोजित किया गया। कार्यालय परिसर के भीतर प्रमुख स्थानों पर पोस्टर और आईसीसी के संपर्क विवरण प्रदर्शित किये गये।
- आईसीसी की तीन त्रैमासिक बैठकें दिनांक 29 सितंबर 2021, 23 दिसंबर 2021 और 08 मार्च 2022 को आयोजित की गयीं।



चित्र 9 - अंतराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह



ANNUAL REPORT 2021-22

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

This report is in conformity with the form prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022 notified on February 28, 2022 in the Gazette of India.



Injeti Srinivas
Chairperson



सचिव,
भारत सरकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001

410/आईएफएससीए/ईपीए/एआर/2021-22
नवंबर 29, 2022

प्रिय महोदय,

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3 उप-खंड (i) में, 28 फरवरी, 2022 को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां तथा विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित किए गए प्रारूप में, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अशेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,


(इंजेती श्रीनिवास)
संलग्न: उपरोक्तानुसार

The Secretary,
Government of India,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, North Block,
New Delhi - 110 001

410/IFSCA/EPA/AR/2021-22
November 29, 2022

Dear Sir,

In accordance with the provisions of Section 19(2) of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, I forward herewith a copy of the Annual Report of the International Financial Services Centres Authority for the year ended March 31, 2022, in the format prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022, notified on February 28, 2022, in Part II Section 3 Sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary.

Yours faithfully,


(Injeti Srinivas)

Encl.: As above

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

Second & Third Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1, Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City,
Gandhinagar-382 355, Gujarat, India. P: +91 79 6180 9800

Section **A**



Statement of Goals & Objectives

The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) was established on April 27, 2020, as a unified financial regulator under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019. It is headquartered at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City), Gandhinagar in Gujarat.

The Government of India set up IFSCA (hereinafter referred to as “the Authority”) to develop and regulate financial services in the International Financial Services Centres (IFSCs) established in India with a mandate to create a world-class ecosystem based on ease of doing business and best in class regulatory system to make IFSCs in India a preferred global destination for international financial services.

As a unified financial regulator, IFSCA adopts a holistic vision towards the development and regulation of financial products, financial services, and financial institutions in IFSCs in India across the verticals of banking, insurance, capital markets, pension, and funds. At present, the GIFT IFSC is the maiden International Financial Services Centre in India. Prior to the establishment of IFSCA, the four domestic financial sector regulators viz. RBI, SEBI, IRDAI, and PFRDA regulated the respective business areas within IFSC.

Vision

To provide world-class regulatory environment and develop IFSCs into leading Global Financial Centres with a primary focus on India's economic development apart from serving as a regional and global financial hub.

Mission

To develop IFSCs into well-diversified and globally competitive financial hubs for international banking, insurance, and capital market activities through a pro-business environment, duly supported by a progressive regulatory architecture, state-of-the-art technology and infrastructure and talented financial professionals, which serve both the Indian Economy and the region as a whole.

Goals & Objectives

1. To facilitate the development of a strong base of international financial services in the country
2. To promote IFSC as a dominant gateway for international capital flows into and out of India
3. To emerge as a regional and global hub for international financial services
4. To provide a state-of-the-art unified regulatory framework, with robust regulation and supervisory technology aligned with international best practices
5. To develop a strong global-connect with leading international financial jurisdictions

Chairperson's Message


IFSCA has the twin mandate of development and regulation in respect of IFSCs established in the country. The two primary objectives of establishing the IFSC are - to onshore India-related international financial services business and further to emerge as an exporter of international financial services at the regional and global level. To fulfil these objectives, IFSCA is facilitating a favourable and comprehensive ecosystem to enable the financial institutions, products and services to gravitate towards the IFSC.

One of the critical components of this ecosystem will be cost-effective and speedy dispute resolution under international jurisprudence. It is with this objective that the Finance Minister announced setting up of an International Commercial Arbitration Center (IAC) in GIFT City in the Union Budget 2022-23. The Union Budget also proposed setting-up of world-class foreign universities in GIFT IFSC, free from domestic regulations, to facilitate the availability of skilled manpower in the financial services space. With IFSC gaining critical mass with the growth of the financial services industry, the demand for international commercial arbitration and high quality human capital is bound to increase significantly. IFSCA is in the process of creating the enabling environment for the above-mentioned initiatives to bear fruit.

As the global financial system is focused on climate transition, GIFT IFSC is well-positioned to become a global hub for sustainable finance. IFSCA is focused on development of a complete ecosystem that would accelerate global sustainable capital flows into India and emerging economies. IFSCA has taken measures across labelled capital market products, sustainable lending, and funds to provide a regulatory environment with increased transparency and disclosures on sustainability-related products. These measures have led to significant growth in sustainable product offerings at IFSC with ESG-labelled debt securities amounting to around \$5.2 billion in 2021-22. IFSCA aims to play a vital role towards sustainable development of the world by providing a global platform for products and services catering to sustainable finance.

IFSCA has notified the Fund Management Regulations to provide a comprehensive framework governing a host of fund management activities in IFSC, ranging from various types of private investment funds, such as venture capital funds, special situations funds, hedge funds, etc. to retail investment funds, such as mutual funds and exchange traded funds. The regulations, in addition, provide for setting-up of portfolio management services, family offices, REITs and InvITs in IFSC. The Regulations, aligned with global best practices, ensure direct oversight and facilitate ease of doing business by seeking to register the fund management entity and thereby enable the entity to undertake host of activities related to fund management. Introduction of this unified regime is aimed at attracting global capital for investments into India and other countries.

Towards creating a world-class FinTech hub at GIFT IFSC, IFSCA has formulated a first-of-its-kind FinTech Entity Framework for FinTechs and TechFins cutting across Banking, Capital Markets, Insurance, and allied areas. IFSCA also became the first Indian financial sector regulator to notify a FinTech Incentive Scheme to provide grants to FinTech Entities. Positioning itself as a thought leader in this space, IFSCA launched 'InFinity Forum', a flagship financial technology event, uniting the world's leading minds in policy, business, and technology to explore and advance the biggest ideas in FinTech, and to develop those ideas into global solutions and opportunities. ISprint'21, a series of global hackathons/cohorts launched by IFSCA, provided the ideal launch and landing pads for Indian and foreign FinTechs respectively with problem statements across Banking, Insurance and Capital Market domains. The collaborations and partnerships that are being forged with international and domestic regulators, FinTech hubs, accelerators, investors etc. is all set to enable a vibrant FinTech ecosystem in GIFT IFSC.



With the launch of the International Bullion Exchange in IFSC, India will move to the centre stage of the gold market and will gradually emerge as a price influencer in the international gold market. IFSCA has also issued a framework for setting up and operating the International Trade Finance Services Platform ('ITFS') for providing trade finance services in IFSCs. ITFS platform will enable smooth digital onboarding, multiple financing options and efficient price discovery for buyers/sellers across the globe, especially the MSME exporters /importers in India.

GIFT IFSC with its well-developed financial system, duly supported by a large domestic economy, growing market liquidity and best-in-class regulations is fast emerging as an important gateway to connect India with global opportunities and connect rest of the world with the India growth story.

Members of the Authority (As on 31.03.2022)



Shri Injeti Srinivas
Chairperson



Shri Pankaj Jain
Secretary, Ministry of
Petroleum and
Natural Gas



Shri Anand Mohan Bajaj
Additional Secretary
Ministry of Finance



Smt. T. L. Alamelu
Member
Insurance Regulatory and
Development Authority



Shri Saurav Sinha
Executive Director
Reserve Bank of India



Shri Sujit Prasad
Executive Director
Securities and Exchange
Board of India



Shri Ananta Gopal Das
Executive Director
Pension Fund Regulatory
and Development Authority



Senior Management of the Authority (As on 31.03.2022)

| Name | Designation |
|---------------------------|--------------------|
| Sh. Manoj Kumar | Executive Director |
| Sh. Praveen Trivedi | Executive Director |
| Sh. Dipesh Shah | Executive Director |
| Sh. Kumar Raghuraman | General Manager |
| Sh. Supriyo Bhattacharjee | General Manager |
| Sh. Kamlesh Sharma | General Manager |
| Sh. Ashutosh Sharma | General Manager |
| Sh. Joseph Joshy CJ | General Manager |

Tables of Contents

| Sr. No | Particulars | Page No. |
|--------|---|----------|
| 1 | List of Box Items | XII |
| | List of Tables | XII |
| | List of Figures | XIV |
| | List of Images | XV |
| | Abbreviations | XVI |
| 2 | SECTION B: The Year in Review: Overview of the General Economic Environment | |
| | A. Global Economic Assessment, Outlook, and Opportunities for IFSCA | 02 |
| | B. Domestic Economic Assessment & Prospects | 05 |
| 3 | SECTION C: Review of Policies, Programmes and Activities of The Authority | |
| | Banking & Finance Companies | 12 |
| | Capital Market | 23 |
| | International Bullion Exchange | 47 |
| | Fintech Hub | 53 |
| | Insurance | 61 |
| | Aircraft Leasing | 69 |
| | Global In-House Centres | 72 |
| | Other Areas | 73 |
| | Ancillary Services | 81 |
| | Information Technology | 82 |
| 4 | SECTION D: A List/ Coverage of the Quasi-Legislative, Executive and Quasi-Judicial Functions of the Authority | 85 |
| 5 | SECTION E: Source of Funds and Major Areas of Expenditure (FY 2020-21) | 95 |
| 6 | SECTION F: Organisational Matters | 97 |

List of Box Items

| Box No. | Box Title | Page No. |
|---------|--|----------|
| 1 | Regulatory framework for FCs/ FUs | 18 |
| 2 | Activity specific regulatory framework for FCs/ FUs | 19 |
| 3 | Notification facilitating listing of foreign companies | 32 |
| 4 | Regulatory Framework for Listing of SPACs | 33 |
| 5 | Features of Framework for Aircraft Operating Lease | 69 |
| 6 | Salient features of the Global In-House Centre Regulations, 2020 | 72 |
| 7 | Listing of ESG Debt Securities | 76 |
| 8 | IFSCA-IIMA MoU | 100 |

List of Tables

| Table No. | Table Title | Page No. |
|-----------|--|----------|
| 1 | Annual Growth of GVA at constant (2011-12) prices | 05 |
| 2 | Banking ecosystem in IFSC | 20 |
| 3 | A comparison of Derivative contracts outstanding at IBUs in IFSC | 21 |
| 4 | Trading Members in GIFT IFSC | 27 |
| 5 | Clearing Members in GIFT IFSC | 27 |
| 6 | Trends in Index Futures | 40 |
| 7 | Trends in Index Options | 40 |
| 8 | Commodity Derivatives Available for Trading on IFSC Exchanges | 40 |
| 9 | Trends in Commodity derivatives | 41 |
| 10 | Trends in currency derivatives | 41 |
| 11 | Debt Listings on IFSC Exchanges | 41 |

| Table No. | Table Title | Page No. |
|-----------|---|----------|
| 12 | List of debt issuances in FY 2021-22 | 42 |
| 13 | Exclusive Listing at IFSC Exchanges in FY 2021-22 | 43 |
| 14 | AIFs in GIFT IFSC | 44 |
| 15 | Bullion Market Intermediaries in GIFT IFSC | 51 |
| 16 | Winners of the Bank Tech Hackathon | 58 |
| 17 | Winners of the Insure Tech Hackathon | 59 |
| 18 | Insurance entities operating in the IFSC as on March 31, 2022 | 64 |
| 19 | List of Regulations | 85 |
| 20 | List of Notifications | 88 |
| 21 | List of major Circulars/Guidelines | 89 |
| 22 | Sources of Funds for 2021-22 | 95 |
| 23 | Major Areas of Expenditure for 2021-22 | 95 |
| 24 | International Financial Services Centres Authority - Departmental Structure | 97 |
| 25 | IFSC Authority Meetings held in FY 2021-2022 | 98 |
| 26 | Sanctioned and Actual strength of employees | 98 |
| 27 | Training Programmes | 99 |
| 28 | Status of RTI Applications as on March 31, 2022 | 101 |

List of Figures

| Figure No. | Figure Title | Page No. |
|------------|---|----------|
| 1 | Turnover (Volume of Business) for FY 2021 - 22 | 20 |
| 2 | Outstanding Credit as on Mar 31, 2022 | 21 |
| 3 | Investment Outstanding as on Mar 31, 2022 | 21 |
| 4 | Major country exposure of IBUs | 22 |
| 5 | Notional Turnover on Exchanges | 39 |
| 6 | Debt Listings on IFSC Exchanges | 43 |
| 7 | Cumulative debt listings on IFSC Exchanges | 44 |
| 8 | Products available for trading on IIBX | 51 |
| 9 | Business underwritten by IIOs | 65 |
| 10 | Business transacted by IIOs | 65 |
| 11 | Green Bond Issuances | 75 |
| 12 | Sustainable Debt excluding Green by Label | 76 |
| 13 | ESG Debt Securities on IFSC Exchanges in FY 2021-22 | 77 |
| 14 | Quarterly Global Sustainable Fund Assets | 79 |

List of Images

| Image No. | Images Title | Page No. |
|-----------|--|----------|
| 1 | Inauguration of SGX GIFT City Office and launch of GIFT Data Connect | 26 |
| 2 | Launch of trading in India's first Un-sponsored Depository Receipts | 31 |
| 3 | Listing ceremony of SBI's USD 300 Million Formosa bonds on India INX | 42 |
| 4 | Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi inaugurating InFinity Forum 2021 on December 03, 2021 | 54 |
| 5 | Hon'ble Finance Minister of India, Smt. Nirmala Sitharaman at the InFinity Forum 2021 | 55 |
| 6 | Visit of Sir Steve Smith, UK Government's International Education Champion, to IFSCA | 74 |
| 7 | Shri Amitabh Banerjee, CMD of Indian Railway Finance Corporation & Shri Injeti Srinivas, Chairperson, IFSCA at the listing event of IRFC's Green Bonds on IFSC exchanges | 78 |
| 8 | Director, IIM-A (L) and Chairperson, IFSCA (R) on the occasion of MoU signing ceremony at IIM-A | 101 |
| 9 | International Women's Day Celebrations | 102 |

This report can also be accessed on internet at: <https://ifsc.gov.in/>

Conventions used in this Report

| | | |
|--------------|---|--------------------------------|
| ₹ | : | Rupees (Rs) |
| Lakh | : | Hundred thousand |
| Crore | : | Ten million |
| Million (Mn) | : | Ten lakh |
| Billion | : | Thousand million/hundred crore |

Differences in total are due to rounding off and sometimes they may not exactly add up to hundred percent.



Abbreviations


| | |
|----------|---|
| ADR | American Depository Receipt |
| AE | Advanced Economies |
| AI | Artificial Intelligence |
| AIF | Alternative Investment Fund |
| ALM | Asset Liability Mismatch |
| AMC | Asset Management Company |
| AML | Anti-Money Laundering |
| APAC | Asia-Pacific |
| API | Application Programming Interface |
| ARC | Asset Reconstruction Company |
| ASEAN | Association of South-East Asian Nations |
| ASSOCHAM | Associated Chambers of Commerce and Industry of India |
| AUM | Assets Under Management |
| BCBS | Basel Committee on Banking Supervision |
| BDR | Bullion Depository Receipt |
| BFSI | Banking, Financial Services and Insurance |
| BIS | Bank for International Settlements |
| BoE | Bank of England |
| BoP | Balance of Payments |
| BRL | Brazilian Real |
| BUs | Banking Units |
| CAD | Current Account Deficit |
| CBDT | Central Board of Direct Taxes |
| CBIC | Central Board of Indirect Taxes and Customs |
| CBS | Compliance Based Supervision |
| CDR | Credit-Deposit Ratio |
| CDSL | Central Depository Services (India) Limited |
| CEO | Chief Executive Officer |
| CFT | Combating the Financing of Terrorism |
| CGM | Chief General Manager |
| CII | Confederation of Indian Industry |
| CM | Clearing Member |
| COB | Conduct of Business |

| | |
|---------|--|
| COMEX | Commodity Exchange |
| COP | Conference of Parties |
| CoR | Certificate of Registration |
| COVID | Coronavirus Disease |
| CPI | Consumer Price Index |
| CPSE | Central Public Sector Enterprises |
| DDG | Due Diligence Guidance |
| DEA | Department of Economic Affairs |
| DFS | Department of Financial Services |
| DGEP | Directorate General of Export Promotion |
| DGFT | Directorate General of Foreign Trade |
| DoC | Department of Commerce |
| DoP | Department of Pension |
| DR | Depository Receipt |
| DTA | Domestic Tariff Area |
| ECB | External Commercial Borrowing |
| ECGC | Export Credit Guarantee Corporation |
| ED | Executive Director |
| EMDEs | Emerging Market and Developing Economies |
| EME | Emerging Market Economies |
| EMEA | Europe, the Middle East and Africa |
| ESG | Environmental, Social, and Governance |
| ETF | Exchange Traded Fund |
| FAR | Fully Accessible Route |
| FATF | Financial Action Task Force |
| FC | Finance Company |
| FCA | Financial Conduct Authority |
| FCY | Foreign Currency |
| FDI | Foreign Direct Investment |
| FE | FinTech Entity |
| FEMA | Foreign Exchange Management Act |
| FI | Financial Institution |
| FICCI | Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry |
| FinTech | Financial Technologies |
| FME | Fund Management Entity |



| | |
|---------|---|
| FPI | Foreign Portfolio Investor |
| FSB | Financial Stability Board |
| FSDC | Financial Stability and Development Council |
| FSDC-SC | Financial Stability and Development Council Sub-Committee |
| FTWZ | Free Trade Warehousing Zone |
| FY | Financial Year |
| GDP | Gross Domestic Product |
| GIC | Global In-house Centre |
| GIFT | Gujarat International Finance Tec-City |
| GM | General Manager |
| GML | Gold Metal Loan |
| GMS | Gold Monetization Scheme |
| GNLU | Gujarat National Law University |
| GoI | Government of India |
| G-Sec | Government Security |
| GVA | Gross Value Added |
| HRMS | Human Resource Management System |
| HTM | Held-To-Maturity |
| IAs | Investment Advisers |
| IBC | Insolvency and Bankruptcy Code |
| IBE | International Bullion Exchange |
| ICMA | The International Capital Market Association |
| IFSC | International Financial Services Centre |
| IFSCA | International Financial Services Centres Authority |
| IGPC | India Gold Policy Centre |
| IIIO | IFSC Insurance Intermediary Office |
| IMF | International Monetary Fund |
| IIMA | Indian Institute of Management Ahmedabad |
| IIO | IFSC Insurance Office |
| IMF | International Monetary Fund |
| INDC | Intended Nationally Determined Contribution |
| INR | Indian Rupees |
| InvIT | Infrastructure Investment Trust |
| INX | India International Exchange (IFSC) Limited |
| IOSCO | International Organization of Securities Commissions |

| | |
|-------|---|
| IPO | Initial Public Offering |
| IRDAI | Insurance Regulatory and Development Authority of India |
| KRW | Korean Won |
| LBMA | London Bullion Market Association |
| LCR | Liquidity Coverage Ratio |
| LLP | Limited Liability Partnership |
| LMA | Loan Market Association |
| LME | London Metal Exchange |
| LOLR | Lender of Last Resort |
| LR | Leverage Ratio |
| LRS | Liberalized Remittance Scheme |
| LSE | London Stock Exchange |
| MCX | Multi Commodity Exchange of India Limited |
| MII | Market Infrastructure Institutions |
| MIS | Management Information System |
| ML | Machine Learning |
| MMoU | Multilateral Memorandum of Understanding |
| MoU | Memorandum of Understanding |
| MVP | Minimum Viable Product |
| NBFC | Non-Banking Financial Company |
| NDC | Nationally Determined Contributions |
| NIC | National Informatics Centre |
| NICCL | NSE IFSC Clearing Corporation Limited |
| NICSI | National Informatics Centre Services Inc. |
| NIPFP | National Institute of Public Finance and Policy |
| NISM | National Institute of Securities Markets |
| NLP | Natural Language Processing |
| NPA | Non-Performing Asset |
| NSDL | National Securities Depository Limited |
| NSE | National Stock Exchange of India Ltd |
| NSFR | Net Stable Funding Ratio |
| NYSE | New York Stock Exchange |
| OECD | Organization for Economic Co-operation and Development |
| OMO | Open Market Operations |
| OPEC | Organization of the Petroleum Exporting Countries |



| | |
|---------|---|
| ORF | Observer Research Foundation |
| OTC | Over the Counter |
| PFRDA | Pension Fund Regulatory and Development Authority |
| PLI | Production Linked Incentive |
| PMI | Purchasing Managers' Index |
| PML | Prevention of Money-laundering |
| PMLA | Prevention of Money Laundering Act |
| PMs | Portfolio Managers |
| PoC | Proof of Concept |
| PRC | Performance Review Committee |
| PRU | Prudential Directions |
| QFCA | Qatar Financial Centre Authority |
| QJ | Qualified Jewelers |
| RBC | Risk Based Capital |
| RBS | Risk Based Supervision |
| RBSF | Risk Based Supervision Framework |
| RDRR | Retail Deposit Reserve Ratio |
| REIT | Real estate investment trust |
| RFP | Request for Proposal |
| RRB | Regional Rural Bank |
| SAFAL | Ship Acquisition Financing and Leasing |
| SBI | State Bank of India |
| SCRA | Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 |
| SDG | Sustainable Development Goals |
| SEZ | Special Economic Zone |
| SGB | Sovereign Gold Bond |
| SGF | Settlement Guarantee Fund |
| SGX | Singapore Exchange Limited |
| SIAC | Singapore International Arbitration Centre |
| SLA | Surveyors and Loss Assessors |
| SLB | Sustainability-Linked Bonds |
| SNAS | Segregated Nominee Account Structure |
| SPAC | Special Purpose Acquisition Company |
| SPV | Special Purpose Vehicle |
| SupTech | Supervisory Technology |

| | |
|--------|---|
| TCM | Trading-cum-Clearing Member |
| TFU | Trade Finance Unit |
| TLTRO | Targeted Long-Term Repo Operations |
| TM | Trading Member |
| TPA | Third Party Administrators |
| TSM | Trading-cum-Self Clearing Member |
| TWD | Taiwan dollar |
| UAC | Unit Approval Committee |
| UCC | Unique Client Code |
| UCP600 | Uniform Customs & Practice for Documentary Credits |
| UK | United Kingdom |
| UN | United Nations |
| UNFCCC | United Nations Framework Convention on Climate Change |
| US | United States |
| USD | United States Dollar |
| VC | Venture Capital |
| VCC | Variable Capital Company |
| VRR | Voluntary Retention Route |
| VRRR | Variable Rate Reverse Repo |
| WEO | World Economic Outlook |
| WGC | World Gold Council |
| WPI | Wholesale Price Index |
| YoY | Year on Year |



Section **B**

THE YEAR IN REVIEW: OVERVIEW OF THE GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT

A. Global Economic Assessment, Outlook, and Opportunities for IFSCA

The world is witnessing receding effects of the Covid-19 pandemic in 2022. Signs of global recovery are visible but are punctuated by formidable challenges, resulting in risks and a significant degree of uncertainty.

The green shoots of growth are visible in many countries after a sharp decline in 2020 supported by high vaccination coverage and growth in international trade. However, the revival is not equitable across different economies with many sectors undergoing structural changes.

Some major geopolitical developments have led to rising energy prices and supply disruptions, resulting in higher and more broad-based inflation than anticipated, notably in the United States, Europe and many Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs). The ongoing slowdown of China's real estate sector and slower-than-expected recovery of private consumption have also limited the growth prospects. Other downside risks that cloud the outlook include the de-anchoring of inflation expectations, financial stress, climate-related disasters, and a weakening of long-term growth drivers.

As per IMF's World Economic Outlook (WEO) update, January 2022, global growth is expected to moderate from 5.9 in 2021 to 4.4 percent in 2022—half a percentage point lower for 2022 than that in WEO, October 2021, largely reflecting forecast markdowns in the two largest economies. A revised assumption removing the Build Back Better fiscal policy package from the baseline, earlier withdrawal of monetary accommodation, and continued supply shortages produced a downward 1.2 percentage-points revision for the United States. In China, pandemic-induced disruptions related to the zero-tolerance COVID-19 policy and protracted financial stress among property developers have induced a 0.8 percentage-point downgrade. Global growth is expected to slow to 3.8 percent in 2023.

As per the FSB Annual Report 2021, the combination of pronounced economic uncertainty, easy financing conditions and sustained policy support is shaping asset valuations, and could test financial resilience.

Structural changes which are impacting the nature of vulnerabilities in the financial system are technological innovations in finance, rapidly evolving crypto-asset markets and exposure to the physical and transition risks posed by climate change.

Various measures to steer global economy may include the following policy responses:

| | | |
|--|---|---|
| Rapid and global vaccination rollout coupled with support targeted at vulnerable populations. | Domestic growth and innovation. | Effective monetary policy communication. |
| Facilitating cross border trade and investment | Fiscal measures- prioritization of public spending, subsidies, and measures to expand the tax base | Measures to strengthen financial systems, and to reprofile debt to spread out repayments and reduce exchange-rate risks. |
| Proactive measures to enhance debt sustainability in the poorest countries. | Redoubled efforts to tackle climate change and within-country inequality. | Emphasis on growth-enhancing policy interventions and on reforms that broaden economic activity to decouple from global commodity markets. |

Financial markets performance

Banking Industry

As per BIS Quarterly Review of March 2022, even before the sharp rise in the geopolitical tensions introduced a new wave of uncertainty, financial markets had started seeing signals of a global shift towards a quicker pace of monetary policy tightening.

In most of the Advanced Economies (AEs), as investors perceived a shift in the stance by Fed, nominal bond yields increased materially, starting in mid-December. This translated mostly into a surge of real yields – while inflation compensation moved sideways with real (inflation-adjusted) yields remaining largely in negative territory.

In the EMEs, the financial conditions were mixed but remained largely stable with local currency yields increasing more at the short end, particularly in non-Asian countries and the spreads on dollar-denominated debt rising moderately across the board. Portfolio flows into Asian EMEs regained momentum, supporting less stringent financial conditions than in other EMEs.

The resurgence of inflation, Russia-Ukraine conflict and the lockdown in China posed challenges to the global economy in Q4 FY 2021-22. However, the aggregate market capitalization (MCap) of the global top 25 banks remained stable at \$3.8 trillion during Q4 FY 2021-22, according to GlobalData.

During the quarter, banks' global cross-border claims surged by \$1.4 trillion¹. The expansion was the third largest on record, pushing the stock of cross border claims to \$35.9 trillion at end-March 2022 (up 4% from a year earlier)². Banks' cross-border claims on EMDEs changed little overall over Q4 FY 2021-22, as reduction in claims on China were offset by an increase in other EMDEs.

The foreign currency credit to non-bank borrowers witnessed slow growth in dollars but higher in euros.

¹ BIS
² BIS

Foreign currency credit to EMDEs remained buoyant. Against the backdrop of rising interest rates and geopolitical tensions, partial data on issuance of syndicated loans and bonds foreshadow weaker growth in credit to EMDEs in Q2 2022³.

Capital Markets

The roll-out of the Covid-19 vaccines along with the additional stimulus packages approved by governments, savings accumulated during the pandemic, and an increased confidence in the economic recovery boosted the markets. According to World Federation of Exchanges' statistics, key trends are as follows:

- 160.95 trillion USD were traded on the global markets in 2021 in nearly 46 billion trades, which represents 16.9% rise in equity value traded and 20.4% increase in volumes.
- The number of listed companies rose 5.9% in 2021 compared to the end of 2020
- The number of IPOs increased a significant 74.2% in 2021 compared to 2020, but the average size of an IPO increased only 3.5% to 186 million USD.
- The number of non-IPO listings went up a significant 90.1% in 2021 compared to 2020, the highest yearly increase in the last five years, each region recording its peak.
- IPO investment flows increased 80.4% in 2021, the highest yearly increase in the last five years, highlighting the fundamental role of exchanges in funding the global economy
- Investment flows through already listed companies rose 30.9% in 2021 compared to 2020, totalling 854.60 billion USD.
- In 2021 the number of listed ETFs and value traded fell 5.2% and 8.6%, respectively, while volumes increased 9.3% compared to 2020.
- Derivatives volumes increased 33.7% in 2021 compared to 2020, totalling a record 61.87 billion contracts traded. Volumes went up for all product lines, except ETF futures.

Insurance Industry

Post-Covid, opportunities wait for the insurance industry which may have a key role to play in driving towards a sustainable world, since an important outcome of the pandemic has been the heightened awareness of the value of risk-protection solutions, having an impact on insurance demand.

Preliminary data⁴ suggest that premium growth and profits rebounded in 2021, especially in regions where strong vaccine rollouts have made many activities possible again, at least periodically. As per Swiss Re, premiums will grow by an estimated 8 per cent in 2022 and 6.3 per cent in 2023 as rate hardening momentum continues in response to inflation and new risks. Insurtechs are driving digital innovation and disruption in the industry. Investments in insurtechs worldwide show growth from USD 1 billion in 2004 to USD 7.2 billion in 2019 to USD 14.6 billion in 2021, with more than 40 per cent of insurtechs focused on the marketing and distribution segments of the insurance value chain⁵.

With imminent climate change events, solutions that manage the financial fallout from natural catastrophes and help speed recovery play a crucial role. However, while many insurers have begun to incorporate climate-risk considerations in their investment processes, new-product launches and underwriting processes are mostly unchanged.

³ BIS

⁴ Creating value, finding focus: Global Insurance Report 2022 (McKinsey & Company)

⁵ Ibid

B. Domestic Economic Assessment & Prospects

Gross Domestic Product

As per the first advance estimates of national income by the National Statistical Office (NSO), the growth in GDP during 2021-22 is estimated at 9.2 percent as compared to a contraction of 7.3 percent in 2020-21.

Sector specific growth rate is provided in the table below:

Table 1 - Annual Growth of GVA at constant (2011-12) prices (per cent)

| Sector | 2019-20 (1st RE ⁶) | 2020-21 (PE) | 2021-22 (1st AE) |
|--|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Agriculture and allied sectors | 4.3 | 3.6 | 3.9 |
| Industry | -1.2 | -7 | 11.8 |
| Services | 7.2 | -8.4 | 8.2 |
| Trade, hotels, transport, Communication and services related to broadcasting | 6.4 | -18.2 | 11.9 |
| Financial, Real Estate and Professional services | 7.3 | -1.5 | 4 |
| Public administration, defence and other services | 8.3 | -4.6 | 10.7 |
| GVA at Basic Prices | 4.1 | -6.2 | 8.6 |

Source : Economic Survey 2021-22

Agriculture and allied sectors has been the least impacted by the pandemic and the sector is expected to grow by 3.9 per cent in FY 2021-22 after growing 3.6 per cent in the previous year. Advance estimates suggest that the GVA of Industry (including mining and construction) will rise by 11.8 per cent in FY 2021-22 after contracting by 7 per cent in FY 2020-21. The Services sector has been the hardest hit by the pandemic, especially segments that involve human contact. This sector is estimated to grow by 8.2 per cent this financial year following last year's 8.4 per cent contraction.

Inflation

In 2021, inflation picked up globally as economic activity revived with opening-up of economies during the second year of the pandemic. COVID-19 related stimulus spending, mainly in the form of discretionary handouts to households in major economies, along with pent up demand fuelling consumer spending, pushed inflation up in both advanced and emerging economies. The surge in prices of energy, food, non-food commodities, inputs, along with supply constraints, disruption of global supply chains, and rising freight costs across the globe pushed up global inflation during the year.

⁶ RE - Revised Estimate, PE - Provisional Estimates, AE - Advance Estimates

The average headline Consumer Price Index-Combined (CPI-C)⁷ inflation in India moderated to 5.2 per cent in FY 2021-22 (April-December) from 6.6 per cent in the corresponding period of FY 2020-21 while the wholesale inflation based on Wholesale Price Index (WPI)⁸, after remaining very benign during the previous financial year witnessed a sharp uptick, rising to 12.5 per cent during FY 2021-22 (April-December).

In comparison to many EMDEs and advanced economies, CPI in India remained range bound, touching 4.9 per cent in November 2021 and 5.6 per cent in December 2021, owing to the proactive steps taken by the Government for effective supply management

Financial Markets

The financial system often emerges as a possible area of vulnerability during turbulent times. However, India's capital market performed exceptionally well and has enabled record mobilization of risk capital for Indian companies. More significantly, the banking system is well capitalized and the overhang of NPAs seems to have structurally declined even after allowing for some lagged impact of the pandemic. Insurance sector has witnessed disruption in recent times due to extraneous factors including the pandemic as well as advancements in the financial services space, including increased focus on digitalization, increasing formalization of the economy, disruption in payments, etc. Insurance penetration and density are not very high when compared to global standards. However, there seems to be growth prospects in the future based on possibility of increased FDI in the sector, capital market activities and rising awareness about insurance, remote underwriting, technology etc.

Banking sector

Monetary policy and liquidity operations have been geared towards mitigating the adverse impact of COVID-19 pandemic on the economy. After several rate cuts in FY 2019-20 and FY 2020-21, the repo rate was maintained at 4 per cent in FY 2021-22. Liquidity in the system remained in surplus throughout. RBI undertook various measures, including secondary market Government Security Acquisition Programme (G-SAP), special Long Term Repo Operations (LTROs), on-tap targeted LTROs, etc. to provide further liquidity in the system. Thereafter, RBI used VRRR and reverse repo auctions to rebalance liquidity conditions.

The bank credit growth⁹ (YoY) has been declining in India since 2019 but has witnessed an upturn from the beginning of April, 2021 wherein it stood at 5.3 per cent. It further went on increasing and stood at 7.3 per cent as on December 17, 2021. Personal loans and agriculture sector were major factors driving the growth momentum. Credit growth in the services sector continued to decelerate though credit to industry showed signs of improvement. Credit growth to industry which contracted from October to December 2020 entered positive territory in January 2021.

Gross NPA¹⁰ ratio of Scheduled Commercial Banks (SCBs) continued to decline from 11.2 per cent at the end of FY 2017-18 to 6.9 per cent at the end of September 2021. Similarly, net NPA ratio¹¹ declined from 6 per cent to 2.2 per cent during the same period. Capital to risk-weighted asset ratio (CRAR) of SCBs continued to increase from 13 per cent in FY 2013-14 to 16.54 per cent at the end of September 2021.

In order to resolve the legacy NPAs and clean up the banking system, the Union budget 2021-22 announced the setting up of an Asset Reconstruction Company (ARC) and Asset Management Company (AMC) to consolidate and take over the existing stressed debt and then manage and dispose of the assets to Alternate Investment Funds (AIFs) and other potential investors for eventual value

⁷ National Statistical Office (NSO)

⁸ Office of the Economic Adviser, Department for Promotion of Industry, and Internal Trade (DPIIT)

⁹ RBI

¹⁰ RBI

¹¹ RBI

realization. Two entities viz. National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL), and India Debt Resolution Company Limited (IDRCL) have since been formed.

Further, RBI vide the RBI (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021 dated September 24, 2021 replaced the existing instructions on the matter of sale/ transfer of loan exposures by lending institutions. The RBI directions, inter- alia, permit transfer of loan exposures to any class of entities that are under the regulatory purview of any financial sector regulator in India, subject to certain conditions. The RBI directions also call for the respective financial regulator to put in place a framework for this purpose in consultation with RBI. In this regard, IFSCA has set up a committee of experts to examine and recommend measures to create such a framework for transfer of stressed loans from domestic lenders to permitted financial institutions in IFSC.

With respect to international trade in banking services which focuses on cross-border fund-based banking services (e.g., deposits, credit) as well as fee-based services, the consolidated balance sheet of overseas branches of Indian banks expanded despite outflow of deposits and reduction in credit during FY 2020-21. There are 121 offshore branches of Indian Banks¹² with consolidated balance sheet size of USD 187.4 billion¹³ as on March 2021.

Capital markets

The benchmark stock market indices in India - Sensex and Nifty 50 , gained 18.29 per cent¹⁴ and 18.88 per cent¹⁵, respectively during FY 2021-22. Driven by good corporate earnings, sharp rise in COVID-19 vaccination and opening up of business establishment across the country, Sensex and Nifty scaled up to touch its peak at 61,766 and 18,477 points respectively on October 18, 2021. Among major emerging market economies, Indian markets outperformed its peers during FY 2021-22.

52 Indian corporates raised an all-time high of ₹ 1,11,417 crore through the mainboard IPOs in FY 2021-22¹⁶. The IPO amount for 2021-22 was over 3.5 times of ₹ 31,268 crore raised through 30 IPOs in 2020-21. The year 2021-22 was an exceptional year for the primary markets with a boom in fundraising through IPOs by many new age companies/ tech start-ups/ unicorns. The exuberance associated with the listings manifested in huge oversubscriptions by retail, High Net worth Individuals (HNIs) and institutional investors and stellar listing gains have pushed more and more companies to tap the markets.

On the debt side, the amount of funds raised through corporate bonds was around ₹ 5.88 lakh crore¹⁷ in FY 2021-22. This was amount of 24 per cent lower from a record ₹ 7.72 lakh crore mobilised in 2020-21. Overall, debt mobilization slowed, and this contrast with equity market suggests an increased appetite for risk among investors.

With respect to Mutual Funds, the Assets Under Management (AUM) of mutual fund industry rose by 19.5 per cent to Rs 37.56 lakh crore as on March 31, 2022 from ₹ 31.43 lakh crore as on March 31, 2021¹⁸.

During FY 2021-22, FPIs made a net withdrawal of ₹ 1.22 lakh crore from equity, debt, and hybrid instruments all combined from the Indian markets¹⁹. According to data on FPI Asset under Custody, United States of America, Mauritius, and Luxembourg were top three jurisdictions accounting for more

¹² Survey on International Trade in banking Services, 2020-21(RBI) dated Feb 04, 2022

¹³ Ibid.

¹⁴ BSE

¹⁵ NSE

¹⁶ Prime database

¹⁷ SEBI

¹⁸ AMFI

¹⁹ Data on FPI flows from NSDL/CDSL

than 50 per cent of the total FPI investments in India for the month of March 2022. Further, India received the highest annual FDI inflow of USD 83.57 billion in FY2021-22²⁰. India has rapidly emerged as a preferred investment destination with FDI inflows increasing 20-fold in last 20 years. In terms of top investor countries of FDI equity inflow, Singapore is at the apex with 27%, followed by U.S.A (18%) and Mauritius (16%) for the FY 2021-22.

Insurance sector

The potential and performance of the insurance sector are generally assessed on the basis of two parameters, viz., insurance penetration and insurance density. In India, insurance penetration was 2.71 per cent in 2001 and has steadily increased to 4.2 per cent in 2021. As of 2021, the penetration for life insurance in India is 3.2 per cent and that of non-life insurance is 1 per cent. While India is doing better than the international average in terms of insurance penetration for life insurance, it lags in terms of non-life insurance. Globally, insurance penetration was 3 per cent for the life segment and 3.9 per cent for the non-life segment in 2021.

The insurance density in India increased from USD 11.5 in 2001 to USD 91 in 2021. In 2021, density for life insurance in India was USD 69 and non-life insurance was USD 22, much lower than global standards. Globally, insurance density was USD 382 for the life segment and USD 492 for the non-life segment respectively in 2021.

Fiscal developments


In the backdrop of the evolving Covid-19 situation in FY 2020-21, the government introduced stimulus packages to boost economic recovery in the second half of the financial year. These stimulus measures directed towards larger capital spending continued during the year 2021-22 which included liquidity enhancing and investment boosting measures, such as Production Linked Incentives (PLI) scheme, credit guarantee schemes and export boosting initiatives.

During the year 2020-21, the shortfall in revenue collection owing to the interruption in economic activity and additional expenditure requirements to mitigate the fallout of the pandemic on vulnerable people, small businesses, and the economy in general, created immense pressure on the available limited fiscal resources. As a result, the budgeted fiscal deficit for FY 2020-21 was revised from 3.5 per cent in budget estimates to 9.5 per cent in revised estimates. The fiscal deficit for 2020-21 Provisional Actuals stood at 9.2 per cent of GDP i.e. lower than revised estimates. The Medium-Term Fiscal Policy (MTFP) Statement presented with Budget 2021-22 envisaged a fiscal deficit target of 6.8 per cent of GDP for FY 2021-22. This reduction in deficit during the current year was budgeted on account of reduction in expenditure from 17.7 per cent of GDP in FY 2020-21 revised estimates to 15.6 per cent in FY 2021-22 budget estimates; and a budgeted marginal increase in gross tax revenues to the tune of 0.1 per cent of GDP.

Total liabilities of the Central Government include debt contracted against the Consolidated Fund of India, technically defined as Public Debt, as well as liabilities in the Public Account. These liabilities also include external debt. The Central Government debt as a ratio of GDP sharply increased to 59.3 per cent in FY 2020-21 on account of borrowing due to COVID-19 pandemic as well as sharp contraction in GDP.

Public debt is largely held by institutional segments like banks, insurance companies, provident funds etc. The Retail Direct Scheme has been launched by RBI in November 2021 with an objective to facilitate efficient direct access of retail individual investor to the G-Sec market to give a boost to financial inclusion and broaden the investor base.

²⁰ PIB



Further, in recent years, the GoI and RBI have taken several measures for encouraging the participation of eligible non-resident entities such as FPIs, NRIs and OCIs in government security market. The measures include the introduction of the voluntary retention route (VRR) Scheme in 2019 and the fully accessible route (FAR) in 2020. Currently, under the medium term framework, FPI in government securities is at around 2.5 per cent²¹ of the outstanding stock of securities compared to maximum permitted limit of 6 per cent of outstanding stock of securities. Further, the channel of non-resident investors investing through International Central Securities Depositories (ICSDs) under FAR route is yet to be operationalised. Thus, foreign inflows into Indian G-Secs have not reached the potential levels as compared to the case of the other emerging economies like China and Mexico.

External Sector

The external sector primarily deals with the current account and the capital account situation of the country. Within the current account, the merchandise exports as well as imports have rebounded strongly and surpassed the pre-pandemic levels leading to an increase in merchandise trade deficit. This happened on account of recovery of global demand coupled with a revival in domestic activity. The current account balance recorded a deficit of 1.2 per cent of GDP in 2021-22 as against a surplus of 0.9 per cent in 2020-21 as the trade deficit widened to USD 189.5 billion from USD 102.2 billion a year ago²².

Net invisible receipts were higher in 2021-22 due to increase in net exports of services and net private transfer receipts, even though net income outgo was higher than a year ago. This is mainly on account of top three - computer, business and transportation services that constitute more than 80 per cent of total services exports.

Net ECBs to India recorded an inflow of USD 7.4 billion in 2021-22 as compared with USD 0.2 billion in 2020-21. In 2021-22, there was an accretion of USD 47.5 billion to foreign exchange reserves (on a BoP basis).

With respect to trade in financial services during the period April-December, 2021, there is a significant outflow of resources linked to re-insurance business as well as financial intermediation services from India.

In terms of Capital/ Financial Account, net capital flows more than tripled to USD 65.6 billion²³ in H1: FY 2022 over those in H1: FY 2021, on the back of continued inflow of foreign investment, rise in loans mainly ECBs, banking capital and other capital. Foreign Investment, consisting of FDI and FPI, is the largest component of the capital account. Falling short of the pre-pandemic level, the net foreign investment inflows – primarily driven by FDI – moderated to USD 25.4 billion²⁴ in H1: FY 2022 compared to corresponding period of FY 2021.

The robust capital flows were sufficient to finance the modest current account deficit (CAD), resulting in an overall balance of payments (BoP) surplus of USD 63.1 billion in H1: FY 2022, that led to an augmented foreign exchange reserves reaching USD 633.6 billion²⁵ as on December 31, 2021. Overall, the external trade recovered strongly in FY 2021-22 after the pandemic-induced slump of the previous year, with strong capital flows into India, leading to a rapid accumulation of foreign exchange reserves.

Sustainable Finance

India has been a global leader in climate action initiatives. Hon'ble Prime Minister of India announced, in

²¹ NSDL

²² RBI

²³ ibid

²⁴ ibid

²⁵ ibid

COP26, 'panchamrits' as an unprecedented contribution of India to climate action. This includes India's goal to achieve net-zero emissions by 2070. India has also committed to reducing 1 billion tonnes of projected emissions till 2030 and achieving carbon intensity reduction by 45 per cent over 2005 levels by 2030.

India is actively contributing to the global efforts towards mobilizing green finance. In January 2021, a Task Force on Sustainable Finance was set up by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India. The Terms of Reference of the Task Force include defining the framework for sustainable finance in India, establishing the pillars for a sustainable finance roadmap, suggesting draft taxonomy of sustainable activities and a framework of risk assessment by the financial sector.

Further, in May 2021, RBI set up 'Sustainable Finance Group' (SFG) within its Department of Regulation to effectively counter these risks, and for leading the regulatory initiatives in the areas of sustainable finance and climate risk.

The liberalised ECB norms of RBI have enabled the Indian renewable energy companies and other firms to tap the ECB route for raising finance through green bonds and sustainable bonds, reflecting the growing attractiveness of this route for raising finance.

Section C

BANKING AND FINANCE COMPANIES

Activities with respect to Regulations, Circulars, Guidelines etc.

This section gives a picture of the various measures taken by the Authority towards regulation of banking and related services and the development of the banking ecosystem in IFSC during FY 2021-22.

The initial framework for banking regulation in IFSC was laid under IFSCA (Banking) Regulations, 2020²⁶, issued in November 2020. These were broadly based on the guidelines issued by RBI²⁷, with certain modifications, relaxations and insertions of enabling provisions, considered necessary for providing impetus to the growth of banking business in GIFT IFSC, while ensuring a certain degree of continuity in regulatory prescriptions and practices.

The IFSCA (Banking) Regulations, 2020, provided broad principles for licensing, operations, and prudential norms for IFSC Banking Units (IBUs). A select set of directions/ circulars/ guidelines issued by RBI under various statutes was made applicable to the IBUs, for ensuring a certain degree of continuity for the IBUs' operations. As more IBUs were being set up by Indian and foreign banks, these regulations and directions were amended from the perspective of an international financial centre. The amended IFSCA Banking Regulations²⁸ were notified on July 06, 2021.

IFSCA (Banking) (Second Amendment) Regulations, 2021

The framework is guided by a principle-based approach, as against a prescriptive or rules-based approach. The major changes under the amended regulations are delineated as under:

- i. The definitions of qualified individuals (QI²⁹) and qualified resident individuals (QRI³⁰) are withdrawn from the regulations, as the classification and differential treatment of clients are covered as part of the IFSCA Banking Handbook - Conduct of Business Directions.
- ii. IBUs are permitted to undertake all the activities permitted under the IFSCA Act, 2019 in addition to the activities under section 6 of the Banking Regulation Act, 1949, except for the activities prohibited for IBUs.
- iii. IBUs are now required to comply with the directions and instructions issued by their home regulators, unless otherwise specified by the Authority. The robustness of prudential guidelines applicable to the banking company under the respective home regulations is one of the most important considerations while deciding on the application for a licence for setting up an IBU in IFSC. Such prudential guidelines of the home regulators of the banking companies as applicable also to the IBUs set up as branches – unless otherwise specified by the Authority, must be based on the updated Basel Framework comprising of all the current and future standards issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) that are applicable to internationally active banks.
- iv. IBUs are permitted to maintain the minimum regulatory capital at the parent level, with the requirement of periodic declarations/ returns to be submitted to the Authority.

²⁶ IFSCA/2020-21/GN/REG004, dated November 18, 2020

²⁷ Circular DOR.IBD.BC.14570/23.13.004/2014-15 dated April 01, 2015

²⁸ IFSCA/2021-22/GN/REG013, dated July 05, 2021

²⁹ Person resident outside India, having net worth not less than one million dollar or equivalent

³⁰ Person resident in India, having net worth not less than one million dollar or equivalent

IFSCA Banking Handbook

With a view to further enhancing ease of doing banking business in IFSC, the Authority issued the IFSCA Banking Handbook which is a compendium of all the detailed directions to the IBUs operating in IFSC, as branch of a banking company incorporated in India or outside India. The handbook has been prepared on the lines of international best practices followed for banking business in international financial centres and provides a single comprehensive source of all the instructions/ directions governing banking operations in IFSC, aligned with the amended regulations. The handbook was issued on August 13, 2021 (amended on November 12, 2021) and has come into effect from January 01, 2022.

The handbook consists of the following three components which contain the modules which communicate the Authority's regulatory expectations and directions with greater clarity and transparency on the various aspects under the IFSCA (Banking) Regulations:

- i. **General directions (GEN)** - deals with licensing of IBUs, defines the 'controlled' and 'designated' functions and the requirements from 'approved/ authorized individuals' who can carry out such functions. It also lays out the broad principles for banking business and provides information about IFSCA's supervisory functions.
- ii. **Conduct of business directions (COB)** - aims at ensuring that IBUs (and other financial institutions operating in IFSC, wherever made applicable) meet the minimum standards of conduct expected, particularly with regard to the treatment of their clients, their dealings with counterparties and other market participants and contribute to fostering and maintaining the integrity of the financial markets in IFSC.
- iii. **Prudential directions (PRU)** - The extant IFSCA Banking Regulations permit an IBU to be set up and operate only as a branch of a banking company that is regulated by its home regulator. The non-qualitative prudential requirements applicable to the banking company under the respective home regulations have been made applicable in respect of the IBU, unless the Authority specifies any directions on any aspect.

Some of the important regulatory and operational provisions specified by the Authority in the handbook are discussed below:

1. Licensing Criteria

The extant Banking Regulations allow Indian and foreign banks to operate in IFSC as a branch (Banking Unit) or as a Representative Office. The banking company applying for licence to set up an IBU in IFSC is required to satisfy the following conditions:

- a. Maintain necessary regulatory capital for the operations of the IBU subject to a minimum capital of USD 20 million (base capital requirement), from the date of commencement of its operations.
- b. Obtain a No Objection Letter from their respective home regulators for setting up an IBU in IFSC and also submit an undertaking to provide liquidity to IBU, whenever needed.
- c. Submit undertaking to the Authority to the effect that:
 - It complies and shall continue to comply with its home regulator's prudential requirements;
 - Share, with the Authority, the reports pertaining to capital adequacy, liquidity risk and leverage ratio that it submits to its home regulator;
 - In case of any anticipated or actual breach of any prudential requirements set by its home regulator, it shall notify the Authority forthwith with any relevant submissions made to the respective home regulator/ supervisor.

For foreign banks, not having presence in India, an additional screening mechanism is applicable for approving their application for setting up an IBU.

2. Governing Body

i) Composition

The banking company shall, prior to the commencement of the IBU's operations, appoint a governing body of the IBU and inform the Authority about the same. Governing body has been defined as:

- a. that part of the board of directors of the Banking Company that has the responsibility of overseeing the IBU's business in or from IFSC;
- or
- b. if the IBU does not have that part of the board of the Banking Company overseeing its business as described in **a.** that part of the management committee or similar body that has the responsibility of overseeing the IBU's business in or from the IFSC;
- or
- c. if the IBU does not have the governance structures described in **a** and **b** above—the persons delegated by the board, management committee or other body of the Banking Company, with the responsibility of overseeing the IBU's business in or from the IFSC (The “persons” delegated shall be the employees of the Banking Company but not posted to the IBU or involved in the operations of the IBU in any capacity. The Banking Company may also consider appointing an independent member to the Governing Body).

ii) Duties of the Governing Body:

- a. Approving the business strategy, plan and framework for governance, risk management, internal control and assurance functions of the IBU, commensurate with the nature, scale and complexity of its operations.
- b. Ensuring the IBU's financial soundness, maintaining transparency and disclosure, and reviewing the its performance.
- c. Keeping in mind the legitimate interests of depositors, clients and other stakeholders when making decisions.

3. Controlled Functions

These are the important functions of an IBU that are specified as such in the GEN module, and that may only be carried out by individuals who have been approved by the Authority to carry out those functions. Following functional roles are covered under the controlled functions of IBU:


- a. CEO/ Head – IBU
- b. Compliance officer
- c. The non-executive governance function
- d. Such other role or function as the Authority may direct from time to time

4. Compliance with AML-CFT standards and guidelines

While carrying out their activities, IBUs are required to adhere to the guidelines on KYC and AML/CFT norms, as applicable.

5. Prudential Requirements

The extant IFSCA regulations and the handbook have specified certain prudential regulatory requirements for IBUs, such as Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR)



and Leverage Ratio (LR). As the regulations also permit retail banking business by IBUs, an additional requirement in the form of Retail Deposit Reserve Ratio (RDRR) has been prescribed. These prudential rules applicable to IBUs are as under:

- i. **LCR and NSFR:** IBUs are required to maintain on a standalone basis LCR and NSFR at a level that is higher of the minimum ratio prescribed by the home regulator of the banking company (of which the IBU is a branch) or as specified by the Authority from time to time. IBUs are permitted to maintain LCR at the parent level subject to permission from the Authority. At present, the Authority has not implemented the requirement for NSFR and the minimum LCR prescribed is 100 per cent, with effect from April 01, 2021.
- ii. **LR:** A minimum LR, as defined under the Basel Framework, for an IBU is required to be maintained by its banking company, subject to the regulations specified by the respective home regulator, unless otherwise specified by the Authority. IBUs are required to submit a quarterly certificate to this effect signed by an authorized official of its parent bank.
- iii. **RDRR:** IBUs are required to maintain RDRR on daily basis at 3 per cent of the deposits raised from individuals, outstanding at the end of the previous working day. The RDRR may be maintained in any freely convertible foreign currency and in the form of balance in the nostro account of the IBU or as holdings of sovereign debt securities (including T-bills) rated investment grade or above by at least two rating agencies of international standing.
- iv. **Reporting and Supervision:** IBUs are required to submit a copy of the prudential reports being submitted to the home regulator, to the Authority also and comply with the prudential reporting requirements, as specified under the guidelines/ directions/ circulars issued from time to time.

The Authority may generally use the channels of cooperation with the home regulator/ supervisor for such information, subject to the degree of convergence of the home jurisdiction's prudential supervisory regime with the Basel Framework and the Basel Core Principles of Effective Supervision.

Apart from the other applicable legislations, the Banking Regulation Act, 1949, empowers the Authority to inspect and supervise the IBUs in IFSCs. These powers may be exercised through on-site inspection and off-site surveillance, as per the supervisory framework of the Authority, based on the principles of risk based supervision (RBS). The powers of the Authority include, but are not limited to, the power to gather information; restrict, suspend or withdraw a License; and impose any additional requirement, prohibition or restriction on any activity.

6. Permissible activities

In keeping with the recent evolution in global perspectives on international banking, the IFSCA Banking Regulations were amended to enable the IBUs to carry out additional activities such as investment advisory services and portfolio management (wealth management) services, under the respective guidelines/ frameworks. With the amendment in the IFSCA Banking Regulations (notified on July 06, 2021), the IBUs have been allowed to undertake any activity that a financial institution is permitted under the IFSCA Act, 2019 and the Banking Regulation Act, 1949, except those expressly prohibited for banking entities.

Some of the permissible activities are as under:

i. Deposits:

IBUs are permitted to open current account, savings account and term deposit account of an individual client. In addition to it, IBUs are allowed to offer structured deposits as well as issue Certificate of deposits. IBUs are permitted to deal only in a freely convertible foreign currency except for the purposes expressly permitted for dealing in INR, subject to provisions under the FEMA Act, 1999. All banking transactions are permitted to be carried out through bank account transfers only.

ii. Advances and Investment

IBUs are permitted to offer a plethora of lending/ investment products in IFSC, namely:

- Loans, trade finance and acceptances, commitments and guarantees
- Credit enhancement and insurance
- Sale and purchase of portfolios
- Acting as custodian of assets/ securities
- Operating as a Foreign Portfolio Investor (FPI) (IBUs may invest in Indian securities market under FPI route, subject to prior registration as an FPI under the guidelines issued by SEBI and intimation to the Authority after obtaining registration as an FPI).
- Inter-bank lending/ borrowing
- Post shipment export credit
- Factoring and forfaiting of export receivables
- Undertake equipment leasing (including aircraft leasing)
- Lending to resident/ non-resident retail investors (resident individuals are subject to provisions under FEMA Act, 1999).

iii. Derivative Products:

In recognition of the importance of increasing the INR NDF trading activity in the IFSCs, IFSCA constituted an expert committee headed by Shri. G. Padmanabhan, former Executive Director, RBI to recommend the measures required to position IFSC as a hub for offshore trading in INR. The committee studied international best practices in each of the critical components of the offshore INR market (products, participants, infrastructure and regulations) and recommended measures to adopt the same approach in IFSC, within the parameters of Indian law. Majority of these recommendations have also been incorporated in the handbook as under:

- Enabling framework for trading and clearing of OTC derivatives in line with globally accepted regulatory regimes
- Principle-based approach for regulating derivative products in IFSC
- IBUs are permitted to be market makers in generic and structured derivatives as under:
 - › OTC derivatives in forex, interest rate and credit, booked in IFSC.
 - › ODIs (IBUs holding FPI certificate under SEBI Regulations).
- Participation from the widest possible set of clients is permitted, such as:
 - › Financial Institutions (other than IBUs) as defined u/s section 3(1)(c) of IFSCA Act, 2019
 - › Persons resident in India as defined u/s 2(v) of FEMA, 1999
 - › Persons resident outside India
- IBUs are permitted to make markets in NDFs of other non-convertible currencies like TWD, BRL, KRW etc.
- IBUs are permitted to undertake transactions on electronic trading platform (ETP) and avail services of voice brokers, incorporated inside and outside IFSC. Venues of such ETPs may be disclosed, semi-disclosed and undisclosed.
- IBUs are required to, at the end of each quarter, report to the Authority, the names of ETPs and Voice brokers.
- IBUs are permitted to provide FX Prime Brokerage (FXPB) service or may act as an executing dealer in an FXPB arrangement.

iv. FX Prime Brokerage: IBUs are permitted to be a FX prime broker. Clients of the IBU are allowed to use the trading lines of the FX Prime Broker (the IBU) to execute foreign exchange transactions with an executing dealer (a IBU or Bank outside IFSC that is not the FX Prime Broker).

- a. IBUs may provide FXPB service to

- A person resident in India (subject to the provisions of FEMA, 1999)
- A person resident outside India
- b. FXPB service may be provided for:
 - Freely deliverable currencies
 - Non deliverable currencies.
 - All products including spot, forwards (deliverable and non-deliverable), swaps, options (plain vanilla and exotic).
- v. Factoring and Forfaiting services:** IBUs are permitted to provide factoring and forfaiting services by one or more of the following routes:
 - a. Through a trading platform set up in IFSC and following the rules of such trading platform or;
 - b. On bilateral basis, by following the guidelines issued by the Authority under Factoring Regulation Act, 2011.
 - c. On bilateral basis, on the basis of a contract entered with the supplier, the terms of which mandate the contract to be governed by the law of a jurisdiction other than India.
- vi. Representative Office (RO):** A Banking Company incorporated in India or outside India is permitted to set up an RO. RO is permitted to undertake marketing activities pertaining to financial services or financial products offered in a jurisdiction outside the IFSC by a 'related party' i.e., its head office, another branch of the head office or a group member. In addition to the marketing activities, an RO may undertake the following additional activities:
 - a. Activities intended for increasing the profile of its head office
 - b. Act as the point of contact and source of information about its head office
 - c. Report to the head office on matters such as business trends, business opportunities and developments in IFSC and rest of India

Finance Company / Finance Unit

Finance Companies, which are globally referred to as non-bank financial intermediaries, are the parallel engines of growth for any financial system that complement the banking institutions. They play an important role in the development of any financial centre. The Finance Companies/ Finance Units (FCs/ FUs) are governed under the IFSCA (Finance Company) Regulations, 2021 issued on March 25, 2021. The objective of the regulations is to provide risk-focused competitive environment for financial institutions; and ensuring fairness, transparency and efficiency while being aligned to international standards.

FCs are allowed to undertake activities similar to those enabled for IBUs except raising public deposits, thus complementing the role of IBUs in terms of providing financial services. The regulations specify differential requirements of prudential regulations, corporate governance regulations and requirement of minimum owned fund based on the nature of activity undertaken by FCs/ FUs.

The regulations have also enabled specific activities to be undertaken in the IFSC which include carrying out transactions relating to operating lease for aircrafts and ships, setting up of Global and Regional Treasury Centres and setting up of International Trade Finance Platforms.

During the FY 2021-22, the Authority issued circulars/ guidelines covering the prudential requirements, corporate governance and disclosure requirements and other activities of FCs/ FUs that are regulated under the specific guidelines.

Box 1 - Regulatory Framework for FCs/ FUs

The regulatory framework for FCs/ FUs is based on international best practices. The FC Regulations permit entities to be set up in IFSC, after registration with the Authority, in modes like subsidiary mode, joint venture or as a branch, etc. The branch is termed as a Finance Unit and can be set up, provided the investing entity or the ultimate parent of the investing entity, as the case may be, is carrying out regulated financial activity in its home jurisdiction. The salient features of the regulatory framework are given below:

- **Regulatory Capital:** An FC/ FU shall maintain a Capital Ratio (CR) of 8 per cent of its regulatory capital to its risk weighted assets. The capital computation is similar to the best practices adopted for banks.
- **LCR:** An FC/ FU shall maintain LCR on standalone basis, at all times, or as may be specified by the Authority from time to time. At present the LCR stands at 100 per cent. The methodology adopted for computation of LCR was aligned with that prescribed for NBFCs by RBI. This would help develop a sound and robust liquidity risk management system by the FCs/ FUs.
- **Exposure Ceiling:** The sum of all exposures of a FC/ FU, to a single/ group of connected counterparties shall not exceed twenty-five per cent of its available capital base or such higher amount with the specific approval of the Authority. The computation methodology is aligned with the regulations as applicable to the IBUs setup by Indian banks. Further, aspects such as sector specific limits on exposure were not adopted considering the nature of the business and capital regulations prescribed for FC/ FU, providing the flexibility to the Board/ Governing Body of the FC/ FU to develop a policy for monitoring the risks associated with their exposures.
- **Corporate governance and disclosure requirements:** These guidelines aim to ensure accountability and transparency for FC in order to foster investor confidence and achieve sustainability in business operations. The guidelines on corporate governance, while benchmarked with the comparable jurisdictions, have been mainly aligned with those applicable under the Companies Act, 2013 in the initial phase.
- **Activity specific guidelines:** These guidelines bring out the activity specific directions/ instructions for various core and non-core activities permitted under the FC Regulations while at the same time requiring the entities to be in compliance with the specific regulations and registration requirements applicable for such activities.
- **Guidelines on Factoring and Forfeiting of Receivables:** The guidelines enable entities set up in IFSC as an FC/ FU to undertake factoring and forfeiting activities. These guidelines are also applicable for ITFS platforms. These guidelines are majorly aligned with Factoring Regulation Act, 2011 and the guidelines of FCI (the global representative body for factoring and financing of open account domestic and international trade receivables), whereas the guidelines on forfeiting require the entities to conform to the global best practices like UCP600 (the Uniform Customs & Practice for Documentary Credits).

In addition to the circulars issued by the Authority, a notification was issued by the Government of India, which enabled operating lease and hybrid of operating and financial lease for products or equipment as a financial product in the IFSC. Accordingly, the Authority enabled ship lease as a financial product through a separate notification.

- **Notifying operating lease of any product/ equipment as a financial product in the IFSC.**

The GoI vide Gazette notification dated October 06, 2020 notified aircraft operating lease as a financial product. In view of the Authority's assessment of a huge potential for operating lease of ships and for various other equipments in the IFSC, the GoI vide notification dated December 14, 2021, notified operating lease including any hybrid of operating and financial lease of such product or equipment, as specified by the Authority, as a financial product. Based on this, enabling operating lease of aircraft ground support equipment is also under consideration.

- **Notification on ship lease as a financial product** Pursuant to the above notification, the Authority notified ship lease as a financial product vide gazette notification dated January 07, 2021. This notification succeeded the study carried out by an expert committee on positioning IFSC as a global hub for Ship-Acquisition, Financing and Leasing (SAFAL committee). The Authority is in the process of finalising a 'ship leasing framework' for IFSC after holding consultations with the stakeholders.

During the FY 2021-22, nine entities were granted Certification of Registration by the Authority to undertake activity of Aircraft Operating Lease as Finance Companies whereas four entities were granted in-principle approval. A holding company was also registered as a Finance company and four entities were given in-principle approval to undertake testing under regulatory sandbox for setting up of ITFS platform.

Box 2 - Activity specific regulatory framework for FCs/ FUs

Framework for setting up of ITFS platform: The Framework issued by the Authority enables sellers/ exporters and buyers/ importers to avail various types of trade finance facilities at competitive terms, for their international trade transactions. As per the framework, exporters or importers create a Trade Financing Unit (TFU) on the ITFS platform, which refers to an invoice or a bill or any other standard trade document. This TFU is then financed by a financier (Banking Unit or FC/ FU or any such eligible entity) licensed/ regulated/ registered by the Authority or with any other financial services sector regulator in India or abroad, which is permitted to conduct trade finance services.

The Authority has granted 'in-principle' approval to four entities to test their platform in its regulatory sandbox. Successful exit from the sandbox would enable the entities to operate the ITFS platform in IFSC.

Framework on Global/ Regional Corporate Treasury Centres: The framework intends to create opportunities for global and Indian corporates to consolidate international operations by centralising their treasury activities for availing corporate financing, including intra-group financing, liquidity and risk management, among others.

Draft framework on sustainability linked lending by financial institutions (FIs): Sustainable finance is a key focus area for the Authority and it aims to develop IFSC into a global hub for Sustainable Finance. The draft framework was prepared based on globally recognised standards and principles on sustainable lending. As per the draft framework, FIs are required to develop a Board approved policy for green/ social/ sustainable/ sustainability-linked lending within nine months from the issuance of final circular and it also proposes to introduce a lending target of ten per cent of the FIs total loan assets towards such lending activities.

Transaction / Processes / Operations / Trends


At present there are fifteen licensed IBUs operating in IFSC with an average staff strength of eleven per IBU. The total turnover (volume of business) booked by the IBUs has more than quadrupled over the year. The IBUs as on March 31, 2022 had a total outstanding value of asset of USD 29.38 billion, which was almost double of the outstanding value of asset as on March 31, 2021. Credit deployment formed the largest component of total outstanding assets of the IBUs, of which majority was in the form of trade finance and commercial loans. The total value of credit extended by the IBUs as on March 31, 2022 stood at USD 18.49 billion.

Among the activities performed by the IBUs, sources of fund raising have been interbank borrowings, interbranch borrowings, medium term notes, borrowings from multilateral institutions, etc. Activities on asset deployment have been largely concentrated towards trade finance and commercial loans. The major investment avenues for the IBUs are investment in T-bills, corporate bonds, equity shares, etc. Outstanding investment increased from USD 1.2 billion as on March 31, 2021 to USD 2.4 billion, as on March 31, 2022.

Table 2 - Banking ecosystem in IFSC

| Particulars | FY 2020-21 | FY 2021-22 |
|---|------------|------------|
| No. of IBUs as at end of the period | 15 | 15 |
| Total Assets outstanding in USD Mn at end of the period | 14,977 | 29,381 |
| Turnover (volume of business in USD Mn) during the period | 21,110 | 1,06,982 |
| No. of employees as at end of the period | 118 | 162 |

Transaction flows of IBUs at IFSC for FY 2021-22 (in USD Million)






Fig. 2 - Outstanding Credit as on Mar 31, 2022





Fig. 3 - Investment Outstanding as on Mar 31, 2022

Table 3 - A comparison of Derivative contracts outstanding at IBUs in IFSC (in Mn USD)

| Derivative Outstanding | Outstanding as on Mar 31, 2021 | Outstanding as on Mar 31, 2022 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Non-Deliverable Derivative Contracts (FCY-INR) (including NDF, Fx-Swaps and options) | 18,128.82 | 23,478.52 |
| FCY-FCY forwards | 1,482.97 | 1,673.00 |
| FCY-FCY currency swap | 839.50 | 1,333.63 |
| FCY-FCY currency option | 10.00 | 31.12 |
| INR Interest rate swap (IRS) (Including overnight indexed swaps (OIS)) | 25.00 | 7,293.33 |
| FCY Interest rate swap (IRS) (Including overnight indexed swaps (OIS)) | 24,600.73 | 44,413.40 |
| Others | 304.84 | 1,171.94 |
| Total | 45,391.86 | 79,394.94 |



Policies and Programmes for the Following Year

- Capacity building through FSI Connect, e-learning platform of Bank for International Settlements
- Setting up of a foreign currency clearing mechanism in IFSC
- Exploring the possibility of a wholly owned subsidiary model for banking business under a suitable regulatory framework
- Exploring the possibility of setting up Regional Administrative Office by the IBU under a suitable regulatory framework
- Roll out of operational guidelines on various aspects covered in the FC regulations which would include aspects related to the prudential regulations, capital framework, corporate governance guidelines, and conduct of business regulations, among others
- Issuance of activity specific guidelines on factoring, forfaiting, operating lease for ships and other activities
- Roll out of framework for aircraft leasing, ship leasing and sustainable & sustainability-linked lending by financial institutions (IBUs, FC/ FUs).



CAPITAL MARKET

The role of securities market is to facilitate efficient allocation of capital to companies and contribute towards overall development of the economy. There are several types of securities such as equity shares, debt instruments, convertible securities, units of funds, derivatives etc. The capital markets play an important role in channelizing savings and investments into the financial system.

The capital market in IFSC has the potential to be the gateway to channelize flow of foreign capital into India through various means, including fund management and raising of capital through listing of securities on IFSC exchanges.

The funds set up in IFSC can pool capital from foreign investors and NRIs for investments into various products in securities markets in India. Further, the fund ecosystem in IFSC can also contribute towards attracting foreign investments in certain sectors such as start-ups, SMEs, green and sustainable projects, real estate projects, infrastructure investments, etc. The Indian corporates (including banks, CPSEs etc.) can also raise capital through listing of foreign currency bonds and/ or masala bonds on the stock exchanges in IFSC.

During FY 2021-22, the Authority has notified the regulatory framework for several activities in capital markets, including policies relating to regulation and supervision of market infrastructure institutions (stock exchanges, clearing corporations and depositories), issuance and listing of various securities on recognized stock exchanges in IFSC, regulation and supervision of various types of intermediaries operating in capital markets in IFSC and various fund management activities in IFSC.

The Authority aims to benchmark regulations with the best practices in other jurisdictions and to facilitate ease of doing business in IFSC. Going forward, capital markets in IFSC aim to emerge as a regional/ global hub to attract investments from the investors (including India) for providing services and channelizing investments into overseas jurisdictions.

Activities with respect to Regulations, Circulars, Guidelines etc.

Market Infrastructure Institutions (MIIs)

Stock Exchanges

Stock exchanges provide critical infrastructure and liquidity, which help investors and market participants in buying and selling securities at fair market value. A stock exchange plays a key role for companies and institutions to access capital from the market. The regulated ecosystem ensures transparency and security, which help investors to maintain their wealth safely, along with the opportunity to participate in the growth and business cycle of the companies and of the country as a whole.

As on March 31, 2022, there are two international stock exchanges operational in IFSC namely, India International Exchange (IFSC) Limited (India INX) and NSE IFSC Limited (NSE IFSC). Further, an international bullion exchange namely India International Bullion Exchange IFSC Limited (IIBX) has also been established in IFSC.

During the year, the Authority accorded renewal of recognition to NSE IFSC on May 29, 2021 and India INX on December 29, 2021, for a period of one year each. IIBX was granted recognition for the first time on December 09, 2021.

Clearing Corporation

A clearing corporation is an MII that handles the confirmation, clearing and settlement of transactions that are executed on the stock exchange. The clearing corporations fulfil the main obligation of ensuring that transactions are settled between counter-parties in a prompt and efficient manner.

There are two clearing corporations operational in IFSC namely, India International Clearing Corporation (IFSC) Limited (India ICC) and NSE IFSC Clearing Corporation Limited (NICCL). The Authority accorded renewal of recognition to NICCL on May 29, 2021 and India ICC on December 29, 2021 for a period of one year each.

Depository

A depository is a specialist financial organization holding securities such as equity shares in dematerialized form so that ownership can be easily transferred through a book entry rather than the transfer of physical certificates. This allows brokers and financial companies to hold their securities at one location where they can be available for clearing and settlement. CDSL IFSC Limited is the sole depository functional in IFSC which acts as the record keeper for securities including Bullion Depository Receipts.

IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021

The IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 ("MII Regulations") have been notified and published in the Gazette of India on April 16, 2021, providing a unified regulatory framework for stock exchanges, clearing corporations and depositories operating in IFSC.

The salient features of the MII Regulations are as follows:

A. Shareholding

The shareholding of MIIs in IFSC shall be in the following manner:

| MIIs | Without consortium | | With Consortium | |
|----------------------|--|-------------|--------------------|-------------|
| | Held by | % | Held by | % |
| Stock exchange | Stock exchange | At least 26 | Consortium of MIIs | At least 51 |
| | Any other person | Up to 25 | Any other person | Up to 25 |
| Clearing Corporation | Stock exchange or clearing corporation | At least 26 | Consortium of MIIs | At least 51 |
| | Any other person | Up to 25 | Any other person | Up to 25 |
| Depository | Depository | At least 26 | Consortium of MIIs | At least 51 |
| | Any other person | Up to 25 | Any other person | Up to 25 |

B. Net Worth

A recognized MII shall have a net worth of at least USD 3 million at all times. Further, if required, as a risk management measure, the Authority may prescribe higher net worth for a recognized MII based on the nature and scale of business of the entity.

C. Governance

- i. The governing board of a recognized MII shall include shareholder directors, public interest directors, and managing director, within the timeline as may be specified by the Authority, in compliance with the requirements specified in the MII Regulations.
- ii. The roles and responsibilities of the governing board of a recognized MII should be clearly specified and the procedures for its functioning, including procedures to identify, address, and manage conflicts of interest should be documented.
- iii. The governing board of a recognized MII shall review the overall performance and the performance of its individual directors regularly.
- iv. Every director and key management personnel of a recognized MII shall abide by such Code of Ethics and Code of Conduct as may be specified by the Authority.
- v. A recognized MII shall constitute such committees as may be specified by the Authority from time to time.
- vi. A recognized MII shall adopt an appropriate policy to segregate its regulatory departments from other departments.

D. General obligations

The MIIs shall be required to comply with the various obligations and responsibilities as specified in the MII Regulations.

Harmonization of Bullion Exchange Regulations with MII Regulations

The IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020 ("Bullion Exchange Regulations") have been notified and published in the Gazette of India on December 11, 2020, providing the regulatory framework for bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository, vault manager and other intermediaries associated with the bullion market in IFSCs in India.

Subsequently, the MII Regulations have been notified and published in the Gazette of India on April 16, 2021, providing the regulatory framework for MIIs in the securities markets in IFSC.

The Bullion Exchange Regulations have been harmonized by way of amendment notified and published in the Gazette of India on July 06, 2021 specifying that in case of any conflict or inconsistency of the provisions of the Bullion Exchange regulations with the MII Regulations on the same subject matter, the provisions of MII Regulations shall prevail.

Other Circulars/Guidelines

Application forms for recognition and renewal of MIIs - The Authority has by way of circular dated September 20, 2021 specified the application form for recognition and renewal of MIIs in IFSC.

Code of Conduct and Code of Ethics for the Directors and Key Management Personnel (KMP) of recognized MIIs - In order to strengthen the corporate governance framework of the recognized MIIs in IFSC, the Authority has by way of circular dated September 13, 2021 (read with circular dated November 30, 2021) specified detailed requirements regarding code of conduct and code of ethics for the directors and KMPs of MIIs.

Status of transactions executed at Disaster Recovery (DR) Site of the MIs - The Authority has by way of circular dated June 22, 2021 clarified that the trades executed from the DR site (site located outside GIFT IFSC) of the stock exchanges in GIFT IFSC, due to the regulatory requirement, shall be deemed to have been executed at GIFT IFSC.

Guidelines for Liquidity Enhancement Scheme - In order to increase liquidity on the stock exchanges, the Authority has by way of circular dated March 31, 2022 reviewed the guidelines for LES. The stock exchanges have been permitted to introduce LES in any security/ listed products subject to the conditions mentioned in the circular.

Settlement of trades executed on stock exchanges in the IFSC - With a view to keep pace with the changing market dynamics in IFSC and to align the clearing and settlement process with international best practices, the Authority has by way of circular dated December 16, 2021 specified that the settlement for all the trades being executed on the stock exchanges in IFSC shall be done at least once a day. The clearing corporations shall ensure that the risk management framework is in line with the Principles for Financial Market Infrastructures (PFMIs) issued by the Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) at all times. Further, the clearing corporations shall ensure that during the trading day/ session, the mark-to-market losses on open futures contracts are collateralized at regular intervals based on risk assessment.

NSE IFSC - SGX CONNECT

NSE IFSC-SGX Connect will bring together international and IFSC participants to create a bigger liquidity pool for Nifty products in IFSC. The buy and sell orders in NIFTY derivatives from SGX shall be routed through a subsidiary, SGX SPV to the order matching platform on NSE IFSC. The SGX SPV which will act as a pass-through entity for order entered through SGX. NSE IFSC will match orders received from SGX SPV along with orders from its own trading members in GIFT IFSC. SGX had already incorporated an SPV in IFSC named 'SGX India Connect IFSC Private Limited' in February 2021.

Progress during FY 2021-22

The Authority granted registration to SGX India Connect IFSC Private Ltd. as a trading member and a self-clearing member of NSE IFSC and NICCL respectively on September 07, 2021. As a step towards operationalizing the 'NSE IFSC - SGX Connect' at GIFT IFSC, the GIFT Data Connect was launched in October 2021. It enables international members to access real-time trading data of Nifty derivatives contracts through SGX, giving investors insights into India's equity market. This connect is one of the key developments for the integration of GIFT City ecosystem with the international financial markets.



Image 1 - Inauguration of SGX GIFT City Office & launch of GIFT Data Connect

India INX Global Access

India INX launched the India INX Global Access IFSC Limited (“Global Access”), on September 18, 2018, to facilitate access to global markets through a single centralized platform. Global Access offers easy access to a diverse range of products traded on international exchanges to its members in GIFT IFSC.

The Authority on November 25, 2021 granted approval to Global Access to act as an introducing broker and further tie-up with multiple international brokers, subject to certain conditions.

Capital Market Intermediaries

Trading Members

Broker dealers/ Trading members are entities which execute trades on their own account as well as on behalf of their clients on the recognized stock exchanges in IFSC.

Table 4 - Trading Members in GIFT IFSC (as on March 31, 2022)

| Stock Exchanges | No. of trading members |
|-----------------|------------------------|
| India INX | 53 |
| NSE IFSC | 49 |

(Source: India INX and NSE IFSC)

Clearing Members

A clearing member has the responsibility of clearing and settlement of all deals executed by a broker dealer/trading member.

Table 5 - Clearing Members in GIFT IFSC (as on March 31, 2022)

| Clearing Corporation | Self-Clearing member | Trading Cum Clearing member | Professional Clearing Member |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| India ICC | 4 | 7 | 2 |
| NICCL | 5 | 6 | 2 |

(Source: India ICC and NICCL)

Depository Participants (DPs)

A DP is a participant of a recognized depository and acts as an intermediary between the depository and the investor. As on March 31, 2022 there are 4 DPs registered with the Authority. All the DPs were granted registration during FY 2021-22.

Custodian

A custodian is a specialized financial institution that carries on the business of providing custodial services in relation to financial products which include safekeeping of such financial products and providing services incidental thereto. As on March 31, 2022, there are 4 custodians registered with the Authority.

Debenture Trustee

A debenture trustee is a trustee appointed in respect of any issue of debentures. It acts as a liaison between the issuer company and debenture holders for the purpose of securing the interest of the debenture holders, by holding the secured property on behalf of the issuer company. The IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 provide procedure to be followed for the registration of debenture trustees in IFSC.

With increase in bond listings on IFSC exchanges, there has been growing demand for intermediary financial services related to debt issuance. In this regard, IFSC provides an opportunity for debenture trustees to offer financial services to both Indian and foreign entities issuing international bonds.

During FY 2021-22, IFSCA has received three applications for seeking registration as debenture trustees. During the year, the Authority has granted license to one entity and other applications are under process as on March 31, 2022.

Portfolio Managers

A portfolio manager is a person, who pursuant to a contract with a client, advises or directs or undertakes on behalf of the client (whether as a discretionary portfolio manager or otherwise) the management or administration of a portfolio of securities or financial products or funds of the client, as the case may be. As on March 31, 2022, there are 6 portfolio managers registered with the Authority. All the portfolio managers were granted registration during FY 2021-22.

Investment Advisers


An investment adviser is a person, who for consideration, is engaged in the business of providing investment advice to clients relating to investments in securities or investment products. As on March 31, 2022, there are 5 investment advisers registered with the Authority.

IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 (CMI Regulations)

CMI Regulations were notified and published in the Gazette of India on October 18, 2021. The regulations provide a comprehensive and unified regulatory framework for regulatory requirements in respect of registration, obligations and responsibilities, cross-border business, inspection, and enforcement of various types of capital market intermediaries, such as broker dealers, clearing members, depository participants, investment bankers, portfolio managers, investment advisers, custodians, credit rating agencies, debenture trustees, and account aggregators. These regulations focus on ease of doing business and are consistent with the fundamental principles laid down by IOSCO.

A. Registration Requirements

- a. It shall be mandatory for broker dealers, clearing members, depository participants, investment bankers, portfolio managers, investment advisers and custodians to obtain registration from the Authority prior to commencement of operations in the IFSC. Additionally, the credit rating agencies, debenture trustees and account aggregators may register with the Authority and shall comply with all the applicable requirements specified in the CMI Regulations.
- b. The banking units recognized by the Authority shall be permitted to function as bankers to an issue in the capital markets in IFSC, without any additional registration requirement, subject to compliance with the regulatory provisions that may be specified by the Authority from time to time.
- c. The Authority shall consider, inter alia, factors such as past experience, necessary



infrastructure, compliance with eligibility criteria, financial credit worthiness, net worth, and compliance with fit and proper requirements by the applicant and its principal officers, directors/ partners/ designated partners, key managerial personnel and controlling shareholders, for registration of capital market intermediaries.

- d. An applicant may apply for registrations for multiple categories under these regulations. An entity operating as a capital market intermediary in multiple categories shall maintain the highest of the applicable minimum net worth requirements.

B. Simplified Application

Considering that IFSC is at a nascent stage, a window (until March 31, 2022) for simplified registration was provided to entities already registered and regulated in India or a Foreign Jurisdiction having³¹ valid registration under the same category.

C. Structure

The intermediaries seeking registration with the Authority shall be required to be present in IFSC by establishing a branch or by forming a company or LLP or body corporate or partnership firm or proprietorship firm or any other form as may be permitted by the Authority. The branch structure shall be permitted only for (a) intermediaries that are already registered or regulated in India or a Foreign Jurisdiction for conducting similar activities, or (b) applicant already licensed, registered or authorized with the Authority in any other capacity. Further, the entities operating as a branch in IFSC shall adequately ring fence the operations of their branch in IFSC and comply with the additional requirements specified in the CMI Regulations.

D. General obligations and responsibilities

The registered intermediaries shall be required to comply with the general obligations and responsibilities specified in the regulations including code of conduct, maintenance of books of account, records and other documents, submission of information and furnishing of returns and statements to the Authority, redressal of investor grievances, maintaining a business continuity plan, cyber security and cyber resilience, risk management and internal controls, change in control, payment of fees, annual audit and appointment of compliance officer.

E. Specific obligations and responsibilities

Further, the registered intermediaries shall be required to comply with the detailed obligations and responsibilities specified for the respective categories in the regulations.

F. Cross-border Business

The registered intermediaries incorporated in IFSC may also undertake cross-border business in capital markets in India or a Foreign Jurisdiction, subject to compliance with the conditions specified in the regulations.

³¹ As defined in the CMI Regulations

Global Access to Broker Dealers

The broker dealers play an important role in the capital markets by providing intermediation facilities between the client and various products on the stock exchanges. The Authority, with the objective to provide more flexibility to the broker dealers operating in the IFSC and promote ease of doing business, has by way of circular dated November 25, 2021 permitted broker dealers to access global markets (exchanges outside IFSC), with appropriate checks and balances.

The broker dealers have been permitted to access exchanges outside IFSC by entering into a cross-border arrangement with a regulated entity providing such global access. Further, the broker dealer trading only through its proprietary account have also been permitted to register itself as a trading member of an international exchange.

The broker dealers are required to seek no-objection from the recognized stock exchange(s) in IFSC before availing global access. Further, the broker dealers with global access shall comply with the conditions prescribed in the CMI Regulations and the reporting requirements specified in the circular dated November 25, 2021.

IBUs authorized to operate as investment bankers

The investment bankers play an important role in facilitating issuance and listing of securities on the recognized stock exchanges and overall development of the ecosystem for primary market issuances in IFSC. Considering that the investment banking activities in the capital markets are being carried out by banks or their associates in various jurisdictions globally, IFSCA has by way of circular dated December 03, 2021 permitted a banking unit licensed by the Authority to undertake investment banking activities in IFSC. During FY 2021-22, one IBU has been authorised to operate as investment banker in IFSC.

Clearing Membership for non-bank Custodians

In order to facilitate a vibrant ecosystem for custodial services in IFSC and also to ensure a level playing field in line with global jurisdictions, the Authority has by way of circular dated September 15, 2021 permitted recognized non-bank custodian, operating in IFSC through branch mode, to acquire clearing membership in IFSC, subject to compliance with the conditions specified in the circular.

Products available for trading on the exchanges

Derivatives

These are contracts between two or more parties whose value is based on an agreed-upon underlying financial asset or set of assets. Common underlying instruments include bonds, commodities, currencies, interest rates, market indices and stocks. Common types of derivatives available for trading at the stock exchanges in IFSC are equity, index, commodity and currency derivatives.

Introduction of Negotiated Large Trade (NLT) facility on Stock Exchanges

To facilitate a vibrant capital market ecosystem in IFSC and to attract global investors and foreign capital, IFSCA introduced NLT facility for derivatives on the stock exchanges vide circular dated June 22, 2021. The regulatory framework for NLT facility was subsequently amended on March 11, 2022 to facilitate connect of recognized stock exchanges in IFSC with other international exchanges.

Depository Receipts (DRs)

A DR is a negotiable financial instrument representing underlying securities of a company issued or listed in another jurisdiction. As on March 31, 2022, there is one secondary listing of DRs of Dr. Reddy's Laboratories Limited available for trading on NSE IFSC.

Un-sponsored DRs (NSE IFSC Receipts) on Global Stocks

On March 03, 2022, NSE IFSC launched trading in India's first Un-sponsored DRs (NSE IFSC Receipts) under the regulatory sandbox framework prescribed by the Authority, which will offer Indian retail investors an opportunity to invest in global stocks in an easy and affordable way under LRS prescribed by RBI.

Key features:

- Trading, clearing and settlement of NSE IFSC Receipts on NSE IFSC and NICCL
- The securities will be held in the demat holdings with IFSC depository
- The un-sponsored DRs will be created based on a defined ratio while conversion from stocks
- Investors are entitled to receive corporate action benefits.



Image 2 - Launch of trading in India's first Un-sponsored Depository Receipts

Debt Securities

Debt plays a critical role in financing public and private organizations. The issuances in India are majorly driven by private placements while the banking, financial services, and insurance (BFSI) sector continues to dominate the total issuances. Foreign investors could play a vital role in broadening and deepening the Indian corporate debt market. In this regard, IFSC is well positioned to act as a critical enabler in driving global capital inflows into India through debt instruments.

The debt securities listed on the stock exchanges in IFSC are required to comply with the Listing Regulations notified by IFSCA and the Exchange's framework on listing of debt securities.

IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021

The development of capital markets in IFSC has been a priority area of the Authority and towards this end, it has issued a robust regulatory framework in respect of issuance and listing of securities in IFSC.

The IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021 ("Listing Regulations") were notified and published in the Gazette of India on July 19, 2021. These regulations have been formulated with the dual objectives of ensuring ease of doing business and protecting the interests of investors in the

capital market ecosystem.

The Listing regulations provide the unified regulatory framework for issuance and listing of specified securities and debt securities by companies incorporated in IFSC, India and foreign jurisdictions³².

Box 3 - Notification facilitating listing of Foreign Companies

Ministry of Corporate Affairs has issued notification on August 05, 2021 under section 393A of the Companies Act, 2013 exempting foreign companies/ companies incorporated outside India from the provisions of sections 387 to 392 of the Companies Act, 2013 in so far as they relate to the offering for subscription in the securities, requirements related to the prospectus, and all matters incidental thereto in the IFSCs.

Further, in respect of listing of debt securities, the following entities are also eligible to list on the recognised stock exchanges in IFSC:

- i. any supranational, multilateral or statutory organisation/ institution/ agency provided such entity is permitted to issue securities as per its constitution and is registered or headquartered in India, IFSC or a Foreign Jurisdiction;
- ii. any municipality or any statutory body or board or corporation, authority, trust or agency established or notified by any Central or State Act or any Special Purpose Vehicle notified by the State Government or Central Government including for the purpose of raising fund by the issuer to develop infrastructure or SMART city; and
- iii. any entity whose securities are irrevocably guaranteed by a Sovereign (India or a Foreign Jurisdiction)

Additionally, in order to ensure that capital markets in IFSCs support the financing of innovative business models especially those in the areas of fintech, corporate restructurings, etc., the framework provides for dedicated chapters relating to issuance and listing of securities by start-ups, Small and Medium Enterprises (SMEs) and Special Purpose Acquisition Companies (SPACs).

The Listing Regulations have a dedicated chapter on ESG debt securities. This would help in bridging the gap between investors and issuers of green bonds, social bonds, sustainable bonds and sustainability linked bonds. It would also help in achieving the objective of making IFSC a prominent centre for sustainable finance.

The salient features of the Listing Regulations are as follows:

A. Initial Public Offers

Eligibility: An issuer shall be eligible to make an initial public offer only if:

- a. the issuer has an operating revenue of at least USD 20 million in the preceding financial year; or
- b. the issuer has an average pre-tax profit, based on consolidated audited accounts, of at least USD 1 million during the preceding three financial years, or
- c. any other eligibility criteria that may be specified by the Authority.

Further, the issuer shall have commenced business at least three years prior to the date of filing of prospectus.

Offer size: The issue shall be of size not less than USD 15 million.

³² As defined in the Listing Regulations

Minimum subscription: For the offer to be successful, the minimum subscription received in the issue shall be at least seventy-five per cent of the issue size and the minimum number of subscribers shall be 200.

B. Start-ups and SMEs

Eligibility

A start-up company shall be eligible to list its specified securities on a recognized stock exchange, with or without making a public offer, if it meets the following criteria:

- a. The offer document of the company should be filed within a period of ten years from the date of incorporation/ registration
- b. The annual turnover of the company for any of the financial years since incorporation/ registration should not have exceeded USD 20 million; and
- c. The company is working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation.

An SME company shall be eligible to list its specified securities on a recognized stock exchange, with or without making a public offer, if the annual turnover of the company for any of the financial years since incorporation/ registration has not exceeded USD 50 million.

Listing with public offer

- Offer size: The issue shall be of size USD two million or more but less than USD 15 million.
- Minimum subscription: For the offer to be successful, the minimum subscription received in the issue shall be seventy-five per cent of the offer size and the minimum number of subscribers shall be 50.

C. Special Purpose Acquisition Company

SPAC is a company which does not have any operating business and has been formed with the primary objective to affect a business combination. The SPACs have witnessed a surge in recent years in some of the jurisdictions (particularly USA) and are seen as an alternative to traditional IPOs for many companies to raise funds.

The Authority has specified the regulatory framework for listing of SPACs based on global best practices. The Authority's listing framework gives scope for innovation and at the same time has the necessary checks and balances to protect the interests of investors. The framework on SPACs is aimed at facilitating the start-up ecosystem by providing access to global capital.

Box 4 - Regulatory Framework for Listing of SPACs

Eligibility Criteria

- A SPAC incorporated in IFSC, India or foreign jurisdiction is eligible to list its specified securities in IFSC.
- A SPAC issuer shall be eligible to raise capital through IPO of specified securities on the recognized stock exchange(s) in IFSC, only if:
 - (a) The target business combination has not been identified prior to the IPO; and

(b) The SPAC has the provisions for redemption and liquidation in line with the Listing Regulations.

- A sponsor of the SPAC issuer shall have a good track record in SPAC transactions or business combinations or fund management or merchant banking activities, and the same shall be disclosed in the offer document.

Initial Disclosures in the Offer Document

- The offer document shall contain all material disclosures which are true, correct and adequate to enable the investors to take an informed investment decision (details provided in Regulation 74 of the Listing Regulations).

Issue size

- The issue shall be of size not less than USD 50 million.
- The sponsors shall hold at least fifteen per cent and not more than twenty per cent of the post issue paid up capital. The sponsors shall also have aggregate subscription (all securities) in terms of amount in the SPAC company prior to or simultaneous to the IPO, amounting to at least 2.5 per cent of the issue size or USD 10 million, whichever is lower.

Underwriting

- May be underwritten and in such case adequate disclosure regarding underwriting arrangements shall be disclosed in the offer document.
- At least fifty per cent of the underwriting commission shall be deferred until successful completion of the business combination and shall be deposited in the escrow account.
- In case of liquidation, the underwriter shall waive their rights on the deferred commission deposited in the escrow account.

Application and allotment

- Minimum application size: USD 100,000. For the offer to be successful, at least seventy-five per cent of the issue size shall be subscribed and the minimum number of subscribers shall be at least 50.
- No single application shall be allotted more than ten per cent of the post issue capital and the allotment to investors shall be on proportionate basis or discretionary basis, as disclosed in the offer document.

Warrants

- The warrants may be detached with the equity shares and traded separately on the recognised stock exchanges provided that details have been appropriately disclosed in the offer document.

Escrow Account

- The SPAC issuer shall ensure that the entire proceeds of the IPO are kept in an interest-bearing escrow account controlled by an independent custodian until consummation of the SPAC 's business combination. The escrow funds shall be invested only in instruments disclosed in the offer document and shall include only short-term investment grade liquid instruments.
- The interest and other income derived from the amount placed in the escrow account may be withdrawn by the SPAC issuer for the following purposes:
 - a) Payment of taxes; and

- b) General working capital expenses, subject to prior approval by way of special resolution of the shareholders other than sponsors.

Prospectus regarding proposed business combination:

- The SPAC shall file a detailed prospectus with the recognised stock exchange(s) containing all relevant disclosures regarding the proposed business combination, while seeking shareholders' approval.

Shareholders' approval:

- The SPAC shall seek prior approval by way of majority of shareholders other than sponsors, for the proposed business combination.

Redemption

- If a shareholder (other than sponsors) has voted against the proposed business combination, he shall have the redemption right for converting his securities into a pro rata portion of the aggregate amount held in the escrow account (net of taxes payable).
- In the event of change in control of the SPAC, the SPAC issuer shall provide the redemption option to the shareholders (other than sponsors) for converting their securities into a pro rata portion of the aggregate amount held in the escrow account (net of taxes payable).

Business Combination

- Shall complete the business combination within the timeline disclosed in the offer document, not exceeding thirty-six months from the date of listing on the stock exchange(s)
- The SPAC issuer shall ensure that the businesses acquisition shall have an aggregate fair market value equal to at least eighty per cent of the aggregate amount deposited in the escrow account, excluding deferred underwriting commissions held in escrow and any taxes payable on the income earned on the escrowed funds.
- The SPAC and the sponsors shall ensure that there is no related party transaction or connection of sponsor or any of their associates with the business combination.

Liquidation

- If the business combination is not completed within the permitted time frame, the escrow account shall be liquidated in terms of these regulations and disclosures in the offer document.

Post business combination

- The resulting issuer shall be required to meet the listing eligibility criteria set out in these regulations within 180 days, in order to continue listing on the recognized stock exchange(s). The resulting issuer shall comply with the listing obligations and continuous disclosure requirements specified in the IFSCA Listing Regulations.
- The shareholding of the sponsors of the SPAC in the resulting issuer shall be locked up for a period of one year from the date of closing of the business combination. The shareholding of the promoters, promoter groups, controlling shareholders, directors and key managerial personnel of the resulting issuer shall be locked up for a period of one year from the date of closing of the business combination.

D. Secondary Listing

The Listing Regulations provide the framework for secondary listing of the specified securities of the company on the stock exchanges in IFSC, if the securities are already listed in India (outside IFSC) or a foreign jurisdiction.

E. Depository Receipts

The listing framework enables the eligible listed companies to raise capital through issuance and listing of Depository Receipts (DRs) on the stock exchanges in IFSC. Additionally, the framework enables eligible companies having DRs listed on any exchange in India (outside IFSC) or a foreign jurisdiction to list and trade such DRs on the stock exchange(s) in IFSC as an additional venue for trading, without any fresh public offering.

F. Listing of Debt Securities

The regulatory framework facilitates listing of debt securities (including issuances under Medium Term Notes) on the recognized stock exchanges in IFSC.

G. ESG Debt Securities

The Authority aims to make IFSC a prominent international financial centre for sustainable finance, supporting the needs of sustainable projects. Towards this direction, the Listing Regulations have a dedicated chapter on listing of ESG debt securities such as green bonds, social bonds, sustainable bonds, and sustainability linked bonds.

H. Listing Obligations and Disclosure Requirements

The Listing Regulations specify detailed requirements for various event-based disclosures, periodic disclosures and other obligations by companies with specified securities listed on the stock exchanges, inter alia relating to:

- a. Material or price sensitive information
- b. Disclosures relating to meeting of Board of Directors, Annual General Meetings and Extraordinary General Meetings
- c. Change in directors, key managerial personnel, auditor and compliance officer
- d. Any adverse opinion, disclaimer of opinion, qualified opinion by the auditors on the financial statements
- e. Encumbrance of specified securities by promoters and controlling shareholders
- f. Shareholding pattern
- g. Audited standalone and consolidated financial statements
- h. Annual report
- i. Statement of deviation or variation in the use of proceeds
- j. Corporate governance
- k. Sustainability report
- l. Corporate actions
- m. Maintenance of website

The Listing Regulations also specify disclosure requirements in respect of issuers with (a) secondary listing of specified securities on the stock exchanges, (b) DRs listed on stock exchanges and (c) Debt securities listed on stock exchanges.

IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022

After the Authority was vested with the powers to develop and regulate IFSCs in India, it has notified various regulations under the IFSCA Act, 2019 and, thereby, repealed the corresponding regulations which were drawn from the domestic regulators so far as their applicability in IFSCs is concerned. The AIFs in IFSCs were previously governed under the provisions of SEBI (AIF) Regulations, 2012. Over a period of time, the Government, IFSCA and other regulators made certain changes with regard to AIF regime to benchmark a few key practices in line with those prevalent in various global financial centres. Further, IFSCA issued detailed framework for Real Estate Investment Trusts (REITs), Infrastructure Investment Trusts (InvITs) and Portfolio Management Services (PMS) separately. An operational framework for investment funds meant for non-institutional investors was yet to be specified. Thus, in line with other developed financial centres, there was a need to have a unified approach concerning the various activities related to fund management.

In this backdrop, the Authority constituted an Expert Committee on Investment Funds to recommend the road map for the funds industry in IFSCs. The Committee was constituted under the Chairmanship of Mr. Nilesh Shah, MD, Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd. and Member, Economic Advisory Council to the Prime Minister. The Committee comprised of leaders from the Fund Management ecosystem including from areas such as technology, distribution, legal, and compliance.

The Committee submitted its report to the Authority on January 31, 2022. Subsequently, the draft IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022 have been approved by the Authority in its meeting held in March 2022.

The salient features of the regulations are as under:

- A. Registration of the Fund Manager:** In order to have direct oversight over the fund manager, in line with global practices, the Fund Management Entity (FME) shall be registered and regulated by IFSCA.
- B. Single registration for multiple activities:** An FME intending to undertake host of activities related to fund management such as managing retail schemes (including Exchange Traded Funds), non-retail schemes (AIFs), undertaking PMS or operating as a manager to various investment trusts (REIT and InvIT) can do so by seeking a single unified registration (Registered FME – Retail) from IFSCA. A fund manager intending to manage funds or activities for non-retail investors only, shall have lower eligibility requirements (Registered FME – Non-Retail). Further, a special registration with light touch requirements shall be accorded to a fund manager (Authorised FME) intending to invest in unlisted securities of start-ups, emerging or early-stage companies mainly involved in new products, new services, and technology through a venture capital (VC) scheme in IFSC.

The detailed eligibility and regulatory requirements for FMEs, retail schemes, non-retail schemes, VC schemes, PMSs and investment trusts have been specified in the Regulations.

- C. Green Channel:** VC schemes or non-retail schemes soliciting money only from accredited investors or such investors who invest above a prescribed threshold, shall qualify for a green channel i.e. the schemes can open for subscription by investors immediately upon filing with IFSCA. The requirements regarding scheme size, number of investors, permissible investments, etc. have been specified in the regulations.

- D. ETFs:** Considering that ETFs offer a means to gain exposure to specific markets or asset classes at a low cost, Registered FME-Retail shall be able to launch Index-based ETFs and Commodity-based ETFs. Requirements regarding composition of ETFs have also been specified. Fund Managers for gold and silver ETFs, in addition to investment in physical bullion, shall also be able to invest directly in Bullion Depository Receipts traded on a bullion exchange in IFSC.
- E. PMSs:** To develop the complete ecosystem in IFSC related to fund management industry, registered FMEs have been permitted to offer PMS to clients, subject to satisfying the criteria as per the regulations. An FME shall not accept from the client, funds or securities worth less than USD 150,000 for providing portfolio management services. However, for accredited investors, this minimum investment threshold shall not be applicable. The requirements prescribed in regulations are broadly aligned with the requirements for PMS as already notified by Authority in CMI Regulations with certain additional requirements.
- F. Investment Trusts:** Considering the similarities in the asset class and the regulatory framework, the existing regulatory framework for REITs and InvITs has been consolidated as Investment Trusts and incorporated in Investment Funds regime. In addition to public offer for Investment Trusts and private placement of InvIT, the regulations enable private placement of REIT as well.
- G. Stressed Assets:** Realising the need to address the issue of NPAs faced by banks and the role that IFSC can play in this regard, enabling provisions have been specified for Special Situation Funds by FMEs in IFSC.
- H. ESG:** Growing number of investors expect fund managers to incorporate ESG factors into their investment strategies. With the intent of making IFSC as a hub for activities related to sustainable finance, sustainability-related disclosures have been mandated at entity and scheme level.
- I. Family Office:** Globally, there is an increasing need for having a formal structure for managing and preserving the wealth of HNIs and Ultra HNIs and their families. This has paved the way for conceptualisation of a regulatory framework for family offices. Accordingly, a framework to facilitate self-managed investment fund of a family office has been specified.
- J. Innovations:** To support various innovations in a regulated manner, the regulations also include the following:
 - a. **Fund Lab:** A platform has been provided to aspirational fund managers to try new products, strategies, processes, services, business models, use of technology etc., in a live environment of regulatory sandbox for 18 months.
 - b. **SPV as a co-investment structure:** Similar to international jurisdictions, fund managers are permitted to create SPVs under the main scheme to enable undertaking co-investment or leverage along with the Fund/ scheme subject to certain conditions.
 - c. **Retail participation in private markets:** There has been growing need to facilitate investors at large to invest in private markets. Accordingly, retail close ended schemes have been permitted to invest in unlisted securities subject to certain conditions.

- K. Listing:** The regulations, among other things, detail the requirements for listing of schemes (mandatory only in case of close ended retail schemes), mandatory listing of ETFs, enable secondary listing of ETF or Investment Trust, etc. The details for suspension, mandatory and voluntary listing have also been specified.
- L. Other requirements:** A detailed code of conduct has been specified for FMEs, its fiduciaries and KMPs (including Principal officer, Fund Managers and Designated Compliance Officer). The regulations also specify the requirements regarding business continuity plan, cyber security and cyber resilience, risk management, change in control, etc. Requirements have also been specified with respect to scheme annual report, auditor's report, disclosure of other material information to investors, etc. The procedure for inspection and audit, obligations of entities, liability for action in case of default, etc., have been specified along with a code for advertisement to ensure that advertisements by FMEs are accurate, true, fair, clear, complete, unambiguous and concise. With a view to ensure fair treatment to all investors, existing investors as well as those who are seeking to invest, overarching principles of fair valuation have also been specified.

Transaction / Processes / Operations / Trends

Turnover on stock exchanges

The notional turnover on the recognised stock exchanges in IFSC increased to USD 2,867 billion during FY 2021-22 compared to USD 1,980 billion during FY 2020-21. Therefore, the notional turnover during FY 2021-22 increased by approximately 45% compared to previous year.




Fig. 5 - Notional Turnover on Exchanges (Million USD)

Derivatives available for trading on IFSC Exchanges

Index Derivatives

The most popular index derivatives on India INX are S&P BSE SENSEX & S&P BSE SENSEX 50. NSE IFSC offers trading in Futures and Options contracts on 4 Indices which are, NIFTY 50 Index, NIFTY BANK INDEX, NIFTY IT Index and FINNIFTY Index.

Index Futures: Trading in index futures grew by 20% in terms of notional turnover in the financial year 2021-22.

Table 6 - Trends in Index Futures

| Financial Year | No of Contracts | | Notional Turnover (USD Mn) | |
|----------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|
| | India INX | NSE IFSC | India INX | NSE IFSC |
| 2020-21 | 7,248,004 | 3,320,859 | 93,199 | 56,678 |
| 2021-22 | 5,515,681 | 2,488,692 | 96,461 | 83,707 |

(Source: India INX and NSE IFSC)

Index Options: Trading in index options grew by 51% in terms of national turnover in the financial year 2021-22. During the same period, number of contracts traded grew at 18%.

Table 7 - Trends in Index options

| Financial Year | No of Contracts | | Notional Turnover (USD Mn) | |
|----------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|
| | India INX | NSE IFSC | India INX | NSE IFSC |
| 2020-21 | 117,264,788 | 9,454,922 | 1,648,052 | 114,961 |
| 2021-22 | 145,295,033 | 4,793,400 | 2,498,722 | 156,381 |

(Source: India INX and NSE IFSC)

Commodity Derivatives

There are various commodities derivatives available for trading on the recognized stock exchanges as mentioned in the table below.

Table 8 - Commodity Derivatives Available for Trading on IFSC Exchanges

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Precious Metals | Gold, Silver |
| Base Metals | Copper, Aluminum, Lead, Nickel, Zinc |
| Energy | Brent Crude Oil |

Within commodities, gold derivatives remain the most traded commodity on the exchanges. The turnover in commodity derivatives has decreased in the financial year 2021-22 as mentioned in the table below:

Table 9 - Trends in Commodity Derivatives

| Turnover (USD Million) | FY 2020-21 | FY 2021-22 |
|------------------------|------------|------------|
| India INX | 41,776 | 26,195 |
| NSE IFSC | 8,930 | 1,005 |

Currency Derivatives

There are various currency derivatives available for trading on the recognized stock exchanges as mentioned below:

| | |
|-----------------------------|---|
| Global Currency Derivatives | EUR - USD, GBP-USD, JPY – USD, CHF-USD, AUD-USD |
| Rupee Derivative | INR - USD, USD – INR |

The turnover in currency derivatives has decreased in the financial year 2021-22 as shown below:

Table 10 - Trends in Currency derivatives

| Financial Year | No of Contracts | | Notional Turnover (USD mn) | |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|----------|
| | India INX | NSE IFSC | India INX | NSE IFSC |
| 2020-21 | 1,192,347 | 215,248 | 12,113 | 4,450 |
| 2021-22 | 215,886 | 67,114 | 2,899 | 1,722 |

Listing of Debt Securities

There has been a significant growth in the debt listings on IFSC exchanges in financial year 2021-22. The overall debt listing on IFSC exchanges in FY 2021-22 is around USD 18 billion which includes primary listings of around USD 6 billion.

Table 11 - Debt Listings on IFSC Exchanges

| Description | FY 2021-22 |
|--|---------------|
| Medium Term Notes established | 12,500 Mn USD |
| Debt Securities (Drawdowns and Standalone) | 18,186 Mn USD |
| No. of issuers | 17 |
| No. of issuances | 31 |

Debt issuances that are exclusively listed on IFSC exchanges have the advantage of reduced withholding tax of 4% (compared to 5% otherwise), which is beneficial for Indian entities to raise capital at lower cost. This has resulted in increased number of exclusive listings in IFSC. Various labelled debt securities such as social, sustainable, and sustainability-linked bonds have debuted on IFSC exchanges. Similarly, Formosa bonds, which are issued in Taiwan in USD have been listed for the first time in IFSC.



Image 3 - Listing ceremony of SBI's USD 300 Million Formosa bonds on India INX

Table 12 - List of debt issuances in FY 2021-22

| Name of Issuer | Debt Securities Listed (USD Million) |
|--|--------------------------------------|
| Adani Electricity Mumbai Limited | 300 |
| Adani Green Energy Limited | 750 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 750 |
| Axis Bank Limited | 600 |
| HDFC Bank Limited | 1,100 |
| Indian Railway Finance Corporation Limited | 500 |
| Indian Oil Corporation Limited | 1,697 |
| JSW Infrastructure Limited | 400 |
| Power Finance Corporation Limited | 352 |
| REC Limited | 400 |
| Reliance Industries Limited | 7,050 |
| ReNew Power Private Limited | 400 |
| ReNew Wind Energy Delhi Private Limited (along with 9 other group companies) | 585 |
| Shriram Transport Finance Company Limited | 2,579 |
| State Bank of India | 300 |
| IIFL Finance Limited | 376 |
| Aavas Financiers Limited | 47 |
| Total | 18,186 |

Table 13 - Exclusive Listing on IFSC Exchanges in FY 2021-22

| Name of issuer | Label | Amount in Million USD |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Renew power | Green | 585 |
| HDFC Bank | | 1000 |
| HDFC Bank | | 100 |
| Renew power | Green | 400 |
| IRFC | Sustainability-linked | 500 |
| JSW Infrastructure | Social | 300 |
| Aavas Financiers | | 47 |

The below figure depicts the growth of debt listings on IFSC exchanges in FY 2021-22. The total issuance in the financial year is approximately USD 18 billion which includes primary, secondary and exclusive listings.




Fig. 6 - Debt Listings on IFSC Exchanges

The cumulative listing of debt securities increased by around 67 per cent at the end of FY 2021-22 over the previous financial year




Fig. 7 - Cumulative debt listings on IFSC Exchanges

Alternate Investment Funds

The number of funds registered with IFSCA also gathered momentum in 2021-22. There are total of 24 AIFs in IFSC as on March 31, 2022. Out of these 24 AIFs, 10 belong to Category 1 and Category 2 AIF having a total committed funds of USD 4,081 million while 14 are under Category 3 AIF with total committed funds of USD 1,072 million.

Table 14 - AIFs in GIFT IFSC

| AIF Category | Corpus (in USD million) |
|---------------------------|-------------------------|
| Category 1 and Category 2 | 4,081 |
| Category 3 | 1,072 |
| Total | 5,153 |

Advocacy and Outreach

IOSCO World Investor Week (WIW) 2021

WIW 2021 is a week-long global campaign promoted by IOSCO to raise awareness about the importance of investor education and protection and highlight various initiatives of securities regulators. During the WIW, IOSCO securities regulators and other IOSCO members conduct a range of activities, such as launching investor-focused communications and services, promoting contests to increase awareness of investor education initiatives, organizing workshops and conferences, and conducting local/ national campaigns in their own jurisdictions. The key messages of the IOSCO WIW campaign in 2021 was on the following themes:

- Sustainable Finance, and
- Frauds and Scams prevention

(i) Opening Bell Ringing Ceremony

The opening bell ringing ceremony was hosted by India INX to commence the celebration of IOSCO WIW 2021 on November 22, 2021. During the event, various measures taken by the Authority to promote green and sustainable finance in IFSC were highlighted.

(ii) Panel Discussion hosted by NSE IFSC Ltd

A panel discussion was held on the topic “Impact Investing Landscape post CoP 26”. The panel consisted of representatives from financial services industry and IFSCA. The importance of CoP 26 was reiterated and the need for value creation over value extraction was emphasized. Topics such as growth of green bonds, ESG funds, ESG sustainability reporting, ESG bond listing regulatory framework, role of private sector in sustainable financing etc. were highlighted.

(iii) Roundtable Conference with IBUs on Sustainable Finance

As part of the WIW 2021, a virtual roundtable conference with IBUs on sustainable finance was held to discuss several topics including regulatory framework with respect to green/sustainable banking products.

(iv) Social Media Campaign on Sustainable Finance

As part of the IOSCO WIW 2021, the Authority through its social media platforms generated awareness about smart investing in sustainable finance, green bonds, listing framework for ESG Bonds, greenwashing, independent external review, alignment with various international standards, etc.

(v) Closing Bell Ceremony

The closing bell ceremony was hosted by NSE IFSC. During the ceremony, an expert session was conducted on “Sustainability and Finance: Emerging Dynamics” by Professor Amit Garg, IIM Ahmedabad. NSE IFSC also organized a tree plantation drive in GIFT City.

International Engagements

IOSCO

The Authority is an associate member of IOSCO. It is also member of IOSCO's Growth and Emerging Markets Committee (GEM) and Asia-Pacific Regional Committee (APRC). During the year 2021-22, it participated in the meetings of GEM and APRC held virtually.

The Authority also participated in the IOSCO SPAC Network which was formed by IOSCO to discuss issues relating to special purpose acquisition companies.

European Securities and Markets Authority (ESMA)

The clearing corporations in the IFSC viz. NICCL and India ICC are recognised by ESMA as third country CCPs under European Market Infrastructure Regulation (EMIR). IFSCA and ESMA have expressed their willingness to sign a bilateral MoU between the two authorities for exchange of information relating to the clearing corporations, subject to approval of the Government of India.

Financial Centres for Sustainability (FC4S)

The Authority has become a member of FC4S network in September 2021. FC4S network is a collective of the international financial centers working together to achieve UN sustainable development goals and the objectives of Paris Agreement. Its objective is to accelerate the expansion of sustainable finance by enabling financial centers to evaluate the state of green and sustainable finance, exchange experience, drive convergence, and act on shared priorities. The Authority aims to collaborate with FC4S to promote strategic action globally on green and sustainable finance.

India - UK Sustainable Finance Forum

The Authority is a core member of India-UK Sustainable Finance Forum, which was established to drive forward deeper cooperation between India and UK in sustainable finance. The objectives of the forum include potential initiatives to mobilise flows of international capital, exchange of best practices on policies and regulations, and promote bilateral partnership in sustainable space.

Policies and Programmes for the following year

• Guidelines related to Fund Management activities

Subsequent to publishing of the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022 in the official gazette, the detailed guidelines on various areas relating to fund management activities in IFSC, such as Framework for Angel Funds, Accredited Investors, Disclosures by ESG Schemes, Family Offices, Distribution of financial products, Periodic reports by FMEs, etc. are proposed to be issued.

• Sustainable Finance

IFSCA plans to undertake following initiatives :

- a) Implementation of the recommendations of the Expert Committee on Sustainable Finance
- b) Encouraging sustainable lending and sustainability-linked lending by IBUs
- c) Establishing IFSC as a preferred destination for listing of ESG debt securities by Indian corporates, including CPSEs
- d) Framework for establishment of a dedicated platform based on Distributed Ledger Technology for issuance and trading of various green products such as green bonds, carbon credits, green REITs, green equity etc.
- e) Framework for Transition Bonds.

• NSE IFSC-SGX Connect

The Connect is expected to be completely operational in the FY 2022-23, which would bring together international and IFSC participants to create a bigger liquidity pool for Nifty products in IFSC.



INTERNATIONAL BULLION EXCHANGE

India is second largest gold market and accounts for around 25 percent of world's gold demand. Gold demand is majorly driven by Jewellery consumption (73.1%), Bullion (15.9%), Coins (6.9%), ETF (2.7%), Industrial (1.4%) demand³³. Jewellery Gold supply in India is primarily met through imports, less than 1 percent coming from local mining and about 10 percent from recycling³⁴. India's gold imports consist of gold in refined form and gold in doré form. The demand for gold has always remained high with an approximate annual import demand of 1000 tonnes.

Gold provides safety and security for women, and under difficult circumstances, liquidity for the whole family. Gold is a form of collateral, not only for the common man in distress but even for RBI and the Government of India when there is a crisis, as in 1991.

In the initial years of restricted environment, particularly post the Gold Control Act 1962, a strong domestic demand coupled with a relatively restrictive policy resulted in higher domestic gold prices as compared to international markets. The demand and supply of the gold has important macroeconomic and foreign trade policy implications. The large demand of gold through imports has an adverse impact on the CAD and has further implications on the external sector stability. Thus, financialization of gold by mobilization of above-ground gold stock of domestic gold attains importance.

With the view to monetise the idle gold, the Government introduced the Gold Monetisation Scheme (GMS) in the Union Budget, 2015 under which the accumulated gold is to be used productively and profitably, by banks through the Gold Metal Loan (GML), a low interest rate financial product for meeting inventory financing needs of the borrower. With the main objective to reduce the demand for physical gold and shift a part of the gold imported every year for investment purpose into financial savings, the Government launched the Sovereign Gold Bonds Scheme (SGBS) in November, 2015.

The Government has also been trying to bring more transparency in gold trade by streamlining the taxation especially on import side. However, despite various initiatives, the gold market in India is marked by its opacity and unorganized/ fragmented nature, disaggregated across the value chain, inefficient market mechanism and processes. It is found lacking in aspects like quality and standard of bullion delivery as per global practices that promote supply chain integrity and responsible sourcing of gold. Further, lack of transparent pricing inhibits flourishing of organized avenues for bullion as an investment option.

Union Budget 2018-19 recognized the role of gold ecosystem in promoting economic growth wherein it was announced that the Government would formulate a comprehensive Gold Policy to develop gold as an asset class and, also establish a system of consumer friendly and trade efficient system of regulated gold exchanges in the country. In the Union Budget 2020-21, Hon'ble Finance Minister of India announced setting up an International Bullion Exchange at IFSC.

In an exchange model, all eligible market participants have the benefits of transparent price discovery and reduced risks due to centralized clearing/ settlement and availability of Settlement Guarantee Fund (SGF) to meet default shortfall, if any. Also, there is a potential for higher participation, including from smaller players, both on supply side as well as demand side as compared to the current model wherein intermediaries (nominated banks and nominated agencies) play a major role.

³³ Transforming India's Gold Market, Feb. 2018 NITI Aayog

³⁴ World Gold Council and Metals Focus

Activities with respect to Regulations, Circulars, Guidelines etc.

To enable operationalization of IIBX, Government notified bullion spot trading and bullion depository receipts (BDR) with underlying bullion, as financial products and bullion related services as financial services respectively on August 31, 2020. IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020 were notified on December 11, 2020. These regulations, inter alia, cover the bullion exchange, clearing corporation, depository and vault managers.

IFSCA (Bullion Exchange) (Amendment) Regulations, 2021 were notified on July 06, 2021. The amendment clarifies that in case of any conflict or inconsistency of the provisions of these regulations with the IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 on the same subject matter, the provisions of IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 shall prevail.

Notifications/ Circulars/ Guidelines

- Bullion spot delivery contract and BDR with underlying bullion have been notified as securities for the purpose of the SCRA vide Gazette notification dated December 24, 2021.
- DGFT notification no. 49/2015-20 dated January 05, 2022 enabled import of gold by Qualified Jewellers (QJs) through International Bullion Exchange.
- RBI Master Directions dated January 06, 2022 for imports of goods and services have enabled QJs to import gold through IIBX.
- Department of Commerce Instruction dated February 01, 2022 has allowed units, authorized by IFSCA to operate in IIBX, for trading in precious metals for their authorized operations as approved by the Authority.

Circulars/ Guidelines issued by IFSCA

- I. **Operating guidelines for the bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository, bullion intermediaries, refinery and vault manager issued on August 25, 2021.**

Salient features of the operating guidelines:

- i. The bullion exchange shall enable trading of bullion through BDRs issued in electronic form by bullion depository.
- ii. The bullion exchange shall only enable trading in bullion which adhere to OECD due diligence guidance for responsible supply chain of minerals from conflict affected and high-risk areas for establishing supply chain integrity.
- iii. In case of bullion contracts where the settlement is likely to be on T+0 basis, the funds are required to be available prior to initiation of the trade by the trading member or its customers.
- iv. A member shall set up operations in IFSC, either through a subsidiary or a branch or any other mode as permitted by the Authority. All entities shall comply with the 'fit and proper criteria' specified under the regulations.
- v. The consolidated operating guidelines has prescribed the eligibility criteria for setting up a bullion refinery in IFSC. A bullion refinery shall have a tangible net worth of not less than USD 7 million or its equivalent as per its latest audited financial statement (to be maintained at all points of time).
- vi. The minimum net worth requirement for customers - Qualified Individuals who is a person resident outside India and Qualified Resident Individual is USD 250,000 each. The minimum net worth requirement for persons resident outside India who are corporate or institutional entities is USD 500,000.

- vii. The bullion clearing corporation shall follow a Net-Net settlement model which may be adopted by having a multi-tiered netting procedure to determine the net settlement obligations (delivery/ receipt positions) of the clearing members (CMs).
- viii. The net worth of the clearing member shall be not less than USD 10 million.
- ix. Bullion depositories shall perform the function of storage and safeguarding of bullion through a vault manager and issuance of the BDR for the underlying bullion in electronic form for trading on the Bullion Exchange.
- x. Bullion depository must ensure that the vault manager shall clearly demarcate the storage area meant for vaulting services for bullion in respect of which the BDR is issued. The physical storage of bullion for activities related to IIBX shall be separate from the vaulting services provided for other activities.
- xi. The vault manager guidelines elucidate on registration, eligibility criteria, duties and obligations, inspection and audit and other miscellaneous relevant matters.
- xii. The vault shall be under complete physical and operational control of the vault manager.
- xiii. The vault manager registered with the Authority shall fulfil minimum net worth of USD 7 million which shall be maintained at all times.

II. Criteria for QJ and manner of participation on IIBX specified vide IFSCA circular dated January 19, 2022.

Salient Features:

- i. DGFT vide Notification No. 49/2015-2020 dated January 05, 2022, has inter alia, specified that import of gold under ITC (HS) Codes 71081200 and 71189000, shall be permitted by QJs through IIBX.
- ii. To be considered as QJ and be permitted to transact as TM or clients of TM, the entity shall be engaged in the business of goods falling under ITS (HS) codes 7108, 7113, 7114 and 7118 under Chapter 71 of ITC (HS).
- iii. QJs shall comply with the 'fit and proper criteria' specified under the IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020, at all times.
- iv. A QJ based in India and not having a physical presence in IFSC, may apply for a limited purpose trading membership, wherein the entity can only trade on its own account (proprietary trading). No client onboarding shall be permitted for such a trading member. The entity shall comply with all the other applicable norms specified in IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020, operating guidelines issued by IFSCA on August 25, 2021 and regulatory requirements as may be specified by IFSCA and IIBX from time to time.

III. Gold and Silver ETF

Considering that ETFs offer a means to gain exposure to specific markets or asset classes at a low cost, registered fund managers in IFSC have been permitted to launch Index based ETFs and Commodity based ETFs. In addition to investment in physical bullion, Gold and Silver ETFs, are permitted to invest directly in BDR at IIBX.

Transaction/Processes/Operations/Trends

The following steps have been taken to enable IIBX so far:

- A holding company, India International Bullion Holding IFSC Limited has been incorporated on June 04, 2021 for setting up and operationalizing IIBX, bullion clearing corporation and bullion depository in GIFT IFSC, post signing of an MoU among the five MIIs - CDSL, India INX, MCX, NSDL and NSE, and has been granted Certificate of Registration as a Finance Company on August 09, 2021.
- The holding company has set up the International Bullion Exchange through its subsidiary, 'India International Bullion Exchange IFSC Ltd.', encompassing the Bullion Exchange and the Bullion Clearing Corporation.
- IIBX was granted recognition on December 09, 2021 by the Authority and was notified by the Government in the official gazette on December 10, 2021.
- CDSL-IFSC, an IFSC based depository has been designated as the Bullion Depository for the Bullion Exchange on August 17, 2021. SOPs have been put in place for creation and extinguishment of BDR, and deposit and withdrawal of bullion from IFSC. Bullion Depository System and SEZOnline portal have been integrated using API methodology for seamless exchange of data to facilitate customs clearance for delivery of bullion to the qualified jewellers in domestic tariff area.
- Existing registered members in IFSC have been permitted to be grandfathered as bullion trading/ clearing members subject to fulfilment of net worth and base minimum capital as mentioned in the IFSCA circular dated September 17, 2021.
- Certificate of Registration has been issued to Sequel Logistics Private Limited as a vault manager for its vault in IFSC with a capacity of storing 25 tonnes of gold. Additionally, two more vault managers are likely to be registered with IFSCA with a cumulative vaulting capacity of approx. 125 tonnes of gold.

Bullion Market Intermediaries

The categories of participants at IIBX are:

- Trading Member (TM):** This category of membership entitles a member to execute trades on his own account as well as on account of his clients but, clearing and settlement of trades executed through the TM is done through a Clearing Member (CM).
- Trading-cum-Self Clearing Member (TSM):** This category of membership entitles a member to execute trades and to clear and settle trades executed on his own account as well as on account of his clients.
- Trading-cum-Clearing Member (TCM):** This category of membership entitles a member to execute trades on his own account as well as on account of his clients and to clear and settle trades executed by themselves as well as by other trading members who choose to use clearing services of the member.
- Professional Clearing Member (PCM):** This category of membership entitles a member to clear and settle trades only of trading members of the exchange who choose to clear and settle their trades through the PCM.

The clearing and settlement shall be done on a multilateral netting basis as per the settlement obligations of the respective clearing members. As a set process, all obligations in respect of trades entered by TMs will be transferred to the respective CMs, who have undertaken to act as CM for them.

The number of entities registered as bullion market intermediaries in the capacity of TM, TCM, PCM as on March 31, 2022, are mentioned in the table below.

Table 15 - Bullion Market Intermediaries in GIFT IFSC

| Bullion TM | Bullion TCM | Bullion PCM |
|------------|-------------|-------------|
| 7 | 4 | 2 |

Further, 30 QJs have been notified as on March 31, 2022.



Advocacy and Outreach

| | |
|---|---|
| Dubai Precious Metals Conference 18 November, 2021 | <ul style="list-style-type: none"> MoU between IIBX and DMCC Engagements with Emirates refinery, Al-EtiHAD refinery and various Gulf-based banks/ large traders. |
| India Gold Conference 12-13 November, 2021 | <ul style="list-style-type: none"> The event focussed on the theme - "Reforms Shaping India's Bullion Markets" Discussions with market participants in India |
| India International Bullion Summit 12 March, 2022 | <ul style="list-style-type: none"> The event focussed on topics such as how IIBX will help Gems & Jewellery sector, Gold price outlook for FY 2022-23, etc. Engagements with the bullion market participants (global as well as domestic) |

Policies and programmes for the following year

- Operationalisation of import of gold through IIBX by QJs
- Enhancing the remit of IFSCA to the vaulting units in other geographical locations within Special Economic Zones across India
- Enabling Indian IBUs to operate as clearing members and trading members on IIBX
- Enabling remote membership for select market participants such as global bullion banks on IIBX
- Enabling gold leasing/ gold loans
- Framing policies/ guidelines on Digital Gold, Gold Savings Accounts, Gold Accumulation Plans.



FINTECH HUB

In the Union Budget 2021-22, the Hon'ble Finance Minister announced that the Government would support the development of a world class FinTech Hub at GIFT IFSC. The Authority, in line with this vision, formulated a strategy to create visibility and mindshare among FinTechs globally and develop progressive regulatory frameworks, incentives, and other levers, enabling a robust FinTech ecosystem.

Activities with respect to Regulations, Circulars, Guidelines etc.

Regulatory/ Innovation Sandbox

IFSCA had introduced a framework for “Regulatory/ Innovation Sandbox” in October 2020 under which the entities operating in the Capital Market, Banking, Insurance and other financial services space shall be granted certain facilities and flexibilities to experiment with innovative FinTech solutions in a live environment with a limited set of real customers for a limited time frame. These features shall be fortified with necessary safeguards for investor protection and risk mitigation. To foster an innovation-centric ecosystem in IFSC, an “Innovation Sandbox” was introduced, which would be a testing environment where FinTech firms can test their solutions in isolation from the live market, based on market related data made available by MIs operating in IFSC. The Innovation Sandbox will be managed and facilitated by MIs operating within IFSC.

As on March 31, 2022, IFSCA is also formulating a **FinTech Entity (FE) Framework** which is a first of its kind framework cutting across Banking, Capital Markets, Insurance, and Allied Areas.

IFSCA FinTech Incentive Scheme, 2022

To promote the establishment of a world class FinTech Hub, comparable with those located in well-established international financial centers across jurisdictions, IFSCA FinTech Incentive Scheme, 2022 was notified in the Gazette in February 2022, making IFSCA the first Indian financial sector regulator to formulate an incentive scheme and providing financial support to FinTech activities in the form of specific grant(s).

The six categories of grants for eligible applicants are as follows:

- i. **FinTech Start-up Grant** - for developing a product or a service and related 'go to-market' initiatives for a start-up with a novel FinTech idea or solution. At this stage, the focus is on converting the idea into an MVP.
- ii. **Proof of Concept (PoC) Grant** - for the purpose of conducting a PoC by an early or mature FinTech Entity (FE) in domestic or overseas market.
- iii. **Sandbox Grant** - for experimenting with innovative products or services in a sandbox.
- iv. **Green FinTech Grant** - for developing solutions facilitating sustainable finance and sustainability linked finance, including ESG investments.
- v. **Accelerator Grant** - for supporting accelerators at the IFSC.
- vi. **Listing Support Grant** - for supporting domestic FEs aspiring to go for listing on stock exchanges recognized by the Authority.

Over 125 FinTechs are estimated to get the benefit of this scheme over the next three years.

Advocacy and Outreach

InFinity Forum

As the first component of the Authority's strategy to create visibility and mindshare among FinTechs globally, IFSCA launched '**InFinity Forum**' as an annual thought-leadership forum. The Forum is a flagship financial technology event, uniting the world's leading minds in policy, business, and technology to explore and advance the biggest ideas in FinTech, and to develop those ideas into global solutions and opportunities.

The inaugural edition of the Forum was inaugurated by Hon'ble Prime Minister of India on December 03, 2021. The event was conducted in virtual mode for two days and was hosted by IFSCA under the aegis of GoI, in collaboration with GIFT City Co. Ltd. and Bloomberg. It attracted over 95,000 registrations from across 70+ countries. The event included 8 InFinity talks, 9 InFinity panels and 62 speakers from 9 countries.



Image 4 - Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi
Inaugurating InFinity Forum 2021 on December 03, 2021

Indonesia, South Africa and UK were the partner countries in the inaugural edition of the Forum. NITI Aayog, Invest India, FICCI and NASSCOM acted as key domestic partners. InFinity Forum 2021 was truly global with its organising team spread across 4 continents and 5 countries including India, Singapore, Australia, UK, and USA. The organising team was guided by an advisory committee constituted for the purpose of steering the event. The committee had members from the Indian Government, Indian industry, and international shores including FinTech Leaders from the three partner countries.

The agenda of the Forum focused on the idea of '**Beyond**'. The entire event was broadly constituted into three themes, each of which sought to extend the realm of FinTech beyond boundaries, keeping in line with the overarching spirit of the event. It included talks by influential political leaders & FinTech entrepreneurs, and panel discussions, all seeking to push the boundaries of thoughts around FinTech.

The vision of the Hon'ble Prime Minister for transforming GIFT IFSC into a FinTech Hub was underlined during his inaugural address at the InFinity Forum 2021 as-

"Fintech industry in India is innovating to enhance access to finance and the formal credit system to every person in the country. Now it is time to convert these fintech initiatives into a fintech revolution, a revolution that helps to achieve financial empowerment of every single citizen of the country."

A brief introduction on the focus areas is given below:

| FinTech Themes | Focus Areas |
|---------------------------|---|
| FinTech Beyond Boundaries | Focus on global collaboration to support inclusive and collaborative growth of new technologies and themes – Building a Global Stack |
| FinTech Beyond Finance | Focus on the convergence of FinTech with other economic activities – Space, Agriculture, Green |
| FinTech Beyond Next | Focus on next-gen ideas and opportunities – Quantum Computing |

Highlights of InFinity Forum

InFinity Talks and Panels

1. InFinity Panel: FinTech for an inclusive growth across the globe

The panel comprised of the Finance Ministers from three countries:

- Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India
- Ms. Sri Mulyani Indrawati, Hon'ble Finance Minister of Republic of Indonesia
- Mr. Tengku Zafrul Aziz, Hon'ble Finance Minister of Malaysia

The members of the panel focused on how technology was leveraged to achieve inclusive growth and provide better services to the citizens of their respective countries, the challenges they faced and the future opportunities. The panel noted that technology does not have physical borders and so global action is required for formulating effective regulations especially in the evolving areas of crypto, data privacy, etc. The panel also highlighted the importance of national digital identity for promoting financial inclusion.



Image 5 - Hon'ble Finance Minister of India, Smt. Nirmala Sitharaman at the InFinity Forum 2021

2. InFINITY Panel: FinTech Beyond Finance

Shri Ashwini Vaishnaw, Hon'ble Minister of Railways; Communications; and Electronics & Information Technology, Government of India and Mr. Sandiaga S Uno, Hon'ble Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia spearheaded the panel on **FinTech Beyond Finance**.

The panel discussed the role of FinTech beyond finance to help accelerate economic growth and open new opportunities. The concept of JAM trinity was discussed as a model of financial inclusion in India. Further, the role of IRCTC as an example of FinTech beyond Finance was brought forward for Indian case. Similarly, the leverage and opportunities which FinTech sector is creating for tourism sector in Indonesia was also highlighted. Overall, the panel emphasized investment in digital infrastructure in both countries.

3. InFINITY Talk: FinTech Beyond Boundaries - A Banker's Perspective

Mr. Uday Kotak, MD and CEO, Kotak Mahindra Bank shared his perspective about taking India's pioneering innovations, UPI and Aadhar, beyond boundaries, by way of co-operation between different countries with India in the lead. He underlined the importance of democratising financial services by realising the power of data through artificial intelligence, machine learning and data analytics. He noted that the idea of allowing UPI for Overseas Indians may work tremendously.

4. InFINITY Talk: FinTech for Good- An Investor's Perspective

Mr. Masayoshi Son, Chairman & CEO SoftBank Group Corp, highlighted the importance of creating a level playing field and looking beyond the short term to develop the FinTech industry across the world to harness it for global good. He highlighted that small businesses have embraced technology due to impact of COVID-19 and digital divide has been crossed by people going beyond their boundaries. He mentioned that Soft Bank Group has invested around 14 billion USD in India and provided 10% of funding to all Indian unicorns which have created nearly 10 million new jobs.

5. InFINITY Talk: Digital Nation - The Infrastructure of Tomorrow: A Corporate Perspective

Mr. Mukesh Ambani, Chairman and MD, Reliance Industries Ltd. highlighted the importance of decentralized technological solutions to ensure availability of finance to everyone. He mentioned that if data is the new oil, then digital infrastructure is the new pipeline and the next phase of global growth will depend on nations and companies that will build and leverage a robust digital infrastructure. In this context, he highlighted that IFSCA's vision to enable tech and innovation, and make IFSC a gateway to the rest of the world provides unique opportunity for India.

6. InFINITY Talk: FinTech Beyond Boundaries

Mr. Rishi Sunak, Hon'ble Chancellor of the Exchequer, the UK, threw light on role of India-UK partnership in global transformation of Fintech sector. He underscored the importance of FinTech sector in UK's economy with around 44 FinTechs becoming Unicorns. He emphasized that the shared commitments between the two Governments shall only strengthen the financial corridor between India and UK going forward with FinTech sector at the center stage.

7. InFINITY Talk: Zero G to Zero C

Mr. Sunil Bharti Mittal, Founder and Chairman, Bharti Enterprises and Mr. Nandan Nilekani, Chairman and Co-Founder, Infosys discussed the importance of investment and innovation in Zero G (Zero Gravity) to accelerate the next phase of growth in Zero C (Zero Carbon) - the green economy.

The discussion revolved around how space technologies and telecom sector together can provide comprehensive connectivity to the remote locations in India. Emphasis was placed on power of high speed internet connectivity which shall spin off lot of benefits to the country including monitoring and reduction of carbon emission through Internet of Things (IoT).

8. InFINITY Talk: How can Quantum Computing change the Future of FinTech?

Mr. Arvind Krishna, Chairman and CEO of IBM highlighted the power and potential of Quantum Computing (QC) to change the world we live in. He mentioned that as the world is driving towards adoption of blockchain and Web 3.0, QC is emerging as a major disruptor.

He mentioned that there are many uses and fields for which the QC can be deployed, especially financial services including solving complex optimization problems in finance. He emphasized that India has a primary role to play in advancing the future of QC with a strong scientific and engineering culture, as well as the spirit of innovation.

The topics discussed in other InFINITY Talk and Panels are listed below :

InFINITY Talks

- Identity Beyond Boundaries: Aadhaar 2.0
- Financial Regulation and Innovation in FinTech Era

InFINITY Panels

- FinTech Beyond Boundaries - Building a Global Stack
- How Artificial Intelligence and Quantum Communication will impact FinTech
- Convergence of Space Tech with FinTech
- FinTech Beyond Boundaries: Capitalising Opportunities beyond Boundaries
- Promoting Diversity and Inclusion in FinTechs
- FinTech Beyond Next: Rise of Quantum Computing in Financial Services
- Big Opportunities in FinTechs - An Investor's Perspective

FinTech Showcase

The InFINITY Forum also provided opportunities to select FinTechs from India and other foreign countries including the finalists from sprints organized under I-Sprint'21 series of IFSCA to showcase their innovation in virtual exhibition on December 04, 2021. The showcase organized at the InFINITY Forum 2021 witnessed 107 FinTechs from across 11 countries (USA, Singapore, Sweden, HongKong, UAE, South Africa, Indonesia, etc.) and 10 FinTech presentations from 6 countries & 6782 footfalls.

Call for Action

Under the 'Call for Action' segment, students of colleges and universities across India and partner countries were asked to develop and submit Call for Action statements on policy recommendations emanating out of various sessions at the Forum.

More than 150 submissions were received from students. The top 10 submissions were awarded cash prizes upto INR.25,000 and three students out of the top five were offered an internship at IFSCA.

I-Sprint'21

IFSCA launched I-Sprint'21, a series of global FinTech hackathons to encourage the promotion of FinTech initiatives in financial products and financial services across the spectrum of banking, insurance, securities, and fund management in IFSCs.

(I) Sprint 01 on Bank Tech

It was launched under the banner of I-Sprint'21 with the focus on banking sector and was hosted by IFSCA and GIFT City Co. Ltd. in collaboration with NITI Aayog. The Partners to the hackathon were ICICI Bank, HSBC Bank, International Centre for Entrepreneurship, and Technology (iCreate), Zone Startups and Invest India. The hackathon was open to all eligible FinTechs from across the globe and was one of its kind being backed by a financial sector regulator.

The problem statements for the hackathon were as follows:

- a. Unified - Know Your Customer (U-KYC) solution
- b. Retail banking products for IFSC
- c. Buyer's credit optimization
- d. RegTech/ SupTech solutions

After multiple rounds of assessments, the winning entities are as per table below.

Table 16 - Winners of Bank Tech Hackathon

| Entities | Problem Statement/Category |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Signzy Technologies Private Limited | Unified KYC Solution |
| SBNRI Technologies Private Limited | Retail Banking Products at IFSC |
| EdgeVerve Systems Limited | Buyers Credit Optimization |

A prize money of INR 24 lakhs was announced for the winners of Sprint01: BankTech that was sponsored by iCreate. The winners of the hackathon will be allowed direct entry into the applicable IFSCA Regulatory/ Innovation Sandbox. They will receive Regulatory guidance and handholding.

(II) Sprint02: "<GO> Quant Camp"

IFSCA, GIFT City Co. Ltd. and Bloomberg as part of I-Sprint'21 launched Sprint02 titled "<GO> Quant Camp" on October 26, 2021. The <GO> Quant camp was a three-stage competition, where 915 students from over 30 of India's top B-schools including IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, ISB Hyderabad, etc. had participated. 281 students completed the training and were awarded certification in Quant Investing. The Chairperson, IFSCA announced the winners of the hackathon and encouraged the youth to participate in the hackathons and take advantage of new-age technologies like Quant Investing which will expand the horizons of the financial markets.

(III) Sprint 03: InsureTech

“Sprint 03: InsureTech” under the banner of I-Sprint'21 was launched with a focus on insurance sector and was hosted by IFSCA and GIFT City Co. Ltd. in collaboration with FICCI. The partners to the hackathon were ICICI Lombard, Max Life, iCreate, India Insure-Tech Association and Invest India.

The problem statements for this hackathon were as follows:

- Development of technologies for increasing penetration, better underwriting, claims management of life/ health products
- Digital innovation for global health insurance cover
- Innovations in commercial insurance
- Digital platform for settlement of balances between insurance companies

After multiple rounds of assessments, the following six applicants (4 domestic and 2 overseas) were declared as winners of the Insure Tech hackathon:

Table 17 - Winners of the Insure Tech Hackathon

| Name of the Entity | Problem Statement Applied for: |
|---|--|
| UMBO IDTech Private Limited (Riskcovry InsureTech) | Development of technologies for increasing penetration, better underwriting, claims management of life/health products |
| Livwell Asia (Singapore) | Digital Innovation for Global Health Insurance Cover |
| GOQii Technologies Private Limited | Digital Innovation for Global Health Insurance Cover |
| Onsurity Technologies Pvt Ltd | Development of technologies for increasing penetration, better underwriting, claims management of life/health products |
| ZignSec AB (Sweden) | Development of technologies for increasing penetration, better underwriting, claims management of life/health products |
| Signzy Technologies Pvt Ltd | Development of technologies for increasing penetration, better underwriting, claims management of life/health products |

The winners of the hackathon will be allowed direct entry into the applicable IFSCA Regulatory/ Innovation Sandbox and will receive regulatory guidance and handholding.

(IV) **Sprint04: MarketTech**

Towards the closure of the Infinity Forum 2021, IFSCA launched “Sprint04: Market-Tech” hackathon on December 04, 2021, which focused on the capital market segment. It was hosted by IFSCA and GIFT City Co. Ltd. in collaboration with National Stock Exchange. The partners to the hackathon were Zerodha, PwC, ChainFlux, TalentSprint, iCreate, IIM-B (NSRCEL), and Invest India.

The problem statements for this hackathon were as follows:

- a. Solutions for promoting retail capital market products in GIFT IFSC
- b. Solutions for encouraging participation of banks, institutional investors, and retail investors in green finance products in GIFT IFSC
- c. A solution based on distributed ledger technology (DLT) for tokenization and fractional ownership of physical assets
- d. Innovative solutions on Web 3.0 focusing on capital markets, and
- e. An innovative solution in the form of a decentralized exchange/ trading platform for unlisted bonds issued in India or overseas.

International Engagements

IFSCA became a member of the Global Financial Innovation Network (GFIN) in 2021, which is a network of 29 organizations committed to supporting financial innovation in the interests of consumers. The network also seeks to provide a more efficient way for innovative firms to interact with regulators, helping them navigate between countries as they look to scale new ideas. This includes a pilot for firms wishing to test innovative products, services or business models across more than one jurisdiction. It also aims to create a new framework for co-operation between financial services regulators on innovation related topics, sharing different experiences and approaches.

Policies and Programmes for the following year

I-Sprint'22 and hackathons on Longevity Finance, Sustainable Finance, RegTech etc. are being planned for the next financial year. The second edition of the InFINITY Forum which is an annual thought-leadership event by IFSCA is proposed to be held in 2022.

Aside from the current engagements of IFSCA with external organizations, MoUs are being planned with overseas regulators (towards building FinTech bridges), and FinTech hubs (both domestic and international) and relevant stakeholder groups to further the growth of FinTech ecosystem in GIFT IFSC.

INSURANCE

The insurance industry plays a vital function in an economy by virtue of its role in covering major types of risks, which include personal risk, business risk, among others. It also shapes the financial ecosystem by the amount of premium it underwrites, diversity of the investments it makes, and magnitude of claims it services.

With the growth of insurance sector in India, immense opportunity lies to develop IFSC as a global insurance and reinsurance hub. It will provide a two-way opportunity to insurers i.e. Indian insurers can have access to foreign jurisdictions and foreign insurers can have access to other jurisdictions through conducive regulatory policies and framework in IFSC.

Activities with respect to Regulations, Circulars, Guidelines etc.

To promote ease of doing business in IFSC, the Authority has issued the Regulations and detailed Operating Guidelines for IFSC Insurance offices (IIOs) and IFSC Insurance Intermediary Offices (IIIOs) covering all the regulatory and operational matters for the conduct of their business.

The IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021

The IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021 (IIO Regulations) provide for registration of (re)insurers. Based on international best practices, these regulations are made very comprehensive and business friendly. The regulations lay down the regulatory framework for entities offering insurance from IFSC and other activities permitted to be carried out by them. An insurance and reinsurance company intending to set up an office in IFSC is required to seek certificate of registration from the Authority under IIO Regulations.

Salient features of IIO Regulations

- (1) Following entities may set up an Insurance office in IFSC:
 - a. Indian Insurer or Re-insurer
 - b. Foreign Insurer or Foreign Re-insurer
 - c. Branch office of Foreign Re-insurer or Lloyd's India registered by IRDAI
 - d. A Public Company
 - e. An Insurance co-operative society
 - f. A Body Corporate
 - g. Society of Lloyds'
 - h. Managing General Agent
- (2) Managing General Agent (MGA) may be a body corporate incorporated outside India, or a company incorporated under the Indian Companies Act, 2013 which has been authorized to do insurance business, reinsurance business or both, based on binding agreement with foreign insurer or re-insurer. In case of registration as MGA, the assigned capital, solvency, net owned fund requirements are to be complied by relevant foreign (re)insurer.
- (3) If an IIO is set up as a branch, it neither has to bring in any onshore capital nor have any onshore solvency requirement. The specified assigned capital of USD 1.5 million can be maintained in home jurisdiction. Further, subsidiaries or incorporated companies will require a paid-up capital of Rs 100 crore for direct insurance and Rs 200 crore for reinsurance, as per Insurance Act, 1938.

- (4) IIOs can also be established in branch form and in that case, assigned capital and solvency to be maintained at parent level.
- (5) Foreign re-insurers desirous of setting up a branch office in the IFSC shall have reduced net owned funds (NOF) requirement of INR 1000 Crores.
- (6) All business transactions of IIO shall be in freely convertible foreign currency.
- (7) Life Insurer in IFSC can cater to the:
 - a. person resident in India (subject to the aggregate remittance including amount of premium not exceeding the limits prescribed by RBI under the LRS from time to time).
 - b. non-resident Indian (NRI)
 - c. unit located in IFSCs
 - d. unit located in SEZs, and
 - e. person resident outside India
- (8) General Insurers in IFSC can undertake following insurance business :
 - a. risks of Units in IFSC
 - b. risks of units situated in SEZs across India
 - c. direct insurance from outside India (subject to local laws)
 - d. direct insurance from DTA subject to provisions of the Insurance Act, 1938
 - e. offshore insurance risks of exporters and importers, and
 - f. overseas travel & health insurance for NRIs, PIOs and foreign residents/ nationals
- (9) Reinsurers in IFSC can provide reinsurance support to the following :
 - a. IIOs transacting direct insurance business in the IFSC
 - b. IIOs transacting re-insurance business in the IFSC
 - c. cedants based in India transacting direct insurers business (subject to extant regulatory framework)
 - d. Indian re-insurers and FRBs based in India
 - e. cedants / re-insurers based outside India

IFSCA (Operations of IIOs) Guidelines, 2021

The Authority had issued IFSCA (Operations of IIOs) Guidelines, 2021 dated October 27, 2021 to put in place a framework to address operational issues for IIOs in the IFSC. These cover the following areas:

1. Re-insurance and retrocession requirements
2. maintenance of books of accounts, records and documents
3. Corporate governance
4. Protection of policy holders interests
5. Fee Structure for the IIOs
6. Insurance products
7. Outsourcing arrangements etc.
8. Reporting requirements along with formats

IFSCA (Insurance Intermediary) Regulations, 2021

IFSCA (Insurance Intermediary) Regulations, 2021 (IIIO Regulations) lay down the regulatory framework for registration of IIIOs and activities permitted to be carried out by them. An entity intending to provide intermediation services in insurance is required to seek Certificate of Registration from the Authority under these regulations. The intermediaries or insurance intermediaries include brokers, corporate agents, third party administrators (TPAs) and surveyors and loss assessors (SLAs). The COVID pandemic accelerated the adoption of remote and digital means of transacting business and in line with such modern-day realities, the aforesaid regulations comprehensively provide for digital solicitation, procurement and servicing of insurance/ reinsurance business. In order to ensure fairness and level playing field and to protect the interest of policyholders, the regulations lay down in detail the functions, activities and the code of conduct for different types of intermediaries.

Salient features of IIIO Regulations

(1) Following entities can set up an insurance intermediary office in IFSC:

- a. an intermediary or insurance intermediary registered with IRDAI
- b. a foreign insurance intermediary registered with home country regulatory or supervisory authority
- c. an Indian company incorporated under the Companies Act, 2013, or a firm or a co-operative society, or
- d. a body corporate incorporated under the laws of any country outside India

(2) An insurance intermediary can seek registration for any of the categories:

- a. Insurance distributor:
 - i) Composite broker
 - ii) Corporate agent
 - iii) Direct broker
 - iv) Reinsurance broker
- b. Insurance claim service provider:
 - i) Surveyor and loss assessor
 - ii) Third party administrator

(3) Scope of operations:

- a. Direct insurance broker is permitted to perform its activities from and within the IFSC, from other SEZs in India and from outside India. However, it cannot solicit direct insurance business from the DTA in India except in accordance with section 2CB of the Insurance Act;
- b. Composite broker or reinsurance broker is permitted to perform its activities within the IFSC, in other SEZs in India, DTA and outside India;
- c. TPAs, Surveyors and Loss Assessors, registered in the IFSC, are permitted to render services for the policies issued by an IIO and an insurer domiciled outside India. However, a TPA can service foreign travel policies and health policies issued by Indian insurers covering medical treatment or hospitalization outside India.

IFSCA (Operations of IIIOs) Guidelines, 2021

The Authority had issued IFSCA (Operations of IIIOs) Guidelines, 2021 dated November 01, 2021 to put in place a framework to address operational issues for IIIOs in the IFSC. These cover the following areas:

1. Qualifications, training and examination requirements
2. Format for maintenance of records
3. Manner of change in beneficial ownership of shares or contribution and control
4. Payment of remuneration, reward, fee or any other payment to IIIO
5. Segregation of insurance money
6. Outsourcing of activities
7. Amalgamation, merger & acquisition and transfer of business
8. Sale of insurance business through digital mode
9. Reporting requirements along with formats

IFSCA (Insurance Web Aggregator) Regulations, 2022

With a focus on the development of retail insurance business from IFSC, the Authority notified the IFSCA (Insurance Web Aggregator) Regulations, 2022 for registration and operations of Insurance Web Aggregators (IWAs). An IWA compiles and provides information about insurance policies of various companies on its website and assist the insurance companies in providing insurance solutions to global clientele. IWA may cater insurance requirements of large Indian diaspora. Further, to promote such retail business through technology, the Authority has notified a comprehensive regulatory framework for IWAs, which inter alia provides liberalized minimum capital and net-worth requirements and a light touch regulatory framework for operations of IWAs from IFSC.

In an increasingly customer-centric environment, it is essential to help a prospective client navigate through the plethora of insurance policies available. Finding a policy that is best suited to customer's needs and budget, is a challenging task but the advances made in technology in the fields of data processing and analytics can be leveraged to find a perfect match. The IWA regulations are, thus, a futuristic endeavour to allow the growth of such aggregators.

Transaction / Processes / Operations / Trends

Insurance sector has different kinds of players who can be classified under two broad heads: Insurers/ Reinsurers (IIOs) and Insurance Intermediaries (IIIOs). These work together to create an ecosystem providing insurance solutions to global clientele.

Table 18 - Insurance entities operating in the IFSC as on March 31, 2022

| | |
|--|-----------|
| No. of IFSC Insurance Offices (IIOs) | 4 |
| No. of IFSC Insurance Intermediary Offices (IIIOs) | 15 |
| Total | 19 |

The following four IIOs have been granted Certificate of Registration (CoR) to transact insurance and/ or re-insurance business in IFSC

1. General Insurance Corporation of India (GIC Re) (w.e.f. January 30, 2017)
2. The New India Assurance Co. Ltd. (w.e.f. September 06, 2016)
3. Export Credit Guarantee Corporation (ECCGC) Ltd. (w.e.f. July 24, 2017)
4. ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. (w.e.f. January 20, 2021)

Out of 15 IIIOs, one intermediary is direct insurance broker and 14 are composite insurance brokers.

Business Transactions at the IFSC

a) IFSC Insurance Office (IIOs)

In FY 2021-22, the IIOs have booked gross (re)insurance premium of USD 71.64 million, as against USD 18.60 million in FY 2020-21.




Fig.9 - Business underwritten by the IIOs

b) IFSC Insurance Intermediary Office (IIIOs)

The IIIOs transacted Re(insurance) premium of USD 223.45 million as against USD 153.1 million in FY 2020-21. The Financial year wise transactions of IIIOs are as under:-




Fig.10 - Business Transacted by IIIOs

Advocacy and Outreach

Sprint03: InsureTech under I-Sprint'21

In its endeavour to encourage the promotion of financial technologies ('FinTech') initiatives in financial products and financial services across the spectrum of banking, insurance, securities, and fund management in IFSC, the Authority organised a series of hackathons cutting across these sectors under the banner of I-Sprint'2021 as part of InFinity Forum 2021. "Sprint03: InsureTech" hackathon was organised in the insurance sector and was one of its kind being backed by a regulator. It was conducted virtually and was open to eligible FinTechs from across the globe.

MoU with Insurance Institute of India

As part of its engagement and outreach activities, the Authority inked an MoU with the Insurance Institute of India (IIL) on January 17, 2022 for capacity building of professionals in insurance sector in IFSCs. The Institute is involved in devising and continuously upgrading curriculums and imparting training programmes for professionals in insurance industry in India and abroad, to meet the needs of the ever-dynamic insurance sector. The certification by the Institute is recognized by the insurance industry, regulators, and other internationally reputed insurance education providers. The Institute is also a member of the Institute of Global Insurance Education (IGIE).

Research

Report of the Committee of Experts on Insurance

The Authority, with an objective to develop the financial products and services in IFSC had constituted a Committee under the Chairmanship of Mr. G.N. Bajpai, former Chairman LIC and SEBI, to identify key areas for the development of insurance and reinsurance business from IFSC. The Committee after widespread consultations, incisive studies and in-depth discussions has made far reaching recommendations to develop IFSC as Global (Re)Insurance Hub on following areas:

- (i) IFSCA has developed eco-system for aircraft leasing and financing which can be utilized to develop aviation insurance hub and trade credit insurance at IFSC. Also, similar platform may be implemented for shipping industry through facilitating of Protection and Indemnity clubs;
- (ii) The Captive insurance model is a cost-efficient manner of managing own risk. Globally, leading financial centres have favourable regulatory regime for captive insurance model. Hence IFSCA may develop a new framework for enabling operations of Captives;
- (iii) The Global In-house centres (GICs) enabled by IFSCA in the IFSC may be utilized by (re)insurers to develop GICs to provide services ancillary to insurance;
- (iv) Investment framework may be redesigned to give more avenues for insurers to mobilize their funds to a basket of financial instruments and products offering them more returns and flexibility;
- (v) Globally, premium financing is prevalent which is very significant driver for some of the niche areas of insurance business. The same may be introduced in IFSC;
- (vi) Developing alternate risk transfer solutions such as insurance linked securities, catastrophe bonds and parametric risk transfers available for the global market;
- (vii) Mapping of insurance needs of the Indian diaspora and meeting such needs through promotion and development of the 'hub and spoke' model.

'Making GIFT IFSC a Reinsurance Hub'

The Authority entrusted National Council of Applied Economic Research (NCAER) to commission a comparative study of international financial centres with a well-developed offshore reinsurance market. NCAER identified three established financial hubs - namely, Singapore, London and DIFC, for undertaking the same.

The objectives of this study were two-fold:

- a. To identify relevant regulatory designs and business practices/ innovations from these jurisdictions for a comparison with the existing reinsurance ecosystem in IFSC. Doing this comparison helped understand whether the new reinsurance regulatory design in GIFT IFSC is at par with the international standards, and whether it allows a congenial atmosphere to promote international business practices.
- b. To suggest corrective measures to bridge the gap, if any, between IFSC and the international centres. Adopting these measures can help IFSC to compete in the international market as a provider of global reinsurance solutions.

The final report was submitted on December 31, 2021 and it contained many specific recommendations like introduction of a risk-based supervisory framework, prudence-based investment framework, alternative risk transfer framework, building specialisation, ease of doing business, etc.

Regulations and Supervision

Risk Based Supervision Framework (RBSF)

Traditionally, the domain of insurance regulation and supervision has been based on a compliance or rules-based regime which leads to a checklist approach where all entities are treated alike. At IFSC, the Authority endeavours to apply the international best practices in matters of regulation and supervision. One such framework, RBSF, makes supervision dynamic as it enables a regulator to build risk profiles, conduct risk assessment, and monitor indicators to systematically identify, measure and monitor risks, determine the probability of risk materializing & its impact, and allocate scarce supervisory resources to the areas posing greatest risks to supervisory objectives. The Authority is in talks with leading expert institutes in this regard from across the globe. Such collaboration will help the Authority transition seamlessly from the rules-based regime to a risk-based regime. RBSF has also been a key recommendation of the NCAER report submitted in December 2021.

The ambitious RBSF will require the Authority to continuously gather intelligence, interact with industry experts, and stay abreast of present and future risks. This will involve deep knowledge about the sector in general and the entity being supervised in particular. Risk Based Supervision (RBS), unlike the prevailing Compliance Based Supervision (CBS) approach, is proportional and forward looking. It aims at managing the risk than avoiding it altogether. Central to the concept of RBS is its linkage with Risk Based Capital (RBC). Based on risk assessment, capital requirement will be prescribed - higher risk would require higher capital to provide a cushion in times of crisis. In an innovative work environment, such as the one at GIFT IFSC, RBS, as advocated by standard setting bodies like the International Association of Insurance Supervisors (IAIS), is the need of the hour.

International Engagements

International Association of Insurance Supervisors

IFSCA became a member of IAIS in December, 2020. The Union Cabinet has also approved the proposal of IFSCA for becoming a signatory to the IAIS MMoU (Multilateral Memorandum of Understanding). This would establish a formal basis for global cooperation and information exchange between the Authority and other insurance supervisors. Based on the Cabinet approval, the Authority has filed an application for accession to the IAIS MMoU, which is under consideration.

Policies and Programmes for the following year

As a result of the turbulence created by the pandemic, insurance industry is witnessing a radical shift in customer's needs, expectations and behaviour. Digital modes of insurance are gaining prominence at an accelerated pace. Insurance ecosystem consisting of insurers, reinsurers, intermediaries and the regulators has to adapt to these new realities.

The pandemic has also led to increased awareness among people and the need for getting insurable interests protected. This is a positive development for the insurance industry and IFSCA is ready to grab this opportunity.

Indian diaspora, which is more than 30 million strong, presents an immense opportunity awaiting to be captured and encashed from the globally competitive ecosystem of GIFT IFSC. Present steps like comprehensive and enabling regulatory framework and future endeavours like RBSF, Insurtech, Prudence-based investment framework etc. can help attain our goal of becoming a hub of reinsurance and aviation insurance.

AIRCRAFT LEASING

Activities with respect to regulations, notifications, issuance of major circulars/ guidelines

Aircraft leasing is one of the most profitable business segment in the aviation value chain. Globally, aircraft leasing business is done from international financial centres that provide business-friendly regulatory and tax regimes.

A working group was constituted by the Ministry of Civil Aviation for developing avenues for aircraft financing and leasing activities in India in May 2018. The group, in its 2019 report 'Project Rupee Raftaar', observed that the International Financial Services Centre provides a valuable platform to host aircraft leasing and financing businesses.

Subsequently, in the Union Budget 2020, Hon'ble Finance Minister announced-

“As the world's third largest domestic aviation market, the time is ripe for India to enter into aircraft financing and leasing activities from Indian shores. This is critical to the development of a self-reliant aviation industry, creating aspirational jobs in aviation finance, besides leveraging the business opportunities available in India's financial Special Economic Zones (SEZs), namely, International Financial Services Centre (IFSC). Government will implement the essential elements of the regulatory roadmap for making India a hub for such activities.”

IFSCA in its second Authority meeting held on September 09, 2020, had recommended the Central Government to notify 'aircraft financing and leasing activity, including operating lease' as a financial product in IFSC. Accordingly, on October 16, 2020, the Central Government notified 'Aircraft lease which shall include operating and financial lease and any hybrid of operating and financial lease of aircraft or helicopter and engines of aircraft or helicopter or any part thereof' as a 'financial product' under the IFSCA Act, 2019.

To enable the aircraft operating lease business for the first time in IFSC, the Authority issued 'Framework for Aircraft Operating Leases' on February 19, 2021, covering permissible activities, eligibility, capital requirement, registration and other compliances, for the aircraft leasing entities.

As on March 31, 2022, the framework for Aircraft Operating Lease is currently under revision. The revised framework aims to include framework for Finance Lease and inclusion of aircraft asset management/ support services as well.

Box 5 - Features of Framework for Aircraft Operating Lease:

Permissible Activities

- Operating lease for an aircraft lease arrangement including sale and lease back, purchase, novation, transfer, assignment, and any such other similar transactions in relation to aircraft lease.
- Any other activity with prior approval of IFSCA.

Permitted Structure

- A company or a LLP or a trust or any other form as may be specified by the IFSCA

Eligibility

- The person controlling the entity shall be located in a FATF compliant jurisdiction.
- The entity shall deploy resources commensurate with the business operations in IFSC

Capital Requirement

- A minimum capital of USD 200,000 or its equivalent in freely convertible foreign currency, is to be maintained at all times by the entity.

Currency

- To deal in freely convertible foreign currency only.
- Defray administrative expenses in INR

Advocacy and Outreach:

India Aircraft Leasing Summit 2021

Ministry of Civil Aviation organized the “India Aircraft Leasing Summit” in collaboration with IFSCA, GIFT City Co. Ltd. and FICCI on February 26, 2021 at Vigyan Bhavan, New Delhi. The Hon'ble Union Finance Minister was the chief guest and Hon'ble Union Civil Aviation Minister was the guest of honour at the summit. In the summit, various stakeholders from the Indian civil aviation sector and industry members were also present. During the Summit, panel discussions were held to highlight the 360-degree approach taken by the Government of India and IFSCA and to enable aircraft leasing business at GIFT IFSC under a globally competitive ecosystem.

Aero India Expo 2021

Aero India is a biennial air show and aviation exhibition at the Yelahanka Air Force Station, Bengaluru, organised by the Defence Exhibition Organization, Ministry of Defence. The 13th edition of the Aero India was held in February 2021. During the event, aircraft leasing opportunities on the globally competitive aircraft leasing platform at IFSC were showcased to the international and domestic audiences.


Masterclass for Principals: “India Aircraft Leasing”

The Ministry of Civil Aviation, IFSCA and GIFT City Co. Ltd. in association with FICCI, with the support of Boeing and Airbus organized a virtual masterclass “India Aircraft Leasing” on April 09, 2021. The masterclass discussed the progress and steps needed to make GIFT IFSC a hub for Aircraft Leasing and Financing.

The masterclass witnessed an overwhelming participation of more than 700 international and national delegates. It became a single platform to bring together Ministry of Civil Aviation, the industry leaders from the sector and subject matter experts to discuss India's current positioning, highlight the growth opportunities in each segment of the financing and leasing activities, and the potential challenges that need to be addressed for India to become the aviation financing and leasing hub.

Wings India 2022

“Wings India” is a biennial flagship event jointly organized by the Ministry of Civil Aviation and the FICCI. The four days event was held in March, 2022 at Begumpet Airport, Hyderabad with the theme 'India@75: New Horizon for Aviation Industry'.



The event included exhibitions, conferences, chalets, CEOs forum, static display, media conferences and awards. More than 125 international & domestic exhibitors participated in the event. The exhibitors include aircraft & helicopter manufacturers, aircraft interiors, aircraft machinery & equipment companies, airport infrastructure companies, drones, skill development, space industry, airlines, airline services & cargo. During the event a dedicated panel discussion was held on 'The Outlook: Aviation Financing and Leasing'.

Transaction / Processes / Operations / Trends

The first Aircraft leasing entity was registered with IFSCA on May 06, 2021, and the first aircraft was leased by an IFSC entity to a lessee in India on August 19, 2021, marking the beginning of onshoring the offshore aircraft leasing services through GIFT IFSC.

Subsequently, there has been rising interest in the aviation market. As on March 31, 2022, there are nine lessors registered with the Authority. Also, four lessors' applications have been granted in-principle approval and two lessors' applications are under process.

GLOBAL IN-HOUSE CENTRES

Activities with respect to regulations, notifications, issuance of major circulars/ guidelines

In the last two decades, India has emerged as a leading hub for Global In-house Centres (GICs) owing to its inherent strengths such as availability of highly skilled talent pool and competitive cost of operations. Essentially, GICs are offshore centres that perform designated in-house functions for large corporates and organizations. In the financial sector, GICs serve as offshore back-end processing centres for the parent company, which provide technological solutions by leveraging low-cost talent pool. Over the years, GICs have evolved to become innovation centres providing services for credit and decision analytics, risk management, fraud prevention, etc.

To enable the GIC business in GIFT IFSC, the Central Government on the recommendation of the IFSCA, notified GICs as a financial service under the IFSCA Act 2019 to provide services relating to financial products and financial services. Subsequently, the IFSCA notified the Global In-House Centres, Regulations, 2020 which permitted an entity belonging to a financial services group to set up a GIC in the IFSC.

Box 6 - Salient features of the Global In-House Centre Regulations, 2020

- “Global In-House Centre” is defined as a unit set up in the International Financial Services Centre for providing support services, directly or indirectly, to entities within its financial services group, including but not limited to banks and non-banking financial companies, financial intermediaries, investment banks, insurance companies, re-insurance companies, actuaries, brokerage firms, funds, stock exchanges, clearing houses, depositories, and custodians, for carrying out a financial service in respect of a financial product
- A “financial services group” is defined as any entity which is regulated by a financial services regulator or any other competent body regulating financial services activities in its home jurisdiction and include its holding, subsidiary or associate companies, branch, or subsidiary of a holding company to which it is also a subsidiary.
- It shall exclusively cater to its financial services group wherein the entities served must be located in FATF compliant jurisdictions
- The support services should be for the purpose of carrying out a financial service in respect of a financial product
- GIC should provide services to non-resident entities only
- Relocation of employees from an existing entity in the domestic area in India shall be permissible with respect to supervisory personnel only, which may be allowed with prior approval of the Authority up to a maximum of twenty percent of the strength in such category

As on March 31, 2022, BA Continuum India Pvt. Ltd., a subsidiary of Bank of America Corporation, is operating its GIC with more than 800 employees in IFSC.



Other Areas

Developmental Activities

To develop GIFT IFSC as a leading global financial centre with best-in-class regulatory regime, competitive tax structure and ease of doing business, Government of India established IFSCA as a unified regulatory authority for the development and regulation of financial services, financial products and financial institutions in the IFSCs in India.

IFSCA Act, 2019 empowers the Authority with a dual mandate of developing and regulating the financial services market in the IFSCs in India. More specifically, Section 12 of the Act provides that the duty of IFSCA shall be to develop and regulate financial services, financial products and financial institutions in the IFSCs in India. In the initial growth phase, developing a vibrant financial services ecosystem that fosters innovation, attracts global talent and facilitates ease of doing business is of foremost importance for the Authority.

Steadfast in its commitment to discharge the development mandate, the Authority undertook the following activities in FY 2021-22:

- i. Developed globally benchmarked regulatory architecture in IFSC
- ii. Proactive outreach and engagement with global and domestic financial service industry to present opportunities in IFSC
- iii. Promotion and development related activities including webinars, digital roadshows, roundtable interactions, etc.
- iv. Handholding support to entities applying to set up business in IFSC with a view to promote ease of doing business
- v. Analyze and evaluate changing global landscape of financial services industry with a view to make proposals and recommendations for enabling new financial businesses in IFSC
- vi. Collaboration with overseas jurisdictions and financial centres, including regulatory authorities, trade representatives, industry bodies, etc.
- vii. Coordination with domestic stakeholders including, Ministry of Finance, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Civil Aviation, RBI, SEBI, IRDAI, etc.

The global financial services industry is undergoing a major transformation on account of technological disruptions and development of new age financial products and services. The current state of flux provides GIFT IFSC a unique opportunity to take lead and become a front runner in new age sunrise financial segments. Towards this end, the Authority studied global trends and initiated the process of introducing new financial products and services in IFSC, which inter alia, includes Ship leasing and Financing, Longevity Finance, Global Corporate Treasury Centre, etc.

- i. **Ship Leasing:** India, despite having a large coastline and significant international seaborne trade continues to have a small share in international shipping sector. To provide an enabling regulatory framework, IFSCA on June 24, 2021 constituted a committee to examine global best practices in ship financing and leasing, identify opportunities and devise a roadmap to enable such activities from GIFT IFSC. The committee on October 28, 2021 submitted its report titled “**SAFAL: Ship Acquisition, Financing And Leasing**” to IFSCA.
- ii. **Longevity Finance:** IFSCA constituted an expert Committee on Longevity Finance under the chairpersonship of Ms. Kaku Nakhate, Country Head (India), Bank of America and Mr. Gopalan Srinivasan, Ex-CMD, New India Assurance Co. Ltd. to study global trends on longevity economy and make recommendations for developing IFSC as Longevity Finance Hub.

- iii. **Global Corporate Treasury Centre:** After evaluating global regulatory architecture, IFSCA, in June 2021, issued framework for undertaking Global/ Regional Corporate Treasury Centres activities by FC/ FUs in IFSC. This framework now provides opportunities for global and Indian corporates to conduct international operations by centralizing their treasury activities for availing corporate financing, including intra-group financing, better liquidity management, and risk management practices among others.

Collaboration with overseas jurisdictions and financial centres

To effectively facilitate cross border trade in financial services, it is imperative that strong connections are developed with major global financial centres and jurisdictions. Towards this end, several such collaborations were initiated through inter-governmental forums and bilateral inter-regulatory cooperation with overseas regulators in FY 21-22.

Inter-Governmental Forums:

- i. **United Kingdom:** At the 10th Economic and Financial Dialogue (EFD) held in 2020, the two countries decided to establish a new UK-India strategic collaboration to accelerate the development of India's first IFSC at GIFT City and promote greater links between GIFT City and the UK financial services ecosystem by bringing together governments, regulators and businesses to share experiences and expertise.

As part of the strategic collaboration, the Authority has been working closely with the UK counterparts to foster greater collaboration across various business segments. In FY 2021-22, the Foreign Commonwealth Development Office (FCDO) of British High Commission through its technical assistance programme extended support towards the development of a global fintech ecosystem at GIFT IFSC. Additionally, the UK participated as a "Partner Country" in IFSCA's flagship FinTech thought leadership event "InFinity Forum 2021". The event provided an opportunity to FinTechs from across the UK to showcase their innovative solutions and network with relevant stakeholders.



Image 6 - Visit of Sir Steve Smith,
UK Government's International Education Champion, to IFSCA

Further, at the 11th EFD held in September 2021, the two sides welcomed the progress of the UK-India strategic partnership and agreed to work towards developing a global FinTech and Sustainable Finance hub in IFSC. Both sides also agreed to explore facilitating the dual listing of green, social and sustainable bonds on the LSE and IFSC Exchanges with a view to enable firms to raise foreign capital.

- ii. **United States of America:** The two sides at the 8th India-USA Economic and Financial

Partnership held in October 2021 agreed to initiate discussions for exploring collaboration on the development of GIFT IFSC.

Inter-regulatory Cooperation:

The Authority held extensive dialogue and formalized the bilateral cooperation with the following overseas regulators in FY 2021-22:

- 1. Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Markets (FSRA-ADGM)
- 2. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF-Luxembourg)
- 3. Qatar Financial Centre Authority (QFCA)
- 4. Finansinspektionen (FI-Sweden)
- 5. Dubai Financial Services Authority (DFSA)

The MoU's paved the way for greater cooperation and collaboration through exchange of information on new and emerging financial market trends, regulations, and best practices. Additionally, the Authority is in advance stage of finalizing inter-regulatory cooperation (MoU) with other overseas regulators.

SUSTAINABLE FINANCE

Global Scenario

Sustainable finance gained significance internationally as a result of increased commitments on climate action by countries across the world. Regulators around the world are focused on integration of sustainable considerations into every aspect of financial markets.

The continued acceleration in issuances led the green bond market to cross half a trillion (USD 517.4 billion) in 2021 according to Climate Bonds Market Intelligence. The 2020 record figure of USD 297 billion in green bonds was overtaken in 2021 with an overall growth of more than 60 per cent.




Fig.11 - Green Bond Issuance

Further, there has been a substantial growth in the issuance of social, sustainability, sustainability-linked bonds (SLBs) and transition labels in 2021. The overall issuance across all these themes was USD 646.5 billion in 2021. This represents a 50 per cent increase from USD 434.5 billion in 2020. Cumulatively, this takes the total labelled sustainable debt volume to a record USD 1.2 trillion according to Climate Bonds definitions.




Fig.12 - Sustainable Debt excluding Green by Label

Sustainable Finance in India

At the COP26 summit in Glasgow in November 2021, Hon'ble Prime Minister of India pledged to cut India's total projected carbon emission by 1 billion tons by 2030, reduce the carbon intensity of the nation's economy by less than 45% by the end of the decade and net-zero carbon emissions by 2070. The commitment also includes meeting 50% of India's energy requirements from renewable energy by 2030 and increasing non-fossil fuel power generation capacity to 500GW by 2030.

India would need cumulative investments of USD 10.1 trillion to achieve net-zero emissions by 2070, as per a report by Council on Energy, Environment and Water (CEEW)³⁵. The report suggests, USD 8.4 trillion out of the USD 10.1 trillion would be required to significantly scale up generation from renewable energy (and associated distribution and transmission infrastructure), and USD 1.5 trillion would be required to decarbonize the industrial sector, with the remainder for mobility transition. The study also estimates that there is a high chance that India could face a substantial investment deficit of USD 3.5 trillion. A significant portion of this investment need to be financed through foreign capital and IFSC could play an important role as a gateway for foreign investments into India's green and sustainable projects. The dynamic landscape and a favorable regulatory environment will act as an important enabler.

Sustainable Finance in IFSC

The Authority has notified Listing Regulations on July 16, 2021, providing the regulatory framework for listing of ESG debt securities.

Box 7 - Listing of ESG Debt Securities

- 1) The debt securities shall be labelled as green, social, sustainability-linked if aligned with any of the recognized frameworks such as International Capital Market Association Principles/Guidelines, Climate Bonds Standard, ASEAN Standards, European Union Standards/Taxonomy, any framework or methodology specified by a competent authority in India or other international standards (to be considered on a case-by-case basis).
- 2) It is mandatory for the issuers to appoint an independent external reviewer to ascertain that

³⁵ Investment Sizing India's 2070 Net-Zero Target

the ESG debt securities are in alignment with the mentioned recognized framework(s).

- 3) The issuers of green bonds, social bonds and sustainable bonds are mandated to provide additional disclosures in the offer documents including statement on ESG objectives, details of process followed by the issuer for evaluating and selecting the projects and/ or assets, proposed utilization of the proceeds of the issue, and details of the systems and procedures to be employed for tracking the deployment of the proceeds of the issue. Post listing, the issuers are also required to provide additional disclosures on an annual basis (until full allocation of the proceeds) on (a) Utilization of proceeds of the issue, (b) Allocation Report, and (c) Impact report.
- 4) The issuers of sustainability linked debt securities are required to provide additional disclosures in the offer document including rationale for issuance of sustainability-linked debt securities and consistency with issuers' overall sustainability and business strategy. Further, the issuer shall adhere to pre-issuance and post-issuance obligations in accordance with the international standards that the securities are aligned with.

The Authority has developed a comprehensive strategy for the development of sustainable finance at IFSC across capital markets, banking, insurance and fintech. IFSC has a well-functioning capital markets and banking ecosystem with two international Stock Exchanges, Clearing Corporations and around 20 IBUs. The cost competitiveness of IFSC and tax incentives for the entities operating from IFSC are advantages for capital flows, through IFSC, into sustainable projects.

During the FY 2021-22, total listing of ESG-labelled debt securities on IFSC exchanges amounts to USD 5234 million. The framework for ESG-labelled debt securities, based on international standards, enabled the debut of social, sustainable, and sustainability-linked debt securities at IFSC exchanges.




Fig.13 - ESG Debt Securities on IFSC Exchanges in FY 2021-22

On January 24, 2022, Indian Railway Finance Corporation (IRFC) listed its USD 500 million green bonds exclusively on IFSC exchanges. IRFC became the first Central Public Sector Enterprise (CPSE) to list its offshore bonds exclusively on IFSC exchanges. On March 11, 2022, Aavas Financiers became the first issuer to list their social masala bonds on INR 3600 million exclusively on an IFSC exchange.



Image 7 - Shri Amitabh Banerjee, CMD of Indian Railway Finance Corporation & Shri Injeti Srinivas, Chairperson, IFSCA at the listing event of IRFC's Green Bonds on IFSC exchanges

Union Budget 2022-23

In the Union Budget 2022-23, Hon'ble Finance Minister announced that services for global capital for sustainable & climate finance in the country would be facilitated in GIFT City.

IFSCA Expert Committee on Sustainable Finance

The Authority, in its endeavor to develop the required eco-system, has constituted an Expert Committee to recommend approach towards development of Sustainable Finance Hub and provide road map for the same. The expert committee is chaired by Shri C.K. Mishra, Former Secretary, Ministry of Environment, Forest & Climate Change. The committee consists of leaders across the sustainable finance spectrum, including international agencies, standard setting bodies, funds, academia, and consultancies.

The Expert Committee has been formed with the objective to:

- Study the current regulatory practices in Sustainable Finance across major international financial jurisdictions and recommend a robust framework to develop a world-class sustainable finance hub at IFSC
- Identify existing and emerging opportunities in Sustainable Finance for GIFT-IFSC to act as a gateway to meet India's requirements, and
- Recommend a short, medium, and long-term vision/ roadmap on sustainable finance.

The Expert Committee is expected to submit the report in FY 2022-23.

Fund Management Regulations

Fund managers, across the world, have started incorporating ESG risks and opportunities in the investment decision making process. Sustainable funds that integrate sustainability related considerations in their asset allocation strategy have been growing rapidly in last couple of years. The AUM under sustainable mutual funds and ESG-focused ETFs rose globally by 53 per cent last year to USD 2.7 trillion, with a net USD 596 billion flowing into the sustainable strategies³⁶.

³⁶ Morningstar Inc.




Fig.14 - Quarterly Global Sustainable Fund Assets (USD Billion)

The Authority intends to facilitate and provide supportive environment for funds focusing on ESG with the framework of enhanced disclosures benchmarked to the best-in-class global practices.

Based on recommendations of IOSCO and regulations in other important jurisdictions, IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022, have specified requirements on ESG disclosures by FMEs. FMEs managing AUM above a specified threshold (above USD 3 Billion as at the close of a financial year or any other threshold of AUM as may be specified by the Authority) are required to comply with the following requirements:

| Particulars | Remarks |
|---------------------------|--|
| (I) Governance | Establish policy on governance around material sustainability-related risks and opportunities. |
| (II) Risk management | Disclose in its annual report how the fund manager identifies, assesses and manages material sustainability-related risks. |
| (III) Investment Strategy | Establish and disclose in its annual report the process of factoring sustainability-related risks and opportunities into fund manager's investment strategies and processes, including, where relevant, data and methodologies used. |

Further, according to the Regulations, an FME that launches a scheme related to ESG is required to make full disclosures regarding investment objective, investment policy, strategy, material risk, benchmark, etc.

Sustainable and Sustainability linked Lending

The Authority has put in place a consultation paper on the framework to promote sustainable lending by IBUs and FCs set up in IFSC. As part of the overall strategy to make IFSC a global sustainable finance

hub, the framework is intended to encourage lending by banking units to sustainable sectors. The core components of the proposed framework are highlighted below:

- i. It provides guidance to IBUs and FCs on the development of a comprehensive Board approved framework on sustainable financing. This framework will in turn allow lenders to grant long-term financing for facilities which can be labelled as green/ social/ sustainable and similar short-term financing with respect to working capital financing, trade financing etc.
- ii. The framework proposes to direct the IBUs and FC/FUs (undertaking lending activities from IFSCs) registered with it to develop a board approved policy on sustainable lending within a time period of nine months from the date of issuance of the final framework. Further, such entities shall have at least five per cent of their loan assets in the form of lending to green/ social/ sustainable/ sustainability-linked sectors/ facilities, from next year.
- iii. The guidance framework proposes the IBUs to incorporate assessment process, reporting mechanisms and monitoring process while creating the board approved policy, in alignment with international standards/ principles created by ICMA, LMA etc.
- iv. The framework mandates the IBUs and FCs to report on a half-yearly basis the details of lending under green/ social/ sustainable/ sustainability-linked categories.

Sustainability Reporting by companies listed on IFSC Exchanges

The Authority in the Listing Regulations, 2021 has mandated every listed company (having market capitalisation of USD 50 million or more) to disclose to the stock exchanges a sustainability report with respect to environmental, social and governance factors every year. The sustainability report shall be based on:

- a. internationally accepted reporting frameworks such as Global Reporting Initiative, Sustainability Accounting Standards Board, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, Integrated Reporting or any other standards that may be specified by recognized stock exchange(s) or IFSCA; or
- b. standards prescribed by Ministry of Corporate Affairs, Government of India from time to time.

ANCILLARY SERVICES

Globally, professional services have played a pivotal role in creating a conducive ecosystem for the financial services industry to thrive in an International Financial Centre. Professional service providers support the financial institutions/ firms by providing key support services such as legal services, advisory services, accounting & management consultancy services, secretarial services, etc. The demand for professional services in an IFSC is driven by the complex and sophisticated nature of financial services transactions and products, which are primarily in the nature of cross-border transactions.

With the availability of skilled talent pool in India, especially for the professional services like Chartered Accountants, Company Secretaries, Chartered Financial Analyst, there is immense potential for IFSC to become a hub for professional service providers which caters to the demand generated from IFSC as well as overseas. Considering the inherent importance of professional service providers in the development of financial markets in GIFT IFSC, the Authority in February 2021 issued “Framework for enabling Ancillary Services at International Financial Services Centres”.

The operationalization of ancillary services firms in GIFT IFSC provided great impetus to the growth of financial services ecosystem by addressing the demand for professional services and attracting global and domestic financial industry to IFSC.

Activities with respect to regulations, notifications, issuance of major circulars/ guidelines

Framework for enabling Ancillary services at International Financial Services Centres

Ancillary Services are defined as services which directly or indirectly aid, help, assist or strengthen or are attendant upon or connected with 'services' as defined under section 3 of IFSCA Act, 2019.

The Permissible ancillary services under the framework are as follows:

- i. Legal, Compliance and Secretarial.
- ii. Auditing, Accounting, Book-keeping and Taxation Services;
- iii. Professional & Management Consulting Services.
- iv. Administration, Assets Management Support Services and Trusteeship Services;
- v. Any other services as approved by IFSCA from time to time.

The following entities are eligible to act as a service provider:

- i. Any existing or newly incorporated entity set up in the IFSC or
- ii. Any Indian or foreign incorporated entity by establishing a branch or a subsidiary

Service providers can provide permissible services to any one or more of the following:

- i. Entities set up in the IFSC;
- ii. Financial services entities from foreign jurisdictions for various activities in the IFSCs in India or other related activities overseas;
- iii. Indian entities who propose to open, set up or carry out operations in IFSCs or foreign jurisdiction, provided consideration is received in freely convertible foreign currency.

The Authority further issued a clarificatory circular on Framework for enabling Ancillary Services on June 10, 2021. Some of the clarifications issued under this circular are as follows:

- The entity may be set up in the IFSC in the form of a company or a limited liability partnership or a registered partnership firm, branch thereof or any other form as may be approved by the IFSCA.

- The service providers can provide services to entities from foreign jurisdictions for various permissible ancillary services in the IFSCs in India or overseas.
- The applicant under the framework shall not take client assets (including money), directly or indirectly in its custody and shall only provide permissible services within the prescribed framework. Further, the applicants shall seek IFSCA registration separately under the appropriate framework for undertaking regulated activities such as Debenture Trustee, Investment Advisor, AIF, Fund Management, etc.

Transaction/Processes/Operations/Trends

Under the ancillary framework, 36 entities applied to the authority for authorization out of which 28 entities were granted authorization as on March 31, 2022. The ancillary services ecosystem in GIFT IFSC evolved rapidly in FY 2021-22 with several leading professional services firms, fund administrators, trusteeship service providers, accounting firms, consultancy firms and law firms setting up presence in IFSC.

Advocacy and Outreach

As part of outreach activities strategy, IFSCA organized webinars in collaboration with Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for showcasing opportunities for professional service providers in IFSC.

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

Technology is a key enabler for financial environment across the globe. The Authority has identified a series of initiatives in IT systems and infrastructure. In order to keep pace with the demands and challenges of an increasingly digitalized world, the Authority aims to create synergy between all business verticals to improve effectiveness and efficiency.

Some of the major IT initiatives in FY 2021-22 are:

Supervisory Technology (SupTech) System


The Authority requires an effective end-to-end IT-enabled system to promote ease of doing business. This system shall cover administrative, compliance, supervision, and enforcement framework amongst its regulated entities. It would also collaborate with other financial sector regulators in India through Application Programming Interface (API) based machine-to-machine communication or integration, as appropriate.

The system shall be developed as an effective and transparent platform covering reporting, RBS and data analytics. The system shall include an in-house repository for storing data received from regulated entities. It shall also have a portal for them to submit disclosures, reports, and other related information. The process of developing the system has been initiated and request for proposal (RFP) has been floated for the selection of vendor, who will implement the system.

Going forward, the focus area will be on implementation of the system to facilitate regulatory and supervisory functions of the Authority. Further, the emphasis will be on infusing cutting edge technology for realizing the Authority's objectives.

IFSCA website

The website acts as an important interface of the Authority with the public as well as the regulated entities and other ancillaries to disseminate information about its functioning. The website went live



with the inception of the organization and was moved to NIC data centre in March 2022 which increased its performance and security.

The Authority is in the process of revamping its website as per latest design guidelines to make it future ready. The benchmarking of IFSCA website with its counterparts is being carried out to make it world-class. The new website will provide user-friendly interface with improved navigation design and advanced features like speed refresh, AI/ML assisted functionalities, etc. It will also be synchronized with social media to provide a wider reach across the globe. The next gen features will facilitate ease of doing business by providing seamless communication with the entities coming up in IFSC.

IT Infrastructure

The Authority provides workstations equipped with computers, printers, telephones and high-speed Local Area Network (LAN) connectivity to its employees. IFSCA commissioned an internal mail server so that important information is circulated securely and efficiently. The internal file server helps in ease of document sharing within the organization. The networking infrastructure of the office is capable of handling maximum peak traffic. The Authority premises is enabled with high-speed Wi-Fi connectivity and the board room and the meeting rooms are enabled with world-class video conferencing devices for seamless and secure communication.

eOffice-IFSCA Application

The eOffice application, developed by NIC, is an electronic file management system which aims to support governance within IFSCA by ushering in more effective and transparent inter and intra-departmental processes. The vision of the application is to achieve a simplified, responsive, effective and transparent working within and among the departments.

The eOffice application helps the Authority to enable a less-paper office by providing services like scanning, registering, routing of inward correspondences along with file creation, noting, referencing, correspondence attachment, draft for approvals and movement & tracking of files as well as receipts. The application also includes file management system, knowledge management system, management information systems, employee data management and master data management, which help in digitalizing the Authority's internal processes.

Section D

A List/Coverage of the Quasi-legislative, Executive and Quasi-judicial Functions of the Authority

IFSCA has been established as a unified regulator for IFSCs in India to exercise all the regulatory powers which were previously exercised by the four domestic financial sector regulators namely RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA. Thus, IFSCA can perform all such quasi-legislative, executive, and quasi-judicial functions in IFSCs as are being performed by these regulators in domestic areas. Section 12 of the IFSCA Act, 2019 (Act) empowers IFSCA to develop and regulate financial products, financial services, and financial institutions in an IFSC. It can also recommend to the Central Government such other financial products, financial services, and financial institutions which may be permitted in an IFSC. Further, under section 13 of the Act, IFSCA can exercise all powers and functions exercisable by the aforesaid four domestic regulators with respect to certain acts specified under Schedule-I of the Act in so far as they relate to financial products, financial services, and financial institutions in the IFSCs.

The Authority exercising its quasi-legislative powers has issued regulations in multiple areas. Apart from the core activities of Banking, Capital markets and Insurance, the regulations have been issued on administrative and miscellaneous matters also. To give effect to the functioning of various financial products and financial services regulated by the Authority, the following regulations, notifications and circulars have been issued:

Table 19 - List of Regulations

| S.NO | REGULATIONS | DATE OF ISSUE | OBJECTIVES |
|------|--|---------------|---|
| 1 | International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 IFSCA/2021-22/GN/REG011 | 12/ 04/ 2021 | The regulations provide a framework for recognition and operation of Market Infrastructure Institutions and for matters connected therewith or incidental thereto. |
| 2 | International Financial Services Centres Authority (Banking) (Second Amendment) Regulations, 2021 IFSCA/2021-22/GN/REG013 | 05/ 07/ 2021 | The Authority has issued these regulations to make certain amendments to insert, modify, omit and to substitute certain definitions and provisions in the IFSCA (Banking) Regulations, 2020. |
| 3 | International Financial Services Centres Authority (Procedure for making Regulations) Regulations, 2021 IFSCA/2021-22/GN/REG012 | 05/07/2021 | The Authority has issued these regulations to outline the mode and manner of making regulations and the process to be followed in case certain regulations are required to be made or existing regulations are required to be amended urgently. |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| 4 | International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) (Amendment) Regulations, 2021 IFSCA/2021-22/GN/REG014 | 05/07/2021 | The Authority has issued these regulations to make certain amendments in the IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020. |
| 5 | International Financial Services Centres Authority (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021 IFSCA/2021-22/GN/REG015 | 16/07/2021 | <p>The Authority has issued these regulations in order to provide a unified regulatory framework specifying the requirements for (i) issuance and listing of various types of securities and (ii) initial and continuous disclosures.</p> <p>The regulations provide framework for issuance and listing of securities by Start-ups, SMEs and SPACs. Further, enabling framework has been proposed for issuance and listing of debt securities including those focusing on ESG and smart cities.</p> |
| 6 | International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 IFSCA/2021-22/GN/REG018 | 18/10/2021 | The Regulations, inter alia, provide for regulatory requirements in respect of registration, obligations and responsibilities, inspection and enforcement of various types of capital market intermediaries such as broker dealers, clearing members, depository participants, investment bankers, portfolio managers, investment advisers, custodians, credit rating agencies, debenture trustees and account aggregators. |
| 7 | International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) Regulations, 2021 IFSCA/2021-22/GN/REG-017 | 18/10/2021 | The Regulations, inter alia, provide for eligibility criteria, registration process and permissible activities for Insurance Intermediaries. |
| 8 | International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021 IFSCA/2021-22/GN/REG016 | 18/10/2021 | The Regulations, inter alia, provide for eligibility criteria, registration process and permissible activities, basic regulatory and governance requirements for registration of insurance business in an IFSC. |



| | | | |
|----|--|------------|--|
| 9 | International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) (Amendment) Regulations, 2021 IFSCA/2021-22/GN/REG020 | 04/01/2022 | The Authority has issued these Regulations to substitute certain provisions of the IFSCA (Insurance Intermediary) Regulations, 2021. |
| 10 | International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2021 IFSCA/2021-22/GN/REG019 | 04/01/2022 | The Authority has issued these Regulations to make certain amendments in IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021. |
| 11 | International Financial Services Centres Authority (Insurance Web Aggregator) Regulations, 2022. IFSCA/2021-22/GN/REG021 | 31/01/2022 | Focusing on the development of retail insurance business in the IFSC, the Authority has issued these Regulations, inter-alia, for registration and operations of Insurance Web Aggregators. |
| 12 | International Financial Services Centres Authority (Performance Review Committee) Regulations, 2022 IFSCA/2021-22/GN/REG022 | 23/03/2022 | The Regulations, inter alia, provides for constitution and composition of the Performance Review Committee (PRC), scope of review by the committee, review of Compliance and Governance functions and Risk Management, complaint handling system and also accessibility of information to PRC. |

Table 20 - List of Notifications

| S.NO | NOTIFICATION | DATE OF PUBLICATION | OBJECTIVES |
|------|--|---------------------|---|
| 1 | Amendment to the Companies Act for exemption of certain sections for IFSC. S.O.3156(E) ³⁷ | 05/08/2021 | <p>Notification provided an exemption from the provisions of sections 387 to 392 (both inclusive) for the following companies: -</p> <p>(a) foreign companies</p> <p>(b) companies incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established, or when formed may or may not establish, a place of business in India,</p> <p>insofar as they relate to the offering for subscription in the securities, requirements related to the prospectus, and all matters incidental thereto in the IFSC.</p> |
| 2 | Companies (Registration of Foreign Companies) Amendment Rules, 2021. G.S.R.538(E) ³⁸ | 05/08/2021 | <p>An explanation has been added under the clause (c) of sub-rule (1) of Rule 2 of Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014. Under the explanation, electronic based offering of securities, subscription thereof or listing of securities in the IFSCs shall not be construed as 'electronic mode' for the purpose of clause (42) of section 2 of the Companies Act.”.</p> |
| 3 | Companies (Specification of definitions details) Third Amendment Rules, 2021 ³⁹ | 05/08/2021 | <p>An explanation has been added under the clause (h) of sub-rule (1) of Rule 2 of Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014. Under the explanation, electronic based offering of securities, subscription thereof or listing of securities in the IFSCs shall not be construed as 'electronic mode' for the purpose of clause (42) of section 2 of the Act.”</p> |

³⁷ The notification for amendments in Companies Act have been issued by the Ministry of Corporate Affairs

³⁸ Ibid

³⁹ The notification is issued by the Ministry of Corporate Affairs

Table 21 - List of Major Circulars / Guidelines

| S.NO | CIRCULARS / GUIDLEINES | DATE OF ISSUE | OBJECTIVES |
|------|---|---------------|---|
| 1 | Offering of Portfolio Management Service (PMS) and Investment Advisory Service by BUS | 26/04/2021 | The circular specifies that the Operating Guidelines for Portfolio Managers in IFSC dated 09/09/2020 (issued by SEBI) shall be applicable mutatis mutandis to Banking Units (BUs). The circular also specifies certain other requirements by BUs. |
| 2 | Prudential Regulations and Activity-specific Guidelines | 03/05/2021 | These guidelines are applicable to Finance Company/ Finance Units (FC/FU) set up in an IFSC. Under these Prudential Regulations, activity-specific regulations and other such provisions are specified for the FC/FUs. |
| 3 | Guidelines on distribution of mutual funds and insurance products by Finance Company /Finance Unit | 03/05/2021 | The guidelines on distribution of mutual funds units and insurance products, applicable to FC/FUs set up in an IFSC, are provided. |
| 4 | Information on various guidelines/ circulars/ directions applicable for undertaking non-core activities by an FC/FU | 03/05/2021 | It is applicable to FC/FUs set up in an IFSC. All FC/FU registered with the Authority and intending to undertake any of the specified non-core activities under the circular are to adhere the applicable IFSCA or SEBI circular/ directions/ guidelines provided under the circular. |
| 5 | Framework on computation of Exposure Ceiling for Finance Companies (FC) / Finance Units (FU) | 25/05/2021 | The framework aims at monitoring the exposures that are significant compared to the capital resources of the FC/FUs and thus protecting them from concentration risk arising from large exposure to a single counterparty or to a group of connected counterparties. |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| 6 | Clarificatory Circular on Framework for enabling Ancillary Services | 10/06/2021 | The circular, inter alia, provides clarification to the ancillary services circular issued on February 10, 2021. It specifies that applicants shall seek registration separately under the appropriate framework for undertaking regulated activities such as Debenture Trustee, Investment Advisor, AIF, Fund Management, etc. |
| 7 | Guidelines on Liquidity Risk Management for a Finance Company/Finance Unit | 24/06/2021 | The Liquidity Risk Management framework ensures that the FC/FU anticipates liquidity needs and is prepared to meet them. The Authority directs the FC/FU in IFSCs to adhere to the guidelines on Liquidity Risk Management. |
| 8 | Framework for undertaking Global/Regional Corporate Treasury Centres Activities by Finance Company/Finance Unit in IFSC | 25/06/2021 | This framework shall apply to a unit set up in an IFSC, which is registered as a FC/FU under the Finance Company Regulations and is desirous to perform the functions of Global/ Regional Corporate Treasury Centre. The circular provides for permissible treasury services, permissible treasury activities, and other matters. |
| 9 | Framework for setting up of International Trade Financing Services Platform ('ITFS') for providing Trade Finance Services at International Financial Services Centres ('IFSCs'). | 09/06/2021 | In order to enable exporters and importers to avail various types of trade finance facilities at competitive terms, the Authority provides for a framework on establishing ITFS in IFSCs. |
| 10 | Guidelines on Corporate Governance and Disclosure Requirements for a Finance Company | 09/08/2021 | The circular aims to ensure accountability, transparency, and sustainability for the FC in order to foster investor confidence and achieve long term sustainable business goals. |



| | | | |
|----|---|------------|---|
| 11 | The IFSCA Banking Handbook | 13/08/2021 | <p>IFSCA Banking Handbook contains the directions of the Authority to IBUs operating as branch of a Banking Company. The Handbook has three components: general directions, conduct of business (COB) directions and prudential directions applicable to IBUs.</p> <p>The COB directions are aimed at ensuring that IBUs meet the minimum standards of conduct expected, particularly with regard to the treatment of their clients, their dealings with counterparties and other market participants.</p> <p>The prudential directions cover the qualitative aspects of prudential requirements in respect of governance, governing body responsibilities, policies, systems and controls to be made applicable on IBUs.</p> |
| 12 | Operating Guidelines on Bullion Exchange, Bullion Clearing Corporation, Bullion Depository & Vault Manager | 25/08/2021 | The circular is issued to enable the Bullion Exchange, Bullion Clearing Corporation, Bullion Depository and Vault Manager in an IFSC to operationalise their activities as per the IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020. |
| 13 | Circular for the Code of Conduct and Code of Ethics for the Directors and Key Managerial Personnel (KMP) of the MIs GIFT-IFSC | 13/09/2021 | The Code of Conduct and Code of Ethics for the Directors on the governing board and KMP of the recognized MIs is provided in the circular. |
| 14 | Guidelines on Factoring and Forfeiting of Receivables | 17/08/2021 | These guidelines are applicable to FC/FUs registered with the Authority and that are intending to undertake the activity of factoring and forfeiting of receivables. |
| 15 | Global Access to Broker Dealers | 25/11/2021 | The registered broker dealers incorporated in IFSC are permitted to access exchanges in jurisdictions outside IFSC, subject to compliance with Chapter V of CMI Regulations and conditions laid out in the circular. |

| | | | |
|----|--------------------------------|------------|--|
| 16 | Investment banking in the IFSC | 03/12/2021 | The circular, inter-alia, authorises IBUs to operate as investment bankers and also prescribes the fee structure and other incidental matters. |
|----|--------------------------------|------------|--|

Advocacy and Outreach

IFSCA- Gujarat National Law University (GNLU) Certification Course

GNLU under the aegis of IFSCA has introduced a Certificate course on Financial Market Laws with special emphasis of their applicability in IFSCs on December 06, 2021. The course facilitates academic outreach and generates awareness on the nuances of IFSCs and financial market laws.

Research

Research on special dispensation for IFSCs in the proposed new legislation repealing Special Economic Zones Act, 2005 (SEZ Act) and Rules

It is observed that in the present framework, the entities in IFSCs have to undergo dual compliance under the provisions of both the SEZ Act and the IFSCA Act. In this regard, detailed research on the provisions of the SEZ Act and Rules is being undertaken to enable special dispensation for the IFSCs in the background of proposed new legislation repealing SEZ Act.

Research on the regulatory framework for establishing foreign universities in GIFT IFSC

In the Union Budget 2022-23, it was proposed that world- class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in Financial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and Mathematics free from domestic regulations, except those by IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. In this background, research will be undertaken on the regulatory structure of foreign universities across major jurisdictions along with a comparative analysis of framework/ governing rules framed by the regulators in those countries.

Policies and Programmes for the following year

Setting up of International Arbitration Centre (IAC) in GIFT IFSC

In the Union Budget 2022-23, Hon'ble Finance Minister announced setting up of an IAC in GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence. In pursuance of the above, IFSCA is deliberating with the stakeholders on the mode and manner of setting up of an IAC.

One of the main objectives of IFSCA is to attract offshore business to IFSC and thereby make it a robust global financial centre having ability to compete with other jurisdictions. Having a contemporary and robust dispute resolution centre will nudge international financial sector players towards IFSC. Keeping in view the importance of dispute redressal mechanism, IFSCA had entrusted GNLU to undertake research on setting up appropriate dispute resolution facilities in IFSC. The research report was submitted to IFSCA on September 03, 2021.



Anti-Money Laundering (AML), Combating of Financing of Terrorism (CFT) and Know Your Customer (KYC) Guidelines

As a unified regulator, IFSCA is required to put in place comprehensive guidelines on AML/ CFT in line with FATF recommendations and the Prevention of Money Laundering Act, 2002 & the rules made thereunder. The guidelines once operationalized would provide a clear framework to the IFSC entities on client onboarding and measures required to be undertaken for prevention of money laundering and combating the financing of terrorism. The Authority is conducting a comprehensive study to incorporate FATF recommendations and other global best practices in its proposed guidelines.

Section **E**

SOURCE OF FUNDS AND MAJOR AREAS OF EXPENDITURE (FY 2021-22)

Table 22 - Sources of Funds for 2021-22

| Sources of Fund - Receipts | Amount in ₹ Lakhs |
|---|-------------------|
| Annual Fees | 854.04 |
| Application Fees | 82.29 |
| Broker Turnover Fees | 340.24 |
| Listing Fees | 2.03 |
| Registration Fees | 635.21 |
| Government Grants | 9,603.89 |
| Interest income on regulatory fee earned by IFSCA | 35.86 |
| Miscellaneous Income | 1.25 |
| Total | 11,554.81 |

Table 23 - Major Areas of Expenditure for 2021-22

| Major Areas of Expenditure - Payments | Amount in ₹ Lakhs |
|--|-------------------|
| Establishment Expenses | 2,052.04 |
| Administrative Expenses | 1,050.96 |
| Purchase of Fixed Assets | 1,455.07 |
| Prepaid Expenses / Advances on Capital Account | 1,736.30 |
| Other Prepaid Expenses | 33.77 |
| Total | 6,328.14 |

Section **F**

ORGANISATIONAL MATTERS

Table 24 - International Financial Services Centres Authority - Departmental Structure

| Department | Divisions |
|-----------------------------------|---|
| Banking | Banking Regulations – 1 |
| | Banking Regulations – 2 |
| | Banking Supervision |
| | Finance Company Regulations |
| Capital Market | Corporate Finance-Equity, Hybrid and related products |
| | Corporate Finance-Debt and Sustainable Finance |
| | Market Infrastructure Institutions – Regulation and Supervision |
| | Investment Funds - I and New Products & Services |
| | Investment Funds - II and Aircraft Leasing |
| Insurance | Insurance |
| Precious Metals | Market Structure and Risk Assessment |
| | Technology & Supervision |
| | Products - Development and Regulation |
| | Regulatory Affairs and Coordination |
| Development | Development of Financial Market – I |
| | Development of Financial Market – II & International Affairs |
| Economic Policy and Analysis | Economic Policy and Analysis |
| General Administration | Administration & HR |
| | Treasury, Finance and Accounts |
| IT and Fintech | IT and Fintech |
| Legal Policy & Regulatory Affairs | Legal Policy |
| | Regulatory Affairs |

Table 25 - IFSC Authority Meetings held in FY 2021-2022

| Meeting | Date |
|---------------------------|--------------------|
| Seventh Authority meeting | June 30, 2021 |
| Eighth Authority meeting | September 24, 2021 |
| Ninth Authority meeting | December 27, 2021 |
| Tenth Authority meeting | March 16, 2022 |

Human Resources

The Government of India has set up IFSCA vide notification dated April 24, 2020, and its first Chairperson was appointed on July 06, 2020. Being a newly established unified regulator responsible for developing and regulating the financial services market in IFSCs, IFSCA aims to attract the right talent, train them for the tasks, build domain expertise and motivate them for excellence.

IFSCA has issued guidelines for engagement of young professionals, consultants and senior consultants with professional expertise in the field of financial services. IFSCA also provides internship opportunities to students who wish to pursue a professional career in financial services.

Recruitment

Despite being a new organization, recruitment to fill various posts from Grade A officer to Executive Director on Direct Recruitment/ Deputation/ Loan basis has been completed in less than three months. The details of sanctioned strength and employees in position post recruitment are as below:

Table 26 - Sanctioned and Actual strength of employees

| Position | Sanctioned strength as on 31.03.2022 | Actual strength as on 31.03.2022 |
|--|---|-------------------------------------|
| Executive Director | 6 | 3 |
| Chief General Manager | 9 | 0 |
| General Manager | 12 | 5 |
| Deputy General Manager | 15 | 15 |
| Assistant General Manager | 20 | 3 |
| Manager | 26 | 6 |
| Assistant Manager | 30 | 20 |
| Executive Assistant / Senior Executive Assistant / Executive Superintendent* | 20 | 0 |
| Multi-Tasking Staff Grade A / Grade B / Grade C* | 10 | 0 |
| TOTAL | 148 | 52 |

* Requirements have been met through contractual engagement on outsourcing basis.

Human Resource Management System (HRMS)

IFSCA has introduced an online Human Resource Management System, which provides the following solutions:

HR Administration

Employee Management

Reporting

Talent Management

PTO/Leave Management & Time tracking

Payroll

Module for performance review, career development, training (LMS)

Training Programmes and Webinars

IFSCA organized training programmes for capacity building of officers involved in regulation and development of financial products, financial services and financial institutions. The details of the training programmes and various webinars/ seminars/ meetings organized are as follows:

Table 27 - Training programmes

| S.No. | Name of Programme |
|-------|--|
| 1 | IOSCO SPAC Network |
| 2 | Abu Dhabi Sustainable Finance Forum |
| 3 | Global Certificate Program for Regulators of Security Market by Harvard Law School |
| 4 | Introduction to Sustainable Finance by University of Oxford |
| 5 | CFTRI program (University of Cambridge Course) |
| 6 | IGPC Precious Metal Workshop |
| 7 | IOSCO training on Securities and Derivatives Clearing and role of CCPs |
| 8 | IOSCO APRC TA Workshop on Developing Enforcement Manuals |
| 9 | Intensive Bank Analysis by Fitch Learning |
| 10 | Capsule programme on Organizational Risk Acculturation and Quality of Internal Audit and Compliance environment by College of Supervisors, RBI |
| 11 | Capsule programme on Operational Risk by College of Supervisors, RBI |
| 12 | Capsule programme on IT and Cyber Resilience Risk by College of Supervisors, RBI |

| | |
|----|---|
| 13 | Programme on Fintech, Regtech & Suptech technologies foundations & building blocks by College of Supervisors, RBI |
| 14 | Virtual Core Curriculum Certificate course by Toronto Centre |
| 15 | Live online training programme on Financial Derivatives by NIBM, Pune |
| 16 | Web 3.0 Knowledge Certificate in Financial Services – issued by National University of Singapore |
| 17 | Webinar on Framework for Fintech & TechFin in IFSC-PWC |
| 18 | Singapore Fintech Festival |
| 19 | FCA – Sustainability themed TechSprint |
| 20 | IBM Technology Workshop (Blockchain and Quantum) |

Research Activities

The research wing works in close collaboration with the respective operational departments by providing research inputs for policy formulation. During the year, comprehensive research was undertaken on feasibility of developing a carbon market in IFSC. A study was conducted on developing climate finance and technology ecosystem in IFSC which would help in achieving Paris Agreement's targets.

During the year, IFSCA launched a Knowledge Enrichment Portal, an initiative to provide updates on global developments in areas related to finance and economy. It is a web-based information aggregator platform containing regulations, publications, news, reports, trends in emerging areas, etc.

Box 8 - IFSCA-IIMA MoU

IFSCA and IIM-A signed an MoU at IIM-A campus on February 10, 2022, for cooperation and collaboration to strengthen active participation in conducting evidence-based policy research to aid policy formulation and also encourage research in emerging financial areas.

The MoU will provide an ideal platform for a two-way collaboration between IFSCA and IIM-A, especially in the areas of policy research, economic impact analysis, strategy management and emerging areas such as FinTech, Climate Finance, etc.

Under the MoU, both the institutions will explore opportunities for research, consultancy, training, internships and capacity building for policy analysis and development in areas of finance and convergence of technology.



Image 8 - Director, IIM-A (L) and Chairperson, IFSCA (R) on the occasion of MoU signing ceremony at IIM-A

IFSCA Headquarters Building Project

As GIFT IFSC is being developed as an international jurisdiction with truly world class & modern infrastructure, the proposed IFSCA head office building (herein after referred to as IFSCA Tower) has been designed and conceptualized as an iconic structure which is reflective of the growing prominence and stature of GIFT IFSC as a leading international financial centre. The 27 floors IFSCA Tower has been designed to become a highly efficient and sustainable structure in line with Smart City concept. Once completed in the year 2024, IFSCA tower will symbolize the dreams and aspirations of a New and Atma Nirbhar Bharat.

The allotment of development rights to IFSCA for construction of 3 lakh sq. ft. built-up area was made in April 2021 by GIFT City Co. Ltd., after which IFSCA has submitted a detailed proposal to DEA for budgetary assistance of INR 200 crore. In September 2021, DEA approved grant-in-aid of INR 100 crore, and the balance INR 100 crore was approved in the form of loan which would be repaid over a 10-year period.

For the execution of the project, IFSCA appointed GIFT SEZ Limited as Project Management Consultant (PMC) in August 2021. The PMC in October 2021 appointed M/s HPC Design Planning & Management as the Principal Architect for the design and development of the project.

Right to Information (RTI)

RTI Act, 2005 mandates timely response to citizen requests for government information. The basic object of the Act is to empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of the Government.

Table 28 - Status of RTI Applications as on March 31, 2022

| Number of RTI requests received during FY 2021-22 | Number of RTI requests replied within the prescribed time-limit |
|---|---|
| 17 | 17 |

Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act)

Workplace harassment is a form of gender discrimination. It violates fundamental right to equality and right to life, guaranteed under Articles 14, 15 and 21 of the Constitution of India and affects work environment, health, and economic growth.

IFSCA endeavours to promote a healthy and positive workplace environment in the organization. A safer work environment, devoid of any feelings of discomfort and fear among the employees is instrumental in assuring quality and efficiency at work. A strengthened workplace culture motivates individuals and improves productivity. Necessary steps have been taken by IFSCA to ensure effective enforcement of the Act.

An Internal Complaints Committee (ICC) was constituted on July 27, 2021 under provisions of section 4 of the POSH Act. No complaint of sexual harassment has been received during the year.

Activities During FY 2021-22

- An awareness programme was conducted on September 29, 2021 for sensitization of IFSCA employees regarding the POSH Act.
- International Women's Day was celebrated at IFSCA on March 08, 2022 with the campaign theme **#BreakTheBias**. In this event, a workshop was also organized wherein a session was conducted by the external member of ICC on the POSH Act. The activities of installation/ display of posters and placing the contact details of ICC at places of due prominence within the office premises were undertaken.
- Three Quarterly Meetings of ICC have been held on September 29, 2021, December 23, 2021 and March 08, 2022.



Image 9 - International Women's Day Celebrations



International Financial Services Centres Authority
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

**2nd & 3rd Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1,
Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City, Gandhinagar, Gujarat - 382 355.
<https://www.ifsca.gov.in>**

**दूसरी और तीसरी मंजिल, प्रज्ञा टॉवर, ब्लॉक 15, जोन 1,
रोड 1सी, गिफ्ट ऐसईजेड, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात - ३८२ ३५५
वेबसाइट : <https://www.ifsca.gov.in>**